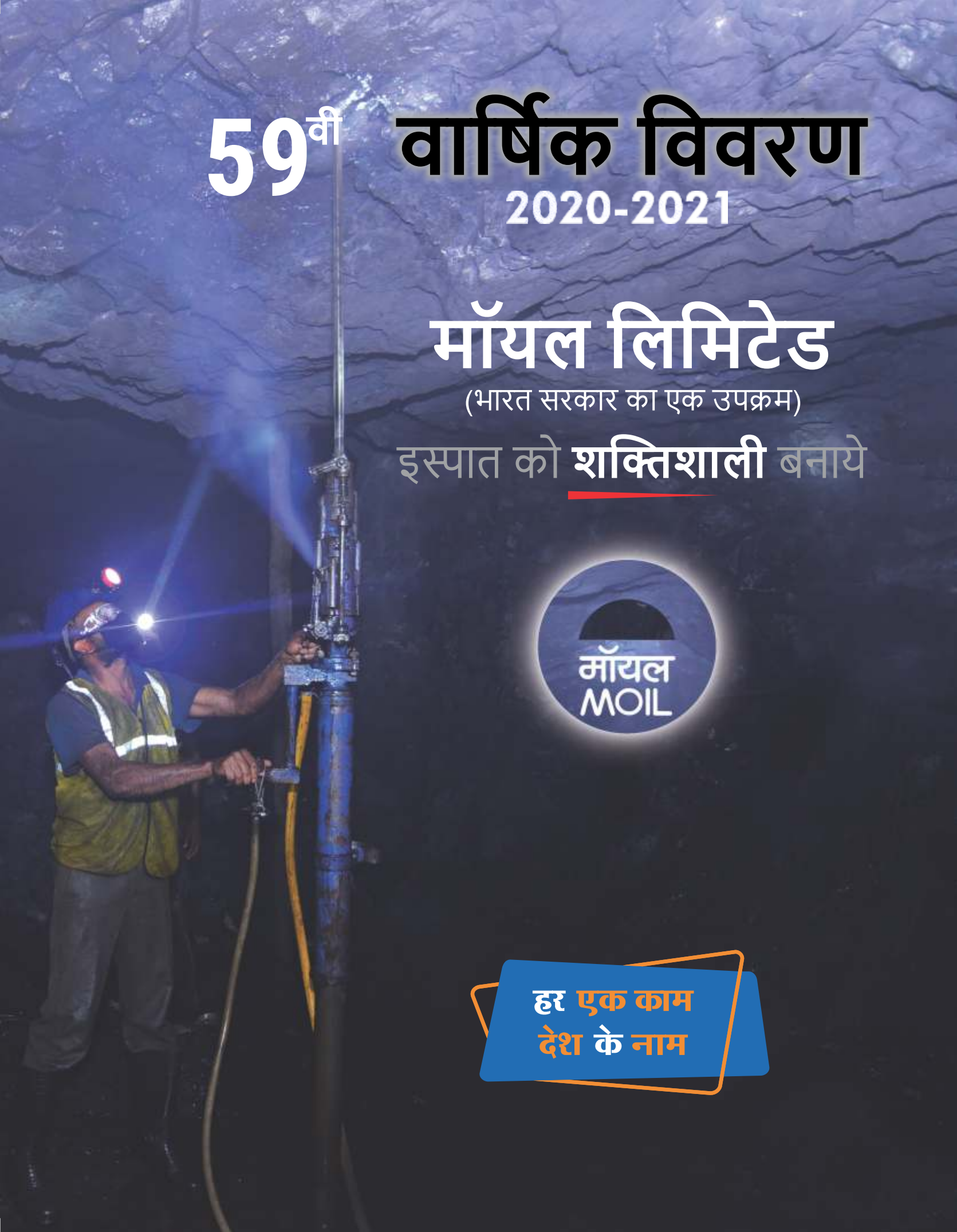

59वीं वार्षिक विवरण
2020-2021

मॉयल लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

इस्पात को **शक्तिशाली** बनाये

मॉयल
MOIL

हर एक काम
देश के नाम

रिपोर्ट में अंतरंग

01 कॉर्पोरेट परिदृश्य

हमारे व्यापार पर एक नजर	02
प्रदर्शन पर एक नजर	04
कोविड-19 का प्रभाव	06
नवाचार	08
समाज	10
स्थिरता	12
व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेदारी	14
संचालक मंडल	17

02 वैधानिक रिपोर्ट

प्रदर्शन पर एक नज़र	20
शेयरधारकों को बोर्ड की रिपोर्ट	21
कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट	49
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	72
व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	78

03 वार्षिक लेखा

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	90
तुलनपत्र	104
लाभ-हानि का विवरण	105
इक्विटी के परिवर्तनों की रिपोर्ट	106
नगद प्रवाह विवरण	107
लेखा नीति	109
तुलनपत्र पर टीप्पणी	116
लाभ-हानि विवरण पर टीप्पणी	126
खातों पर टीप्पणी	129

हमारी कंपनी की अधिक जानकारी हेतु लॉग ऑन करें
www.moil.nic.in

अस्वीकरण :-

५९ वी वार्षिक विवरण का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करणे में पुर्ण सावधानी रखी गई हैं । परन्तु यदि दोनों भाषाओं में कोई विसंगती पाई जाती है तो उस स्थिति में अंग्रेजी वार्षिक विवरण को ही अन्तिम माना जायेगा ।

अग्रिम – रिपोर्ट देखें

इस रिपोर्ट की कुछ सूचनाओं में भविष्योन्मुखी बयान शामिल हो सकते हैं जिनमें कंपनी के बारे में बयान शामिल हैं। अपेक्षित वित्तीय स्थिति और संचालन, व्यावसायिक योजनाओं और संभावनाओं आदि के परिणाम और आम तौर पर फॉरवर्ड द्वारा पहचाने जाते हैं – 'विश्वास', 'योजना', 'अनुमान', 'जारी रखें', 'अनुमान', 'उम्मीद', 'हो सकता है', 'होगा' या अन्य समान शब्दों जैसे दिखने वाले शब्द। ऐसे शब्द उक्त बयान या मान्यताओं या संदर्भित आधार पर आधारित है। हमने इन धारणाओं या आधारों को अच्छे विश्वास से चुना है, और हम मानते हैं कि वे सभी भौतिक मामलों में उचित हैं। हालांकि, हम सावधान करते हैं कि वास्तविक परिणाम, प्रदर्शन या उपलब्धियां ऐसे भविष्योन्मुखी बयानों में व्यक्त या निहित से भौतिक रूप से भिन्न हो सकती हैं। हम नई जानकारी, भविष्य की घटनाओं, या अन्यथा के परिणामस्वरूप किसी भी बयान को अद्यतन या संशोधित करने के लिए कोई दायित्व नहीं लेते।

भारत के पास प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार है।

मॉयल में, हम भारत के मैंगनीज भंडार की खोज और विकास में अपनी विशेषज्ञता के साथ देश के विकास को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रणनीतिक गठजोड़ और तकनीकी सुधारों के साथ, हम अपने खनन को फिर से परिभाषित कर रहे हैं और मैंगनीज उद्योग में अपना नेतृत्व बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं।

जबकि बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आ रही है, स्टील की मांग बढ़ रही है। बढ़ती मांग के जवाब में, हम विकासशील उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी खनन गतिविधियों में तेजी ला रहे हैं।

इन वर्षों में, हमने नए व्यावसायिक क्षेत्रों में विविधता लाने और अपनी भौगोलिक पहुंच का विस्तार करने की आवश्यकता को प्राथमिकता दी है। साथ ही, हम पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी सुरक्षित खनन प्रथाओं के माध्यम से हितधारक मूल्य बढ़ाने के महत्व को महसूस करते हैं। हमारी खानों की उत्पादकता में सुधार और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए नवीन विचारों को लागू करने के हमारे अथक प्रयासों ने हमें प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने में सक्षम बनाया है।

उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करते हुए, हम देश की सेवा के लिए समर्पित हैं

- प्रत्येक कामकाजी देश के लिए

अध्यक्ष का कथन

राकेश तुमाने
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
एजीएम के अध्यक्ष

प्रिय शेयरधारक,

मुझे 59वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसे बातचीत करने और कंपनी की वित्तीय वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट पेश करने में प्रसन्नता हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 संक्रामक काल में एजीएम का आयोजन किया गया। यह न केवल आपकी कंपनी के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष है। महामारी दुनिया भर में फैल गई है और दुनिया भर के अरबों लोगों के स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां पेश करती है। भारत में कोविड-19 का प्रसार भी चिंताजनक है और देश के स्वास्थ्य पर इसका गंभीर और आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है।

कोविड -19 का मॉयल पर प्रभाव

मॉयल का उत्पादन और प्रदर्शन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से जहां मॉयल खदानें स्थित हैं वहां प्रभावित हुआ। हालांकि, अप्रैल-जून 21 में मैंगनीज के उत्पादन और बिक्री में अप्रैल-जून 21 की तुलना में क्रमश: 187% और 180 फीसदी की वृद्धि हुई है, लेकिन यह अभी तक वित्त वर्ष 2019 की इसी अवधि के प्रदर्शन स्तर तक नहीं पहुंचा है। दूसरी ओर, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उक्त अवधि के दौरान कारोबार में न केवल उस अवधि के दौरान 188% की वृद्धि हुई है, बल्कि वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान प्रदर्शन को भी पार कर गया है। जैसा कि आपकी कंपनी के प्रदर्शन में सुधार दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है कि यह जल्द ही विभिन्न मोर्चों पर पूर्व-स्तर के स्तरों को पार कर जाएगी।

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, कर्मचारियों की काम करने की स्थिति के मामले में कोविड -19 के खिलाफ लड़ने के अन्य उपायों के अलावा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपकी कंपनी देश की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है और कंपनी ने 45.00 करोड़ रुपये पीएम केयर फंड और 5.00 करोड़ रुपये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कोष के लिए दान दिया। यह योगदान सभी मॉयल कर्मचारियों द्वारा एक दिन के वेतन योगदान के अतिरिक्त है।

कंपनी ने नागपुर और बालाघाट जिलों के स्थानीय प्रशासन को भी कोविड-19 की दूसरी लहर से लड़ने के लिए 75.00 लाख रुपये प्रदान किए हैं और हाल ही में मध्य प्रदेश के एक दूरस्थ जिले मंडला में 100 ऑक्सीजन बेड के साथ एक सुविधा स्थापित की है। यह राज्य के

आपकी कंपनी ने मौजूदा खानों के विकास, देश के भीतर और बाहर नई खदानों के अधिग्रहण, खदानों से सटे खनिज क्षेत्रों के अधिग्रहण, मूल्यवर्धन / विविधीकरण परियोजनाओं की स्थापना आदि के लिए निवेश की योजना बनाई है। कुछ परियोजनाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं और कुछ हैं चालू। इन सभी परियोजनाओं के लिए 2030 तक 2500 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।

बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर और डिंडोरी जिलों में और 250 ऑक्सीजन बेड स्थापित कर रहा है।

उद्योग की स्थिति

सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम संक्षेप में इस्पात उद्योग के प्रदर्शन को देखें, तो मैंगनीज मुख्य रूप से धातु उद्योग के प्रदर्शन पर आधारित है। इंडियन स्टील एसोसिएशन (आईएसए) के अनुसार, भारत की स्टील मांग, जिसमें 2020 में 13.7 फीसदी की गिरावट आई है, 2019 में 19.8% को पार करने की उम्मीद है। इसका मैंगनीज उद्योग पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, लंबे समय में, अपेक्षित जनसंख्या वृद्धि, स्टील के लिए नए अनुप्रयोगों और अधिक परिष्कृत स्टील अनुप्रयोगों के साथ, वैश्विक इस्पात बाजार में 700 से 1000 मिलियन टन तक बढ़ने की क्षमता है। इंडियन स्टील एसोसिएशन (आईएसए) ने भविष्यवाणी की है कि बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का जोर, 'मेक इन इंडिया' नीति और आंदोलन को बढ़ावा देने की योजना कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत में स्टील की मांग को बढ़ावा देगी।

कंपनी का प्रदर्शन

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वित्तीय वर्ष 2020-21 आपकी कंपनी के लिए एक और चुनौतीपूर्ण वर्ष था, जब बिक्री के लिए उपलब्ध मध्यम और निम्न ग्रेड धातुओं के उच्च अनुपात और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार में मांग घटने तथा मैंगनीज की कीमतों में कमी ने उत्पाद कारोबार और मुनाफे को प्रभावित किया। वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद लगाए गए लॉकडाउन ने खदानों/संयंत्रों के बंद होने से आर्थिक प्रदर्शन को भी प्रभावित किया। सामाजिक अंतराल और अन्य प्रोटोकॉल और प्रभावित कर्मचारियों के आवधिक अलगाव के कारण वर्ष के उत्तरार्ध में इसके दुष्प्रभाव भी महसूस किए गए।

फिर भी, एक का मालिक होना अभी भी औसत व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पिछले साल 1038.07 करोड़ रुपये की तुलना में 1177.38 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के लिए पूर्व-कर परिचालन लाभ पिछले वर्ष के 157.38 करोड़ रुपये की तुलना में 187.63 करोड़ रुपये रहा।

हमारी कंपनी ने 2020-21 के दौरान विभिन्न ग्रेड के 11.44 लाख मीट्रिक टन मैंगनीज का उत्पादन किया है, जबकि पिछले साल 12.77 लाख मीट्रिक टन था। कोरोना नियमों के पालन से प्रति व्यक्ति उत्पादन शिफ्ट (OMS) में मामूली गिरावट आई है, उत्पादन क्षमता संकेतक 1.044 मीट्रिक टन से 1.02 मीट्रिक टन (पिछले वर्ष मीट्रिक टन) हो गया है। पिछले वर्ष के 925 टन की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में ईएमडी उत्पादन बढ़कर 1070 टन हो गया, जबकि पिछले साल फेरो मैंगनीज का उत्पादन 1042 मीट्रिक टन था।

आपल्या कंपनीने 2020-21 दरम्यान 11.44 लाख मेट्रिक टन मँगनीज धातूचे वेगळ्या ग्रेडचे उत्पादन केले आहे, तर मागील वर्षी ते 12.77 लाख मेट्रिक टन होते. कोरोना नियमांचे पालन केल्यामुळे दरडोई उत्पादन शिफ्ट (ओएमएस), उत्पादन क्षमतेचे सूचक 1.044 मेट्रिक टन ते 1.02 मेट्रिक टन (मागील वर्षीचे मेट्रिक टन) किंचित घसरले आहे. मागील वर्षातील 925 टन तुलनेत ईएमडीचे उत्पादन आर्थिक वरष 2021 मध्ये 1070 टनांवर वाढले तर फेरो मँगनीजचे उत्पादन मागील वर्षी 1042 मेट्रिक टन होते.

लाभांश

मॉयल कई वर्षों से लाभांश देने वाली कंपनी रही है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मुनाफे में गिरावट के बावजूद, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 49% या रु. का अंतिम लाभांश निर्धारित किया है। वित्त वर्ष 2011 के लिए 4.90 प्रति शेयर की सिफारिश की गई है। अंतरिम लाभांश 25% है और मार्च 2020 में देय है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2021 के लिए कुल लाभांश रुपये का 74% (यानी 7.40 रुपये प्रति शेयर) प्रति शेयर है।

प्रदर्शन को बनाए रखने / सुधारने के लिए पूंजीगत परियोजनाएं

मॉयल उत्पादन स्तर को बनाए रखने और क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी खानों के विस्तार और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मुनसर में वेंटिलेशन शाफ्ट को डुबाने का काम पूरे साल भर पूरा हो गया है जिससे उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। बालाघाट, गुमगांव और उकवा खदानों में तीन अन्य वर्टिकल शाफ्ट सिंकिंग परियोजनाएं प्रगति पर हैं। हालांकि, कोविड 19 महामारी

अध्यक्षांचे मनोगत

ने इन परियोजनाओं में करीब एक साल की देरी की है।

सामरिक प्रबंधन योजना

भविष्य की जरूरतों को पूरा करने और उद्योग में नेतृत्व बनाए रखने के लिए, मॉयल ने 2030 तक अपने उत्पादन को 14 1.14 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 3.00 मिलियन मीट्रिक टन करने की योजना बनाई है, जिसके लिए एक रणनीतिक प्रबंधन योजना पहले से मौजूद है। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, अत्यधिक कुशल अधिकारियों वाले एक रणनीतिक प्रबंधन समूह को भी प्रगति की निगरानी करने का काम सौंपा गया है।

इस दिशा में, आपकी कंपनी मौजूदा खदानों का विकास करेगी, देश के अंदर और बाहर नई खदानों का अधिग्रहण करेगी, खदानों से सटे खनिज पाइपलाइनों के क्षेत्र का अधिग्रहण करेगी, मूल्यवर्धन / विविधीकरण परियोजनाएं स्थापित करेगी, आदि। के लिए निवेश की योजना है। परियोजनाएं पहले से ही हैं। शुरू हो गया है और कुछ का काम चल रहा है। इन सभी परियोजनाओं पर 2030 तक 2,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

मॉयल की शक्ति और अवसर

मॉयल भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है और देश के उत्पादन का लगभग 45% हिस्सा है। लगभग 94.36 मिलियन टन मैंगनीज के भंडार के साथ, भारत के पास मजबूत स्थिति, मध्यम से उच्च ग्रेड धातु भंडार, केंद्र में स्थित खदानों और एक मजबूत और विस्तारित ग्राहक आधार के साथ, स्टील की मांग बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी पूंजी है।

आपकी कंपनी का महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 31-03-2021 तक कुल 1743.77 हेक्टेयर खनन क्षेत्र है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अतीत में 814.71 हेक्टेयर का क्षेत्रफल था। मैंगनीज धातु की प्रत्याशा में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नागपुर और भंडारा जिलों को मॉयल के लिए आरक्षित किया गया था। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कोडेगांव में 126.84 हेक्टेयर क्षेत्र, नागपुर जिले के मॉयल में गुमगांव खदान को हाल ही में इस संबंध में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) दी गई है। यह एक नई खदान, कंपनी की 12वीं खदान और अपनी स्थापना के बाद से पहली नई भूमिगत खदान होगी।

गुजरात राज्य में मैंगनीज निष्कर्षण की संभावना का पता लगाने के लिए, आपकी कंपनी ने गुजरात राज्य सरकार के एक उपक्रम, गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (जीएमडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। क्षेत्र की खोज (लगभग 13,000 मीटर) के परिणाम अच्छी गुणवत्ता वाली धातुओं और 9.51 मिलियन मीट्रिक टन संसाधनों की उपलब्धता को दर्शाते हैं। मॉयल जीएमडीसी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया में है। हालांकि, कोविड प्रतिबंधों के कारण इसमें देरी हुई है।

इसके अलावा, मॉयल, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड अनुसंधान के लिए एमपीएसएमसीएल के बीच त्रिपक्षीय सुलह समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश के जबलपुर, झाबुआ, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले शामिल हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में क्रमशः 850 किमी के 2 क्षेत्र और 487 किमी के 2 क्षेत्र आरक्षित किए हैं। इससे मॉयल बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों के आरक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने में सक्षम होंगे। दो अन्य जिलों जबलपुर और झाबुआ के लिए आवेदन प्रक्रिया में हैं। टीएफएफआर के निर्धारण और व्यवहार्यता के आधार पर, मॉयल और एमपीएसएमसीएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी क्रमशः 51% और 49% हिस्सेदारी के साथ स्थापित की जाएगी।

राजस्थान और ओडिशा में मैंगनीज होल्डिंग क्षेत्रों के आरक्षण के लिए भी आवेदन जमा किए गए हैं और गुजरात की तरह एक सुलह समझौते पर इन राज्यों की खनन इकाइयों के साथ हस्ताक्षर करने का इरादा है।

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

आपकी कंपनी हमेशा उच्च स्तर के कॉर्पोरेट प्रशासन को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। एक अखंडता समझौते के कार्यान्वयन, एक आचार संहिता का पालन और एक उचित रूप से परिभाषित आंतरिक नियंत्रण ढांचा कंपनी की व्यावसायिक प्रथाओं में पारदर्शिता लाएगा। मॉयल सरकारी दिशानिर्देशों और सेबी (एलओडीआर) के नियमों का पालन कर रहा है। हालांकि, कॉरपोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता के साथ निदेशकों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकारी स्तर पर काम चल रहा है। कॉर्पोरेट प्रशासन अनुपालन पर बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया।

आपकी कंपनी हमेशा कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करती है। एक अखंडता समझौते को लागू करने, आचार संहिता को अपनाने और स्पष्ट रूप से परिभाषित आंतरिक नियंत्रण

अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए और राष्ट्र की आवश्यकता को पूरा करते हुए और वित्त वर्ष 2011 की शुरुआत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के गंभीर प्रभाव को देखने के बाद, मॉयल ने कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहा है तथा स्थापित किया है।

ढांचे को अपनाने से कंपनी की व्यावसायिक प्रथाओं में पारदर्शिता आती है। मॉयल कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सरकारी दिशानिर्देशों और सेबी (एलओडीआर) विनियमों का अनुपालन कर रहा है। हालांकि, निदेशकों के रिक्त पदों को भरने, जो कॉर्पोरेट प्रशासन की आवश्यकताओं में से एक है, को भरने का कार्य सरकारी स्तर पर चल रहा है। कॉर्पोरेट प्रशासन अनुपालन पर रिपोर्ट को बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। मॉयल को वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत सरकार के कॉरपोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस (डीपीई) के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) से उत्कृष्ट रेटिंग मिली है और वित्त वर्ष 2021 के लिए भी ऐसा ही करने की उम्मीद है।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में पहल

एक मॉडल कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, मॉयल हमेशा आंतरिक और बाहरी हितधारकों के उत्थान और बड़े पैमाने पर आजीविका और समाज में जरूरतमंदों के उत्थान के लिए सहायता प्रदान करने में सबसे आगे रहे हैं। सीएसआर ने मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों, सड़कों और स्कूलों के निर्माण/नवीनीकरण, जलापूर्ति सुविधाओं आदि के क्षेत्रों में कई पहल की हैं। सीएसआर कार्यक्रम के तहत, आपकी कंपनी बीएआईएफ, एक व्यावसायिक एजेंसी और महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण ग्रामीण क्षेत्र (एमआईटीआरए) के सहयोग से एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाती है।

अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने और देश की जरूरतों को पूरा करने और वित्तीय वर्ष 21 की शुरुआत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के गंभीर प्रभाव को देखने के बाद, मॉयल ने एक कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करने और योजना बनाने की योजना बनाई है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। इस ऑक्सीजन बेड की कुल कीमत लगभग रु. 3.12 करोड़ है।

चिकल माइंस में मॉयल-डीएवी स्कूल की बड़ी सफलता के बाद, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी मुनसर माइंस में अपने सीएसआर के तहत इस स्कूल की एक और शाखा खोलने की प्रक्रिया में है जो आस - पास के परिसर के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरतों को पूरा करेगी। हालांकि कोविड-19 के कारण स्कूल के निर्माण में देरी हुई है, कंपनी का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2022 में शेष कार्य को पूरा करना और 2022 शैक्षणिक सत्र में स्कूल शुरू करना है।

कंपनी ने 2020-21 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर 13.18 करोड़ रुपये के मुकाबले। 11.39 करोड़ खर्च किए गए।

आभार

अंत में, मैं यह स्वीकार करना चाहूंगा कि यह सब कंपनी के कर्मचारियों के अथक और समर्पित प्रयासों और कड़ी मेहनत के कारण ही संभव हो पाया है। मैं एक विशेष उल्लेख भी करना चाहूंगा क्योंकि कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में भी, कर्मचारियों और उनके संघ ने कंपनी के साथ एकजुटता दिखाई है और लॉकडाउन के दौरान उत्पादन / अन्य नुकसान को कम करने के अपने लक्ष्य का तहे दिल से समर्थन किया है। कंपनी के शेयरधारकों और प्रबंधन की ओर से, मैं भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात सरकार और अन्य हितधारकों को आपकी कंपनी में उनके विश्वास और विश्वास के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं बोर्ड के सदस्यों, हमारे मूल्यवान ग्राहकों, बैंकरों, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों, अधिकारी संघ, सीएजी, अनुसंधान संस्थान और अन्य संगठनों और संस्थानों को विशेष रूप से इस कोविद -19 संक्रमण के दौरान उनके अटूट समर्थन, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हम निश्चित रूप से कंपनी के सतत विकास, विस्तार और समृद्धि के लिए सभी हितधारकों को लाभान्वित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे।

जय मॉयल, जय हिंद

राकेश तुमाने
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
एजीएम के अध्यक्ष

हमारा व्यापार
एक नज़र

1962 में स्थापित, मैंगनीज ऑर इंडिया लिमिटेड (मॉयल) भारत में विभिन्न ग्रेड की मैंगनीज खानों का सबसे बड़ा उत्पादक और विक्रेता है।

मॉयल में हमारी 11 खदानें वर्तमान में महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों में और चार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में चल रही हैं। हम मैंगनीज के विभिन्न ग्रेड का उत्पादन और बिक्री करते हैं। वे:

- फेरो मैंगनीज के उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाली धातु
- सिलिको मैंगनीज के उत्पादन के लिए मध्यम ग्रेड धातु
- गर्म धातु उत्पादन के लिए आवश्यक ब्लास्ट फर्नेस ग्रेड धातु
- सूखी बैटरी और रासायनिक उद्योगों के लिए डाइऑक्साइड

हमारा दृष्टिकोण

हमारा लक्ष्य कुशल, सुरक्षित, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक संसाधनों की खोज और विकास करके अपने हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाना है।

हमारा लक्ष्य

भारतीय मैंगनीज उद्योग में बाजार का नेतृत्व बनाए रखना और रणनीतिक गठबंधनों के नेतृत्व के माध्यम से तकनीकी मानकों का वैश्विक विविधीकरण।

हमारे सामरिक उद्देश्य/प्राथमिकताएं

- 2030 तक हमारा उत्पादन बढ़ाकर 30 लाख मीट्रिक टन कर देश की मांग को पूरा करने का प्रयास करना।
- संबंधित व्यवसाय और भौगोलिक क्षेत्रों में विविध विकल्पों की खोज और हितधारकों के लिए मूल्य में वृद्धि।
- कर्मचारियों के जीवन में सुधार और विकास के बेहतर अवसर प्रदान करना।
- हमारे खनन क्षेत्र को स्वच्छ, हरा-भरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाना।

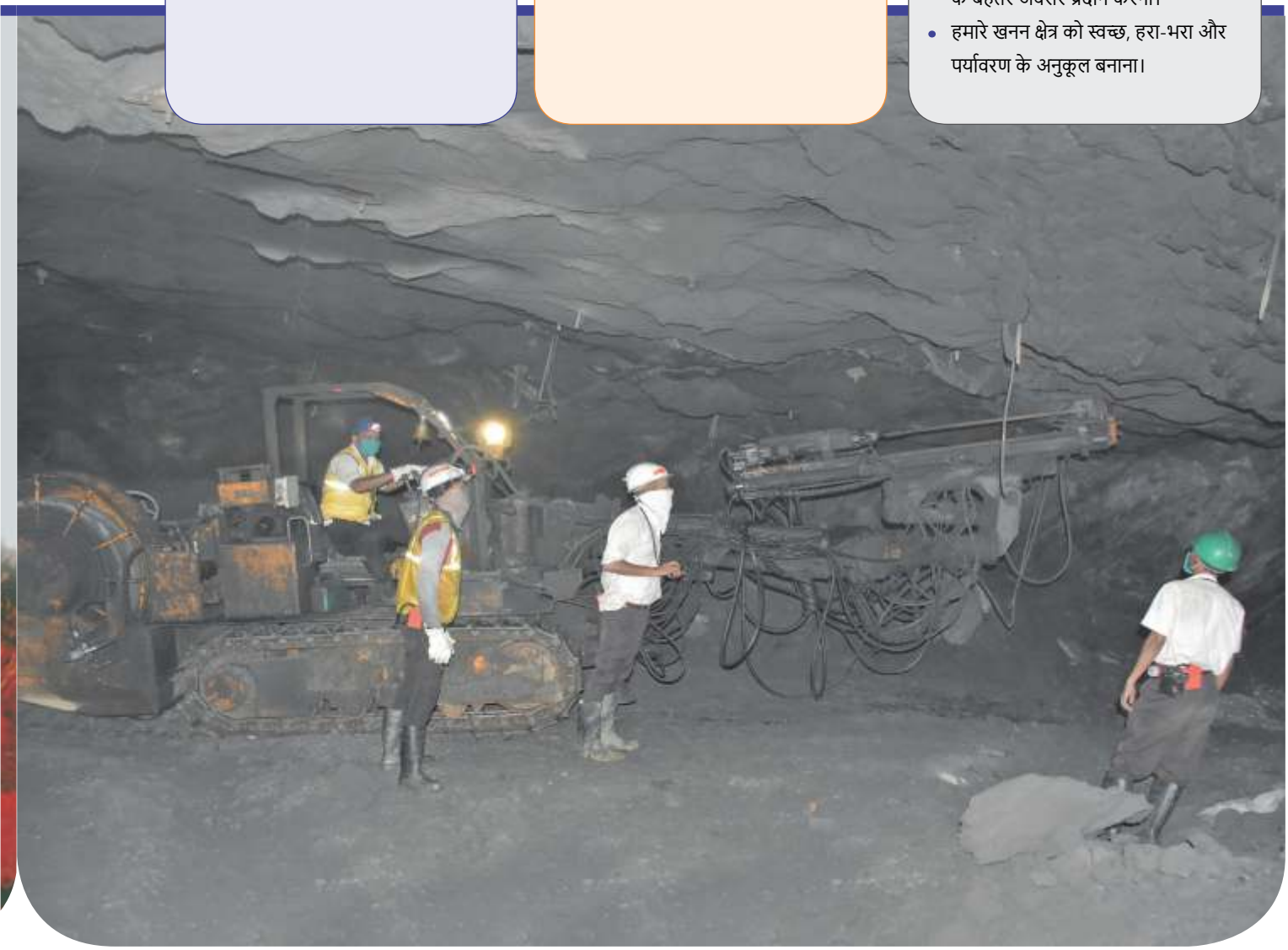

प्रदर्शन पर एक नजर

आर्थिक मुद्दें

राजस्व उत्पन्न
(करोड़ रुपये में)

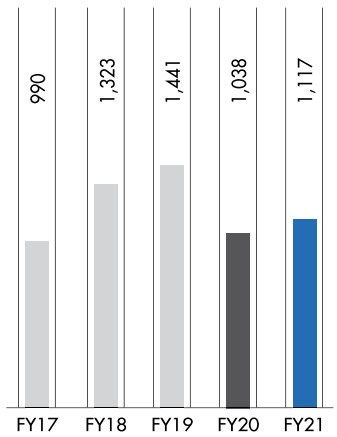

ईबीआयटीडीए
(करोड़ रुपये में)

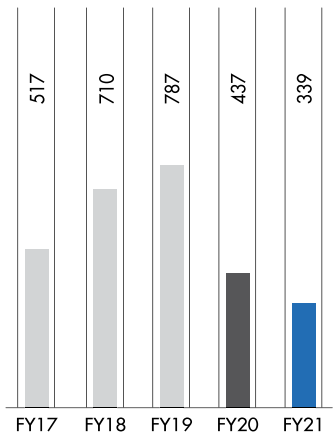

पीएटी
(करोड़ रुपये में)

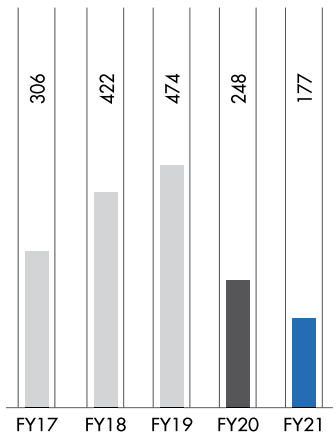

(ग्राफ लेने के लिए)
(करोड़ रुपये में)

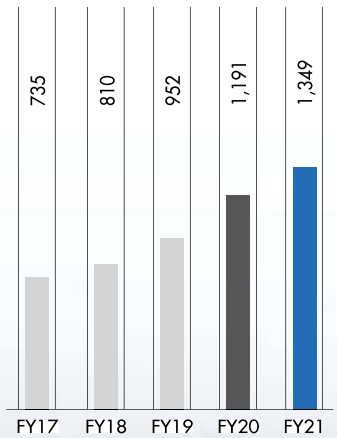

पीबीटी
(करोड़ रुपये में)

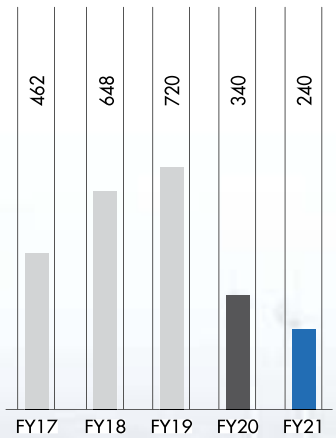

पीबीटी विक्री
(करोड़ रुपये में)

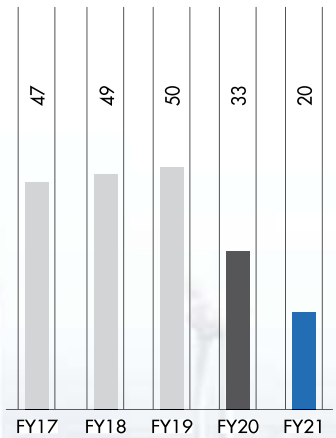

ऑपरेशनल हाइलाइट्स (उत्पादन)

मैंगनीज अयस्क
(मीट्रिक टन)

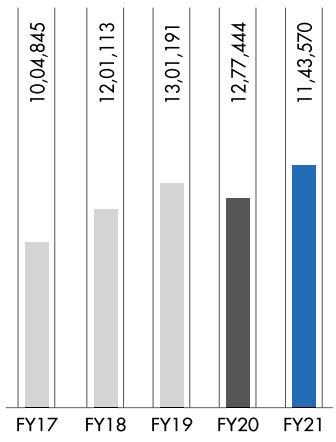

ई.एम.डी.
(मीट्रिक टन)

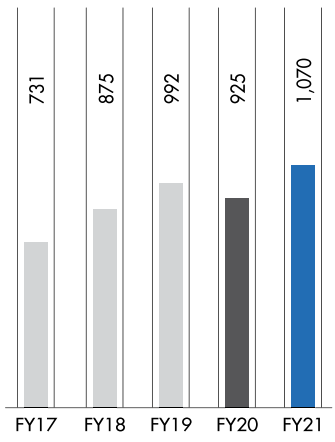

पवन चक्कियों द्वारा विद्युत उत्पादन
(किलोवाट)

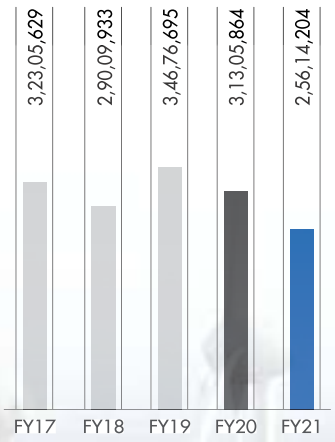

फेरो मैंगनीज
(मीट्रिक टन)

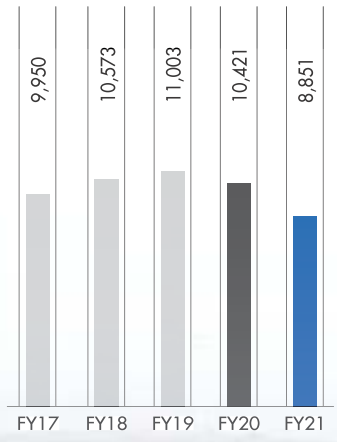

कोविड-19 का प्रभाव

2020 में कोविड-19 एक वैश्विक महामारी के रूप में उभरा। हमने अपनी कंपनी, समुदाय और कर्मचारियों के लिए चुनौतियों का तुरंत आकलन किया और लोगों को वायरस से सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए नियंत्रण स्थापित किया और अपने संचालन को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने की अनुमति दी।

हमने अपने उपायों में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों के सरकारी दिशानिर्देशों, निर्देशों और सलाह को शामिल किया है। हमने जो उपाय किए हैं उनमें: यात्रा की रोकथाम, सामाजिक दूरी, व्यक्तिगत स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य, थकान का उन्मूलन कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों को अधिक प्राथमिकता देना जैसे वर्क फ्रॉम होम को एडजस्ट करना।

वित्तीय वर्ष 2020-21 (सीएसआर) से मुख्य विशेषताएं

- पीएम केयर फंड में 45 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपये का योगदान दिया।
- मध्य प्रदेश के मंडला जिले में 100 ऑक्सीजन बेड की कोविड केयर सुविधा शुरू।
- नागपुर नगर निगम को 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और जिला कलेक्टर, बालाघाट (मध्य प्रदेश) को ऑक्सीजन
- विभिन्न संचारी उपकरणों के लिए 50 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया गया।

नवाचार

अपने व्यवसाय के हर पहलू में, हम अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अपने व्यवसाय की स्थिरता को बढ़ाने और अपने सभी हितधारकों को इसके सभी रूपों में स्थायी मूल्य प्रदान करने के लिए नवाचार कर रहे हैं।

हम मैंगनीज धातु की विभिन्न श्रेणियों के अन्वेषण, खनन विकास, खनन, लाभ और विपणन के साथ-साथ इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) और उच्च कार्बन फेरो मैंगनीज जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण में लगे हुए हैं। हम चार ओपनकास्ट और सात भूमिगत खदानों का संचालन करते हैं, जिनमें अलग-अलग शाफ्ट ओरिएंटेशन के साथ संकीर्ण मैंगनीज धातु निकाय होते हैं और दीवार चट्टानों की निम्न रॉक-मास गुणवत्ता से संबंधित कठिन भूवैज्ञानिक खनन स्थितियां होती हैं। हम देश में सीएसआईआर-आर एंड डी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित शैक्षिक और आर एंड डी संस्थानों के लिए आधुनिक तकनीक पेश करते हैं।
खानों में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए विभिन्न अनुसंधान एवं विकास पहलों को लागू किया गया है।

₹ 6.21 करोड़
कुल आर एंड डी लागत

विभिन्न अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में शामिल और उनसे संबंधित संगठन :

- सीएसआईआर-केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर), नागपुर और धनबाद
- सीएसआईआर- राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एनएमएल), जमशेदपुर
- सीएसआईआर- राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई), हैदराबाद
- सीएसआईआर-राष्ट्रीय पर्यावरण और इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईआरआई), नागपुर
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) , खड़गपुर
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), धनबाद (पूर्व में इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स)

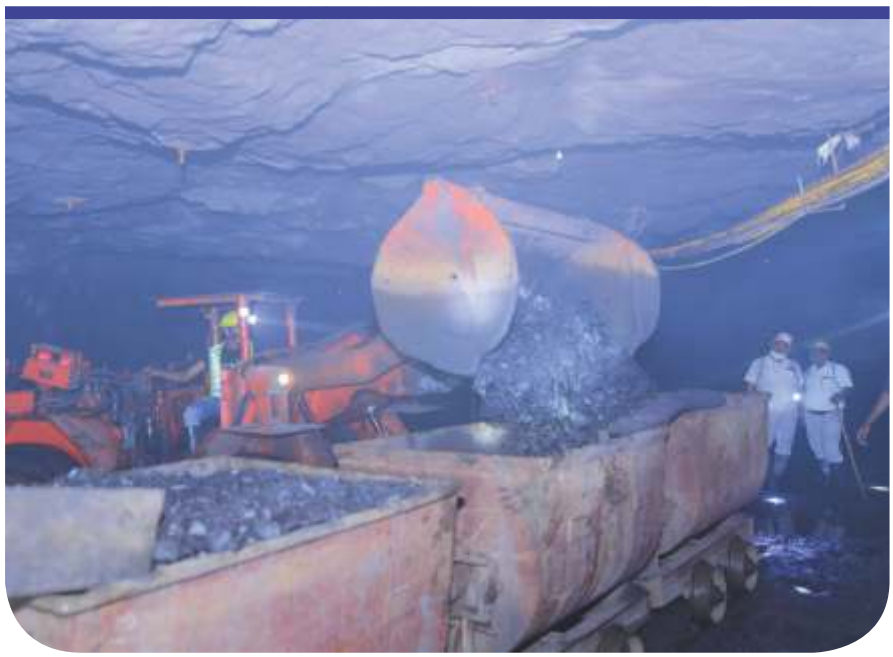

- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राउरकेला
- विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (वीएनआईटी), नागपुर
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), रायपुर
- राष्ट्रीय रॉक यांत्रिकी संस्थान (एनआईआरएम), कोलार गोल्ड फील्ड्स
- भारतीय इंजीनियरिंग और विज्ञान संस्थान (IIEST), शिबपुर
- आईएमटी भुवनेश्वर
- एनएमएल, जमशेदपुर

समाज

हमारे कर्मचारी हमारी सफलता के लिए मौलिक हैं। मॉयल में हम जो कुछ भी करते हैं उसके केंद्र में समाज है। हम एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देते हैं जहां विभिन्न पृष्ठभूमि, संस्कृतियों से हमारे विश्वासों को समर्थन और प्रोत्साहन मिलता है।

विविधता और समावेशन

हमारा लक्ष्य एक समावेशी कार्यस्थल बनाना है जहां प्रत्येक सहकर्मी अपना पूरा काम कर सके। हमारे पास करने के लिए और भी बहुत कुछ है और इसमें समय लगेगा। लेकिन आज तक के हमारे कार्य इन आदर्शों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मुख्य रूप से दूरस्थ खनन क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लाभ के लिए। हमारे पास एक मजबूत रणनीतिक ढांचा है और नियमित रूप से विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और सामुदायिक गतिविधियों जैसे वयस्क शिक्षा, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, परिवार नियोजन आदि का आयोजन करते हैं।

5866

Total workforce as on 31st March,2021

811

Women employees

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

मॉयल में, हम खानों/संयंत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देते हैं और नई खनन तकनीकों और खनन/अन्य कार्यों को यंत्रीकृत करके सुरक्षा उपकरण मानकों में लगातार सुधार करके दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं:
-सुरक्षा समितियों की नियमित बैठकें जो खदान की सुरक्षा प्रबंधन योजना की सावधानीपूर्वक समीक्षा करती हैं ताकि व्यक्तियों को नुकसान न पहुंचे और खदान में काम करें।

- विशेष प्रशिक्षण को छोड़कर सभी कर्मचारियों को नियमित रूप से व्यावसायिक एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है।
- सतत विकास और खनन और पर्यावरण कानून में सुरक्षा की भूमिका पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य और प्रबंधन के क्षेत्र में, हमें व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आईएसओ 45001: 2018 प्राप्त हुआ है।
- पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए बालाघाट, भंडारा और नागपुर जिलों में खनन के लिए जीआरआई मानकों के अनुसार प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन
- प्रणाली के लिए आईएसओ 14001: 2015, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001: 2015, एसए 8000 सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाणन और प्रमाणन।
- हमारी सभी भूमिगत और खुली खदानों के लिए जोखिम मूल्यांकन अध्ययन करना और खान की आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन समिति और बाहरी विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षा प्रबंधन योजना की समीक्षा करना।
- खदानों, संयंत्रों, स्कूलों, अस्पतालों और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएं पहले से मौजूद हैं।

प्रशिक्षण और कौशल विकास

हम मानते हैं कि उपयोगी वस्तुएं और तकनीकी विशेषताएं मूल्य और प्रदर्शन के प्रमुख घटक हैं और इसलिए प्रशिक्षण और विकास विशिष्टता की आवश्यकता से संबंधित हैं। आर्थिक वर्ष 2020 में, कोविड से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद, 2,785 घंटे के मानव-दिवस प्रशिक्षण के साथ 7% की वृद्धि हुई है। हमने कॉरपोरेट ट्रेनिंग सेंटर, नागपुर और विभिन्न ऑनलाइन उत्कृष्टता केंद्रों में कर्मचारियों के लिए कुल 68 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा, हमने कौशल विकास के तहत एक मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरपीएल के तहत 407 कर्मचारियों, 60 स्थानीय युवाओं और 53 अनुबंध कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है।

स्थिरता

वैश्विक जलवायु कार्रवाई को लेकर सामाजिक उम्मीदें बढ़ गई हैं क्योंकि कोविड-19 बीमारी से जूझ रहा है। उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है, व्यापार, सरकार और समाज को एक साथ काम करने की जरूरत है।

ऊर्जा सरंक्षण

वैश्विक समुदाय बढ़ती आबादी की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की चुनौती का सामना कर रहा है, और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जमीनी स्तर पर काम चल रहा है। हमारा मानना है कि इस प्रयास में हमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और इसके माध्यम से हमारे पास नई प्रौद्योगिकी उपकरणों को लागू करने और बिजली की खपत को कम करके विभिन्न ऊर्जा बचत परियोजनाएं प्रगति पर हैं। किए गए या प्रस्तावित कुछ उपायों में शामिल हैं. महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में 5.00 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है।

- मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 4.50 मेगावाट और 0.96 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

- पावर फैक्टर में सुधार और पावर सिस्टम में हार्मोनिक्स को कम करने के लिए एपीएफसी पैनल और सक्रिय हार्मोनिक फिल्टर की खरीद प्रक्रिया चल रही है।

- पावर फैक्टर में सुधार और पावर सिस्टम में हार्मोनिक्स को कम करने के लिए एपीएफसी पैनल और सक्रिय हार्मोनिक फिल्टर की खरीद प्रक्रिया चल रही है।

- आवासीय कनेक्शन के लिए 476 किलोवाट क्षमता के ग्राउंड माउंट सोलर प्लांट को स्थापित और चालू करने का प्रस्ताव है।

खदान/संयंत्र के लिए प्रति मीट्रिक टन उत्पादन हेतु विद्युत का उपयोग

विवरण	बिजली की खपत (किलोवाट / मीट्रिक टन)	
	2020-21	**2019-20**
मैंगनीज पक्ष (एमएन अयस्क)	24.97	22.80
फेरो मैंगनीज (FeMn)	3049.25	2998.98
इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइ ऑक्साइड (ईएमडी)	3280.93	3830.30

पवन ऊर्जा उत्पादन

स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पन्न करने और बढ़ावा देने के लिए, हमने इंदौर के पास जिला देवास में नागदा हिल्स और रतिदी हिल्स में क्रमशः 4.8 मेगावाट और 15.2 मेगावाट पवन फार्म शुरू किए हैं। आर्थिक वर्ष 20-21 के लिए हमारी पवन ऊर्जा उत्पादन 276.09 लाख KwH था।

पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा

खनन गतिविधियाँ अपने आसपास की भूमि, वनस्पतियों और जीवों को सीधे प्रभावित करती हैं; हमारा लक्ष्य इस प्रभाव को कम करना और प्रबंधित करना है। रेत के टीलों सहित हमारी सभी खानों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या नामित कार्यालयों से पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। हमने अपनी खदानों के आसपास 21.83 लाख पौधे लगाए हैं। हम खानों में सतत विकास और बेहतर पर्यावरण के लिए एक एकीकृत जैव प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण भी अपनाते हैं।

पेशेवर सामाजिक जिम्मेदारी

सीएसआर देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में वैधानिक अनुपालन की सीमा से परे है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में अपने हितधारकों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील, मॉयल समावेशी विकास और कॉर्पोरेट विकास और स्थिरता प्राप्त करने के हिस्से के रूप में हितधारकों की चिंताओं को दूर करना चाहता है।

हमारा दृष्टिकोण

अनंत काल के लिए हमारा दृष्टिकोण उन चीजों को जिम्मेदारी से स्रोत करने के हमारे उद्देश्य को दर्शाता है जो दैनिक जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हम अपने स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण और समुदाय और मानवाधिकार (HSEC-HR) नीतियों, नीतियों और मानकों के माध्यम से नैतिक और सुसंगत व्यावसायिक प्रथाओं और मानकों को स्थापित और कार्यान्वित करते हैं। हम एक जिम्मेदार ऑपरेटर हैं और सही तरीके से काम करने के लिए प्रतिष्ठा अर्जित करने की इच्छा रखते हैं।

सामाजिक हस्तक्षेप के मुख्य क्षेत्र:

शिक्षण | **स्वास्थ्य और सफ़ाई** | **कौशल विकास** | **आजीविका संवर्धन**

₹ 13.18 करोड़
Total amount spent on CSR initiatives

शिक्षण

शिक्षा हमारे देश के विकास के लिए एक मौलिक अधिकार और महत्वपूर्ण है। हम मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले और महाराष्ट्र के भंडारा जिले में अपनी खदानों के पास विभिन्न स्कूलों का समर्थन करते हैं। ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, हमने डीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के साथ संयुक्त रूप से भंडारा जिले के सीतासवंगी गांव में एक बड़ा स्कूल स्थापित किया है। सीतासावंगी में डीएवी-मॉयल स्कूल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के कारण, हम नागपुर जिले के मुनसर में इस स्कूल की एक और शाखा खोलने की प्रक्रिया में हैं, जो 1016 छात्र ग्रामीण बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरतों को पूरा करेगा।

1,016
विद्यार्थी

स्वास्थ्य और सफ़ाई

हमारे स्थानीय समुदाय के स्वास्थ्य और स्वच्छता की रक्षा करना हमारी कंपनी की मौलिक जिम्मेदारी है। हमने लता मंगेशकर अस्पताल आदि के साथ एक समझौता किया है ताकि जरूरतमंदों के लिए मोतियाबिंद की मुफ्त सर्जरी की जा सके। इसके अलावा, हमने कोरोना काल के दौरान राशन, प्रवासी श्रमिकों और इसकी खदानों के आसपास के जरूरतमंद गरीब लोगों को पका हुआ भोजन वितरित किया। 2020-21 के बीच मोयल की पहल से 3,000 से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है।

>3,000
लाभार्थी

व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी

कौशल विकास

हम लॉजिस्टिक स्किल्स, माइन मेट और ब्लास्टर्स पर विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, जो अनुबंध श्रमिकों सहित 100 युवाओं को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार, हमने 438 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा, हमने सक्षम बालिका कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे परिवार (बीपीएल) की 15 लड़कियों को अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हैदराबाद में नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए चुना गया है।

100
प्रशिक्षणों में युवाओं की भागीदारी

आजीविका संवर्धन

हमारा व्यवसाय देश भर में कई लोगों के जीवन और आजीविका को प्राथमिकता देता है। हम उनकी राय पर विचार करके उनकी जिम्मेदारियों को पहचानते हैं और उनके हितों पर विचार करते हैं। इसके माध्यम से, हम एक पेशेवर एजेंसी BAIF और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महाराष्ट्र प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान (MITTRA), BAIF, पुणे से संबद्ध हैं, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में व्यापक अनुभव के साथ। हमने मध्य प्रदेश के नागपुर जिले (5 गाँव) भंडारा (11 गाँव) और बालाघाट (5 गाँव) जिले के 21 चिन्हित गाँवों के साथ विस्तृत परियोजनाएँ भी स्थापित की हैं। इस परियोजना से 2020-21 के दौरान 3457 परिवारों को लाभ हुआ है।

3,457
परिवार के सदस्यों की भागीदारी

निदेशक मंडल

श्री. एम. पी. चौधरी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

श्री. राकेश तुमाने
निदेशक (वित्त)

श्रीमती उषा सिंह
निदेशक (मानव संसाधन)

श्री. पी. व्ही. व्ही. पटनायक
निदेशक (वाणिज्य)

कु. सुकृती लिखी
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार - (नामांकित)

श्री. सुखवीर सिंह
प्रमुख सचिव, एमआरडी
मध्य प्रदेश सरकार, (नामांकित)

सीए श्री मंगेश किनरे
स्वतंत्र निदेशक

श्री दीपक सिंह
स्वतंत्र निदेशक

सेवानिवृत्त निदेशक

श्री. डी. शोम
निदेशक (उत्पादन और योजना)

श्री. टी. श्रीनिवास
संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार

श्री. व्ही. एम. चेरियार
स्वतंत्र निदेशक

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री. एस.सी. तिवारी
(पूर्व सीवीओ)

श्री. उपकार कुमार केडिया

कार्यकारी निदेशक

श्री. डी. व्ही. राजू
कार्यकारी निदेशक (कार्मिक)

श्री. सी. बी. अतुलकर
कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)

महाप्रबंधक

श्री. पी. करैया
महाप्रबंधक (उत्पादन)

श्री. टी. के. मंडल
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री. एन. एम. शेष
महाप्रबंधक (यांत्रिक)

श्री. एस. सी. राय
महाप्रबंधक (तकनीकी)

श्री. आर. के. वर्मा
महाप्रबंधक (यांत्रिकी)

श्री. एम. एम. अब्दुल्ला
महाप्रबंधक (खान एवं समन्वय)

श्री. अखिलेश राय
महाप्रबंधक (विद्युत)

श्री. जी. जी. मानेकर
महाप्रबंधक (खनन योजना)

श्री. टी. दास
महाप्रबंधक (कार्मिक)

श्री. आर.पी. पाटील
महाप्रबंधक (विपणन)

श्री. टी.पी गुप्ता
महाप्रबंधक (परियोजनाएं और विविधीकरण)

कंपनी सचिव

श्री. नीरज दत्त पाण्डेय
कंपनी सचिव

एक नज़र में प्रदर्शन

विवरण	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
वित्तीय (करोड़ में)						
परिचालन परिणाम	1177.38	1038.07	1440.67	1323.46	989.84	634.60
अन्य आय	102.48	181.11	190.81	177.72	221.13	252.15
कुल आय	1279.85	1219.18	1631.48	1501.18	1210.97	886.75
पूर्ण लाभ (ईबीआईटीडीए)	339.29	436.65	786.57	710.37	516.61	322.72
कर पूर्व लाभ	240.11	340.49	719.75	647.92	461.90	270.26
कर पश्चात लाभ	176.63	248.22	473.89	421.99	305.83	172.98
कुल व्यापक आय	187.05	253.56	454.32	398.55	299.27	172.98
वित्तीय वर्ष में देय लाभांश	130.53	148.48	141.68	159.82	66.59	84.00
इक्विटी शेयर पूंजी	237.33	237.33	257.61	257.61	133.19	168.00
अन्य इक्विटी	2582.57	2526.06	2825.10	2541.59	2672.16	3285.37
शुद्ध मूल्य	2819.90	2763.39	3082.71	2799.20	2805.35	3453.37
ऋण राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सकल धारा	1349.23	1190.89	952.07	810.47	734.56	671.88
कार्यशील पूंजी	1954.41	1933.78	2355.27	2212.72	2362.78	3061.87
प्रयुक्त पूंजी	2617.32	2521.12	2785.62	2560.49	2688.98	3372.76
महत्वपूर्ण अनुपात						
प्रयुक्त पूंजी का कर पूर्व लाभ	9.17	13.51	25.84	25.30	17.18	8.01
बिक्री से पहले लाभ%	20.39	32.80	49.96	48.96	46.66	42.59
ऋण पूंजी अनुपात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रति शेयर उत्पन्न (रु.)						
(मूल कीमत 10 रुपये पर)	7.44	9.80	18.40	21.08	20.21	10.30
सार्वजनिक आपूर्ति योगदान (करोड़ में)						
आयकर	78.53	144.19	245.00	225.00	135.00	97.81
लाभांश वितरण कर	0.00	30.52	29.12	32.54	13.56	17.31
बिक्री और वैट, प्रवेश शुल्क, सेवा शुल्क और जीएसटी	18.15	15.33	35.12	43.97	27.58	13.61
रॉयल्टी और उपकर, डीएमएफ, एनएमईटी	68.15	82.35	73.40	78.95	58.61	30.57
उत्पाद शुल्क	0.00	0.00	0.00	4.53	8.26	5.86
एम क्यू सड़क उपकर	18.34	24.56	27.88	25.58	16.40	10.91
कुल	**183.17**	**296.95**	**410.52**	**410.57**	**259.41**	**176.07**
उत्पादन						
मैंगनीज (एमटी)	1143570	1277444	1301191	1201113	1004845	1032275
इ एम डी. (एमटी)	1070	925	992	875	731	612
फेरो मैंगनीज (मीट्रिक टन)	8851	10421	11003	10573	9950	6519
पवन चक्कियों से विद्युत शक्ति (kWh)	25614204	31305864	34676695	29009933	32305629	36370789

शेयरधारकों को बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल की ओर से, मुझे 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों के साथ आपकी कंपनी की 59वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

(1) वित्तीय और स्थितिजन्य विवरण

(A) आर्थिक परिणाम

2020-21 और पिछले वर्षों के वित्तीय परिणाम नीचे दिखाए गए हैं

रु. करोड़ों में

विवरण	2020-21	2019-20
शुद्ध बिक्री	1177.38	1038.07
अन्य आय	102.47	181.11
कुल आय	1279.85	1219.18
ब्याज, मूल्यह्रास और कर-पूर्व लाभ (ईबीआईटीडीए)	339.28	436.65
असाधारण परिस्थितियों में कर-पूर्व लाभ	290.11	340.49
शुद्ध लाभ	187.64	159.38
असाधारण वस्तुओं पर कर-पूर्व लाभ	240.11	340.49
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	176.63	248.22
कुल सकल आय	187.05	253.56
जनरल रिजर्व में स्थानांतरित	0.00	80.00

मुख्य आर्थिक परिणाम

विवरण	2020-21	2019-20
बिक्री कारोबार के लिए EBITDA (%)	28.82	42.06
संपत्ति कारोबार	35.19	30.04
पैट से निवल मूल्य (%)	6.33	8.49
पीबीटी से औसत पूंजी (%)	9.35	12.83
प्रति शेयर आय (आधार मूल्य 10 रुपये प्रत्येक)	7.44	9.80
प्रति शेयर बुक वैल्यू	118.82	116.44

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी का कुल राजस्व पिछले वर्ष के 1219.18 करोड़ रुपये की तुलना में 1279.85 करोड़ रुपये है। इस वर्ष कर पूर्व लाभ (असाधारण वस्तुओं से पहले) रु. पिछले वर्ष के पीबीटी की तुलना में 290.11 करोड़। 340.49 करोड़ कर के बाद कंपनी का लाभ (पीएटी) 248.22 करोड़ रुपये की तुलना में 176.63 करोड़। किया हुआ।

कोविड -19 महामारी और लॉकडाउन प्रोटोकॉल ने मौजूदा रिपोर्टिंग अवधि में उत्पादन, बिक्री और मुनाफे को प्रभावित करते हुए गंभीर व्यवधान पैदा किया है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शुद्ध लाभ 17.73 प्रतिशत बढ़कर 159.38 करोड़ रुपये हो गया। 2019-20 में 187.64 करोड़।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार, आपकी कंपनी ने सावधि जमा और म्युचुअल फंड में अतिरिक्त धनराशि आरक्षित की है और रु. 65.99 करोड़ (पिछले साल 154.64 करोड़ रुपये) और अन्य आय। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ब्याज आय कम थी, जिसका मुख्य कारण औसत ब्याज दरें कम होना था।

(B) लाभांश

मॉयल कई वर्षों से लाभांश देने वाली कंपनी रही है। वर्ष 2020-21 के दौरान इसे जारी रखते हुए 25% अंतरिम लाभांश, अर्थात मार्च, 2021 में 2.50 रु. प्रति इक्विटी शेयर आपकी कंपनी का निदेशक मंडल आगे 49% का अंतिम लाभांश देता है, अर्थात रु. 4.90 प्रति इक्विटी शेयर वर्ष 2020-21 के लिए कुल लाभांश रु. 7.40 प्रति इक्विटी शेयर (पिछले साल 6.00 रुपये), जो कि सरकार के दिशा-निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार भी है। इस वर्ष के लिए कुल लाभांश लागत रु. 175.62 करोड़। (पिछले साल 142.40 करोड़)। कंपनी की लाभांश वितरण नीति है जो कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर उपलब्ध है।

(C) बिक्री:

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मॉयल ने 1177.38 करोड़ रुपये का निवेश किया है। टर्नओवर हासिल किया है। यह पिछले वर्ष के 1038.07 करोड़ रुपये से 13.42% अधिक है। साल भर कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था पर बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 काफी चुनौतीपूर्ण रहा, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमतों और धातु की उपलब्धता प्रभावित हुई। मॉयल ने अपनी धातु की कीमतों को आयातित धातुओं के अनुरूप समायोजित किया, जो घरेलू खपत का लगभग 50% है। वित्तीय वर्ष के दौरान, रिपोर्ट के अनुसार, मॉयल ने गतिशील मूल्य निर्धारण को अपनाया जिससे न केवल आयातित मूल्य को बढ़ावा मिला, बल्कि घरेलू फेरो मिश्र धातु की कीमतों के कारण उच्च बिक्री भी हुई।

वर्ष के दौरान, औसत बिक्री प्रतिशत 6.69% बढ़कर रु. 8,767 प्रति मीट्रिक टन, रु. पिछले साल 8,217 प्रति मीट्रिक टन मैंगनीज की बिक्री 2019-20 में 11.80 लाख मीट्रिक टन से 3.22% बढ़कर 2020-21 में 12.18 लाख मीट्रिक टन हो गई। पूरे वर्ष कंपनी ने सकारात्मक कदम उठाना जारी रखा जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में खरीदारों के लिए आंशिक रेल भाड़ा बनाए रखना, क्रेडिट नीति आदि।

कंपनी के विनिर्मित उत्पादों, इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) और फेरो मैंगनीज के संदर्भ में, कुल शुद्ध बिक्री 69% बढ़कर रु। 102.92 करोड़ रुपये की तुलना में पिछले साल 60.95 करोड़। ईएमडी की बिक्री 2019-20 में 930 मीट्रिक टन से घटकर 2020-21 में 918 मीट्रिक टन हो गई है, लेकिन फेरो मैंगनीज की बिक्री 2019-20 में 6,187 मीट्रिक टन से बढ़कर 2020-21 में 13,367 मीट्रिक टन हो गई है। अब तक की सबसे अधिक बिक्री (116% की वृद्धि)। वित्त वर्ष 2020-21 में घरेलू बाजार में बिक्री के साथ-साथ फेरो मैंगनीज की मांग अपेक्षाकृत अच्छी रही।

(D) उत्पादन और उत्पादकता

2020-21 के दौरान, कंपनी ने 11.44 लाख मीट्रिक टन मैंगनीज का उत्पादन किया, जो पिछले साल 12.77 लाख मीट्रिक टन था। कोरोना वायरस का प्रसार और कोविड-19 महामारी द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंध कम उत्पादन के मुख्य कारण हैं, जिसने दो महीने से अधिक समय से उत्पादन गतिविधि को सहन किया है। प्रति व्यक्ति शिफ्ट (ओएमएस) का उत्पादन 1.02 मीट्रिक टन (पिछले वर्ष 1.044 मीट्रिक टन) कोविड प्रोटोकॉल के पालन के कारण थोड़ा कम है। ईएमडी उत्पादन पिछले साल बढ़कर 9,025 टन और फेरो मैंगनीज से 8,851 मीट्रिक टन हो गया जो पिछले साल 1,070 मीट्रिक टन से 1,070 टन हो गया था।

(E) अन्तिम स्टॉक

कंपनी के पास 0.91 लाख मीट्रिक टन मैंगनीज का भंडार है, जिसका मूल्य 69.15 करोड़ रुपये है, जबकि 31.03.2021 को 1.91 लाख मीट्रिक टन था। 31.03.2020 तक 115.13 करोड़ 31.03.2021 को 5,524 एमटी के मुकाबले फेरो मैंगनीज का समापन स्टॉक 5.01 करोड़ रुपये के मूल्य के साथ 1,008 मीट्रिक टन था। 31.03.2020 तक 27.26 करोड़ 31.03.2021 को, ईएमडी का क्लोजिंग स्टॉक 186 एमटी (पिछले साल 34 एमटी) था, जिसका मूल्य रु। 2.36 करोड़ (पिछले साल 0.44 करोड़ रुपये)।

(2) कोविड-19 और कंपनी पर इसका प्रभाव

कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और दुनिया भर के अरबों लोगों के स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। भारत में भी, कोरोना वायरस का प्रसार चिंताजनक है, जिसके गंभीर स्वास्थ्य और देश के लिए आर्थिक परिणाम हैं।

हालांकि कंपनी का प्रदर्शन दिसंबर, 2019 से कोविड-19 के प्रकोप से प्रभावित होना शुरू हुआ, लेकिन इसका असर मार्च 2020 के दूसरे/तीसरे सप्ताह से उत्पादन पर महसूस किया गया, जिसके बाद लॉकडाउन प्रतिबंध लगा दिए गए। कोविड -19 को कम करने के लिए घोषित लॉकडाउन ने 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में उत्पादन को प्रभावित किया है। आंशिक प्रतिबंध हटा दिए जाने के बाद, ऑपरेटिंग स्तर बढ़ जाता है। उत्पादन और बिक्री धीरे-धीरे बढ़ी, खासकर जब साल की चौथी तिमाही में लॉकडाउन की स्थिति में नरमी आई।

हालांकि कंपनी का प्रदर्शन दिसंबर, 2019 से कोविड-19 के प्रकोप से प्रभावित होना शुरू हुआ, लेकिन इसका असर मार्च 2020 के दूसरे/तीसरे सप्ताह से उत्पादन पर महसूस किया गया, जिसके बाद लॉकडाउन प्रतिबंध लगा दिए गए। कोविड -19 को कम करने के लिए घोषित लॉकडाउन ने 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में उत्पादन को प्रभावित किया है। आंशिक प्रतिबंध हटा दिए जाने के बाद, ऑपरेटिंग स्तर बढ़ जाता है। उत्पादन और बिक्री धीरे-धीरे बढ़ी, खासकर जब साल की चौथी तिमाही में लॉकडाउन की स्थिति में नरमी आई।

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, मॉयल ने कर्मचारियों के संबंध में कोविड -19 मुद्दों को संबोधित करने के लिए उपाय किए हैं और देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए उठे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मोयाल ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए 45.00 करोड़ रुपये पीएम केयर फंड और 5.00 करोड़ रुपये महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए। अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए और देश की जरूरतों को पूरा करते हुए, मॉयल ने मध्य प्रदेश के सुदूर मंडला जिले में 100-बेड की कोविड देखभाल सुविधा स्थापित की है और राज्य के चार जिलों में और 250 ऑक्सीजन-बेड बेड स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इस ऑक्सीजन बेड की कुल कीमत लगभग रु. 3.12 करोड़ अप्रैल 2021 में, मॉयल ने नागपुर नगर निगम को कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए 25 लाख रुपये दिये।

(3) कैपेक्स, पूंजी / मूल्य वर्धन / विविधीकरण परियोजना

मोयाल भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। भविष्य की जरूरतों को पूरा करने और उद्योग में नेतृत्व बनाए रखने के लिए, मॉयल ने 2030 तक अपने उत्पादन को 3.00 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है, जिसके लिए एक रणनीतिक प्रबंधन योजना पहले से मौजूद है। इस दिशा में, आपकी कंपनी ने मौजूदा खानों के विकास, देश और विदेश में नई खदानों के अधिग्रहण, आसपास के क्षेत्रों के अधिग्रहण, मूल्यवर्धन / विविधीकरण परियोजनाओं की स्थापना आदि के लिए निवेश की योजना बनाई है। कुछ परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं और कुछ प्रगति पर हैं। इन परियोजनाओं के लिए 2030 तक लगभग 2,400 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

मॉयल उत्पादन स्तर को बनाए रखने और क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी खानों के विस्तार और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बालाघाट, कांदरी और चिकलामाइंस में लंबवत शाफ्ट गहरीकरण परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। चिकला और मुनसर खदानों में दूसरे वर्टिकल शाफ्ट के डूबने का काम पूरा हो गया है। इन शाखाओं से कंपनी को इन खदानों से उत्पादन बढ़ाने और बनाए रखने में मदद मिलेगी। उकवा खान में शाफ्ट सिंकिंग परियोजनाओं के साथ-साथ बालाघाट और गुमगांव खानों में हाई स्पीड शाफ्ट परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

पूर्व 814.71 हेक्टेयर क्षेत्र नागपुर और भंडारा जिले महाराष्ट्र सरकार द्वारा मॉयल के लिए आरक्षित किए गए थे। हाल ही में मॉयल की गुमगांव खदान से सटे कोडेगांव में 126.84 हेक्टर्स के संबंध में जांच और आवश्यक मंजूरी के बाद पर्यावरण मंजूरी (ईसी) जारी की गई है। चूंकि पुष्टिकृत संसाधन सतह से 200 मीटर से अधिक की गहराई पर उपलब्ध हैं, इसलिए भूमिगत खनन का सहारा लेना होगा। इसे देखते हुए मॉयल खदान के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य वैधानिक मंजूरियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच, नए शाफ्ट को डुबाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। यह कंपनी की 12वीं खदान होगी और अपनी स्थापना के बाद से पहली नई भूमिगत नई खान होगी।

उपरोक्त परियोजनाओं/नए पट्टों से मॉयल को 2030 तक अपने उत्पादन को दोगुना करके 30 लाख मीट्रिक टन करने की महत्वाकांक्षी दृष्टि की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी।

(A) केपेक्स

उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मॉयल ने बालाघाट और गुमगांव खानों में उच्च गति शाफ्ट के निर्माण सहित विभिन्न खान विकास और विस्तार परियोजनाएं शुरू की हैं। जिसमें कुल निवेश लगभग रु. 460 करोड़ अपनी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए कुल रु. 75,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाला फेरो एलॉय प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 419 करोड़ रुपये की परियोजना के 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।

कंपनी की कैपेक्स योजनाओं में वर्टिकल शाफ्ट सिंकिंग/डीपनिंग प्रोजेक्ट्स, खानों के लिए नए पट्टों/क्षेत्रों के विकास, अचल संपत्तियों, टाउनशिप, अनुसंधान, विकास आदि में नियमित रूप से परिवर्धन/परिवर्तन/परिवर्तन की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2020-21 रु. 136.66 करोड़ रु. पिछले साल 243.85 करोड़ 2021-22 के लिए कैपेक्स का लक्ष्य रु. 293.71 करोड़, जिसकी समीक्षा लगातार कोविड महामारी द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के आलोक में की जा रही है।

(B) खनन विस्तार परियोजना

(i) 2020-21 के दौरान पूर्ण की गई परियोजनाएं

नए ऊर्ध्वाधर शाफ्ट का डूबना 160 मीटर है। रु. मुनसर खदान में रु. 51.32 करोड़ - यह परियोजना फरवरी-2021 में पूरी हुई।

(ii) कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं

(a) रुपये 77.15 करोड़ 324 मीटर के वर्टिकल शाफ्ट के सिंकिंग की पूंजीगत लागत पर उकवा खदान की गहराई का निर्माण। प्रारंभिक भूमि अधिग्रहण के मुद्दों और बाद में कोविड लॉकडाउन के कारण परियोजना में देरी हुई है। अब फरवरी-2022 के लिए पूरी तरह से पुनर्निर्धारित शाफ्ट सिंकिंग और लाइनिंग को 260 मीटर तक पूरा कर लिया गया है और अन्य कार्य प्रगति पर हैं।

(b) बड़े व्यास का डूबना। 330 मीटर की उच्च गति ऊर्ध्वाधर शाफ्ट 194 करोड़ रु. की पूंजीगत लागत से गुमगांव खदान को गहरा करना। कोविड लॉकडाउन के कारण परियोजना में देरी हुई है, क्योंकि चीनी श्रमिकों ने जून, 2020 से परियोजना के टीकाकरण के लिए छोड़ दिया है, और अगस्त 2021 तक आने की उम्मीद है। अब तक कमरा बनकर तैयार हो चुका है और अन्य कार्य प्रगति पर हैं।

(c) बालाघाट खदान में रु. 259 करोड़ रुपये की लागत से 750 मीटर की उच्च गति वाली ऊर्ध्वाधर गहराई, बड़े व्यास के सिंकिंग के साथ। परियोजना के टीकाकरण के लिए चीनी श्रमिकों को वापस भेजे जाने के बाद, और अप्रैल, 2021 में आने और काम शुरू करने के बाद जून 2020 से काम रोके जाने तथा कोविड लॉकडाउन के कारण परियोजना में देरी हुई है। शाफ्ट सिंकिंग और लाइनिंग मीटर 515 तक कमरा पूरा हो गया है और अन्य कार्य प्रगति पर हैं

उपरोक्त उच्च गति शाफ्ट परियोजनाओं के मामले में, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से समयरेखा प्रभावित होने की संभावना है और साथ ही ऊपर के रूप में काम बंद हो जाएगा। हालाँकि, ये मुद्दे कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं लेकिन निदेशक मंडल और प्रबंधन देरी को कम करने के लिए हर संभव उपाय करेंगे।

गुमगाँव और बालाघाट खदानों के उत्पादन को क्रमशः 70000 एमटी से बढ़ाकर 140,000 एमटी और 300000 लाख एमटी से 600000 एमटी करने के लिए हाई स्पीड शाफ्ट सिंकिंग परियोजनाओं की अवधारणा का प्रस्ताव किया गया था। हालांकि, कोविड -19 महामारी के कारण परियोजना के पूरा होने में देरी के कारण, प्रभावित अवधि के लिए उत्पादन वृद्धि में भी देरी हुई है।

(C) देश और विदेश में खानों का अधिग्रहण

कंपनी की रणनीतिक प्रबंधन योजना के अनुरूप, यह विदेशों में मैंगनीज अयस्क उत्पादकों के साथ ऑफ-टेक समझौतों के साथ रणनीतिक गठबंधन बनाने की योजना बना रही है। इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने की दृष्टि से कंपनी की वेबसाइट पर एक ओपन एंडेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) होस्ट किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन आगे की कार्रवाई के लिए किया जाता है। कंपनी ने देश-विदेश में संपत्तियों की पहचान के लिए सलाहकारों/सलाहकारों की सूची के लिए निविदा जारी की है।

(D) संयुक्त उद्यम कंपनियां (सेल और मॉयल, फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड और रिनमोइल फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड)

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित फेरो अलॉयज परियोजना छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बिजली दरों में वृद्धि के बाद व्यवहार्यता मुद्दों के कारण बंद नहीं हुई थी। क्षेत्रीय राज्यों के रूप में, संयुक्त उद्यम भागीदारों के निदेशक मंडल के साथ-साथ दोनों संयुक्त उद्यमों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनियों को बंद करने का निर्णय लिया। तदनुसार, संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा खातों के निपटान के बाद कंपनी के संयुक्त उद्यमों के नाम हटाने के लिए आवेदन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को प्रस्तुत किए गए हैं। इसे देखते हुए ही स्वतंत्र वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। संयुक्त उद्यम कंपनियों के खाते समेकित नहीं हैं क्योंकि कंपनियां बंद हैं और बंद होने की प्रक्रिया में हैं। चूंकि संयुक्त उद्यम कंपनियों में कोई उपक्रम नहीं है, इसलिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 की धारा 129 (3) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित फॉर्म एओसी-1 में जानकारी जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)

मॉयल को खदान से लेकर मिल संचालन तक मैंगनीज अयस्क खनन में विशेषज्ञता प्राप्त है और वह मैंगनीज धातु की विभिन्न श्रेणियों के अन्वेषण, खनन विकास, खनन, लाभ और विपणन के साथ-साथ इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) और उच्च कार्बन फेरो मैंगनीज के उत्पादन में शामिल है। मूल्य वर्धित उत्पाद मॉयल चार ओपनकास्ट और सात भूमिगत खदानों का संचालन करता है, जिसमें अलग-अलग डूबने वाली दिशाओं और दीवार चट्टानों की खराब रॉक-मास गुणवत्ता से संबंधित कठिन भू-खनन स्थितियों के साथ संकीर्ण मैंगनीज धातु निकाय होते हैं। कंपनी ने देश में सीएसआईआर-आरएंडडी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित शैक्षिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में आधुनिक तकनीक की शुरुआत करके खानों में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए विभिन्न अनुसंधान और विकास पहल की हैं। मॉयल ने विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित संगठनों के साथ स्वयं को संलग्न किया है :

(1) सीएसआईआर- केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर), नागपुर और धनबाद

(2) सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एनएमएल), जमशेदपुर

(3) सीएसआईआर राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई), हैदराबाद

(4) सीएसआईआर-राष्ट्रीय पर्यावरण और इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई), नागपुर

(5) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर

(6) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), धनबाद (ईस्ट इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स)

(7) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राउरकेला

(8) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (वीएनआईटी), नागपुर

(9) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), रायपुर

(10) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स (एनआईआरएम), कोलार गोल्ड फील्ड्स

(11) भारतीय इंजीनियरिंग और विज्ञान संस्थान (IIEST), शिबपुर

(12) आईएमटी भुवनेश्वर

(13) एनएमएल, जमशेदपुर

मॉयल में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का महत्व

- **खानों का वेंटिलेशन**

  भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर ने गुमगांव में गहन वेंटिलेशन पुनर्निर्माण अध्ययन किया है। तदनुसार, गुमगांव खदान में ऊर्जा बचत उपकरणों के साथ बड़े व्यास वाले वेंटिलेशन पंखे लगाए गए हैं। चिकला और उकवा खदानों में अध्ययन चल रहा है। इसके अलावा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), (पूर्व में आईएसएम), धनबाद ने बालाघाट खदान के लिए एक गहन वेंटिलेशन पुनर्निर्माण अध्ययन किया है और तदनुसार बालाघाट खदान में वेंटिलेशन किया गया है और डूबने का काम पूरा हो गया है। 5 मीटर का व्यास वेंटिलेशन बहता है। उपरोक्त ऑपरेशन ने चेहरे के वेंटिलेशन और खदान के भूमिगत खंडों की उत्पादकता में सुधार करने में मदद की है

- **खान सुरक्षा - खनन निष्कर्षण और पेटेंट**

  मकान के त्रि-आयामी विश्लेषण का विश्लेषण मॉयल द्वारा किया गया है और यह पाया गया है कि मुन्सर खदान में जमीन के ऊपर किसी भी ओर्थोगोनल दिशा में कोई महत्वपूर्ण हलचल नहीं है। तदनुसार, मॉयल ने खनन स्थल पर निर्वाह निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि के लिए एक पेटेंट दायर किया है, जिसे अक्टूबर, 2019 में प्रकाशित किया गया था। आईआईटी खड़गपुर ने घरेलू सब्सिडी पैरामीटर वैज्ञानिक रिपोर्ट की जांच की है। सूक्ष्म विश्लेषण के लिए सदन में विकसित सात अनुमंडलों की बेहतर सुरक्षा के लिए निगरानी की गई है।

- **खनिज संवर्धन**

  नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स (एनआईआरएम), केजीएफ द्वारा स्टॉप डिजाइन के लिए आयोजित अनुसंधान एवं विकास अध्ययन चिकला और मुनसर खानों में किया गया है। बेहतर स्टॉप डिज़ाइन ने अवशोषण के लिए भूमिगत मैंगनीज की मात्रा में लगभग 20% की वृद्धि की है। और मुनसर भूमिगत खदानों में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए खदानों में अर्ध-मशीनीकृत संचालन के लिए विस्फोट विधि प्रायोगिक चरण में है।

- **आंतरिक खनन प्रौद्योगिकी-रॉक यांत्रिकी**

  (a) नदी की रेत का प्रतिस्थापन - मॉयल के आर एंड डी विंग ने पुरानी रिजेक्शन ओवरबर्डन सामग्री का उपयोग किया है जिसमें मुनसर खान सामग्री की क्रशिंग, स्क्रीनिंग और गर्मी उपचार शामिल है। बेंच स्केल अध्ययन और फील्ड परीक्षण इस बात की पुष्टि करते हैं कि उपचारित पुरानी रिजेक्शन ओवरबर्डन सामग्री का उपयोग भूमिगत नदी के साथ या उसके बिना हाइड्रोलिक परिवहन के लिए किया जा सकता है। मॉयल ने भूमिगत खानों में हाइड्रोलिक स्टोविंग के लिए एक वैकल्पिक सामग्री के रूप में एक उपयुक्त डिजाइन और इसकी विधि के लिए एक पेटेंट प्राप्त किया है। यह मार्च, 2021 में प्रस्तुत अंतिम परीक्षा रिपोर्ट के साथ अप्रैल, 2018 में प्रकाशित हुआ था। मॉयल की स्थापना के बाद यह पहला पेटेंट है। यह तकनीक किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ के लिए अत्यंत उपयोगी है; जो मेरे/पट्टे पर है। इस प्रक्रिया के लिए पृथ्वी से उत्खनित किसी भी अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है और प्रसंस्कृत सामग्री उत्पादन स्थल पर 80% तक भू-तकनीकी शक्ति दे सकती है जैसा कि फील्ड परीक्षणों से पुष्टि हुई है। मेड इन इंडिया तकनीक के इस आविष्कार में खदान में पड़े किसी भी अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग करने की बहुत अच्छी क्षमता है और इस प्रकार नदी की रेत को बचाएगी जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की कमी है।

  (b) मॉयल ने रॉक मास कैरेक्टराइजेशन और सपोर्ट डिजाइन के लिए इन-हाउस रॉक मैकेनिक्स सॉफ्टवेयर मॉयल-आरएमआर विकसित किया है। जनवरी 2020 में प्रकाशन के लिए उत्खनन के परिणामस्वरूप एक प्रणाली और रॉक मास कैरेक्टराइजेशन और रॉक सपोर्ट सिस्टम के लिए एक पेटेंट दाखिल किया गया है। यह आरएमआर और ओ दिखाता है और बिना किसी मानव मशीन हस्तक्षेप (एचएमआई) के सीधे ग्राफ में मान डालता है और अधिक सुरक्षा के लिए मूल अवधि, स्थिरता अवधि और कार्य पद्धति के लिए निर्दिष्ट समर्थन दिखाता है। अंतिम परीक्षा रिपोर्ट का कार्य प्रगति पर है।

- **सतत विकास ढांचा - पर्यावरण और पेटेंट**

  प्रायोगिक आधार पर हवा, पानी और ध्वनि मापदंडों की ऑनलाइन निरंतर निगरानी के लिए कांदरी और मुनसर खदानों के आसपास के पर्यावरणीय मापदंडों का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (IIEST), शिबपुर द्वारा सहयोगात्मक वैज्ञानिक अनुसंधान पूरा किया गया है। मॉयल और आईआईईएसटी, शिबपुर ने संयुक्त रूप से प्रकाशन के लिए फरवरी, 2020 में एक पेटेंट आवेदन - वास्तविक समय शून्य अपशिष्ट जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली दायर की है और परियोजना मार्च, 2021 में पूरी हुई थी।

- **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी - रिमोट सेंसिंग**

  मध्य प्रदेश के चार जिलों, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर और झाबुआ के रिमोट सेंसिंग अध्ययन के लिए, मॉयल ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC), हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन के तहत मैंगनीज युक्त क्षेत्रों की पहचान की है। रिपोर्ट के मुताबिक, मॉयल ने इलाके का सर्वे कर कोर ड्रिलिंग के लिए सरकार से अनुमति के लिए आवेदन किया है. इन चार जिलों के संभावित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश शामिल है। हाल ही में, सरकार ने मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में 850 किमी 2 और 487 किमी 2 क्षेत्रों को अन्वेषण कार्य के लिए आरक्षित किया है, जिससे मोयाल बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों के आरक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने में सक्षम होंगे। दो अन्य जिलों जबलपुर और झाबुआ के लिए आवेदन प्रक्रिया में हैं। मॉयल और एमपीएसएमसीएल में अन्वेषण कार्य और उसके विश्लेषण के पूरा होने पर, टीईएफआर के निर्धारण और व्यवहार्यता के आधार पर एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार की जाएगी। मॉयल में 51 फीसदी और एमपीएसएमसीएल में 49 फीसदी हिस्सेदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की जाएगी।

- **जल परियोजना (महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाहर की खदानें)**

  जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मॉयल को मध्य भारत में मैंगनीज खनिजों के खनन में विशेषज्ञता प्राप्त है। मॉयल ने मैंगनीज खदान की संभावना तलाशने के लिए गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमटीसी) के साथ समझौता किया है। प्रारंभ में, छोटा उदयपुर जिले में जल क्षेत्र की पहचान की गई है और मॉयल ने जीएमडीसी और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के तहत जांच में प्रवेश किया है। MECL ने अब तक ~ 7.00 मिलियन मीट्रिक टन भंडार और संसाधनों की खोज की है। क्षेत्र में मैंगनीज खनन की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जीएमडीसी के साथ एमओयू के तहत मॉयल और

जीएमडीसी की संयुक्त उद्यम में 51 फीसदी और 49 फीसदी हिस्सेदारी है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में खनन की व्यवहार्यता स्थापित होने के बाद 2022 तक खनन शुरू करना है।

- **रिमोट सेंसिंग और पेट्रोलॉजिकल लैब**

कंपनी के खनन योजना विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए नमूनों की पेट्रोलॉजिकल और खनिज संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक रिमोट सेंसिंग और पेट्रोलॉजिकल प्रयोगशाला स्थापित की है। यह धातु की उत्पत्ति को जानने और डीजीएमएस, आईबीएम, डीजीएम, आदि जैसे विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों को आगे प्रस्तुत करने और नए क्षेत्रों में डीजीपीएस सर्वेक्षण करने के लिए भूवैज्ञानिक रिपोर्टों में इसका उपयोग करने में मदद करेगा।

- **आर एंड डी प्रयोगशाला**

मॉयल ने आर एंड डी कार्य की क्षमता बढ़ाने और खान योजना और डिजाइन के लिए सभी परिचालन और भविष्य के खनन बेल्ट का अध्ययन करने के लिए ईआरडीएएस, एआरसी जीआईएस और सरपस सॉफ्टवेयर के साथ भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और रिमोट सेंसिंग लैबोरेट्रीज की भी स्थापना की है। आईआरआरएम मानकों के अनुसार आधुनिक रॉक परीक्षण मशीनों के साथ रॉक मैकेनिक्स प्रयोगशाला पर काम प्रगति पर है और इसमें कोर टेस्टिंग के लिए रॉक मैकेनिक्स न्यूमेरिकल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर शामिल होगा।

- **आर एंड डी लागत**

मॉयल ने 2020-21 में R&D पर 6.21 करोड़ रुपये का निवेश किया है। व्यय, जिसका विवरण परिशिष्ट-I में दिया गया है

(5) ऊर्जा संरक्षण (गैर-संवेदी ऊर्जा सहित), पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा और स्वास्थ्य

(A) ऊर्जा संरक्षण

कंपनी के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न ऊर्जा बचत परियोजनाएं प्रगति पर हैं। नई तकनीकों, उपकरणों, उचित रखरखाव और बिजली के उपयोग से बचकर बिजली की खपत को कम करके ऊर्जा की बचत हासिल की जाएगी। ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए किए गए या प्रस्तावित उपाय और इस संबंध में भविष्य की योजनाएं इस प्रकार हैं।

(1) महाराष्ट्र के नागपुर जिले में 5.00 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है।

(2) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 4.50 मेगावाट और 0.96 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

(3) आवासीय कनेक्शनों के लिए 476 किलोवाट क्षमता के ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट को स्थापित और चालू करने का प्रस्ताव है।

(4) कंपनी के नागपुर स्थित आवासीय परिसर में 4 x 10 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।

(5) पुरानी इकाइयों को बदलने के लिए ऊर्जा कुशल मोटरों और ट्रांसफार्मरों की खरीद प्रक्रिया चल रही है।

(6) पावर फैक्टर में सुधार और पावर सिस्टम में हार्मोनिक्स को कम करने के लिए एपीएफसी पैनल और सक्रिय हार्मोनिक फिल्टर की खरीद प्रक्रिया चल रही है।

(7) पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्थान (पीसीआरए) के अस्तित्व के बावजूद सभी खानों और संयंत्रों की ऊर्जा लेखा परीक्षा की गई है। अनुशंसाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

कंपनी के खानों/संयंत्रों के लिए प्रति मीट्रिक टन उत्पादन की बिजली की खपत इस प्रकार है।

अ. क्र.	विवरण	बिजली की खपत (किलोवाट / मेट्रिक टन)	
		2020-21	2019-20
1.	मैंगनीज धातु (एमएन धातु)	24.74	22.80
2.	फेरो मैंगनीज (एफईएमएन)	3049.25	2998.98
3.	इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी)	3280.93	3830.30

ऊर्जा संरक्षण का विवरण परिशिष्ट-I में दिया गया है।

(B) पवन ऊर्जा निर्मिती

स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पन्न करने और बढ़ावा देने के लिए, मॉयल ने 2006-2008 के बीच इंदौर (मध्य प्रदेश) के पास जिला देवास में नागदा हिल्स और रतिदी हिल्स में क्रमशः 4.8 मेगावाट और 15.2 मेगावाट के पवन फार्म शुरू किए। मॉयल का मध्य प्रदेश सरकार की वितरण कंपनी और बिजली प्रबंधन कंपनी के साथ दीर्घकालिक बिजली खरीद और पहिया समझौता है। तदनुसार, बालाघाट माइंस और फेरो मैंगनीज प्लांट के बिजली बिलों में, 4.8 मेगावाट संयंत्र से समायोज्य उत्पादन और 15.2 मेगावाट इकाई से उत्पादन उपयोगिता को बेचा जाता है। 2020-21 में पवन ऊर्जा 276.09 लाख KwH थी जो 2019-20 में 313.05 लाख KwH थी। कुल उत्पादन में से 76.49 लाख KwH को बालाघाट खदानों और कंपनी के फेरो मैंगनीज संयंत्र के बिजली बिलों में सीमित उपयोग के रूप में समायोजित किया गया था। बाकी बिजली से संबंधित सिस्टम यानी मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को बेचा जाता है।

(C) पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा

आज के युग में पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। यह आवश्यक है कि किसी समाज में विकास प्रक्रिया उसके पर्यावरण के साथ-साथ उस समाज की विशिष्ट संस्कृति के अनुरूप हो। रेत के टीलों सहित मॉयल की सभी खानों को एमओईएफ या नामित कार्यालयों से पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। सतत विकास के लक्ष्य के साथ, आपकी कंपनी ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। कंपनी अपने पट्टे के क्षेत्र में और उसके आसपास पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी लेती है। 31.03.2021 तक विभिन्न खदानों में 21.83 लाख पौधे हैं।

मॉयल खानों में सतत विकास और बेहतर वातावरण के लिए एक एकीकृत जैव प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण के बाद, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और अपमानित मैंगनीज पर अपशिष्ट डंप के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करता है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कंपनी पवन चक्कियों और सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से बिजली उत्पादन पर काम कर रही है।

(D) सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य

आपकी कंपनी खानों/संयंत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देती है और नवीनतम खनन तकनीकों और खनन/अन्य कार्यों को यंत्रीकृत करके सुरक्षा उपकरणों के मानकों में लगातार सुधार करके दुर्घटनाओं को कम करने का लगातार प्रयास करती है। खानों में सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए श्रमिकों का प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण।
- सुरक्षा समितियों की नियमित बैठकें जो खदान की सुरक्षा प्रबंधन योजना की सावधानीपूर्वक समीक्षा करती हैं ताकि खदान में काम करने वाले व्यक्तियों और काम को कोई नुकसान न हो।
- अधिकतम संभव सीमा तक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों के साथ वन-स्टॉप बातचीत। एसओपी हर ऑपरेशन जैसे खदान, प्लांट आदि के लिए तैयार किए जाते हैं और सभी कर्मचारियों को उनके सुरक्षित काम के लिए उनकी नौकरी के लिए प्रदान किया जाता है।
- विशेष स्टाफ प्रशिक्षण को छोड़कर सभी कर्मचारियों को नियमित रूप से व्यावसायिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है।
- खनन और पर्यावरण कानून में सुगम सतत विकास और सुरक्षा भूमिका पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य और प्रबंधन के क्षेत्र में, मॉयल को व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ 45001: 2018, पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ 14001: 2015, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ 9001: 2015, सामाजिक जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय मानकों के लिए एसए 8000 प्राप्त हुआ है। बालाघाट, भंडारा और नागपुर जिलों में खानों और संयंत्रों के लिए जीआरआई मानकों के लिए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रमाणन और प्रमाणन।
- सभी के लिए अपनी सभी भूमिगत और खुली खदानों के लिए जोखिम मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करना और खान की आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन समिति और बाहरी विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षा प्रबंधन योजना की समीक्षा करना।
- खदानों, संयंत्रों, स्कूलों, अस्पतालों और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएं पहले से मौजूद हैं।
- मॉयल में विभिन्न खानों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) प्रदान किया जाता है।

(6) माइन लीज एंड रिसर्च

31.03.2021 तक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश (उकवा, बालाघाट, तिरोडी और डोंगरी बुज़ुर्ग खदानों के वन क्षेत्र को छोड़कर) में मॉयल का कुल पट्टा क्षेत्र 1743.77 हेक्टेयर है। महाराष्ट्र सरकार ने 212.931 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ चार संभावित परमिट जारी किए हैं, जहां कोर ड्रिलिंग के माध्यम से दो क्षेत्रों में अन्वेषण चल रहा है।

इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश सरकार ने नई खदानों को मौजूदा खदानों में खोलने/विस्तारित करने के लिए मैंगनीज के दोहन के लिए बालाघाट में कंपनी की ओर से 372.701 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित किया है, जिसके लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इन खदानों को खनन क्षेत्र में मॉयल ने राज्य में मैंगनीज खनन की संभावना तलाशने के लिए

गुजरात राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जीएमडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। विस्तृत अन्वेषण और विश्लेषण के लिए, खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सीपीएसई मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अनुसंधान कार्य और उसके विश्लेषण के पूरा होने पर, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर मॉयल और जीएमडीसी में 51% और 49% हिस्सेदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की जाएगी यदि परियोजना है व्यवहार्य। क्रमश। कोर ड्रिलिंग द्वारा अन्वेषण पहले ही पूरा हो चुका है और परिणाम मैंगनीज धातु के अच्छे ग्रेड की उपलब्धता और लगभग 7.00 मिलियन मीट्रिक टन की मात्रा को दर्शाते हैं। संयुक्त उद्यम समझौते का मसौदा तैयार किया गया है और जीएमडीसी के साथ साझा किया गया है और टीईएफआर की तैयारी प्रगति पर है।

2020-21 के दौरान मोयल ने 7517 मीटर की खोजपूर्ण कोर ड्रिलिंग की है। और अपने स्रोत आधार को 91.29 मिलियन मीट्रिक टन (01.04.2020 को 90.00 मिलियन मीट्रिक टन की तुलना में) तक बढ़ाने में सक्षम है। डंप के साथ, संसाधन 94.36 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जबकि 9.04.2020 को यह 93.06 मिलियन टन था। केंद्रीय खदानें और मजबूत ग्राहक संबंध, इसकी प्रमुख स्थिति, मध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले धातु भंडार भारत में इस्पात की मांग में वृद्धि में योगदान करने में सक्षम हैं।

(7) वर्ष 2020-21 के लिए सतर्कता गतिविधियाँ / कार्यक्रम

सतर्कता विभाग के कार्य में निवारक के साथ-साथ सक्रिय सतर्कता भी शामिल है, जिसमें संगठन में प्रणाली में सुधार पर मुख्य जोर दिया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रबंधन को इसके विभिन्न प्रयासों और लेनदेन से अधिकतम लाभ मिले। वर्ष 2020-21 के दौरान सतर्कता विभाग की कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नलिखित हैं।

- **आईएसओ 9001-2015 प्रमाणन**

  इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मॉयल के सतर्कता विभाग को ISIL-9001: 2015 प्रमाणन दिया गया है।

- **जाँच**

  नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और व्यवस्था में सुधार के सुझाव देने के लिए क्रियान्वयन के दौरान नियमित एवं औचक निरीक्षण किये जा रहे हैं। वर्ष 2020-21 में 8 आवधिक और आश्चर्यजनक निरीक्षण हुए हैं।

- **शिकायत निवारण**

  वर्ष 2020-21 के दौरान सतर्कता विभाग ने 39 शिकायतों का निस्तारण किया और जांच के परिणामों के आधार पर प्रबंधन को सुधारात्मक कार्रवाई के साथ-साथ व्यवस्था में सुधार के लिए 16 सुझाव दिए गए हैं।

- **प्रक्रियाओं और प्रणालियों की जांच**

  वर्ष भर में सतर्कता विभाग ने खरीद, अनुबंध, भर्ती आदि से संबंधित प्रक्रिया का अध्ययन किया है और परीक्षा के आधार पर प्रबंधन को सुधारात्मक कार्रवाई और व्यवस्था में सुधार के लिए 3 सुझाव दिए गए थे.

- **मोबाइल एप 'विजिलेंस मॉयल'**

  मॉयल ने 'विजिलेंस मॉयल' नामक एक मोबाइल ऐप प्रदान किया है, जो किसी भी समय कहीं से भी मुफ्त डाउनलोड और रिपोर्टिंग के लिए Google ऐप पर उपलब्ध है।

- **कर मुक्त नंबर**

  सतर्कता संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 18002333606 शुरू किया गया है।

- **ई-शॉपिंग**

  थ्रेशोल्ड मूल्य से अधिक की खरीद और कार्य अनुबंधों के लिए ई-खरीदारी की जा रही है। खरीद और कार्य समझौते के लिए दहलीज मूल्य रुपये 2 लाख है।

- **सतर्कता आयोग की बैठकें**

  केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और इस्पात मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, ई-गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी के लाभ, निविदा प्रबंधन, पुरस्कार कार्य, भर्ती नीतियों और अनुबंध प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सीएमडी के साथ सतर्कता बैठकें आयोजित की गईं।

- **प्रौद्योगिकी के आनंद लाभ**

  सीवीसी के सर्कुलर के संदर्भ में, नियामक ने वेबसाइट के प्रभावी उपयोग और प्रवर्तन पहल और शिकायतों को संभालने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का मुख्य क्षेत्र माल की खरीद और अनुबंध है। साथ ही, ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं की बिलिंग स्थिति वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है।

सभी निविदा दस्तावेज, पदोन्नति सूची, स्थानांतरण सूची, सीएसआर कार्य, भर्ती के लिए वरिष्ठता सूची आवेदन, निर्देश और अन्य प्रो-फॉर्म वेबसाइट पर पोस्ट किए जाते हैं।

- **मैनुअल अपडेट करना**

  खरीद नियमावली, कार्य और अनुबंध नियमावली, कार्मिक नियमावली आदि जैसे विभिन्न नियम तैयार किए गए हैं और उन्हें व्यवहार में लाया गया है। क्रय नियमावली, कार्य एवं संविदा नियमावली, कार्मिक नियमावली कंपनी की वेबसाइट/इंट्रानेट पर पोस्ट की जाती है। विपणन नियमावली और लेखा नियमावली तैयार है। सक्रिय सतर्कता के भाग के रूप में मैनुअल को निरंतर आधार पर अद्यतन किया जाता है और प्रबंधन के साथ इसका पालन किया जाता है।

- **प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  अ. ए. 2020-21 के दौरान, सतर्कता विभाग ने विभिन्न खानों और मुख्यालयों में सतर्कता जागरूकता पर 312 मानव-घंटे को शामिल करते हुए चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। 31 अक्टूबर 2020 को मॉयल प्रधान कार्यालय, नागपुर में 'सरकारी बाजार' पर एक दिवसीय ई-सेमिनार का आयोजन किया गया।

  ब. बी. सीबीआई द्वारा आयोजित 'सतर्क भारत - समृद्ध भारत' पर राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन में 27 से 29 अक्टूबर, 2020 तक सतर्कता अधिकारियों ने भाग लिया।

- **नौकरियों का स्थानांतरण**

  तीन साल से अधिक समय से संवेदनशील पदों पर कार्यरत अधिकारियों के रोटेशन के लिए संवेदनशील पदों की पहचान की गई है और ऐसे अधिकारियों को प्रबंधन से स्थानांतरित किया जा रहा है.

- **सिस्टम में सुधार**

  शिकायतों, अध्ययन, जांच आदि से संबंधित जांच के परिणामस्वरूप प्रबंधन में सुधार के लिए सलाह और सुझाव दिए गए।

  - आरक्षण लाभ के दावे के लिए जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन।
  - सीमा की दीवारों का निर्माण और चयनित स्थानों पर सीसीटीवी उपलब्ध कराना और चोरी के संभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कर्मियों की नियमित गश्त करना।
  - उपस्थिति के लिए बॉयोमीट्रिक प्रणाली
  - पुस्तिका को नियमित रूप से अपडेट करें।
  - जहां भी संभव हो, जीईएम के माध्यम से द्वितीयक वस्तुओं की खरीद।
  - निविदा मूल्य के लिए ई-खरीद रु। 2.00 लाख और उससे अधिक।
  - कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाइलों और सेवा पुस्तिकाओं का नियमित अद्यतन।
  - सूचना प्रणाली सुरक्षा, यानी ईआरपी / एसएपी और डेटा संसाधन प्रबंधन नियंत्रण, ईआरपी के तीसरे घटक का ऑडिट।
  - बिल भुगतान की सभी स्थिति की जानकारी मोयल की वेबसाइट पर अपलोड करना।
  - ठेकेदारों/विक्रेताओं को समय पर भुगतान।
  - ईएमडी संयंत्र के लिए कम धातुओं की तैयारी।
  - ऑनलाइन प्रक्रिया से भर्ती।
  - प्रक्रिया संबंधी जटिलताओं से बचने के लिए नीति के अनुसार पुराने अभिलेखों को हटाया जाना चाहिए।
  - टीओसी (निविदा संचालन समिति) और टीईसी (तकनीकी मूल्यांकन समिति) को उनके दायरे और उचित समय पर सूचित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से अनुमोदित।
  - ऑन-लाइन मोड में वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) दाखिल करना।

- **वार्षिक संपत्ति रिटर्न की जांच**

  सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, संगठन के सभी अधिकारियों को सालाना अपने एपीआर और 20% मदों की जांच करनी होती है। तदनुसार, अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक 70 अधिकारियों के एपीआर की जांच की गई है।

- **दक्षता जागरूकता सप्ताह**

27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक मोयल की सभी खदानों/कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया जिसमें 'सतर्क भारत-समृद्ध भारत' का समावेश था. विषय के साथ सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए।

1. सतर्कता पत्रिका 'शुचित' के 9वें अंक का प्रकाशन।
2. 'सरकार-बाजार' पर एक दिवसीय कार्यशाला।
3. मॉयल लिमिटेड खदानों में सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम।
4. पुरस्कार वितरण

का.ज्ञा.सं.एफ.सं.28(1)/2016-.I दिनांक 24.01.2018 आवश्यकता के अनुसार।

कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान कुल मामलों की संख्या	सतर्कता का प्रशासनिक कोण		एकूण
	सतर्कता दृष्टिकोण	प्रशासनिक	
मामलों का निपटारा	31	07**	38
लंबित*	11	शुन्य	11

* वर्तमान में, सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है
** सभी प्रशासनिक मामलों को अंतिम रूप से संभालने के लिए प्रबंधन के पास भेजा जाता है।

(8) मानव संसाधन और व्यक्ति

(A) प्रशिक्षण कार्यक्रम और कौशल विकास

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी में प्रशिक्षण के नवीनीकरण पर जोर दिया गया है और 2018-19 में पुरुषों के प्रशिक्षण में 86% की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद 2785 घंटे के मानव-दिवस प्रशिक्षण से 7% की और वृद्धि हुई है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कॉर्पोरेट प्रशिक्षण केंद्र, नागपुर और विभिन्न ऑनलाइन उत्कृष्टता केंद्रों में कर्मचारियों के लिए कुल 68 प्रशिक्षण कार्यक्रम (आंतरिक और बाहरी) आयोजित किए गए। कुल 2785 मानव-दिवसों का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 1513 मानव-दिवस कार्य और 1272 मानव-दिवस गैर-कार्यरत थे। इसके अलावा, मॉयल विभिन्न नामित ट्रेडों के तहत प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दे रहा है। 31 मार्च, 2021 तक, मोयल ने लगभग 438 प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया, जो कुल कर्मचारियों का 6.25% था।

मॉयल ने 407 मॉयल स्टाफ, 60 स्थानीय युवाओं और 53 अनुबंध कर्मचारियों के साथ, कौशल विकास के तहत एक कार्यक्रम, मान्यता प्राप्त पूर्व शिक्षण कार्यक्रम (आरपीएल) के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया है। इस योजना के तहत 2020-21 के दौरान मॉयल द्वारा कुल 9100 मानव दिवस का प्रशिक्षण दिया गया है।

(B) कल्याण योजनाएं और सुविधाएं

मॉयल कर्मचारियों के साथ-साथ खदानों के आसपास रहने वाले लोगों के लाभ के लिए आवास, पेयजल, बिजली, अस्पताल, स्वास्थ्य शिविर, स्कूल, गृह ऋण और गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहा है। जो सुदूर इलाकों में स्थित हैं। ऐसी योजनाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।

- जीवन स्तर में सुधार और कर्मचारियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, अधिकांश कर्मचारियों को आवासीय क्वार्टरों का निर्माण और आवंटन किया गया है।
- खनन कॉलोनियों में रहने वाले श्रमिकों को पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है.
- कैंप की बस्तियों और सड़कों को अच्छी तरह से रोशन किया गया है। कर्मचारियों को उनके आवास के लिए रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई गई है।
- सभी खानों में योग्य डॉक्टरों द्वारा बनाए गए और प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा समर्थित अस्पताल स्थापित किए गए हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग ओपीडी के साथ-साथ इनडोर वार्ड की व्यवस्था की गई है। आपात स्थिति में भाग लेने के लिए सभी अस्पतालों में एम्बुलेंस भी प्रदान की जाती हैं। मरीजों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा उपचार के लिए एक विशेष अस्पताल में भेजा जाता है।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा बीमा योजना का उद्देश्य कंपनी में मौजूदा कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाना है।
- मॉयल की निलंबन योजना, एक परिभाषित योगदान योजना, 1 जनवरी, 2007 से कंपनी के पास है।

- कुछ खदानों पर प्राथमिक विद्यालय चलाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी खदानों में स्कूल बसें उपलब्ध कराई जाती हैं।
- मेधावी छात्रों को ट्यूशन फीस और छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति की जा रही है।
- वोकेशनल कोर्स करने वाले कर्मचारियों और कामगारों के बच्चों की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(c) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याणकारी उपाय

मॉयल 31 मार्च, 2021 तक 5,866 कर्मचारियों वाला एक श्रम प्रधान संगठन है। कुल शक्ति का 80% से अधिक SC / ST / OBC (SC 19.95%, ST 25.16%, OBC 35.39%) है। आपकी कंपनी निम्नलिखित उपायों को अपनाकर दूरस्थ खनन क्षेत्रों में रहने वाली आदिवासी आबादी के विकास के लिए भी इच्छुक है।

- खदानों के पास के गांवों को गोद लेना और इन गांवों में रहने वाले लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था, सड़कों का रखरखाव, समय-समय पर चिकित्सा जांच और उपचार
- खनन क्षेत्र के निकट के विद्यालयों को आर्थिक सहायता, लेखन सामग्री, पुस्तकें आदि। प्रदान करना।
- स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं संचालित करना।
- सिलाई, वयस्क साक्षरता वर्ग, एड्स जागरूकता कार्यक्रम, पोस्टर, नोटिस और बैनर, कुष्ठ जागरूकता कार्यक्रम आदि जैसे अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रदर्शित करके आदिवासी महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- निःशक्तता अधिनियम, 1995 के तहत शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना

(D) महिलाओं का सशक्तिकरण

31 मार्च, 2021 तक, मॉयल में 811 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं, जो उनके कुल 5866 कर्मचारियों का 13.83% है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, सरकार ने कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे। भारत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तदनुसार, एक शिकायत समिति मौजूद है जिसमें मॉयल के अधिकारी और एक स्वतंत्र सदस्य शामिल हैं।

कंपनी की सभी खदानों पर महिला मंडल प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। मुख्य रूप से दूरस्थ खनन क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लाभ के लिए विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और सामुदायिक गतिविधियाँ जैसे वयस्क शिक्षा, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, परिवार नियोजन आदि नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कंपनी परिवार नियोजन के लिए मातृत्व अवकाश और विशेष सामयिक अवकाश भी प्रदान करती है।

अपनी सीएसआर पहल के तहत, खदानों में स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं जिनमें दूरदराज के गांवों की महिलाएं शामिल हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोमबत्ती, वाशिंग पाउडर, कपड़े धोने का साबुन, बांस की टोकरियाँ, सिलाई और कई अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। मॉयल के कार्यक्रम को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया और बड़ी सफलता मिली है।

(E) कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (रोकथाम, विरोध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताएं

कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, विरोध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत, अधिनियम के तहत प्राप्त मामलों को संभालने के लिए कंपनी में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया है। समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:-

स्थान	नाम	पदनाम
मुख्यालय	सौ. प्रिती ए.जोशी	अध्यक्ष
	श्री नीरज दत्त पाण्डेय	सदस्य
	श्री दीपक श्रीवास्तव	सदस्य
	श्रीमती हिना नूर	सदस्य
	श्रीमती आशा सिंह (डीएवी स्कूल बोकारो के सेवानिवृत्त उप प्राचार्य)	निर्दलीय सदस्य
ग्रुप। माइनिंग	डॉ. बाल्या नाकतोडे	अध्यक्ष
	असीम शेख	सदस्य
	श्री आकांक्षा सिंह	सदस्य
	रणधीर जवेरी (कनिष्ठ सचिव, आरएसटी कैंसर अस्पताल, नागपुर)	निर्दलीय सदस्य

ठिकाण	नाव	पदनाम
समूह II खान	डॉ.भारती रंगारी	अध्यक्ष
	रितेश माने	सदस्य
	श्रीमती गुरप्रीत पटेल	सदस्य
	श्री रणधीर जवेरी (जूनियर सेक्रेटरी, आरएसटी कैंसर अस्पताल, नागपुर)	स्वतंत्र सदस्य
ग्रुप III माइन	डॉ. लीला कुसरे	अध्यक्ष
	श्री राजीव शर्मा	सदस्य
	श्री सचिन रामटेके	सदस्य
	श्रीमती आशा सिंग (डीएवी स्कूल बोकारो के सेवानिवृत्त उप प्राचार्य)	निर्दलीय सदस्य

समितीच्या सदस्यांची नावे कंपनीच्या वेबसाईट www.moil.nic.in वर अपलोड करण्यात आली आहेत आणि वर्ष 2020-21 दरम्यान कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा सारांश खालीलप्रमाणे आहे.

प्राप्त तक्रारींची संख्या	तक्रारी निकाली काढल्या	प्रलंबित तक्रारींची संख्या
एक*	एक	काहीच नाही

* उत्पीड़न का एक मामला दर्ज किया गया और समिति द्वारा जांच की गई। जांच के बाद समिति ने बिना किसी सिफारिश के बंद करना उचित समझा।
महिला श्रमिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए इन निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है

(F) जनशक्ति

31 मार्च, 2021 तक कंपनी की जनशक्ति इस प्रकार है।

विवरण	कार्यकारी	गैर-कार्यकारी	कर्मचारी	कुल
पुरुष	300	1897	2858	5055
महिला	26	97	688	811
कुल	**326**	**1994**	**3546**	**5866**

31.03.2021 को कर्मचारियों की श्रेणी के अनुसार विवरण निम्नानुसार है:

समूह	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओ बी सी	अन्य	कुल
ए	56	10	79	152	297
बी	28	7	61	65	161
सी	298	197	417	340	1252
डी	731	1262	1519	587	4099
सफाई कर्मचारी	57	0	0	0	57
स्वींपर	**1170**	**1476**	**2076**	**1144**	**5866**
कुल %	**19.95%**	**25.16%**	**35.39%**	**19.50%**	**100%**

(G) नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र

(a) कर्मचारी शिकायतें- कार्यकारी के साथ-साथ गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए मोयाल की अपनी शिकायत निवारण प्रक्रिया है। कर्मचारियों की शिकायतों को तदनुसार नियंत्रित किया जाता है।

(b) लोक शिकायत - कोई भी नागरिक केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरओएमएस) के माध्यम से अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। सभी शिकायत अधिकारियों को प्राप्त जन शिकायतों के निराकरण के तरीके से अवगत करा दिया गया है। लोक शिकायतों से निपटने के लिए अपनाई गई प्रणाली अतीत में विभिन्न अधिकारियों से प्राप्त सुझावों पर आधारित थी।

(c) मॉयल में शिकायत तंत्र के निवारण के लिए प्रत्येक इकाई/खान के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जाता है। प्रधान कार्यालय में नामित शिकायत अधिकारी अपने प्रभावी प्रदर्शन के लिए इकाई/खान में शिकायत अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करता है।

(d) मासिक/त्रैमासिक शिकायतों की समीक्षा की जाती है और यूनिट/खान और प्रधान कार्यालय में नियुक्त लोक शिकायत अधिकारी द्वारा की जाती है और एक महीने की निर्धारित अवधि के भीतर निपटारा किया जाता है।

(e) यूनिट/खान में शिकायतों से संबंधित डाटा यूनिट शिकायत अधिकारी द्वारा मासिक/त्रैमासिक रिटर्न में मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाता है। इसकी जांच की जाती है और इस्पात मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जनता/कर्मचारियों की शिकायतों की स्थिति

अ. क्र.	विवरण	1 अप्रैल 2020 को प्राप्त लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल हल की गई शिकायतें	31 मार्च 2021 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	जन शिकायत	शून्य	6	6	शून्य
2	कर्मचारी शिकायत	शून्य	2	2	शून्य
3	कोविड से संबंधित	शून्य	1	1	शून्य
	कुल	**शून्य**	**9**	**9**	**शून्य**

(H) हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर

- मॉयल में ज्यादातर पत्राचार हिंदी में होता है।
- सभी प्रोसेसर में यूनिकोड सिस्टम लागू है। कंपनी ने सभी कंप्यूटर सिस्टम में हिंदी से संबंधित सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है।
- हिंदी में पुस्तकों की खरीद पुस्तकों की कुल लागत का 55% से अधिक है।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 में निहित प्रावधानों को बढ़ावा देने के लिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जयंती, स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय एकता दिवस और सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रकार की हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।
- ज्यादा से ज्यादा लोगों को वर्कशॉप और ट्रेनिंग कराकर हिंदी में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काव्य-कथाओं और राजभाषा संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।
- हिंदी भाषा में कार्यरत कर्मचारियों को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रधान कार्यालय एवं खदानों में प्रचार योजना का लाभ दिया जा रहा है.
- मॉयल के कर्मचारियों को नगर राजभाषा कृतिवन समिति द्वारा सम्मानित किया गया है।
- मॉयल की मोयल भारती पत्रिका से नगर राजभाषा कृतिवन समिति की दूसरी
- नगर राजभाषा कृतिवन समिति बालाघाट और नागपुर द्वारा प्रकाशित वैनगंगा और राजभाषा दर्पण पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए मॉयल द्वारा योगदान राशि प्रदान की जाती है।

(I) सूचना का अधिकार

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के बाद से, मॉयल ने इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बड़ी पहल की है।

मॉयल ने अपने प्रधान कार्यालय में सीपीआईओ और सभी खानों में पीआईओ/एपीआईओ को नियुक्त किया है। इस अधिनियम के तहत कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सभी पीआईओ/एपीआईओ और अपीलीय अधिकारियों के नाम भी कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर पोस्ट किए गए हैं।

जैसा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) में उल्लेख किया गया है, कंपनी, उसके कर्मचारियों आदि के बारे में जानकारी 17 शीर्षों के तहत बनाई गई है और कंपनी के पोर्टल पर प्रकाशित की गई है। मोयाल आवश्यक जानकारी को निर्धारित प्राधिकारी को पुनर्प्रकाशित और पुनर्प्रकाशित कर रहा है और इसे नियमित रूप से अपडेट कर रहा है।

कंपनी के कर्मचारियों को इस कानून के उद्देश्य और सच्ची भावना से अवगत कराने के लिए बहुत जागरूकता पैदा की गई है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को परिपत्र जारी करके, दिन-प्रतिदिन के कार्य में पारदर्शिता बनाए रखते हुए और सभी अभिलेखों को उचित/व्यवस्थित रूप से रखने पर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा, कंपनी कंपनी की वेबसाइट पर जनता के लिए नियमित अंतराल पर सुमोटू को होस्ट/अपडेट भी करती रही है, ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों का उपयोग करना आवश्यक हो।

कर्मचारियों की जागरूकता के लिए उन्हें मौजूदा स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम के महत्व को समझाने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है।

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान, कंपनी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुल 157 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 107 आवेदनों का निपटारा किया गया, 20 को खारिज कर दिया गया और 30 प्रक्रिया में हैं। अपीलीय प्राधिकारी को 16 आरटीआई अपीलें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 15 अपीलों का निपटारा कर दिया गया है और 01 प्रक्रिया चल रही है।

(J) औद्योगिक संबंध

वर्ष 2020-21 में मॉयल में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे। कोविड की चुनौतियों के बावजूद बेहतर उत्पादकता और उत्पादकता को बनाए रखा गया है। संगठन के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए खानों और मुख्यालयों पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है और शिकायतों के निवारण के लिए त्वरित निर्णय संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं।

(9) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और स्थिरता:

मॉयल में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी एक अभिन्न प्रक्रिया है। मोयाल पिछले कई वर्षों से सीएसआर पहलों को दृढ़ता से लागू कर रहे हैं। कंपनी ने एक सीएसआर नीति विकसित की है, जिसे औपचारिक रूप से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। सीएसआर के तहत निम्नलिखित सहित कई योजनाएं शुरू और कार्यान्वित की गई हैं।

- शिक्षा और कौशल विकास की पहल में, मॉयल मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले और महाराष्ट्र के भंडारा जिले में अपनी खदानों के पास विभिन्न स्कूलों की मदद कर रहा है।
- ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, मॉयल ने डीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सहयोग से भंडारा जिले के सीतासंगी गांव में एक बड़ा स्कूल स्थापित किया है। स्कूल की एक अन्य शाखा नागपुर जिले के मानसर में खोलने की प्रक्रिया में है, जो ग्रामीण बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरतों को पूरा करेगी।
- कौशल विकास कार्यक्रम - संविदा कर्मियों सहित 100 युवाओं को लॉजिस्टिक स्किल्स, माइन मेट और ब्लास्टर्स का प्रशिक्षण दिया गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मॉयल ने प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए 438 प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया है।
- मॉयल ने एक सक्षम बालिका कार्यक्रम भी शुरू किया है जिसमें बीपीएल परिवारों की 15 लड़कियों को अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हैदराबाद में पेश किए जाने वाले नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए चुना गया है।
- कंपनी ने लता मंगेशकर अस्पताल आदि से जरूरतमंदों को मोतियाबिंद की मुफ्त सर्जरी कराने का करार किया है।
- मॉयल ने संचारी रोगों के दौरान सूखा राशन बांटकर, प्रवासी कामगारों को खाना बनाकर, अपनी खदानों के आसपास के जरूरतमंद गरीब लोगों में बांटकर, प्रधान कार्यालय में समुदाय का पुरजोर समर्थन किया है।
- कंपनी BAIF, एक पेशेवर एजेंसी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महाराष्ट्र प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान (MITTRA), BAIF, पुणे से संबद्ध है, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में व्यापक अनुभव के साथ एक भागीदार संगठन है। मॉयल का एक मित्र के साथ समझौता ज्ञापन है जिसने परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। प्रारंभ में, मध्य प्रदेश के 21 गाँवों की पहचान नागपुर, (5 गाँव) भंडारा (11 गाँव) महाराष्ट्र और बालाघाट (5 गाँव) जिलों में की गई है। विकासात्मक गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं।

• जीवन निर्वाह	• शिक्षा
• महिला सशक्तिकरण	• आंगनवाड़ी आधारित हस्तक्षेप
• जल संसाधन प्रबंधन	• सामुदायिक संसाधन भगवान।
• कृषि प्रशिक्षण	• बुनियादी ढांचे का विकास
• पशुधन विकास प्रशिक्षण	• स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वच्छता
• जीवन की गुणवत्ता	

मॉयल ने अपनी खदानों के परिचालन क्षेत्र के आसपास विभिन्न बुनियादी ढांचा विकास कार्य जैसे गाँव की सड़कें, व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक हॉल, छात्रावास भवन आदि किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, मोयाल ने विभिन्न सीएसआर पहलों पर 13.18 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो औसत शुद्ध लाभ का 2% है। यानी रु. 11.39 करोड़।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित सीएसआर उपक्रमों की रिपोर्ट परिशिष्ट-II के रूप में संलग्न है

(10) निदेशक और केएमपी

(A) निदेशक और केएमपी में परिवर्तन

समीक्षा के वर्ष के दौरान (अ) श्री टी पटनायक 31 जुलाई, 2020 को निदेशक (वाणिज्य) के पद से सेवानिवृत्त हुए।

(ब) भारत सरकार श्री पी.वी.वी. पटनायक ने निदेशक (पेशेवर) के रूप में 1 अगस्त 2020 को पदभार ग्रहण किया। और (स) स्वतंत्र निदेशक श्री विजयराघवन एम। उन्होंने कंपनी के निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया।

भारत सरकार के मानद निदेशक श्री. टी श्रीनिवास को 17 जून 2021 को श्रीमती सुकृति लिखी, अतिरिक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय और वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसी प्रकार, श्री सुखवीर सिंह, प्रमुख सचिव, खनिज संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन को 17 मई 2021 को मनोनीत निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम (8) (5) (iii) और धारा 134 (3) (क्यू) के अनुसार धारा 203 (1) के अनुसार, बोर्ड ने एक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है [सीईओ)}, निदेशक (वित्त) [मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)] और कंपनी सचिव मुख्य सचिव के रूप में। वर्ष 2020-21 में केएमपी में कोई बदलाव नहीं है।

(B) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणाएं

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत दिए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। बोर्ड के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के पास आवश्यक कौशल और अनुभव होता है और वे बेहद ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। सीए मंगेश पी. तट और डॉ. स्वतंत्र निदेशक दीपक सिंह ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा पूरी कर ली है। कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट शर्तों और इसके तहत बनाए गए नियमों को पूरा करें और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति आमतौर पर भारत सरकार द्वारा तीन साल की अवधि के लिए की जाती है।

(C) नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक नीति

चूंकि यह एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, निदेशकों की नियुक्तियां, कार्यकाल, प्रदर्शन मूल्यांकन, मानदेय आदि भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जून 2015 की एक अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों / धाराओं के आवेदन से छूट दी है। अधिसूचना के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति को निदेशकों की नियुक्ति के लिए मानदंड तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। , उनकी वेतन नीति और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। मोयल में, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रशासन मंत्रालय, यानी इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे, अपने स्वयं के प्रदर्शन बोर्ड, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन लागू / आवश्यक नहीं है।

अधिकारियों (कार्यकारी) के वेतन सुधारों का पारिश्रमिक और गैर-कार्यकारी अधिकारियों का पारिश्रमिक मान्यता प्राप्त टीम के साथ सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है

(D) निदेशक की जिम्मेदारी का बयान

आपका निर्देशक कहता है -

(i) वित्तीय विवरणों के संकलन में, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और इससे कोई भौतिक विचलन नहीं है,

(ii) उन्होंने ऐसी लेखांकन नीतियों को चुना है और लगातार लागू किया है और 31 मार्च, 2021 को कंपनी के लाभ और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नुकसान का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए हैं।

(iii) उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति की रक्षा करने और धोखाधड़ी या अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

(iv) उन्होंने चल रही देखभाल के आधार पर वित्तीय बैलेंस शीट तैयार की है।

(v) वे कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखते हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी होते हैं और

(vi) उन्होंने लागू सचिवों के मानकों सहित सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली विकसित की है कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी थीं।

(11) सूचना प्रौद्योगिकी और उपयोग विकास

कंपनी ने कंपनी के सभी कार्यात्मक क्षेत्रों के प्रभावी कम्प्यूटरीकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक संपूर्ण सिस्टम विभाग की स्थापना की है। पर्याप्त आईटी अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए, सिस्टम विभाग द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं।

- सभी कार्यालयों, खदानों/कारखानों में कंप्यूटर और अन्य आईटी उपकरणों की स्थापना।
- विंडोज और लिनक्स प्लेटफॉर्म पर ईथरनेट आधारित लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) कंपनी के हेड ऑफिस और सभी खानों में है।
- सभी खदानें/संयंत्र/कार्यालय एमपीएलएस वीपीएन और वीपीएन द्वारा लीज पर ली गई लाइन से जुड़े हैं, ताकि नियमित आधार पर एप्लिकेशन, डेटाबेस/सूचना और अन्य संसाधनों को प्रभावी ढंग से साझा किया जा सके।

- सतत ज्ञान प्राप्ति, ई-मेलिंग एवं इंटर यूनिट डाटा ट्रांसफर सुविधाओं के लिए ओएफसी में इंटरनेट लीज लाइन के माध्यम से प्रधान कार्यालय के सभी संबंधित अधिकारियों को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया गया है। सभी खदानें/संयंत्र ओएफसी इंटरनेट कनेक्शन पर लीज पर हैं,
- खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एमएसटीसी/जीईएम के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के जरिए माल और सेवाओं की खरीद।
- कंपनी में ईआरपी का कार्यान्वयन। ERP-SAP के मुख्य मॉड्यूल FICO, MM, SD, PP, PM, HRM के अलावा, कंपनी फ़ाइल जीवनचक्र प्रबंधन, दस्तावेज़ भी प्रदान करती है।
- ईआरपी के लिए अत्याधुनिक डाटा सेंटर को प्रधान कार्यालय, नागपुर में डिजाइन और संचालित किया गया है।
- प्रभावी फ़ाइल ट्रैकिंग और कागजी कार्रवाई को कम करने के लिए फ़ाइल जीवनचक्र प्रबंधन (FLM) का उपयोग।
- ग्राहक पोर्टल का कार्यान्वयन, जो ग्राहकों को एक ही स्थान पर कीमतों, उपलब्धता आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करता है
- सभी रिकॉर्ड्स को स्कैन/डिजिटलाइज करना और इलेक्ट्रॉनिक इंडेक्स के साथ ऑफिस स्पेस खाली करना और कुशल रिकॉर्ड रिकवरी सुनिश्चित करना।
- खानों, मंत्रालयों और अन्य संगठनों से बातचीत के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल।
- बिलों का भुगतान ऑनलाइन।
- पेपरलेस बोर्ड बैठकें।
- विक्रेता बिल ट्रैकिंग।
- प्रयास डिजिटलीकरण के प्रयास

(12) नीति और प्रकटीकरण

(A) जोखिम प्रबंधन रणनीति

मॉयल ने माना कि जोखिम किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में निहित है और कंपनी की तत्काल और भविष्य की सफलता के लिए जोखिम का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति एक ऐसी प्रणाली स्थापित करती है जो जोखिमों की निगरानी में मदद करती है, भौतिक व्यावसायिक जोखिमों का प्रबंधन करती है, और कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में भी सहायता करती है। पहचाने गए जोखिमों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, साथ ही जोखिम कारक, यदि कोई हो, जो बोर्ड के अनुसार कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं। पॉलिसी को कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

(B) सतर्कता प्रणाली

कंपनी की एक व्हिसल ब्लोअर नीति है और इसे अपनी वेबसाइट www.moil.nic.in पर अपलोड कर दिया है। कंपनी के पास किसी भी अनैतिक व्यवहार, प्रत्यक्ष या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन को देखने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की अध्यक्षता में एक सक्षम और स्वतंत्र सतर्कता विभाग है। सभी कर्मचारियों को उनकी शिकायतों, शिकायतों आदि के लिए सतर्कता विभाग तक पहुंच प्राप्त हो रही है। निदेशकों और कर्मचारियों के लिए वास्तविक चिंता व्यक्त करने के लिए एक सतर्कता तंत्र स्थापित किया गया है। सतर्कता प्रणाली उन व्यक्तियों को शिकार होने से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है जो वास्तविक चिंता के लिए ऐसी प्रणाली का उपयोग करते हैं।

(C) कॉर्पोरेट प्रशासन

कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक अलग सेक्शन जोड़ा गया है और यह बोर्ड की रिपोर्ट (परिशिष्ट-III) का हिस्सा है। कॉरपोरेट गवर्नेंस का प्रमाण पत्र भी रिपोर्ट के साथ संलग्न है, जो स्व-व्याख्यात्मक है। साल भर कंपनी के बोर्ड की संरचना को छोड़कर प्रमाण पत्र में कोई योग्यता नहीं है। एक सरकारी कंपनी के रूप में, सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। बोर्ड को विश्वास है कि भारत सरकार मोयाल बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशकों सहित आवश्यक निदेशकों की नियुक्ति करेगी।

(D) प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण और व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण अनुबंध-IV में रिपोर्ट किए गए हैं। सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियमन), 2015 के नियम 34 के अनुपालन में, व्यवसाय देयता रिपोर्ट को भी अनुलग्नक-V में जोड़ा गया है।

(E) प्रासंगिक पार्टी व्यवहार

कंपनी ने कोई भी भौतिक रूप से महत्वपूर्ण पार्टी लेनदेन नहीं किया है जिसका कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। फिर भी, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का खुलासा खातों में नोट संख्या 3 के अंक संख्या 3.5 और 3.6 में किया गया है। इसलिए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित धारा 134 (3) में अपेक्षित एओसी-2 फॉर्म में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है। कंपनी की एक प्रासंगिक पार्टी लेनदेन नीति है और इसे अपनी वेबसाइट www.moil.nic.in पर अपलोड कर दिया है।

(F) लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 और GeM के अनुसार खरीदा गया.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की आवश्यकताओं के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसई द्वारा विनिर्मित उत्पादों और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का कम से कम 25% खरीदना आवश्यक है। अब यह आवश्यक नहीं है कि एससी या एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद के लिए 25% में से 4% तय किया जाए, जिसमें से 3% महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद के लिए तय किया जाना चाहिए। सार्वजनिक उपक्रमों को उपरोक्त खरीद में निर्धारित उद्देश्यों पर रिपोर्ट करना और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्राप्त उपलब्धियों का खुलासा करना आवश्यक है।

2020-21 के दौरान कुल माल की खरीद रु। 106.84 करोड़ (पिछले वर्ष 114.59 करोड़ रुपये) जिसमें से एमएसई (एससी या एसटी या महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीदे गए सामान का मूल्य रु। 40.25 करोड़ (पिछले वर्ष 40.97 करोड़ रुपये) जो कि नीचे दी गई तालिका के अनुसार कुल वार्षिक खरीद का 37.67% है।

एमएसई फर्मकी श्रेणी	मानदंड	उपलब्धि
एमएसई कंपनियों से खरीद	25%	37.67%
एमएसई कंपनियों एससी/एसटी से खरीदारी	4%	-
महिला उद्यमी एमएसई कंपनियों से खरीदारी	3%	-

* विक्रेताओं की इस श्रेणी से बहुत कम/नगण्य भागीदारी थी। इसलिए लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, मॉयल MSME, DI, नागपुर, दलित इंडस्ट्रीज चैंबर ऑफ कॉमर्स (DICCI) द्वारा आयोजित विक्रेता विकास कार्यक्रम (VDP) में ऐसे विक्रेताओं के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है। मॉयल एमएसएमई विकास संस्थान नागपुर द्वारा आयोजित वार्षिक एनवीडीपी कार्यक्रम सह औद्योगिक प्रदर्शनी के प्रायोजकों में से एक है। सभी खरीद एनआईटी एनएसआईसी, एमएसएमई और एमएसएसआईडीसी कार्यालयों को भेजी जाती हैं

इस प्रकार, कंपनी न्यूनतम खरीद के मामले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 की आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, मॉयल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि MSMEs द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों / सेवाओं का उल्लेख ऊपर के पहले पैराग्राफ में किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान खुली निविदा के माध्यम से मोयाल की कुल खरीद रु. वित्त वर्ष 2019-20 में 106.84 करोड़, 114.59 करोड़। इसमें से, सरकारी ई-मार्केट (GeM) पोर्टलों के माध्यम से खरीदारी पर रु. वित्त वर्ष 2020-21 में 28.24 करोड़। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2.32 करोड़।

(G) इस्पात मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)

मॉयल 20 साल से इस्पात मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सुलह समझौता विभिन्न उद्देश्यों और प्रदर्शन मानदंडों को निर्धारित करता है, जिनका मूल्यांकन वर्ष के अंत में वास्तविक सफलता की तुलना में किया जाता है। वर्ष 1995-96 से, कंपनी को लगातार उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त हो रही है (2015-16 और 2016-17 को छोड़कर सबसे खराब / सबसे खराब बाजार स्थितियों के कारण)। कोविड-19 प्रभाव के कारण 2019-20 की रेटिंग उपयुक्त थी। 2020-21 की रेटिंग अभी तय होनी बाकी है जो काफी अच्छी रहने की उम्मीद है। इस अभ्यास को जारी रखते हुए, मॉयल 2021-22 वर्षों के लिए इस्पात मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन संपन्न करने की प्रक्रिया में है।

(13) लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक

(A) वैधानिक लेखा परीक्षक और सीएजी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अनुसार, मेसर्स डेम्बेले रमानी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नागपुर को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में एक वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। . 2020-21। कंपनी के लेखा परीक्षकों ने अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत किसी भी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी। सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है, जो स्व-व्याख्यात्मक है। लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई पात्रता नहीं है, तथापि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर दिनांक 04.06-2021 को सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में परिशिष्ट-बी के निर्देशों के अनुसार 13-07 को संशोधित किया गया था। -2021 सीएजी द्वारा। अनुबंध-बी में संशोधन का कंपनी के परिणामों, खातों और वित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

इसके अलावा, सीएजी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर दिनांक 04.08.2021 के पत्र द्वारा अपनी टिप्पणियां जारी की हैं। सीएजी टिप्पणियाँ और उत्तर प्रबंधन वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के एक ही रूप पर। प्रबंधन और बोर्ड के अनुसार, CAG की टिप्पणियां वर्गीकरण और अतिरिक्त प्रकटीकरण के लिए हैं, लेकिन कंपनी के परिणामों, खातों और वित्तीय मामलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(B) सचिवालय लेखा परीक्षक

बोर्ड ने मेसर्स पीएस त्रिपाठी एंड एसोसिएट्स, इंदौर को 2020-21 के लिए सचिव लेखा परीक्षक नियुक्त किया था। उनकी रिपोर्ट संलग्न है, जो स्वतः स्पष्ट है। सचिव की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दो टिप्पणियां शामिल हैं। एक कंपनी के बोर्ड की संरचना से संबंधित है। एक सरकारी कंपनी के रूप में, सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। तदनुसार, भारत सरकार मॉयल बोर्ड में आवश्यक निदेशकों की नियुक्ति करेगी। दूसरा निरीक्षण रु. के योगदान से संबंधित है। 50 करोड़ पीएम केयर फंड और सीएम रिलीफ फंड, महाराष्ट्र। यदि कंपनी ने अग्रिम रूप से शेयरधारकों की मान्यता प्राप्त कर ली थी, तो कंपनी अधिनियम, 2013 की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी। इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि यह इस्पात मंत्रालय, सरकार के निर्देशों के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण आपातकाल की आवश्यकता को देखते हुए किया गया था।

(C) लागत लेखा परीक्षा

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट खर्चों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। तदनुसार, ऐसे खातों और अभिलेखों का रखरखाव और रखरखाव किया जाता है। मेसर्स फाटक पालीवाल एंड कंपनी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, नागपुर को कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए व्यय खातों के रिकॉर्ड की ऑडिट के लिए कॉस्ट ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकार द्वारा समय सीमा नहीं बढ़ाने पर लागत भुगतान की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2021 की ऑडिट रिपोर्ट है। निर्धारित समय में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। वर्ष 2019-20 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अनुपालन रिपोर्ट कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय पर दायर की गई थी।

(14) अन्य स्पष्टीकरण:

(i) आर एंड डी और प्रौद्योगिकी शोषण आदि के बारे में विवरण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के तहत आवश्यक जानकारी को कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़ा गया, जिसका एक हिस्सा यह है प्रतिवेदन, इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है, अतः संलग्न है।

(ii) विदेशी मुद्रा आय और व्यय: कंपनी ने 2020-21 के दौरान किसी भी मैंगनीज धातु या इसके अन्य उत्पादों का निर्यात नहीं किया। समीक्षाधीन वर्ष में, कंपनी ने पिछले वर्ष के 105.73 लाख रुपये की तुलना में विदेशी मुद्रा में शून्य खर्च किया है।

(iii) कर्मचारी विवरण: कंपनी अधिनियम, 2013 (समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के रूप में पढ़ें) की धारा 134 (3) के दायरे में कोई कर्मचारी शामिल नहीं है।

(iv) जमा राशियां: समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मॉयल ने कानून द्वारा प्रदान की गई किसी भी जमा राशि को स्वीकार नहीं किया।

(v) ऋण, गारंटी और निवेश: अधिनियम की धारा 186 के अनुसार कोई ऋण, गारंटी और निवेश नहीं है।

(vi) लेखा परीक्षा समिति की संरचना: लेखा परीक्षा समिति की संरचना का विवरण कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट की धारा 3.1 (ए) में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

(vii) बोर्ड की बैठकों की संख्या: वर्ष के दौरान हुई कुल 5 बोर्ड बैठकें। इस संबंध में और विवरण कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के खंड संख्या 2.2 में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

(viii) वार्षिक धनवापसी की प्रति: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार, वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक धनवापसी की एक प्रति। 31 मार्च, 2021 को समाप्त कंपनी की वेबसाइट https://www.moil.nic.in/userfiles/file/InvRel/annual-return-2020-21.pdf पर पोस्ट किया गया है।

(ix) कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं: वित्तीय वर्ष के अंत में और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच गणित को छोड़कर कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं थीं।

(x) नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश: भविष्य की चिंताजनक स्थितियों और कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले नियामकों / अदालतों / न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है।

(15) आईईपीएफ में ट्रांसफर किए गए निलंबन खाते और शेयरों/लाभांश में शेयरों का विवरण

(A) सस्पेंस खाते में शेयरों का विवरण इस प्रकार है।

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयर
1 अप्रैल 2020 तक सस्पेंस खाते में कुल संख्या	0	0
सस्पेंस खाते से शेयरों के हस्तांतरण के लिए शेयरधारकों ने कंपनी से संपर्क किया	0	0
शेयरधारक जिन्हें वर्ष के सस्पेंस खाते से शेयर हस्तांतरित किए गए थे	0	0
दावा न किए गए उचंत खाते में स्थानांतरित किए गए शेयर	0	0
31 मार्च, 2021 तक सस्पेंस खाते में कुल संख्या	0	0

(B) 2020-21 के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) खाते में हस्तांतरित अवैतनिक / दावा न की गई लाभांश राशि और शेयरों का विवरण निम्नानुसार है।

विवरण	हस्तांतरित राशि (रु.)	हस्तांतरित शेयरों की संख्या
अंतरिम लाभांश 2012-13	7,50,288	3,074
अंतिम लाभांश 2012-13	10,43,067	1,550
अंतरिम लाभांश 2013-14	11,60,416	2,105

आईईपीएफ खाते में पहले से हस्तांतरित शेयरों से होने वाले परिणामी लाभांश (अर्थात लाभांश) का विवरण इस प्रकार है।

विवरण	राशि रु.
अंतिम लाभांश 2019-20	96,765
अंतरिम लाभांश 2020-21	84,513

स्थान: नागपूर
दिनांक: 24-08-2021

एम.पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(DIN05339308)

परिशिष्ट - I हितधारकों के लिए बोर्ड की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के तहत आवश्यक ऊर्जा और प्रौद्योगिकी संरक्षण के बारे में विवरण का खुलासा

अ) ऊर्जा संरक्षण

अ. क्र.	विवरण	विस्तार में जानकारी	
1.	ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा शुरू की गई सतह और भूमिगत प्रकाश व्यवस्था और तारांकित एयर कंडीशनर के लिए ऊर्जा बचत लैंप की खरीद।	
2.	वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम	मॉयल भवन, नागपुर में 54.25 किलोवाट क्षमता के सौर वृक्षों की स्थापना का कार्य चल रहा है।	
		इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित आवासीय कनेक्शन के लिए कुल 476 किलोवाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव।	
3.	ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेश	**कार्य निवेश का विवरण**	**निवेश (लाख रुपये में)**
		डोंगरीबुजुर्ग और चिकला खानों के लिए नए डीजी। सेट की खरीद	299.72
		महाराष्ट्र में खानों के लिए सक्रिय हार्मोनिक फिल्टर की खरीद	64.02
		पुराने अकुशल पंपों को बदलने के लिए केंद्रीकृत पंपों की खरीद।	99.61
		ऊर्जा कार्यक्षम ट्रांसफार्मरों की खरीद	68.52
		कुल निवेश	**531.87**

(ब) प्रौद्योगिकी अवशोषण

(i) कंपनी द्वारा अपने अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पहल के तहत किए गए प्रयास और इससे प्राप्त लाभ निम्नानुसार हैं।

अ. क्र.	क्षेत्र	प्राप्त लाभ
1.0	संशोधन:	मॉयल को भारत में खदानों से मैंगनीज खनिज निकालने में विशेषज्ञता हासिल है। गुजरात खनिज विकास निगम (GMDC) ने गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के जल-समृद्ध क्षेत्रों में मैंगनीज खनन की संभावना का पता लगाने के लिए एक संयुक्त उद्यम में मॉयल के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) में प्रवेश किया है। गांव में जल संशोधन की खोज के लिए मॉयल, जीएमडीसी और एमईसीएल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमईसीएल के शोध से पता चला है कि मैंगनीज का भांडार लगभग 7.6 मिलियन टन है। 2022 में भूमिगत खनन पद्धति से खनन कार्य शुरू करने के लिए मॉयल से मैंगनीज अयस्क खनन के लिए व्यावसायिक अध्ययन प्रक्रिया चल रही है।
1.1	जल परियोजना (महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाहर की खदानें): जल परियोजना (महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाहर की खदानें):	
1.2	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग :	मध्य प्रदेश के चार जिलों, बालाघाट, झाबुआ, जबलपुर और छिंदवाड़ा में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC), हैदराबाद द्वारा किए गए रिमोट सेंसिंग अध्ययन के आधार पर, कंपनी ने मध्य प्रदेश सरकार को चार जिलों में नए क्षेत्रों के आरक्षण के लिए आवेदन किया है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, मॉयल कोर ड्रिलिंग के माध्यम से आरक्षण क्षेत्र का पता लगाएंगे। यह मॉयल को भविष्य में मैंगनीज रिजर्व/संसाधन स्तर को अद्यतन करने की अनुमति देगा।
1.3	रिमोट सेंसिंग और पेट्रोलॉजिकल लैब :	मुख्य कार्यालय में खनन योजना विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए नमूनों की पेट्रोलॉजिकल और खनिज संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक रिमोट सेंसिंग और पेट्रोलॉजिकल लैब की स्थापना की है। यह तकनीक धातु की उत्पत्ति को जानने में मदद करती है। उत्पन्न डेटा का उपयोग विभिन्न सांविधिक निकायों जैसे डीजीएमएस, आईबीएम, डीजीएम आदि को प्रस्तुत करने के लिए भौगोलिक रिपोर्ट में किया जा रहा है। अनुसंधान एवं प्रयोगों के लिए नए क्षेत्र में खनन योजना, क्षेत्र के नमूनों के विश्लेषण और डीजीपीएस सर्वेक्षण के लिए एक्सआरएफ, एक्सआरडी और डीजीपीएस उपकरणों की खरीद विभाग की ओर स की जा रही है।
2.0	रॉक मैकेनिक्स लैब:	खनन योजना विभाग अपने प्रधान कार्यालय में एक रॉक यांत्रिकी प्रयोगशाला भी स्थापित कर रहा है जो मॉयल की सभी खानों में उपलब्ध विभिन्न लिथोलॉजी का भू-तकनीकी अध्ययन करता है। इससे चट्टानों के विभिन्न मापदंडों को जानने में मदद मिलेगी जो अधिक सुरक्षा और उच्च उत्पादकता के लिए खनन योजना और कार्य पद्धति तैयार करने के लिए उपयोगी होंगे। आगे प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए उच्च उत्पादकता के साथ सुरक्षित खनन संचालन के लिए डीजीएमएस, आईबीएम, डीजीएम, आदि जैसे नियामक प्राधिकरणों की सहायता करता है।

(ब) प्रौद्योगिकी अवशोषण...

(i) कंपनी द्वारा अपने अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पहल के तहत किए गए प्रयास और इससे प्राप्त लाभ निम्नानुसार हैं।...

अ. क्र.	विवरण	विस्तार में जानकारी
3.0	खान वेंटिलेशन :	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर ने गुमगांव में एक गहन वेंटिलेशन पुनर्निर्माण अध्ययन किया है। तदनुसार, गुमगांव खदान में ऊर्जा बचत उपकरणों के साथ बड़े व्यास वाले वेंटिलेशन पंखे लगाए गए हैं। इससे खदानों के भूमिगत खंड के वेंटिलेशन और उत्पादकता में सुधार हुआ है। उत्पादकता में सुधार के लिए चिकला और उकवा खदानों में अध्ययन चल रहा है।
4.1	खान सुरक्षा	ऐसे समय में जब खनन कार्य तेजी से जोखिम भरा होता जा रहा है, मॉयल ने नागपुर में बालाघाट और उकवा खदानों में सीएसआईआर-सीआईएमएफआर-, आरएमआर का निरीक्षण करने पर ध्यान केंद्रित किया है। ताकि अधिक सुरक्षा और उच्च उत्पादकता के लिए नए सहायक डिजाइन तैयार किए जा सकें। परियोजना मार्च 2021 में पूरी हुई थी और उसी के अनुसार समर्थन प्रणाली को लागू किया गया है।
4.2	खान सुरक्षा (रॉक यांत्रिकी सॉफ्टवेयर) और पेटेंट	मॉयल ने अब तक तीन पेटेंट दाखिल किए हैं और तीनों पेटेंट प्रकाशित हो चुके हैं। तीसरा पेटेंट 'इन-हाउस आरएमआर सॉफ्टवेयर' विषय पर दायर किया गया है। यह 14.08.2020 को प्रकाशित हुआ था। यह खान सुरक्षा और उच्च उत्पादकता के लिए डेटा तैयार करेगा।
5.1	खनन पर्यावरण	मॉयल पर्यावरण विकास के लिए पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सीएसआईआर-राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईआरआई), नागपुर के साथ गुमगांव खदान में खनन परियोजनाओं के लिए सतत विकास फ्रेमवर्क दिशानिर्देशों में सहयोगी अनुसंधान कर रहे हैं। डंप के स्थिरीकरण और पर्यावरण संतुलन के लिए, आईआईटी खड़गपुर के इंजीनियरिंग विभाग की मदद से डोंगरी बुजुर्ग खदान में इंजीनियरिंग विश्लेषण के माध्यम से डंप को स्थिर करने के लिए संयुक्त अनुसंधान किया जा रहा है।
5.2	खानों में पर्यावरण निगरानी प्रणाली :	मॉयल खान पर्यावरण मानकों में सुधार के लिए खान प्रदूषण मानकों की निगरानी के लिए सभी खानों में निरंतर वायुमंडलीय वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र (सीएएसीएमएस) स्थापित कर रहे हैं। यह परियोजना दिसंबर 2021 तक पूरी हो जाएगी।
5.3	सतत विकास परिदृश्य	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IIEST) ने प्रायोगिक आधार पर हवा, पानी और शोर मापदंडों की ऑनलाइन निरंतर निगरानी के लिए कांद्री और मनसर खानों में और उसके आसपास पेटेंट सहयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान पूरा कर लिया है। मॉयल-आईआईईएसटी शिबपुर ने संयुक्त रूप से 27.02.2020 को 'रियल-टाइम जीरो वेस्ट वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम' के प्रकाशन के लिए एक पेटेंट दायर किया है। इस परियोजना के मार्च 2021 में पूरा होने की उम्मीद है।
6.0	नदी की रेत और पेटेंट के लिए वैकल्पिक भराव सामग्री के लिए 6 स्तरीय अनुसंधान एवं विकास अध्ययन	खान योजना और डिजाइन विभाग ने मनलर खदान में हाइड्रोलिक परिवहन द्वारा भूमिगत भराव सामग्री के रूप में उपयोग के लिए ओवरबर्डन सामग्री और तल राख के आंतरिक अनुसंधान एवं विकास का अध्ययन किया है और सफल प्रयोगात्मक परीक्षणों के लिए पेटेंट प्राप्त किया है। 13.04.2018 को 'हाइड्रोलिक स्टोविंग इन अंडरग्राउंड माइनिंग एंड इट्स मेथड' शीर्षक के तहत प्रकाशित किया। इससे भविष्य में नदी की रेत के उपयोग को कम करने में मदद मिलेगी। अंतिम परीक्षा रिपोर्ट मार्च 2021 में प्रस्तुत की जाती है। मॉयल को 3 महीने के भीतर पेटेंट मिल जाने की उम्मीद है।
7.0	प्रौद्योगिकी के लिए शैक्षिक/नियामक निकायों के साथ समझौता ज्ञापन :	1. मॉयल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खनन योजना पर काम करने के लिए विभिन्न भू-खनन सॉफ्टवेयर, संख्यात्मक मॉडलिंग, भूवैज्ञानिक मॉडलिंग आदि में कौशल विकास के लिए 3 साल के लिए खनन इंजीनियरिंग विभाग, वीएनआईटी, नागपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश किया है। 2. मॉयल ने रिमोट सेंसिंग और जीआईएस द्वारा आसपास के गांवों में खानों के सामाजिक प्रभाव को जानने के लिए भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), नागपुर के साथ एक संयुक्त उद्यम भी शुरू किया है। माउंटेन बुजुर्ग खदान की सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए अध्ययन के क्षेत्र में एक संयुक्त उद्यम के हिस्से के रूप में ड्रोन सर्वेक्षण भी आयोजित किए जाते हैं।
8.0	वेबिनार में मॉयल की भागीदारी :	मॉयल ने IIT, खड़गपुर, IIWM, बैंगलोर, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित वर्चुअल मोड में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वेबिनार में भाग लिया। ये वेबिनार स्मार्ट खनन तकनीकों, अपशिष्ट प्रबंधन, खनन पर्यावरण आदि पर आयोजित किए जाते हैं। गुमगांव खदान के अध्ययन के लिए प्रबंधन को आईआईडब्ल्यूएम से कचरे के लिए एक व्यवस्थापन की मंजुरी प्राप्त हुई है।
9.0	ईएमडी में गुणवत्ता उन्नयन:	उत्पादन के साथ घरेलू प्रयोगों का परिणाम, MnO_2 लगातार 91.50% (उद्योग 91.0% की तुलना में) से अधिक है। हाल के दिनों में लौह तत्व लगातार <100 पीपीएम (उद्योग की आवश्यकताओं के साथ <150 पीपीएम) पर प्राप्त किया गया है और बड़ी सामग्री, हालांकि वर्तमान में 400 पीपीएम पर उच्च स्तर पर है, जिरकोनियम कैथोड का उपयोग करके <50 पीपीएम तक लाया जा सकता है। इस प्रकार, तकनीकी रूप से, संयंत्र मौजूदा बैटरी निर्माताओं द्वारा आवश्यक वांछित विशेषताओं को पूरा कर सकता है।

अ. क्र.	विवरण	विस्तार में जानकारी

आधुनिक डिजिटल उपकरणों, सॉफ्टवेयर, आधुनिक प्रौद्योगिकी, उद्योग-अकादमिक सहयोग और अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के निरंतर उपयोग के परिणामस्वरूप खनन सुरक्षा, उत्पादकता और पर्यावरण मानकों में सुधार हुआ है। इन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में आधुनिक खनन तकनीक, स्टॉप डिजाइन में बदलाव, लॉन्ग होल ड्रिल और ब्लास्ट तकनीक, एसडीएल द्वारा रोम का यांत्रिक स्थानांतरण, खनन कार्यों में एलएचडी द्वारा अपशिष्ट शामिल हैं।संभालने में मदद की। भूभौतिकीय पूर्वेक्षण के माध्यम से अन्वेषण ने नए पट्टों में कोर ड्रिलिंग के लिए नए क्षेत्र निर्धारित किए हैं। एनआरएससी अध्ययन ने खनिज पट्टों में भविष्य का अनुमान लगाने के लिए नए क्षेत्रों में नए मैंगनीज असर क्षेत्रों को खोजने में मदद की। इससे मैंगनीज खदान में कंपनी की 'माइन टू मिल' तकनीक में सुधार हुआ है। मैंगनीज का उत्पादन बढ़ाने के लिए मॉयल ने गुजरात राज्य में नए क्षेत्रों की खोज शुरू कर दी है। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में जल परियोजनाओं पर शोध के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। इसी तरह मध्यप्रदेश में भी नये खनन पट्टे प्राप्त करने के लिये अनुसंधान किया जायेगा। इससे मॉयल का उत्पादन भी बढ़ेगा।

अ. क्र.	विवरण	विस्तार में जानकारी
(ii)	आयात प्रौद्योगिकी का विवरण	शून्य
(iii)	अनुसंधान एवं विकास पर व्यय (करोड़ में)	6.21

परिशिष्ट - II

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय (करोड़ में)

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा: मॉयल ने कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और कंपनी (सीएसआर) की धारा 135 के तहत प्रदान की गई सीएसआर नीति परिदृश्य के अनुरूप एक सीएसआर और टिकाऊ नीति विकसित की है। निदेशक मंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीएसपीएस) के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार (सीएसपी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीएसआर नीति को मंजूरी दे दी है और नीति नियम, 2014 (नियम) के तहत जारी स्थिरता दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है।) अधिनियम //www.moil.nic.in/userfiles/CSR_and_Sustainability_Policy_of_MOIL.pdf पर उपलब्ध है

2. सीएसआर समिति का गठन वित्तीय वर्ष 2020-21:

अ. क्र.	निदेशकों के नाम	पद / निदेशक की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	डॉ दीपक सिंह	स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष (16.11.2020 से)	2	2
2	श्री मंगेश पी. किनरे*	स्वतंत्र निदेशक-सदस्य	-	-
3	श्री दीपांकर शोम	निदेशक (उत्पादन और योजना) - सदस्य	2	2
4	श्रीमती उषा सिंह	निदेशक (मानव संसाधन) - सदस्य	2	2
5	श्री विजयराघवन एम. चेरीयार	अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष (16.11.2020 तक)	2	2

सदस्य 29.12.2020 से.

3. जहां सीएसआर समिति का गठन किया गया है, वहीं सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित वेब-लिंक निम्नानुसार हैं:

   a) सीएसआर समिति की संरचना- https://www.moil.nic.in/userfiles/Composition_of_Committee.pdf

   b) सीएसआर नीति: https://www.moil.nic.in/userfiles/CSR_and_Sustainability_Policy_of_MOIL.pdf

   c) वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं। 2020-21: https://www.moil.nic.in/userfiles/file/CSR_Projects_20_21.pdf

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसार किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट जोड़ें)। - लागू नहीं।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसार सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई भी।

अ. क्र.	आर्थिक वर्षमागील	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रु. लाख)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित करने के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (लाख रुपये में)
1.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ रु.569.38 करोड़ है (पिछले तीन वर्षों का औसत)

7. (a) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: 11.39 करोड़

   (b) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या पिछले वित्तीय वर्षों की पहल से उत्पन्न अधिशेष

   (c) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो: शून्य

   (d) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर बांड (7a + 7b-7c) 11.39 करोड़ रुपये है

8. (a) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या खर्च नहीं की गई सीएसआर की राशि

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि (रु. लाख में)	अव्ययित (लाख रुपये में)				
	धारा 135 (6) के तहत सीएसआर खाते में हस्तांतरित अव्ययित राशि		धारा 135 (5) में दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि		
	रकम	हस्तांतरण तिथि	निधि का नाम	रकम	हस्तांतरण तिथि
1318.12	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(b) चालू वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान परियोजनाओं के खिलाफ खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण*:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
अ. क्र.	संख्या परियोजना का नाम	अनुसूची VII में गतिविधियों की मद सूची	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. लाख)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए खर्च नहीं की गई सीएसआर खाते में हस्तांतरित	अंमल-बजावणीची पद्धत - थेट (हां/नही)	अंमलबजावणीची पद्धत - अंमलबजावणी एजन्सीद्वारे	
				राज्य	जिल्हा						नाम	सी एस आर नांदणी क्रमांक
1.	ग्राम चकदेही, जिला मंडला (एमपी) यहां सोशल हॉल का निर्माण	अनुसूची VII का खंड X	नहीं	एमपी	मंडला	12 माह	50.00	9.19	0.00	हाँ	-	-
2.	पुरी (ओडिशा) में सामुदायिक भवन का निर्माण।	अनुसूची VII का खुंड X	नहीं	ओडिशा	पुरी	12 माह	50.00	6.72	0.00	हाँ	-	-
3.	डीएवी के सहयोग से मनसर में नए स्कूल का निर्माण।	अनुसूची VII का खंड II	हाँ	महाराष्ट्र	नागपूर	12 माह	1,000.00	237.26	0.00	हाँ	-	-
4.	नागपुर में मूकबधीर बच्चों के लिए सरस्वती मंदिर शैक्षिक संस्थान में अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण	अनुसूची VII का खंड II	हाँ	महाराष्ट्र	नागपूर	12 माह	90.00	17.04	0.00	हाँ	-	-
5.	स्थानीय युवा और ठेका श्रमिकों के कौशल विकास	अनुसूची VII का खंड II	हाँ	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश	नागपूर, भंडारा और बालाघाट	12 माह	30.00	20.64	0.00	हाँ	-	-
6.	साकोली, जिला भंडारा (महाराष्ट्र) में जन स्वास्थ्य केंद्र के लिए सहायता	अनुसूची VII की धारा I	हाँ	महाराष्ट्र	भंडारा	4 माह	9.00	0.00	0.00	हाँ	-	-
7.	30 विद्यालयों में भस्मक के साथ सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों की स्थापना। बालाघाट, भंडारा और नागपुर जिलों में दस-दस स्कूल। एमपी कॉन के सहयोग से	अनुसूची VII का खंड I	हाँ	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश	नागपूर, भंडारा और बालाघाट	6 माह	30.00	22.50	0.00	हाँ	-	-
8.	जिला प्रशासन के सहयोग से गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) में विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सहायता और उपकरणों का प्रावधान	अनुसूची VII का खंड I	नहीं	महाराष्ट्र	गडचिरोली	6 माह	25.00	18.75	0.00	हाँ	-	-
9.	नागपुर शहर के 10 पार्कों में जैविक अपशिष्ट परिवर्तकों की स्थापना। (एएमसी के लिए व्यय)	अनुसूची VII का खंड I	नहीं	महाराष्ट्र	नागपूर	12 माह	5.00	0	0.00	हाँ	-	-
	कुल						**1289.00**	**332.10**				

*** यहां यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि मॉयल ने अपने औसत शुद्ध लाभ के 2% की अनिवार्य आवश्यकता से अधिक स्वेच्छा से अतिरिक्त सीएसआर कार्य लिए हैं। इसके लिए रु. 13.18 करोड़ रुपये के मुकाबले 11.39 करोड़, जो औसत शुद्ध लाभ का 2% है।**

(c) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
अ. क्र.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में खंड के अनुसार गतिविधियों की सूची में आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (लाख रुपये	सीधे आवेदन की विधि (हां / नहीं)	कार्यान्वयन की विधि - कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण क्रमांक
1.	21 चिन्हित गांवों में 2019-2021 की दो साल की विस्तार अवधि के दौरान सामुदायिक विकास परियोजना	अनुसूची VI का खंड X	हां	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश	नागपूर, भंड़ारा और बालाघाट	200.00	नहीं	मित्रा	लागू नहीं
2.	गाव गोबरवाही, जि. भंडारा येथे सामाजिक भवनाचे बांधकाम	अनुसूची VII का खण्ड X	हां	महाराष्ट्र	भंडारा	20.51	हां	-	-
3.	ग्राम बघोली जिला बालाघाट (म.प्र.) में सीमेंट कंक्रीट रोड, बाउंड्री वॉल एवं ड्रेनेज का निर्माण	अनुसूची VII का खंड X	हां	म.प्र.	बालाघाट	6.34	हां	-	-
4	सीतासवंगी और नाकाडोंगरी, जिला भंडारा में सीमेंट कंक्रीट रोड का निर्माण, (महा.)	अनुसूची VII का खंड X	हां	महाराष्ट्र	भंडारा	1.23	हां	-	-
5	मेसर्स द्वारा आयोजित सामुदायिक विकास कार्यक्रम की लेखापरीक्षा	अनुसूची VII का खंड X	हां	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश	नागपूर, भंड़ारा और बालाघाट	2.55	हां	-	-
6	सामुदायिक विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 22 गांवों का बेसलाइन सर्वेक्षण	अनुसूची VII का खंड X	हां	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश	नागपूर, भंड़ारा और बालाघाट	3.41	हां	-	-
7	सीतासवंगी, जिला। भंडारा, महाराष्ट्र में डीएवी पब्लिक स्कूल में आय घाटे को कवर करने के लिए व्यय	अनुसूची II का खंड II	हां	महाराष्ट्र	भंडारा	154.60	हां	-	-
9	बालाघाट, उकवा और डोंगरी बुज़ुर्ग में आरएनटी स्कूलों के अभिभावक	अनुसूची II का खंड II	हां	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश	भंड़ारा और बालाघाट	62.57	हां	-	-
10	प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण पर व्यय	अनुसूची II का खंड II	हां	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश	नागपूर, भंड़ारा और बालाघाट	294.36	हां	-	-

(c) आर्थिक वर्षासाठी चालू असलेल्या प्रकल्पांव्यतिरिक्त इतर खर्च केलेल्या सीएसआर रकमेचा तपशील: (सुरु...)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
अ. क्र.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में खंड के अनुसार गतिविधियों की सूची में आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (लाख रुपये	सीधे आवेदन की विधि (हां / नहीं)	कार्यान्वयन की विधि - कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण क्रमांक
11	सेंट्रल स्कूल बालाघाट (मप्र) मध्ये संरक्षित भिंत बांधणे	अनुसूची VII का खंड II	हां	म.प्र.	बालाघाट	17.71	हां	-	-
12	संघटनेने हाती घेतलेल्या प्रकल्पानुसार बालाघाट (मप्र.)जिल्ह्यातील शिक्षण विभागांतर्गत 33 सरकारी शाळांना एलईडी टेलिव्हिजन संच पुरवणे	अनुसूची VII का खंड II	हां	म.प्र.	बालाघाट	7.46	हां	-	-
13	आम्रपाली उत्कर्ष संस्था, जि.नागपूर येथे वर्ग खोल्यांचे बांधकाम नागपूर	अनुसूची VII का खंड II	हां	महाराष्ट्र	नागपूर	92.95	हां	-	-
14	अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हैदराबाद आणि संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने नर्सिंग अभ्यासक्रमांसाठी सक्षम बालिका योजनेद्वारे मुलींना प्रायोजित करण्याची योजना	अनुसूची VII का खंड I	हां	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश	नागपूर, भंडारा और बालाघाट	40.42	हां	-	-
15	अनवलाझरी आणि भरवेली तसेच भटेरा या गावांच्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी मदत	अनुसूची VII का खंड I	हां	म.प्र.	बालाघाट	6.87	हां	-	-
16	स्थलांतरित कामगार, निराधार व्यक्ती आणि इतर गरजू व्यक्ती आणि कुटुंबांना आमच्या खाणी, कॉर्पोरेट कार्यालय, स्वयंसेवी संस्था, धर्मादाय संस्था, शासकीय संस्था, जिल्हा प्रशासन इत्यादींच्या सहकार्याने साथरोगाच्या काळात अन्न/अन्न पॅकेट वितरण	अनुसूची VII का खंड I	हां	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश	नागपूर, भंडारा और बालाघाट	52.71	हां	-	-
17	बालाघाट जिल्ह्यातील हॉस्पिटलमध्ये आयसीयू वॉर्डला 125 केव्हीए जनरल सेट प्रदान करणे	अनुसूची VII का खंड I	हां	मध्य प्रदेश	बालाघाट	8.50	हां		
18	रामकृष्ण मिशनला वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा	अनुसूची VII का खंड I	नही	पश्चिम बंगाल	बर्दवान	3.00	हां	-	-
19	गाव तिघाई, जि. नागपूर (महा.) येथे शौचालयाचे बांधकाम	अनुसूची VII का खंड I	हां	महाराष्ट्र	नागपूर	8.19	हां	-	-

(c) आर्थिक वर्षासाठी चालू असलेल्या प्रकल्पांव्यतिरिक्त इतर खर्च केलेल्या सीएसआर रकमेचा तपशील: (सुरु...)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
अ. क्र.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में खंड के अनुसार गतिविधियों की सूची में आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (लाख रुपये	सीधे आवेदन की विधि (हां / नहीं)	कार्यान्वयन की विधि - कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण क्रमांक
20	लता मंगेशकर अस्पताल नागपुर जरूरतमंद गरीब रोगियों के सहयोग से (नंबर 132) मोतियाबिंद सर्जरी	अनुसूची VII का खंड I	हां	महाराष्ट्र	नागपूर, भंडारा	2.64	हां	-	-
	कुल *					**986.02**			

*** मॉयल ने स्वेच्छा से अपनी औसत शुद्ध लाभ आवश्यकता से 2% अधिक अतिरिक्त सीएसआर कार्य किए हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि 13.18 करोड़ रुपये की अनिवार्य आवश्यकता के मुकाबले 11.39 करोड़ रुपये का खर्च औसत शुद्ध लाभ का 2% है।**

(d) पप्रशासनिक ओवरहेड में खर्च की गई राशि: शून्य

(e) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: शून्य

(f) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8बी + 8सी + 8डी + 8ई): 1318.11 लाख

(g) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र. सं.	विवरण	राशि (रु. लाख)
(i)	धारा 135 (5) 1138.78 के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	1138.78
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	1318.12
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii) - (i)]	179.34
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या पिछले वित्तीय वर्षों की पहलों के कारण अधिशेष, यदि कोई हो,	0.00
(v)	अगले वित्तीय वर्ष में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii) - (iv)]	179.34

9. (a) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में खर्च नहीं की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	पिछले वित्तीय वर्ष की धारा 135 (6) के तहत खर्च नहीं की गई (रु। लाख में)	वित्तीय वर्ष रिपोर्ट में खर्च की गई राशि (रु. लाख)	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि , यदि ऐसा है			शेष राशि अगले वित्तीय वर्ष में खर्च की जाएगी। (रु. लाख में)
				निधि का नाम	राशि (रु. लाख)	स्थानांतरण की तिथि	
1.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

(b) पिछले वित्तीय वर्ष की चालू परियोजनाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू हुई	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रु. लाख)	वित्तीय वर्ष रिपोर्ट में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रु. लाख में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रु. लाख)	परियोजना की स्थिति - पूर्ण / जारी
1	मॉयल, डीएवी स्कूल, मनसर*	डीएवी 2019-20 के सहयोग से मनसर के रूप में नए स्कूल का निर्माण	2019-20	24 महीने	1000.00	237.26	428.34	चालू है
	कुल	**-**	**-**	**-**	**1000.00**	**237.26**	**428.34**	

* चालू वर्ष के व्यय के लिए तालिका 8 (बी) में संख्या पहले से ही नंबर 3 में शामिल है। इस परियोजना पर 31.03.2021 तक कुल व्यय रु. 428.34 लाख।

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करें (परिसंपत्तिवार विवरण)।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क्र. सं.	(a) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि	(b) भपूंजीगत संपत्ति बनाने या संपादित करने पर खर्च की गई सीएसआर की राशि।	(c) संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	(d) सृजित या अर्जित पूंजीगत संपत्ति का विवरण (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)।
1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के तहत औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रहती है, तो कारणों की व्याख्या करें।

एम. पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(DIN- 05339308)

डॉ. दीपक सिंह
अध्यक्ष, सीएसआर समिति
(DIN-08568480)

परिशिष्ट - III

कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट

"कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कंपनी के प्रबंधन, उनके बोर्ड, उनके शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के बीच संबंधों का एक सेट शामिल है। कॉर्पोरेट प्रशासन कंपनी के उद्देश्यों के लिए एक ढांचा प्रदान करता है और प्रदर्शन को प्राप्त करने और निगरानी करने के साधन निर्धारित करता है।"

- आर्थिक सहयोगिता और विकास के लिए संगठन

मॉयल, एक 'अनुसूची-ए मिनीरत्न श्रेणी-1' कंपनी, एक कुशल, एकीकृत, ईमानदार, जिम्मेदार और नैतिक तरीके से व्यवसाय करने के लिए प्रतिबद्ध है, और उसका मानना है कि कॉर्पोरेट प्रशासन कानून के दायरे से बाहर है। यह प्रबंधन की संस्कृति और मानसिकता से शुरू होता है और इसे केवल कानून द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।

1. कॉर्पोरेट प्रशासन का तत्वज्ञान

अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन कानूनों का पालन करने से परे है और इसमें कंपनी के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता शामिल है। यह प्रतिबद्धता निदेशक मंडल के साथ शुरू होती है, जो कंपनी के सभी सरकारी धारकों के लाभ के लिए कंपनी की रणनीतिक और परिचालन उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अपने दीर्घकालिक लाभों के साथ संतुलित तरीके से काम करती है।

कॉरपोरेट प्रशासन स्थायी मूल्य निर्माण में निरंतर सुधार की यात्रा है और इसे प्राप्त करने का लक्ष्य है। एक नियामक और अनुपालन आवश्यकता के रूप में प्रशासन के पारंपरिक दृष्टिकोण ने कंपनी की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शासन को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। लिस्टिंग विनियम एक पंजीकृत कंपनी के लिए बेंचमार्क अनुपालन नियमों और शासन मानकों के ढांचे को निर्धारित करते हैं। मॉयल न केवल लिस्टिंग विनियमन द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट प्रथाओं का पालन करता है, बल्कि दुनिया भर में उभर रही सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का भी प्रयास करता है। उच्च मानकों को प्राप्त करना, नीति कार्यान्वयन और जोखिम प्रबंधन संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करना और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन को निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान करना हमारा प्रयास है।

2. निदेशक मंडल

मॉयल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अर्थ में एक सरकारी कंपनी है। मॉयल एसोसिएशन के लेख के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति है। तदनुसार, मॉयल बोर्ड के सभी निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस्पात मंत्रालय के माध्यम से नियुक्त किया गया है। 31 मार्च, 2021 तक, मॉयल के निदेशक मंडल में 8 (आठ) निदेशक शामिल हैं, जिनमें से 5 (पांच) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं, 1 (एक) एक पूर्णकालिक निदेशक है, जिसमें सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी निदेशक शामिल हैं। भारत के और 2 (दो) स्वतंत्र निदेशक भी सम्मिलित है। मॉयल बोर्ड की संरचना सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 और कॉरपोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है क्योंकि एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित चार और स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता थी।

2.1 मॉयल के निदेशक मंडल की संरचना

31 मार्च, 2021 को निदेशक मंडल की श्रेणीबद्ध संरचना इस प्रकार है।

पूर्णकालिक निदेशक

1. श्री एम. पी. चौधरी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2. श्री दीपांकर शोम, निदेशक (उत्पादन एवं योजना)
3. श्री राकेश तुमाने, निदेशक (वित्त)
4. श्रीमती उषा सिंह, निदेशक (मानव संसाधन)
5. श्री पीवीवी पटनायक, निदेशक (वाणिज्य)

प्रमोटर मनोनीत निदेशक

1. श्री टी. श्रीनिवास, भारत सरकार द्वारा नामांकित

स्वतंत्र निदेशक

1. श्री मंगेश पी. किनरे
2. डॉ दीपक सिंह

2.2 बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, अंतिम एजीएम, कंपनी के अन्य निदेशकों की संख्या और 2020-21 के दौरान समिति की सदस्यता/अध्यक्षता वर्ष 2020-21

के दौरान 18.06.2020, 20.08.2020, 28.10.2020, 12.02.2021, 26.03.2021 को पांच (5) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं।

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित	बोर्ड की बैठकों की संख्या	अंतिम एजीएम में उपस्थिति	अन्य निदेशकों की संख्या	समिति सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या**	
					अध्यक्षता समिति	समिति सदस्यता
	31.03.2021 को					
I.पूर्णकालिक निदेशक:						
श्री एम. पी. चौधरी (DIN-05339308) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	5	5	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री दीपांकर शोम (DIN-06435854) निदेशक (उत्पादन और योजना)	5	4	हां	2	शून्य	1
श्री राकेश तुमाने (DIN-06639859) निदेशक (वित्त)	5	5	हां	2	शून्य	1
श्रीमती. उषा सिंह (DIN-08307456) निदेशक (मानव संसाधन)	5	5	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री पीव्हीव्ही पटनायक (DIN-08734778) निदेशक (वाणिज्य) (01.08.2020 से)	4	4	लागू नहीं	2	शून्य	शून्य
श्री टी. के. पटनायक (DIN-07081231) निदेशक (वाणिज्य) (31.07.2020 तक)	1	1	हां	शून्य	शून्य	1
II. सरकार द्वारा नामित निदेशक :						
श्री टी. श्रीनिवास (DIN-07238361) (भारत सरकार द्वारा नामांकित)	5	4	नहीं	1	शून्य	शून्य
III. स्वतंत्र संचालक :						
श्री मंगेश पी. किनरे (DIN-08514820)	5	5	हां	शून्य	1	1
डॉ दीपक सिंह (DIN-08568480)	5	5	हां	शून्य	1	1
श्री विजयराघवन एम. चेरियार (DIN-06554220) (16.11.2020 तक)	3	3	हां	2	शून्य	1

* अन्य कंपनियों में प्राप्त अंतिम प्रकटीकरण के अनुसार कंपनी को निदेशक और कंपनी की अध्यक्षता/सदस्यता दी गई है।

** मॉयल लिमिटेड एवं अन्य कंपनियों के ऑडिट कमेटी और हितधारक संबंध कमेटी की सदस्यता / अध्यक्षता को ही शामिल किया गया है।

2.3 मॉयल के निदेशकों सहित अन्य पंजीकृत कंपनियों के नाम, निदेशकों की श्रेणी सहित (31.03.2021 तक)

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	मॉयल को छोड़कर पंजीकृत कंपनी का नाम	संचालक पद की श्रेणी
1.	श्री एम. पी. चौधरी	शून्य	लागू नहीं
2.	श्री दीपांकर शोम	शून्य	लागू नहीं
3.	श्री राकेश तुमाने	शून्य	लागू नहीं
4.	श्रीमती उषा सिंह	शून्य	लागू नहीं
5.	श्री पीव्हीव्ही पटनायक	शून्य	लागू नहीं
6.	श्री टी. श्रीनिवास	केआयओसीएल लिमिटेड	नामित निदेशक
7.	श्री मंगेश पी. किनरे	शून्य	लागू नहीं
8.	डॉ दीपक सिंह	शून्य	लागू नहीं

बोर्ड की वर्तमान स्थिति कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर उपलब्ध है।

३. समिती

बोर्ड समितियां विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें सौंपे गए अधिकार के साथ महत्वपूर्ण निर्णय लेती हैं। बोर्ड की प्रत्येक समिति अपने चार्टर के अनुसार काम करती है। कंपनी अधिनियम 2013 और कॉरपोरेट प्रशासन पर लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार इसकी संरचना, कार्यक्षेत्र, अधिकार और भूमिका निर्धारित करता है। वर्तमान में कंपनी की निम्नलिखित बोर्ड समितियां हैं :

3.1 बोर्ड की लेखापरीक्षण समिति

लेखा परीक्षा समिति कंपनी के लेखांकन, लेखा परीक्षण और रिपोर्टिंग प्रथाओं की गुणवत्ता और अखंडता की निगरानी करने और कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन की जिम्मेदारी में बोर्ड की सहायता करती है। कंपनी की लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करना, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टों का ऑडिट करना, स्वतंत्रता, वैधानिक लेखा परीक्षकों का प्रदर्शन और पारिश्रमिक, आंतरिक लेखा परीक्षकों का प्रदर्शन, कंपनी जोखिम प्रबंधन नीतियां आदि।

वर्तमान में समिति में तीन सदस्य हैं। उनमें से दो स्वतंत्र निदेशक हैं और एक कार्यकारी निदेशक है। लेखा परीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 और लिस्टिंग विनियम 18 के नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। 31.03.2021 तक समिति का विवरण इस प्रकार है।

A. संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम

1. श्री मंगेश पी किनरे - अध्यक्ष
2. डॉ दीपक सिंह - सदस्य
3. श्री दीपांकर शोम - सदस्य

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

B. साल भर बैठकें और उपस्थिति

समीक्षा वर्ष में समिति की 6 बैठकें 18.06.2020, 23.07.2020, 20.08.2020, 27.10.2020, 18.12.2020 और 12.02.2021 को आयोजित की गईं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	समिति सदस्य के कार्यकाल के दौरान	आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री मंगेश पी किनरे	6	6
डॉ दीपक सिंह	6	6
श्री दीपांकर शोम (20.08.2020 से)	3	3
श्री विजयराघवन एम. चेरियार (16.11.2020 तक)	4	4
श्री टी. के. पटनायक (31.07.2020 तक)	2	2

C. भूमिका/संदर्भ का संक्षिप्त विवरण

लेखापरीक्षण समिति की भूमिका/संदर्भ में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करें और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी वित्तीय जानकारी का खुलासा करें कि वित्तीय विवरण सटीक, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं।
2. सिफारिश करना, नियुक्त करना, पुनर्नियुक्ति करना और, यदि आवश्यक हो, सांविधिक लेखा परीक्षक को बोर्ड में स्थानांतरित करना या हटाना और लेखा परीक्षा शुल्क और नियुक्ति की शर्तें, जैसा लागू हो, तय करना।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा बोर्ड को प्रदान की गई अन्य भुगतान सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के निर्णयों का अनुमोदन करना।
4. ऑडिटर की स्वतंत्रता और प्रदर्शन और ऑडिट प्रक्रिया की कार्यशैली की समीक्षा और निगरानी।
5. वित्तीय विवरण की जांच और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
6. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के व्यवहार की मान्यता या बाद में कोई परिवर्तन;
7. अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की समीक्षा;
8. कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां आवश्यक हो;

9. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं का मूल्यांकन;

10. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, प्रबंधन सहित विशेष संदर्भ के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए:

    a) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के मद्देनजर निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों की निहित देयता को विवरण में शामिल किया जाना चाहिए।

    b) लेखांकन नीतियां और तरीके और परिवर्तन के कारण, यदि कोई हों

    c) प्रबंधन द्वारा निर्णय के आधार पर अनुमानों वाले प्रमुख लेखा रिकॉर्ड

    d) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय रिपोर्ट में महत्वपूर्ण समायोजन

    e) वित्तीय विवरणों, लागू कानूनों और अन्य कानूनी आवश्यकताओं से संबंधित सूची का अनुपालन

    f) संबंधित किसी भी पक्ष के लेनदेन का प्रकटीकरण

    g) यदि पात्र हैं, / संशोधित राय (वोट) मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में।

11. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करें

12. प्रबंधन, किसी मुद्दे (सार्वजनिक मुद्दे, अधिकारों का मुद्दा, प्राथमिकता, आदि) द्वारा उठाए गए धन के उपयोग / आवेदन की समीक्षा, विवरण / प्रॉस्पेक्टस / प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लेखित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि का नोटिस और द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक या हकदार आय के उपयोग की निगरानी करने वाला संगठन इस मामले में कार्रवाई के लिए बोर्ड को रिपोर्ट करना और उचित सिफारिशें करना।

13. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता सहित सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रबंधन, स्वतंत्रता और प्रदर्शन की समीक्षा।

14. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना सहित आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी के कर्मचारियों और वरिष्ठता, संरचना के दायरे और आंतरिक लेखा परीक्षा की आवृत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए।

15. आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या सांविधिक लेखापरीक्षकों के परामर्श से किन्हीं महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर चर्चा करें और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करें।

16. एक आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा किसी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करने के लिए, जहां एक भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं में एक संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या विफलता है, और मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करने के लिए।

17. लेखापरीक्षा शुरू करने से पहले, सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ-साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ-साथ लेखापरीक्षा के बाद चर्चा, यदि कोई हो, के साथ चर्चा करें।

18. जमाकर्ता, डिबेंचर धारक, शेयरधारक (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और उधारकर्ता, यदि कोई हो, भुगतान में सकल त्रुटि के कारण का पता लगाने के लिए।

19. व्हिसल ब्लोअर प्रणाली के संचालन की समीक्षा करें।

20. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति/नियुक्ति की स्वीकृति।

21. सीएजी लेखापरीक्षा लेखापरीक्षा टिप्पणियों/टिप्पणियों की अनुवर्ती कार्रवाई, कार्रवाई की समीक्षा।

22. लोक गारंटी संबंधी संसदीय समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों का पालन करते हुए निम्नलिखित कार्रवाइयों, यदि कोई हों, की समीक्षा करना।

23. स्वतंत्र/सांविधिक लेखा परीक्षकों, अंतर-निरीक्षकों, यदि कोई हो, और निदेशकों के बीच संचार प्रदान करें।

24. परिदृश्य की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र/सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा/समन्वय लेखा परीक्षा कार्य, व्यर्थ प्रयासों को कम करना और सभी लेखा परीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग।

25. एक स्वतंत्र/सांविधिक लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करें और समीक्षा करें:

    अ) कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, और

    ब) प्रबंधन प्रतिक्रियाओं सहित स्वतंत्र / वैधानिक लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों की प्रासंगिक प्रतिक्रियाएं और सिफारिशें।

26. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षकों और स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करना:

    अ) पिछले लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित पूरे वर्ष में महत्वपूर्ण निष्कर्ष।

    ब) कार्य के क्षेत्र में किसी भी प्रतिबंध के साथ आवश्यक जानकारी तक पहुंच यदि लेखा परीक्षा कार्य के दौरान कोई कठिनाई उत्पन्न होती है।

27. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे लागू हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों और प्रक्रियाओं, यदि कोई हो, की समीक्षा करें।

28. विस्तार परियोजनाओं की प्रगति, संयुक्त उद्यम, विशिष्ट कार्य के लिए वाहन, यदि कोई हो, आवधिक समीक्षा

29. यदि कंपनी का प्रदर्शन परिचालन लाभ अनुपात में कमी या बिक्री में कमी के मामले में निराशाजनक है, तो इसकी समीक्षा करें और बोर्ड को आवश्यक निर्देश दें।

30. लेखा परीक्षा समिति द्वारा दिए गए संदर्भ की शर्तों के भीतर या बोर्ड द्वारा निर्देशित किसी भी अन्य कार्य को करने के लिए।

31. निम्नलिखित जानकारी की अनिवार्य समीक्षा:

    i. वित्तीय स्थिति और अभियान के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;

    प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण प्रासंगिक पार्टी लेनदेन का विवरण (जैसा कि लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित किया गया है);

    ii सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;

    iii आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित अंतर्गत लेखापरीक्षण रिपोर्ट;

    iv. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, हटाने और पारिश्रमिक की शर्तें लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होगी।

    v. मुख्य कार्यकारी / मुख्य वित्त अधिकारी के वित्तीय विवरणों का प्रमाण पत्र / घोषणा

    vi विचलन रिपोर्ट:

    (a) निगरानी एजेंसी के साथ विचलन का त्रैमासिक विवरण, यदि विनियमन 32 (1) के अनुसार सबस्टॉक एक्सचेंज (s) पर लागू होता है।

    (b) विनियम 32 (7) के संदर्भ में प्रस्ताव दस्तावेज़ / प्रॉस्पेक्टस / नोटिस में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली निधियों का वार्षिक विवरण।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

इस संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178, लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार समिति का गठन किया गया है।

A. संदर्भित शर्तों का संक्षिप्त विवरण

समिति के अनुसार,

1. वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतनमान तथा कार्यपालक अधिकारियों एवं असंगठित पर्यवेक्षकों के बीच निर्धारित सीमा के भीतर इसके वितरण की नीति का निर्धारण।
2. कर्मचारियों के वेतन/वेतन सुधार की अनुशंसा
3. अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करना जिन पर कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देश और सूची नियम और अन्य सरकारी दिशानिर्देश लागू हो सकते हैं और निर्धारित किए जा सकते हैं।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में, निदेशक की नियुक्ति, कार्यकाल, प्रदर्शन मूल्यांकन, मानदेय आदि भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं।

B. 31.03.2021 को समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

1. डॉ दीपक सिंह - अध्यक्ष
2. श्री मंगेश पी किनरे - सदस्य
3. श्री टी. श्रीनिवास - सदस्य

C. समिति की बैठकें

प्रतिवेदन अवधि के दौरान दिनांक 28.07.2020 को समिति की पहली बैठक हुई, जिसका विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	समिति सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित	बैठकों में उपस्थिति
डॉ. दीपक सिंह	1	1
श्री विजयराघवन एम. चेरियार (16.11.2020 तक)	1	1
श्री मंगेश पी किनरे	1	1
श्री टी. श्रीनिवास (दि. 29.12.2020 से)	शून्य	लागू नहीं

D. पारिश्रमिक नीति

चूंकि मॉयल एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है।

अधिकारियों का मानदेय पुनरावृत्ति पर सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है और कंपनी के अन्य कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण उनकी यूनियन के साथ हर 10 साल में किए गए वेतन निपटान समझौते के अनुसार किया जाता है।

E. सीएमडी और परिचालन निदेशकों को पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सीएमडी और कार्यकारी निदेशक के पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	वेतन	लाभ	पीएफ और अन्य फंड	प्रदर्शन दावों का प्रचार	कुल
1.	श्री एम. पी. चौधरी अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	24,45,427	5,11,698	5,36,666	24,92,618	59,86,409
2.	श्री टी के पटनायक निदेशक (वाणिज्य) 31.07.2020 तक	12,34,527	45,935	1,78,203	6,16,710	20,75,374
3.	श्री दीपांकर शोम निदेशक (उत्पादन और योजना)	41,41,324	1,36,911	4,64,008	16,56,235	63,98,478
4.	श्री राकेश तुमाने निदेशक (वित्त)	37,00,190	6,25,727	4,94,112	19,19,774	67,39,803
5.	श्रीमती उषा सिंह निदेशक (मानव संसाधन)	42,96,842	7,76,442	5,11,251	18,22,808	74,07,344
6.	श्री पीव्हीव्ही पटनायक निदेशक (वाणिज्य) (01.08.2020 से)	26,73,522	55,412	2,88,840	13,84,946	44,02,720
7.	नीरज दत्त पाण्डेय (कंपनी सचिव)	22,89,984	15,749	2,54,205	4,84,894	30,44,832

टीप: 1. उपयुक्त मामलों में वेतन को पिछले वर्ष के प्रदर्शन से संबंधित वेतन के लिए समायोजित किया जाता है।

2. बोनस/कमीशन: शुन्य, स्टॉक विकल्प: कोई स्टॉक विकल्प नहीं

गैर-कार्यकारी निदेशक जिनका बोर्ड/समिति की बैठक में भाग लेने के संबंध में उनकी फीस / पुनर्वितरण के अलावा कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध या व्यवहार नहीं है।

कार्यवाहक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। स्वतंत्र निदेशकों को आम तौर पर तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

बोर्ड और उसकी समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता होती है। जिन्हें 20,000 (बीस हजार) मानदेय दिया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार आयोजित स्वतंत्र निदेशकों की बैठक के लिए एक निश्चित शुल्क का भुगतान भी किया जाता है। वित्तीय वर्ष में स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

स्वतंत्र निदेशकों के नाम	डॉ दीपक सिंग	श्री मंगेश पी किनारे	श्री विजयराघवन एम. चारीयार
बैठने की फीस राशि	3,40,000	3,00,000	2,20,000

निदेशकों को भुगतान के मानदंड मॉयल की वेबसाइट www.moil.nic.in पर प्रदर्शित किए गए हैं।

3.3 हितधारक संबंध समिति

समिति को शेयरधारकों और निवेशकों के अनुरोधों/शिकायतों जैसे शेयरों के हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होना आदि के समाधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंपनी का एजेंट (RTA), और निवेशकों को सेवा स्तरों में सुधार के लिए निरंतर मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। बोर्ड आरटीए और/या कंपनी सचिव को प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को मंजूरी देने के लिए अधिकृत करता है।

A. संदर्भ की शर्तों का संक्षिप्त विवरण

समिति के दायित्व इस प्रकार हैं।

(i) निवेशक शिकायतों का निवारण

(ii) शेयरों का आवंटन, शेयरों का हस्तांतरण या हस्तांतरण, डिबेंचर या किसी अन्य प्रतिभूतियों का अनुमोदन\

(iii) डुप्लीकेट प्रमाण पत्र और नए प्रमाण पत्र विभाजन / समेकन / नवीनीकरण आदि।

(iv) घोषित लाभांश, कंपनी की बैलेंस शीट की प्राप्ति न होना

(v) सेबी (एलओडीआर), विनियम 2015/किसी अन्य प्रासंगिक नियम, जो समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, द्वारा कवर किए गए किसी भी अन्य कार्यों को करना।

(vi) कोई अन्य मामला जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया गया हो।

B. समिति की संरचना:

31.03.2021 को समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. डॉ.दीपक सिंह - अध्यक्ष

2. श्री मंगेश पी किनरे - सदस्य

3. श्री राकेश तुमाने - सदस्य

C. बैठक और उपस्थिति:

वर्ष 2020-21 के दौरान 20.10.2020 को स्टेकहोल्डर्स कमेटी की (एक) बैठक हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	समिति सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित	बैठकों में उपस्थिति
डॉ दीपक सिंह	1	1
श्री मंगेश पी किनरे	1	1
श्री राकेश तुमाने	1	1
श्री टी के पटनायक 31.07.2020 तक	-	लागू नहीं

D. अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम:

श्री नीरज दत्त पाण्डेय, कंपनी सचिव, कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं।

E. निवेशकों के शिकायतों का सारांश

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कंपनी और रजिस्ट्रार ने निवेशकों की शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लिया है। शिकायतों का विवरण इस प्रकार है।

क्र. सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1	1 अप्रैल 2020 को बैलेंस	0
2	वर्ष के दौरान प्राप्त	1
3	वर्ष के दौरान समाधान	1
4	31 मार्च, 2021 तक प्रलंबित	0

3.4 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

सीएसआर और स्थायी नीति बनाने/समीक्षा करने, सीएसआर की प्रगति की निगरानी करने और स्थायी कार्य को मंजूरी देने की दृष्टि से इसे पारित करना सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। सभी सीएसआर और स्थायी प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखे जाने से पहले समिति को प्रस्तुत किए जाते हैं और समिति उचित समझे जाने पर बोर्ड को काम की सिफारिश करती है।

A. संदर्भ की शर्तों का संक्षिप्त विवरण

समिति की जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

(i) सीएसआर और कंपनी की स्थिरता नीति की समीक्षा, यदि आवश्यक हो,

(ii) सीएसआर और स्थिरता पर किसी भी कानून के अनुसार डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करें,

(iii) मॉयल बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर और स्थायी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी,

(iv) सीएसआर और स्थायी नीति के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं/योजनाओं के अनुमोदन के लिए सिफारिश करना,

(v) बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित डीपीई दिशानिर्देश, कंपनी अधिनियम, 2013 में लागू और निर्धारित अन्य मामले।

B. समिति की संरचना

31.03.2021 को समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. डॉ दीपक सिंह - अध्यक्ष
2. श्री मंगेश पी किनरे-सदस्य
3. श्री दीपांकर शोम-सदस्य
4. श्रीमती उषा सिंह-सदस्य

कंपनी का कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

C. समिति की बैठकें

सीएसआर समिति ने वित्तीय वर्ष 09.09.2020 और 20.10.202011 में दो बैठकें कीं। समिति के सदस्यों और बैठक में भाग लेने का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	समिति सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित	बैठकों में उपस्थिति
डॉ दीपक सिंह	2	2
श्री मंगेश पी किनरे (29.12.2020 से)	शून्य	लागू नहीं
श्री दीपांकर शोम	2	2
श्रीमती. उषा सिंह	2	2
श्री विजयराघवन एम. चेरियार (16.11.2020 तक)	2	2

3.5 जोखिम प्रबंधन समिति :

मॉयल उन शीर्ष 500 पंजीकृत कंपनियों में से एक है जिनके पास जोखिम प्रबंधन समिति होनी चाहिए। तदनुसार, कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

A. संदर्भ की शर्तों का संक्षिप्त विवरण

वर्तमान में, समिति की भूमिका में अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल होंगे:

(1) एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन रणनीति विकसित करें जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:

(a) कंपनी के सामने आने वाले आंतरिक और बाहरी खतरों की पहचान करने के लिए एक ढांचे में, विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थायी (विशेष रूप से, पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम द्वारा निर्धारित कोई अन्य जोखिम समिति हो सकती है।

(b) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए तंत्र और प्रक्रियाओं सहित जोखिमों को कम करने के उपाय।

(c) व्यापार निरंतरता योजना।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाएं, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं;

(3) जोखिम प्रबंधन प्रणाली के पर्याप्त मूल्यांकन सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और निगरानी करना;

(4) बदलते उद्योग की गतिशीलता और विकसित जटिलता को ध्यान में रखते हुए, हर दो साल में कम से कम एक बार जोखिम प्रबंधन नीति की आवधिक समीक्षा;

(5) निदेशक मंडल को उसकी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और सामग्री के बारे में सूचित करना;

(6) मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, हटाने और मुआवजे की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।

(7) जोखिम प्रबंधन समिति, निदेशक मंडल के ढांचे में, ऐसी समितियों की गतिविधियों को अन्य समितियों के साथ समन्वयित करेगी, यदि कोई कवरेज है।

(8) अन्य भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर लागू कानून/नियमों/विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।

B. समिति की संरचना

31.03.2021 को समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. श्री राकेश तुमाने-अध्यक्ष
2. श्री दीपांकर शोम-सदस्य
3. श्रीमती उषा सिंह-सदस्य
4. श्री पीव्हीव्ही पटनायक- सदस्य

C. समिति की बैठकें

वित्तीय वर्ष में 30.09.2020 को समिति की बैठक हुई।
समिति के सदस्यों और बैठक में भाग लेने का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	समिति सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित	बैठकों में उपस्थिति
श्री दीपांकर शोम	1	1
श्री राकेश तुमाने	1	1
श्रीमती. उषा सिंह	1	1
श्री पीव्हीव्ही पटनायक	1	1
श्री टी. के. पटनायक	शून्य	लागू नहीं

- उपरोक्त के अलावा, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक वर्ष के दौरान 26.03.2021 को आयोजित की गई थी।
- उपर्युक्त समितियों की वर्तमान स्थिति कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर दी गई है।

4 सामान्य कार्यकारी बैठक

4.1 कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	तिथि	समय	स्थान	विशेषप्रस्ताव
2019-20	29 सितंबर,2020	सुबह 11.30	मॉयल लिमिटेड, मॉयल भवन, 1A, काटोल रोड, नागपूर - 440 013	शून्य
2018-19	6 सितंबर,2019	सुबह 11.30	मॉयल लिमिटेड, गोल्डन जुबली हॉल, वेस्ट कोर्ट परिसर, जेड.पी. ऑपोजिट (पूर्व सरकार) हाई स्कूल, काटोल रोड, नागपूर - 440 013	हाँ
2017-18	27 सितंबर,2018	सुबह 11.30	मॉयल लिमिटेड, गोल्डन जुबली हॉल, वेस्ट कोर्ट परिसर, जेड.पी. ऑपोजिट (पूर्व सरकार) हाई स्कूल, काटोल रोड, नागपूर - 440 013	शून्य

4.2 रिपोर्ट के अनुसार, 2020-21 की अवधि के दौरान डाक मतपत्र द्वारा कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। आगामी वार्षिक आम बैठक में डाक मतपत्र द्वारा कोई विशेष प्रस्ताव पेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

5. सहायक / संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनी की जानकारी

मॉयल की कोई सहायक कंपनी नहीं है। हालाँकि,सेल और मॉयल फेरो अलॉयज प्रा. लिमिटेड दो संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं। लिमिटेड और रिनमोइल फेरो अलॉयज प्रा. लिमिटेड दोनों कंपनियों के बीच कोई व्यवसाय नहीं था, इसलिए बोर्ड ने दोनों संयुक्त उद्यमों को फास्ट ट्रैक एक्जिट मोड में बंद करने का फैसला किया जहां प्रक्रिया चल रही थी। कंपनी सामग्री सहायकों को नियुक्त करने पर लागू नहीं होती है।

6. प्रकटीकरण

(i) कंपनी ने कोई महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। बहरहाल, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का खुलासा खातों में नोट्स में किया गया है जो 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा हैं। कंपनी की एक प्रासंगिक पार्टी लेनदेन नीति है और इसे अपनी वेबसाइट www.moil.nic.in पर अपलोड कर दिया है।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों या स्टॉक एक्सचेंज के नियमों और विनियमों या सेबी या बोर्ड की संरचना के गैर-अनुपालन को छोड़कर किसी भी वैधानिक प्राधिकरण और दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है। इन प्राधिकरणों ने पिछले तीन वर्षों में पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में कंपनी पर कोई सख्त नियम या दंड नहीं लगाया है। निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर पूरे वर्ष कॉरपोरेट प्रशासन पर लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का कोई अनुपालन नहीं देखा गया है। इस संबंध में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई ने प्रत्येक वर्ष के लिए पेनल्टी लेटर जारी किए हैं। हालांकि, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज की वर्क आउट नीति के अनुसार जुर्माने की छूट के लिए एक अनुरोध प्रस्तुत किया है।

(iii) गैर-कार्यकारी निदेशक कंपनी में कोई शेयर या परिवर्तनीय लिखत नहीं रखते हैं।

(iv) कंपनी के किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है

(v) कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशक अपनी नियुक्ति के समय और हर साल यह घोषणा करते हैं कि वे कानून द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। बोर्ड इसकी समीक्षा करता है और उसकी राय है कि स्वतंत्र निदेशक अधिनियम और सूची नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं

(vi) वर्ष के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने इस्तीफा नहीं दिया है।

(vii) निदेशकों के बीच कोई संबंध नहीं है।

(viii) समितियों की सभी सिफारिशों को वर्ष भर में स्वीकार कर लिया गया है।

(ix) व्हिसल ब्लोअर नीति: कंपनी की एक व्हिसल ब्लोअर नीति है और इसे इसकी वेबसाइट www.moil.nic.in पर प्रकाशित किया जाता है। कंपनी के पास किसी भी अनैतिक व्यवहार, प्रत्यक्ष या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता के उल्लंघन को देखने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की अध्यक्षता में एक सक्षम और स्वतंत्र सतर्कता विभाग है। और सभी कर्मचारी अपनी शिकायतों, शिकायतों आदि के लिए सतर्कता विभाग तक पहुँच प्राप्त कर रहे हैं।

(x) कंपनी ने रु। 8.30 लाख सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षा और उनके द्वारा वर्ष भर प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं के लिए।

(xi) कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013 के संबंध में विस्तृत खुलासे बोर्ड की रिपोर्ट में दिए गए हैं।

(xii) निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, सतर्कता तंत्र, प्रासंगिक पार्टी मामलों, स्वतंत्र निदेशकों, निदेशकों और वरिष्ठों की जिम्मेदारियों के संबंध में 17 से 27 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताएं, मॉयल ने बोर्ड की संरचना को छोड़कर प्रबंधन का पालन किया है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है।

(xiii) मॉयल लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रकटीकरण के संबंध में विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (बी) से (i) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं का भी अनुपालन किया गया है।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां: आवश्यक नहीं है क्योंकि मॉयल के पास विदेशी मुद्रा नहीं है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनिवार्य और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाना

मॉयल ने इन्वेंट्री नियमों (ऊपर उल्लिखित को छोड़कर) में सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची V में निर्धारित गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के संबंध में, कंपनी द्वारा स्वीकृत / अनुपालन किए गए क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

1. चूंकि अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक कंपनी का पूर्णकालिक कर्मचारी है, इसलिए अध्यक्ष के कार्यालय के स्वतंत्र रखरखाव की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, इसलिए किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने दस साल से अधिक समय तक कार्य नहीं किया है।
2. कंपनी एक अर्ध-वार्षिक वित्तीय प्रदर्शन रिपोर्ट नहीं भेजती है जिसमें पिछले छह महीनों की महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश प्रत्येक शेयरधारक के घर भेजा जाता है क्योंकि कंपनी तिमाही वित्तीय परिणामों की घोषणा करती है और इसे स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी की वेबसाइट पर शेयरधारकों के लिए अपलोड किया जाता है ।
3. कंपनी हमेशा गलत वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास करती है
4. आवश्यकता पड़ने पर आंतरिक लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करें।

7. संचार का अर्थ

7.1 कंपनी आम तौर पर प्रमुख राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार पत्रों [अर्थात इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड, हितवाद], मराठी (लोकमत, नागपुर, नवराष्ट्र,) और हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में त्रैमासिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम प्रकाशित करती है। (अर्थात, नवभारत, दैनिक भास्कर, लोकमत समाचार)।

7.2 ये अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर भी पोस्ट किए जाते हैं।

7.3 कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों और अपनी वेबसाइट के माध्यम से आधिकारिक समाचार, प्रमुख कार्यक्रम, प्रदर्शन, प्रदर्शन, प्रस्तुतीकरण आदि प्रदान करती है।

8. सामान्य हितधारक जानकारी

8.1 वार्षिक सर्वसाधारण सभा.

तिथि	दिन	समय	स्थान
29 सितंबर,2021	बुधवार	सुबह 11:30 बजे	मॉयल लिमिटेड, मॉयल भवन, 1 -A, काटोल रोड, नागपूर - 440 013

8.2 वित्तीय वर्ष

कंपनी ने एक वित्तीय वर्ष अपनाया जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है।

8.3 पुस्तक समापन तिथि

कंपनी ने बहीखाता बंद नहीं किया है, हालांकि अंतिम लाभांश का भुगतान करने के लिए रिकॉर्ड तिथि 10 सितंबर, 2021 होगी।

8.4 लाभांश के भुगतान की तिथि

लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर शेयरधारक को लाभांश का भुगतान/भेज दिया जाता है।

8.5 वर्ष के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों को लेनदेन से निलंबित नहीं किया गया था।

8.6 मॉयल कर्ज मुक्त कंपनी है, इसलिए साल 2020-21 में किसी क्रेडिट रेटिंग की जरूरत नहीं पड़ी।

8.7 स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग

मॉयल के शेयर 15 दिसंबर 2010 को पंजीकृत किए गए थे। एक्सचेंज और स्टॉक कोड का विवरण इस प्रकार है:

स्टॉक एक्सचेंज	शेयरों के प्रकार	स्टॉक कोड
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	इक्विटी शेयर	533286
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	इक्विटी शेयर	MOIL- EQ

उपरोक्त दोनों एक्सचेंजों को वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया गया है।

बाजार मूल्य डेटा: पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रत्येक माह के दौरान उच्च, निम्न:

महीना	एनएसई		बीएसई	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल, 2020	146.00	100.00	145.45	99.65
मई, 2020	139.00	120.30	138.65	120.35
जून, 2020	170.00	127.85	169.80	127.85
जुलाई, 2020	157.00	136.15	156.35	135.55
अगस्त, 2020	163.90	136.50	164.20	136.50
सितंबर, 2020	157.40	136.10	157.10	136.45
अक्टूबर, 2020	144.95	125.80	144.55	128.20
नवंबर, 2020	130.50	120.60	130.80	119.00
दिसंबर, 2020	149.00	122.50	148.90	123.00
जनवरी, 2021	159.50	133.50	159.45	133.70
फरवरी, 2021	156.95	135.40	156.85	135.35
मार्च, 2021	177.90	135.10	177.75	135.25

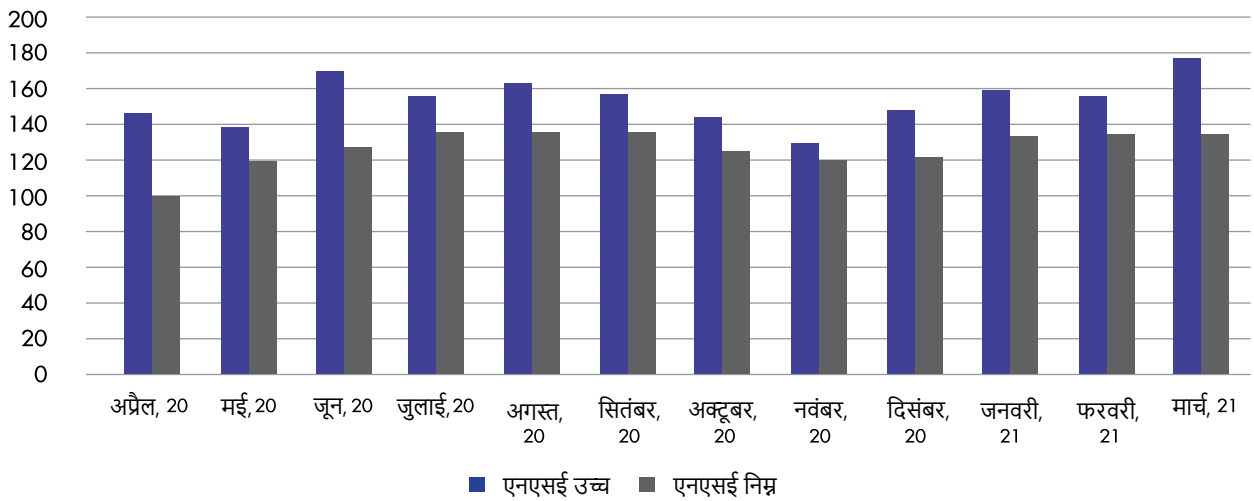

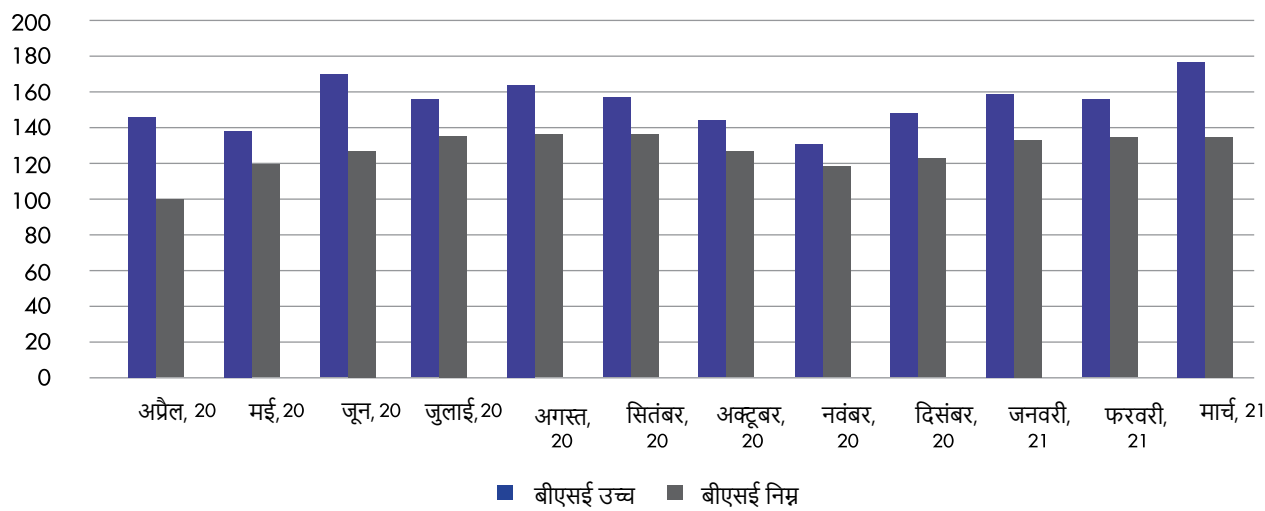

8.8 एन.एस.ई और बी.एस.ई पर व्यापक आधारित सूचकांकों की तुलना

महीना	एनएसई		बीएसई	
	निफ्टी	मॉयल	सेंसेक्स	मॉयल
अप्रैल, 2020	9859.90	129.50	33717.62	129.70
मई, 2020	9580.30	126.95	32424.10	126.90
जून, 2020	10302.10	140.80	34915.80	140.70
जुलाई, 2020	11073.45	143.35	37606.89	143.55
अगस्त, 2020	11387.50	147.45	38628.29	147.80
सितंबर, 2020	11247.55	140.25	38067.93	140.25
अक्टूबर, 2020	11642.40	128.50	39614.07	128.70
नवंबर, 2020	12968.95	123.65	44149.72	123.80
दिसंबर, 2020	13981.75	143.05	47751.33	143.10
जनवरी, 2021	13634.60	135.15	46285.77	135.15
फरवरी, 2021	14529.15	150.45	49099.99	150.30
मार्च, 2021	14690.70	150.55	49509.15	150.35

8.9 शेयर और ट्रांसफर एजेंट का नाम और पता

बिगशेयर सर्विसेज प्रा. लिमिटेड
पहली मंजिल, भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग,
वसंत ओएसिस मकवाना रोड के सामने
मरोल, अंधेरी ईस्ट मुंबई 400059
टेलीफोन: 91-22-022-62638200 / 68
फॅसिमाइल: 91-22-022-62638299
ई-मेल: investor@bigshareonline.com

8.10 शेयर ट्रांसफर सिस्टम

भौतिक खंड में संपूर्ण शेयर हस्तांतरण उपक्रम बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट है। लिमिटेड शेयर ट्रांसफर सिस्टम में ट्रांसफर डीड / फॉर्म, शेयर ट्रांसफर की रसीद, सत्यापन, ट्रांसफर रिमाइंडर तैयार करना आदि शामिल हैं।) अंशधारक संबंध समिति/बोर्ड की बैठक में शेयरों का स्थानांतरण/प्रेषण सारांश रखा जाता है। कंपनी लिस्टिंग रेगुलेशन के रेगुलेशन 40 (10) के तहत कंपनी सेक्रेटरी से शेयर ट्रांसफर औपचारिकताओं के अनुपालन का अर्ध-वार्षिक प्रमाण पत्र प्राप्त करती है और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ उस सर्टिफिकेट की एक प्रति फाइल करती है। हालांकि, सेबी गजट अधिसूचना दिनांक 8 जून, 2018 के अनुसार, नो-फ्रिल्स शेयरों को स्थानांतरित किया जा सकता है।

8.11 बोर्ड और लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए अंतिम कैलेंडर:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	बैठक की अपेक्षित तिथि
30 जून, 2021	अगस्त, 2021 का पहला/दूसरा सप्ताह
30 सितंबर, 2021	नवंबर 2021 का पहला/दूसरा सप्ताह
दिसंबर 31, 2021	फरवरी, 2022 का पहला/दूसरा सप्ताह
31 मार्च, 2022	मई 2022 का दूसरा/तीसरा सप्ताह

उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

शेयरधारिता का वितरण

अ. 31 मार्च, 2021 को होल्डिंग के आकार के अनुसार प्रतिशत

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	% शेयरधारक	शेयरधारकों की कुल संख्या	% शेयर
1-5000	256354	99.7246	29113053	12.2670
5001- 10000	397	0.1544	2857248	1.2039
10001-20000	149	0.0580	2108660	0.8885
20001-30000	53	0.0206	1288751	0.5430
30001-40000	24	0.0093	824963	0.3476
40001-50000	11	0.0043	501037	0.2111
50001-100000	30	0.0117	1909417	0.8045
100001 & above	44	0.0171	198724750	83.7343
कुल	**257062**	**100**	**237327879**	**100**

ब 31 मार्च, 2021 तक शेयरधारिता का सारांश

श्रेणी	समभागों की संख्या	शेअर होल्डिंग का %
केंद्र/राज्य सरकार (प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह)	152729899	64.35
सार्वजनिक (स्वतंत्र)	34865187	14.69
बीमा कंपनियाँ	25559458	10.77
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	11202967	4.72
म्युचुअल फंड	6556071	2.76
कॉर्पोरेट संस्थान	2399129	1.01
एनआरआई	1863874	0.79
समाशोधन सदस्य	1348919	0.57
वैकल्पिक निवेश कोष	415000	0.17
वित्तीय संस्थान	236443	0.10
कर्मचारी	67666	0.03
आईईपीएफ	35910	0.02
गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	24700	0.01
ट्रस्ट	22656	0.01

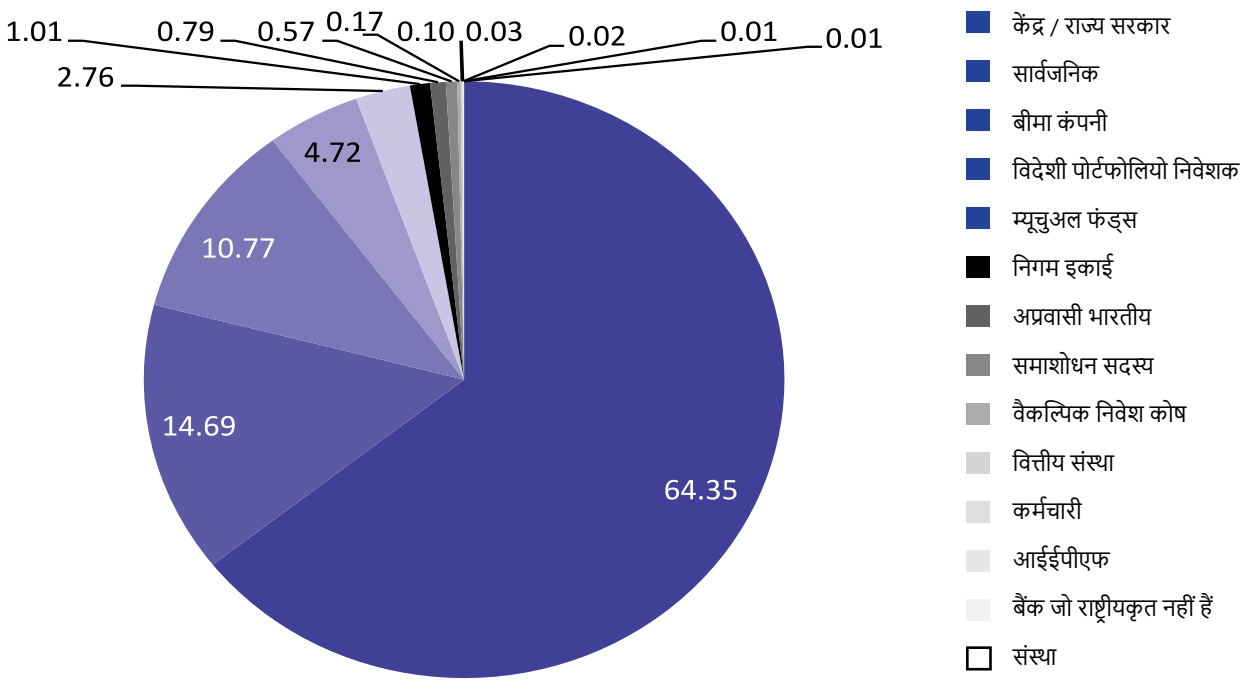

8.12 शेयरों का अभौतिकीकरण और तरलता

कंपनी के शेयर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के साथ डीमैटरियलाइज्ड हैं।

31.03.2021 को डीमैटरियलाइज्ड और फिजिकल मोड में शेयरों की संख्या:

श्रेणी	शेअर्स की संख्या	जारी किये पूंजी का %
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में शेयर	1,63,38,907	6.88
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में शेयर	22,09,88,314	93.12
फिजिकल मोड में शेअर्स	658	उपेक्षणीय
कुल	**23,73,27,879**	**100.00**

कंपनी के इक्विटी शेयर भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों, यानी एनएसई और बीएसई पर तरल और सक्रिय रूप से बेचे गए शेयरों में हैं।

8.13 उत्कृष्ट जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव:

कंपनी द्वारा जारी कोई जीडीआर / एडीआर / वारंट या परिवर्तनीय उपकरण नहीं।

8.14 उचंत खाता शेयरों का विवरण:

सस्पेंस खाते में शेयरों का विवरण इस प्रकार है।

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
01.04.2020 को निलंबन खाते में कुल शेयरधारकों की संख्या और बकाया शेयरों की संख्या	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान सस्पेंस खाते से शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए कंपनी द्वारा संपर्क किए गए शेयरधारकों की संख्या	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान सस्पेंस खाते से शेयर स्थानांतरित करने वाले शेयरधारकों की संख्या	शून्य	शून्य
दावा न किए गए सस्पेंस खाते में स्थानांतरित किए गए शेयर	शून्य	शून्य
31.03.2021 को सस्पेंस खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयरों की संख्या	शून्य	शून्य

8.15 खदानें, संयंत्रों और पवन फार्मों का स्थान

खदानों की सूची

क्र. सं.	खदानों का नाम और पता
	महाराष्ट्र
1.	चिकला खदान, डाकघर.- चिकला, तह.-तुमसर, जिला- भंडारा, महाराष्ट्र, पिन-441904
2.	डोंगरी बुजुर्ग खदान, डाकघर - डोंगारी बुजुर्ग, तह. तुमसर, जिला - भंडारा, महाराष्ट्र, पिन-441907
3.	बेलडोंगरी खदान, डाक बंगला -सटुक, ताहा, - रामटेक, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-440401
4.	कांद्री खदान, डाक बंगला -कांदरी , तह.- रामटेक, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-441401
5.	मनसर खदान,डाक बंगला - मानसर, तह.- रामटेक, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-441106
6.	गुमगांव खदान, डाक बंगला -खापा, ताह -.- सावनेर, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-441101
7.	परसोदा खदान: ग्राम परसोदा, तहसील रामटेक, जिला नागपुर, महाराष्ट्र पिन-441101
	मध्यप्रदेश
1.	बालाघाट खदान, डाक बंगला भारवेली, जिला-बालाघाट, एमपी, पिन-481102
2.	उकवा माइनिंग, डाकघर।- उकवा, जिला- बालाघाट, म.प्र., पिन-481105
3.	टिरोडीमाइन, डाक बंगला तिरोड़ी, जिला - बालाघाट, म.प्र. , पिन-481449
4.	सीतापातोर खदान डाक बंगला सुकली, जिला - बालाघाट, मध्य प्रदेश, पिन-418449
	संयंत्र
1.	फेरो मँगनीज प्लांट 12000 (TPY) क्षमता, बालाघाट
2.	इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) संयंत्र (1500 टीपीवाई) क्षमता, पहाड़ी बुजुर्ग

पवन ऊर्जा परियोजनाओं की सूची

1.	नागदा हिल्स, जिला- देवास, म.प्र.	क्षमता 4.8 मेगावाट
2.	रतेदी हिल्स, जिला- देवास, म.प्र.	क्षमता 15.2 मेगावाट

8.16 पत्राचार के लिए पता

पंजीकृत कार्यालय:

कंपनी सचिव

मॉयल लिमिटेड,

"मॉयल भवन"

1-ए, काटोल रोड, नागपूर- 440 013

टेलीफैक्स - 0712 2806182/100

ईमेल: investors@moil.nic.in

वेबसाइट: www.moil.nic.in

9. आचार संहिता

कर्मचारियों के लिए आचरण के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए मॉयल के प्रयासों के हिस्से के रूप में सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों के लिए एक 'व्यावसायिक आचार संहिता और आचार संहिता' लागू की गई है। इस संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर पोस्ट की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों ने मॉयल की व्यापार आचार संहिता और आचार संहिता का पालन किया है।

घोषणा

जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों के लिस्टिंग रेगुलेशन की अनुसूची V के भाग D में प्रदान किया गया है, कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 'व्यावसायिक आचार संहिता और आचार संहिता' के अनुपालन की पुष्टि की है।

मॉयल लिमिटेड के लिए

स्थान: नागपूर

दिनांक: 24.08.2021

एम पी चौधरी

अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक

(DIN-05339308)

10. सीईओ / सीएफओ प्रमाणपत्र

जैसा कि विनियम 17 (8) लिस्टिंग नियमों की आवश्यकता है, कंपनी के सीईओ और सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है।

11. निदेशकों के लिए परिवारीकरण कार्यक्रम

बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की प्रथाओं और प्रथाओं से परिचित कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज / ब्रोशर, रिपोर्ट और आंतरिक नीतियां प्रदान की जाती हैं। कंपनी विभिन्न बाहरी संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपने निदेशकों को भी नामित करती है। कंपनी और व्यापार समिति की बैठकों में, कंपनी के व्यापार और प्रदर्शन अद्यतन, कारोबारी माहौल, व्यापार रणनीति और इसमें शामिल जोखिमों पर समय-समय पर प्रस्तुतियां दी जाती हैं। कंपनी के व्यावसायिक विभागों पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ भी वर्ष भर आयोजित स्वतंत्र निदेशकों की अलग-अलग बैठकों में की जाती हैं। प्रासंगिक वैधानिक परिवर्तनों पर अद्यतन के निदेशक को सूचित किया जाता है। निदेशकों को कंपनी के कामकाज को समझने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न खानों का साइट दौरा किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों के लिए ऐसे परिचित कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है और इसे https://moil.nic.in/userfiles/MOIL%20Website-Inential%20Directors%20training%20programme.pdf पर देखा जा सकता है।

12. प्रमुख बोर्ड कौशल, विशेषज्ञता और प्रतिस्पर्धा

बोर्ड ने कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में व्यक्तिगत निदेशकों के लिए आवश्यक प्रमुख कौशल / दक्षताओं / क्षमताओं की पहचान की है और निदेशकों के पास निम्नलिखित कौशल / दक्षता / क्षमताएं हैं:

कौशल्य/निपुण/क्षमता		संचालकांची नावे
नेतृत्व / प्रशासन	महत्वपूर्ण उपक्रमों के लिए विस्तारित उद्यमी/नेतृत्व का अनुभव। अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को विकसित और कार्यान्वित करें, बोर्ड और प्रबंधन जिम्मेदारियों को बनाए रखें, हितधारक हितों का प्रबंधन करें, और ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, नियामक निकायों और उन समुदायों के संबंध में कंपनी की जिम्मेदारियों को संभालें जिनमें यह संचालित होता है। विचार, अनुभव, ज्ञान, परिप्रेक्ष्य, लिंग और संस्कृति की विविधता।	श्री एम. पी. चौधरी, श्री टी. श्रीनिवास श्री टी. के. पटनायक श्री दीपांकर शोम श्री राकेश तुमाने श्रीमती. उषा सिंह श्री पीव्हीव्ही पटनायक श्री विजयराघवन एम श्री मंगेश पी. किनरे डॉ दीपक सिंह
वाणिज्यिक / विपणन	विपणन रणनीतियों और रणनीतियों, खरीद के निर्माण और कार्यान्वयन सहित विपणन अभियान	श्री एम. पी. चौधरी श्री टी. के. पटनायक श्री पीव्हीव्ही पटनायक
उत्पादन नियोजन	संगठन, प्रक्रिया, रणनीतिक योजना और जोखिम प्रबंधन, योजना और ड्राइविंग परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास की व्यावहारिक समझ।	श्री एम. पी. चौधरी श्री टी. के. पटनायक श्री दीपांकर शोम श्री पीव्हीव्ही पटनायक
वित्त	लेखांकन और वित्त, व्यावसायिक निर्णय, सामान्य प्रबंधन विधियों और प्रक्रियाओं में ज्ञान और कौशल	श्री एम. पी. चौधरी श्री राकेश तुमाने श्री मंगेश पी. किनरे
मानव संसाधन	उद्योग ज्ञान, मार्को-आर्थिक दृष्टिकोण, मानव संसाधन, श्रम कानून और प्रथाएं, कर्मचारी नियोजन, मुआवजा, लाभ, प्रशिक्षण और विकास, बजट और श्रम संबंध, प्रतिभा विकसित करने की क्षमता।	श्री दीपांकर शोम श्रीमती. उषा सिंह श्री टी. श्रीनिवास श्री विजयराघवन एम चेरियार डॉ दीपक सिंह

13. लागू कानूनों के अनुपालन की समीक्षा

बोर्ड ने समय-समय पर कंपनी पर लागू सभी लागू कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की है और सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

14. लेखापरीक्षक के अनुपालन का प्रमाण पत्र

कंपनी के लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र, सीएस अमित राजकोटिया एक अभ्यास कंपनी सचिव जो कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करता है, लिस्टिंग विनियम V की अनुसूची V के अनुसार इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

सीईओ और सीएफओ प्रमाणन

प्रति,

निदेशक मंडल

मॉयल लिमिटेड

नागपूर

(a) हमने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरणों की समीक्षा की है:

(i) इन बयानों में कोई भौतिक असत्य नहीं है या किसी भी भौतिक तथ्यों को छोड़ना नहीं है या भ्रामक बयान शामिल हो सकते हैं;

(ii) ये बयान सामूहिक रूप से कंपनी के संचालन के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।

(b) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी ने वर्ष 2020-21 में कोई भी लेनदेन नहीं किया है जो धोखाधड़ी, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन है।

(c) हम वित्तीय रिपोर्टों के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टों से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन किया है और हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को डिजाइन में कमियों का खुलासा किया है। या आंतरिक नियंत्रण का अभियान, यदि कोई हो, जिसके बारे में हम जानते हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने क्या कदम उठाए हैं या प्रस्तावित किए हैं।

(d) हमने लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा समिति को अधिसूचित किया है:

(i) वर्ष 2020-21 के दौरान वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं;

(ii) वर्ष 2020-21 में लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है और वित्तीय नोटों में उनका खुलासा किया गया है; और

(iii) हम महत्वपूर्ण धोखाधड़ी से अवगत नहीं होने के उदाहरण बन गए हैं, जिनके बारे में हमें पता चला है, जिसमें प्रबंधन या कर्मचारियों की भागीदारी शामिल है, जो वित्तीय निवेश पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यदि कोई हो।

स्थान : नागपूर
दिनांक: 04.06.2021

राकेश तुमाने
निदेशक (वित्त)
(DIN-06639859)

एम.पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(DIN- 05339308)

कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए व्यावसायिक कंपनी सचिव का प्रमाणन

प्रति,

सदस्य

मॉयल लिमिटेड

CIN: L99999MH1962GOI012398

1-ए, काटोल रोड,

नागपूर - 440013

अधिनियम के विनियम 17 से 27 के उप-विनियम (2) की धारा (बी) से (i) के तहत, मॉयल लिमिटेड कंपनी को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का पालन करने के लिए परीक्षण किया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अनुसूची पांच दंड (सूचीबद्ध देयता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूची विनियमन') के नियम 46 और पैराग्राफ सी, डी और ई और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश, सरकार भारत, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), नई दिल्ली द्वारा जारी

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा और इसके कार्यान्वयन तक सीमित थी जैसा कि कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार किया गया था। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में कोई ऑडिट या राय व्यक्त नहीं करता है।

हमारी राय और हमें दी गई हमारी सर्वोत्तम जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और निदेशकों और प्रबंधन और कॉर्पोरेट मामलों और प्रतिभूति मंत्रालय और भारतीय विनिमय बोर्ड द्वारा देश या दुनिया में कोविड -19 संक्रामक रोग के प्रसार को देखते हुए दी गई छूट का विचार कर गारंटी दी गई।

हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सेबी सूची विनियमन और कॉर्पोरेट प्रशासन शर्तों का अनुपालन किया है और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए दिशानिर्देश भारत सरकार, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए हैं।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता या उस दक्षता या प्रभावशीलता की गारंटी नहीं देता है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी को चलाया है।

सीएस अमित के. राजकोटिया
कंपनी सचिव
एफसीएस नंबर: 5561 सीपी नंबर: 5162
UDIN: F005561C000589793

दिनांक: 07/07/2021
नागपूर

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र

(सेबी नियम 34 (3) और अनुसूची V पैराग्राफ सी सेक्शन (10) (i) (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार)

सदस्यों के लिए,

मॉयल लिमिटेड

CIN: L99999MH1962GOI012398

1-ए, काटोल रोड,

नागपूर -440013

हमने मॉयल लिमिटेड के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिनके पास सीआईएन एल99999एमएच1962जीओआई012398 है और जिनका पंजीकृत कार्यालय 1-ए कटोल रोड, नागपुर- 440 013 (बाद में 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) में है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34 (3) के अनुसार, इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से विनियम, 2015 नुसार कंपनी द्वारा मेरे सामने प्रस्तुत किया गया।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और सत्यापन के अनुसार (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) जैसा कि आवश्यक समझा गया और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा COVID-19 महामारी के प्रसार के कारण दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी के बोर्ड में कोई भी निदेशक वित्तीय वर्ष के लिए नीचे बताए गए अनुसार नहीं है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या ऐसे किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	डीआयएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि *
1.	श्री मुकुंद प्रभाकर चौधरी	05339308	01/09/2016
2.	श्री दीपांकर शोम	06435854	12/09/2017
3.	श्री राकेश तुमाने	06639859	28/09/2017
4.	श्रीमती उषा सिंह	08307456	18/12/2018
5.	श्री श्रीनिवास तातिपमाला	07238361	11/10/2017
6.	श्री मंगेश पांडुरंग किनरे	08514820	21/10/2019
7.	श्री दीपक सिंह	08568480	21/10/2019
8.	श्री पीव्हीव्ही पटनायक	08734778	01/08/2020

* नियुक्ति की तिथि एमसीए पोर्टल के अनुसार है।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारे सत्यापन के आधार पर इस पर टिप्पणी करना हमारी जिम्मेदारी है। यह प्रमाणपत्र कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता या उस दक्षता या प्रभावशीलता की गारंटी नहीं देता है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी को चलाया है।

सीएस अमित के.राजकोटिया
कंपनी सचिव
एफसीएस क्रमांक: 5561 सीपी क्रमांक: 5162
UDIN: F005561C000589804

दिनांक: 07 /07/2021
नागपूर

फॉर्म नंबर MR-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी नियम संख्या 9 (प्रबंध स्टाफ की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार]

प्रति
सदस्य,
मॉयल मर्यादित
नागपूर (एमएच)

हमने 'मॉयल लिमिटेड' (इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित) के लागू वैधानिक प्रावधानों और अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन का एक सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है। एक तरीका जो हमें 'मॉयल लिमिटेड' की किताबें, दस्तावेज, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न जमा करके और कंपनी के अन्य रिकॉर्ड की जांच करके कॉर्पोरेट संचालन / वैधानिक अनुपालन पर हमारी राय का मूल्यांकन और व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है। और सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

तदनुसार और बाद की रिपोर्टों के अधीन:

1. हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जाँच की है। :

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

ii. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

iii. डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और इसके तहत बनाए गए नियम और उपनियम;

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम), 1999 और इसके तहत बनाए गए नियम और विनियम और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी व्यापार उधार की सीमा तक बने नियम और विनियम;

v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निम्नलिखित नियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं: -

(a) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहण का व्यापक अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(b) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार प्रतिबंध), 2015;

(c) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018;

(d) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014: - **समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।**

(e) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूची) विनियम, 2008: - **यह समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होता है।**

(f) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कंपनियों और कानून हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) कंपनी अधिनियम 1993 और ग्राहकों से संबंधित लेनदेन से संबंधित विनियम

(g) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूची) विनियम, 2009 समीक्षा: **समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।**

(h) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 2018; **जो समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होता है,**

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;

(j) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश।

vi अन्य कानून विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं जैसा कि प्रबंधन द्वारा इंगित किया गया है: -

(a) खनन अधिनियम, 1952

(b) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957

(c) लौह अयस्क खान मैंगनीज खनिज और क्रोम धातु खान श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम, 1976।

2. हमने निम्नलिखित खंडों के कार्यान्वयन की भी जांच की है:

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii. कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए अनुबंधों की सूची।

समीक्षा की अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के आधार पर नियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

a. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(बी) के नियमों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या के संबंध में बोर्ड की संरचना का पालन नहीं किया जाता है। हम जानते हैं कि एनएसई और बीएसई ने उपरोक्त नोटिस जारी किए हैं। गैर-अनुपालन और आगे के लिए, बीएसई ने कंपनी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर जून, 2020 से दिसंबर, 2020 तिमाही में लगाए गए जुर्माने को भी माफ कर दिया है।

b. नियम 17 (1) (ए) सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कम से कम गैर-कार्यकारी निदेशकों के संबंध में बोर्ड की संरचना का पालन नहीं किया जाता है।

c विनियम 17(1)(ए) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान एक महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के संबंध में बोर्ड की संरचना का अनुपालन नहीं किया गया है।

d इस्पात मंत्रालय, सरकार के निर्देशों के अनुसार, भारत के और बोर्ड के अनुमोदन से कंपनी ने भारत सरकार के प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम केयर्स फंड) में राहत के लिए 45.00 करोड़ रु. का योगदान दिया है। इसके अलावा कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष में 5.00 करोड़ रुपये का भी योगदान दिया है। इस प्रकार 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही में 50.00 करोड़ रु. का कुल योगदान दिया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 181 के प्रावधानों के अनुसार, सामान्य बैठक में सदस्यों की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है यदि कंपनी किसी भी वित्तीय वर्ष में धर्मार्थ निधि और राशि के लिए राशि का योगदान करती है। , तीन ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए अपने औसत शुद्ध लाभ के पांच प्रतिशत से अधिक। वर्तमान मामले में 50.00 करोड़ रुपये का योगदान पूर्वोक्त सीमा से अधिक है और कंपनी ने 29 सितंबर 2020 को आयोजित एजीएम में सदस्यों की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की।

3. हम आगे रिपोर्ट करते हैं

कंपनी के निदेशक मंडल को कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था, सिवाय इसके कि स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या के संबंध में बोर्ड की संरचना के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया था विनियमन 17 (1) (बी) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 31 मार्च, 2021 को समाप्त समीक्षा अवधि के दौरान, आधे निदेशक गैर कार्यकारी निदेशक नहीं हैं और विनियम 17(1) (ए) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड के अनुसार कोई स्वतंत्र महिला निदेशक भी नहीं है।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठक का शेड्यूल, एजेंडा तैयार करने के पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं. और एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे और बैठक से पहले एजेंडा पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

कार्यवृत्त के भाग के रूप में जहां आवश्यक हो, असहमति रखने वाले सदस्यों के मतों को रिकॉर्ड और रिकॉर्ड किया जाता है।

4. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के पास लागू कानूनों, विनियमों, नियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आयामों और संचालन के संबंध में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

के लिये,
पी.एस. त्रिपाठी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

स्थान : इंदौर
दिनांक: 08/07/2021
UDIN: F005812C000595478

प्रतीक त्रिपाठी
भागीदार
C.P. नंबर 5358

ध्यान दें:

I रिपोर्ट की समीक्षा इस रिपोर्ट से जुड़ी उसी तारीख की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट के साथ की जाती है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

ii. कोविड-19 की संक्रामक बीमारी और सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण, कंपनी द्वारा ई-मेल के माध्यम से जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। और कंपनी द्वारा ईमेल द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और सूचनाओं के आधार पर एक सचिवीय लेखा परीक्षा की जाती है और दस्तावेजों को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बिना किसी भौतिक सत्यापन के किया जाता है।

सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट का परिशिष्ट

प्रति
सदस्य,
मॉयल लिमिटेड
नागपूर

हमारी समसामयिक तिथि रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. सचिव के अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन सचिवों के अभिलेखों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर टिप्पणी करना हमारा उत्तरदायित्व है।
2. सचिव के अभिलेखों में अभिलेखों की सामग्री का उचित आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए हमने लेखापरीक्षा विधियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक परीक्षण-सत्यापन किया गया था कि सचिव के रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं कि हम जिन प्रक्रियाओं और विधियों का पालन करते हैं, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं। हमारी रिपोर्ट सचिव के रिकॉर्ड पर आधारित है।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की सटीकता और वैधता को सत्यापित नहीं किया है।
4. प्रबंधन कॉर्पोरेट और अन्य विशेष रूप से लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है। हमारी परीक्षाएं परीक्षण के आधार पर सत्यापन की प्रक्रिया तक सीमित थीं। हम सामान्य प्रकृति के कानूनों से नहीं गुजरे हैं और कंपनी पर लागू होते हैं।
5. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता या प्रबंधन द्वारा कंपनी का काम करने के तरीके की दक्षता या प्रभावशीलता की गारंटी नहीं देती है।
6. जहां आवश्यक हो, हमें प्रबंधन कानून के नियमों और विनियमों के अनुपालन की घोषणाएं प्राप्त हुई हैं।

पी.एस. त्रिपाठी एंड एसोसिएट्स के लिये
कंपनी सचिव

स्थान: इंदौर
दिनांक: 08/07/2021

प्रतीक त्रिपाठी
भागीदार
C.P. क्रमांक 5358
UDIN: F005812C000595478

परिशिष्ट - IV

2020-21 के लिए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रस्तावना

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर) का उद्देश्य कारोबारी माहौल में विकास, पिछली रिपोर्ट की तुलना में कंपनी के प्रदर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण को स्पष्ट करना है। एमडीएआर बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है। कंपनी का प्रदर्शन मांग, आपूर्ति, मौसम की स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक परिस्थितियों, सरकारी नियमों और नीतियों, करों, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं सहित विभिन्न कारकों से संबंधित है, जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं और कंपनी के महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं। संचालन। परिणामस्वरूप, इस रिपोर्ट में भविष्यवाणियों, दृष्टिकोणों, अपेक्षाओं, भविष्यवाणियों आदि के संबंध में कुछ कथन अंततः वास्तविकता से भिन्न हो सकते हैं।

A. उद्योग संरचना और बाजार की स्थिति

भारत एक बड़ी आबादी वाली विकासशील अर्थव्यवस्था है। वांछित आर्थिक विकास के लिए नए बुनियादी ढांचे, नए / बड़े / छोटे शहरों, मशीनरी और विनिर्माण में अधिक लोगों को रोजगार देने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है।

विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा कोविड -19 के प्रसार के कारण अपरिहार्य लॉकडाउन ने पूरी अर्थव्यवस्था में नुकसान और अनिश्चितता उत्पनन कर दी है, जिसने पूरे स्पेक्ट्रम के व्यवसायों को एक बड़ा झटका दिया है। भारत में कई इलाकों को भारी नुकसान हुआ है और स्टील उद्योग भी लॉकडाउन की चपेट में आने वालों की सूची में है।

मार्च 2020 तक भारत विस्तार मोड में था, हालांकि, कोविड के प्रभाव तथा लॉकडाऊन के कारण लगभग सब ठप हो गया था। श्रम की कमी और कार्यालय बंद होने के कारण तथा अंतरराज्यीय सीमाओं के बंद होने के कारण आपूर्ति में व्यवधान ने 20 अप्रैल से जून 2020 तक आर्थिक चक्र को पंगु बना दिया है। कमजोर घरेलू मांग और बड़ी सूची के गठन के साथ, वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं कम हुईं।

2020 में वैश्विक कच्चे इस्पात का उत्पादन 1.864 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 2019 की तुलना में लगभग 0.9% कम है। हालांकि, कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादक चीन ने 5.2% की वृद्धि दर्ज की। भारत का इस्पात उत्पादन 2019 में 111.35 मिलियन टन से घटकर 2020 में 99.6 मिलियन टन हो गया है, जिसमें लगभग 10.55% की नकारात्मक वृद्धि हुई है, लेकिन भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है।

2020-21 के दौरान कोविड संचारी रोग ने इस्पात उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और इसके प्रसार को रोकने के लिए खपत और लॉकडाउन आवश्यक है। तैयार इस्पात का संचयी उत्पादन 94.66 मिलियन टन था जो पिछले वर्ष (सीपीएलवाई) की तुलना में 7.76% कम था। इसी अवधि के दौरान 93.43 मिलियन टन की खपत CPLY की तुलना में 6.73% कम थी।

2020-21 के दौरान, भारत के 10.79 मिलियन टन तैयार स्टील के निर्यात में 29.08% की वृद्धि हुई, जबकि 4.75 मिलियन टन के आयात में CPLY की तुलना में 29.77% की गिरावट आई। वर्ष के दौरान, 2.84 मीट्रिक टन (MT) की तुलना में 2019-20 में मैंगनीज का आयात 3.95 मीट्रिक टन था।

भारत की राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 का लक्ष्य 2030 तक 30 करोड़ टन इस्पात उत्पादन क्षमता तक पहुंचना है। इसके परिणामस्वरूप लौह अयस्क, कोकिंग कोल, लिग्नाइट आदि सहित स्टील बनाने के लिए कच्चे माल का अतिरिक्त उपयोग होगा। इस्पात उत्पादन और लौह मिश्र धातु उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन लोहा और इस्पात उद्योग के विकास से संबंधित हैं। प्रचुर संसाधनों के साथ, भारत में मैंगनीज और फेरो मिश्र धातु उद्योग के विकास की काफी संभावनाएं हैं। देश में इस्पात उत्पादन में देरी और उच्च गुणवत्ता वाली धातुओं की कम उपलब्धता के कारण मैंगनीज का आयात बढ़ रहा है।

उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत में इस्पात उद्योग अगले कुछ वर्षों में दोहरे अंकों में बढ़ने की उम्मीद है जो निश्चित रूप से मैंगनीज की मांग पैदा करेगा।

बी. सटीक विश्लेषण

मॉयल की प्रतिस्पर्धी ताकत

- देश में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश में मैंगनीज के बड़े भंडार (~ 50%) के साथ।
- देश में उच्च / मध्यम ग्रेड मैंगनीज धातु के कुल प्रदर्शित भंडार में से अधिकांश
- उच्च निवल मूल्य और शून्य ऋण के साथ मजबूत वित्त
- उत्कृष्ट कार्य संस्कृति और शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंधों के साथ योग्य तकनीकी रूप से कुशल जनशक्ति की उपलब्धता।
- मैंगनीज जमा मध्य भारतीय मैंगनीज बेल्ट में है, जिसमें जमा सामान्य, नियमित आकार के होते हैं।
- कंपनी को साजो-सामान का लाभ मिला है, क्योंकि इसकी सभी खदानें राज्य/राष्ट्रीय राजमार्गों से अच्छी तरह जुड़ी हुई हैं। इसकी अधिकांश खदानें दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे नेटवर्क के साथ हैं और रेलवे साइडिंग से आपूर्ति की जाती हैं।
- मॉयल एक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल खनन कंपनी है।

दुर्बलता

- नई खनन पट्टों को प्राप्त करने में देरी से नई खदानों के शुरू होने में देरी, कंपनी के विस्तार/निवेश योजनाओं को प्रभावित करती है।
- चूंकि कंपनी मुख्य रूप से एक एकल निर्माण कंपनी है, मैंगनीज धातु उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव कंपनी के मुनाफे को प्रभावित करता है।

  मॉयल की खदानों में अयस्क का आकार संकीर्ण है और इसलिए पूर्ण मशीनीकरण अपेक्षाकृत कठिन है।
- जमा की गहराई बढ़ने, नियमित कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के साथ-साथ संविदा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन में संशोधन के कारण उत्पादन की लागत भी बढ़ेगी।
- विश्व प्रतिस्पर्धा की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाले मैंगनीज भंडार

  मॉयल का मुख्य उत्पादन भूमिगत खदानों से होता है, जहां उत्पादन लागत खुली खदानों की तुलना में अधिक है और लागत बढ़ रही है, लागत का एक बड़ा हिस्सा जनशक्ति लागत है। यूजी माइनिंग की कीमत में कोई भी वृद्धि मार्जिन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
- भारत-चीन संबंधों की व्यापकता के कारण बालाघाट खदान में परियोजनाओं, विशेष रूप से हाई स्पीड शाफ्ट में देरी, क्योंकि शाफ्ट सिंकिंग एक चीनी कंपनी के साथ एक संघ द्वारा किया जा रहा है।
- खदानों, विशेष रूप से भूमिगत खानों के विकास के लिए शुरू की गई परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और अनुमानित लागत स्थायी है, क्योंकि कोई भी कमी कुछ प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है।

अवसर

- सरकार घरेलू और विदेशी दोनों स्रोतों से भारतीय इस्पात क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और निवेश उद्देश्यों के त्वरित कार्यान्वयन की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि घरेलू मांग को पूरा करने और आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वांछित कच्चे इस्पात क्षमता स्तर को प्राप्त किया जा सके। राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुसार अपेक्षित उत्पादन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट और आवश्यक बुनियादी ढाँचा।
- भारत ने 2030-31 तक 300 मिलियन टन कच्चे इस्पात की क्षमता का लक्ष्य रखा है जिससे मैंगनीज की उच्च मांग पैदा होगी।

  मॉयल भारत में मैंगनीज खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो देश के उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा है। लगभग 91.29 मिलियन टन मैंगनीज के भंडार और संसाधनों के साथ, यह भारत की बढ़ती इस्पात मांग को भुनाने लायक है।
- भारतीय मैंगनीज अयस्क बाजार में मांग-पक्ष की बड़ी कमी आयात प्रतिस्थापन के अवसर प्रदान करती है।
- मजबूत वित्तीय, यानी बड़े नकद भंडार बड़ी निवेश योजनाओं के लिए जाने का अवसर प्रदान करते हैं। मॉयल पहले से ही अपनी मौजूदा खानों के विकास में बड़े निवेश की योजना बना रहा है जिससे मैंगनीज की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। इसने बालाघाट और गुमगांव खानों में फेरो मिश्र धातु संयंत्र स्थापित करके अपने फेरो मिश्र धातु व्यवसाय का विस्तार करने का निर्णय लिया है।
- अतीत में, 814.71 हेक्टेयर क्षेत्र नागपुर और भंडारा जिलों में मैंगनीज अयस्क की पूर्वेक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा मॉयल के पक्ष में आरक्षित किया गया था। हाल ही में, अन्वेषण और अपेक्षित मंजूरी के बाद, 126.84 हेक्टेयर के संबंध में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) दी गई है। क्षेत्र, जो मॉयल की गुमगांव खदान से सटा हुआ है। यह कंपनी की एक नई खान (12वीं खान) और स्थापना के बाद से पहली नई भूमिगत खान होगी।
- मॉयल ने गुजरात राज्य में मैंगनीज खनन की संभावना का पता लगाने के लिए 01.10.2019 को गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (जीएमडीसी), गुजरात राज्य उद्यम के साथ एक विस्तृत समझौता ज्ञापन किया है। कोर ड्रिलिंग द्वारा अन्वेषण पहले ही पूरा हो चुका है और परिणाम लाभदायक खनन कार्यों के लिए मैंगनीज धातु की उपलब्धता को दर्शाते हैं। अगले महीने एमईसीएल से अंतिम खोज रिपोर्ट आने की उम्मीद है और कंपनी ने व्यवहार्यता रिपोर्ट भी तैयार करना शुरू कर दिया है। हालांकि, कोविड-19 के कारण थोड़ी देरी हुई है।
- मॉयल, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम (MPSMC) ने भी मध्य प्रदेश के चार जिलों जबलपुर, झाबुआ, बालाघाट, छिंदवाड़ा में अनुसंधान करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन में मैंगनीज खनन के लिए 51 (MOIL): 49 (MPSMC) शेयरधारिता के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन की भी परिकल्पना की गई है। इस संबंध में, जिले में संभावित मैंगनीज क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए चार जिलों में रिमोट सेंसिंग अध्ययन करने के लिए, इसरो, हैदराबाद की एक इकाई - मॉयल नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनआरएससी ने सुदूर संवेदन अध्ययन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिमोट सेंसिंग अध्ययनों के आधार पर, मॉयल ने भूवैज्ञानिक मानचित्रण और क्षेत्र सर्वेक्षण किए हैं और अनुसंधान के लिए कुछ ब्लॉकों की पहचान की है। नतीजतन, मॉयल ने क्षेत्र आरक्षण के लिए सरकार के पास आवेदन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में क्रमशः 850 किमी 2 और 487 किमी 2 क्षेत्रों को अन्वेषण कार्य के लिए मॉयल के लिए आरक्षित किया है, जिससे बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों के आरक्षित क्षेत्रों में मोयाल खोज परियोजनाओं को सक्षम किया जा सकेगा। दो अन्य जिलों जबलपुर और झाबुआ के लिए आवेदन प्रक्रिया में हैं।

- खनन के विशाल अनुभव के साथ, कंपनी की रणनीतिक प्रबंधन योजना (एसएमपी) के अनुसार, कंपनी अन्य तेजी से बढ़ते बैटरी खनिजों - लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ईएमडी, ईएमएम, आदि में विस्तार करने की योजना बना सकती है। इस दिशा में, मॉयल संभावित पार्टियों/एजेंसियों की पहचान करने के लिए ईओआई जारी करने की प्रक्रिया में है जो प्रौद्योगिकी/संयंत्र की पेशकश कर सकते हैं। एक नया संयंत्र स्थापित करके और मौजूदा संयंत्र की क्षमता को बढ़ाकर, कंपनी की योजना अपनी ईएमडी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 10000 एमटीपीए करने की है।
- मॉयल वैश्विक उपस्थिति हासिल करने के लिए विदेशी खदानों के अधिग्रहण की संभावना तलाश रहा है।
- एक खनन कंपनी के रूप में, मॉयल लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण और पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित व्यापक नियमों के अधीन है। नियामक मानकों और सामुदायिक अपेक्षाओं के निरंतर विकास के साथ, कंपनी को अनुपालन लागत में वृद्धि और अप्रत्याशित पर्यावरणीय चिकित्सीय लागतों का सामना करना पड़ता है। एक नया वेतन/श्रम संहिता लागू किया जाना है जिससे अनुपालन का बोझ बढ़ सकता है।
- सबसे बड़ा जोखिम मैंगनीज के आयात मूल्य में गिरावट है क्योंकि यह कंपनी के मुनाफे को प्रभावित करता है। अंतरराष्ट्रीय कीमतें मुख्य रूप से चीनी मांग और उपलब्धता की स्थिति पर निर्भर करती हैं।
- चीन की मंदी, सुस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार नीतियों को लेकर अनिश्चितता और कई क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिति व्यापार विश्वास और निवेश में संभावित संयम का सुझाव देती है।
- केवल एक क्षेत्र अर्थात इस्पात उद्योग पर अत्यधिक निर्भरता
- नियामकीय मंजूरी में किसी भी तरह की देरी कंपनी के दीर्घकालिक विकास को भी प्रभावित कर सकती है।
- मुख्य रूप से चीनी बंदरगाहों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैंगनीज इन्वेंट्री की उच्च उपलब्धता मॉयल के व्यवसाय को प्रभावित करती है।
- सरकार द्वारा समाप्त खदान पट्टों का नवीनीकरण न करना
- मौजूदा कोविड-19 महामारी कंपनी के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। कोविद -19 महामारी की तीसरी लहर कंपनी की शीर्ष पंक्ति और नीचे की रेखा के प्रदर्शन को और प्रभावित करेगी।

C. दृष्टिकोण

मैंगनीज और फेरो मिश्र धातु उत्पादों की मांग इस्पात उद्योग के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है जो समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के विकास पर निर्भर करती है। स्टील में मैंगनीज का उपयोग प्रतिशत में बहुत कम है, हालांकि, दुनिया के 95% से अधिक मैंगनीज उत्पादन का उपयोग स्टील की ताकत, घर्षण प्रतिरोध, कठोरता आदि को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तदनुसार, मैंगनीज और स्टील उत्पादन की बढ़ती मांग से फेरो मिश्र धातु में वृद्धि होगी।

वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (WSA) ने 2021 और 2022 के लिए अपने शॉर्ट रेंज आउटलुक (SRO) में भविष्यवाणी की है कि 2020 में 0.2% की गिरावट के बाद 2020 में स्टील की मांग 5.8% बढ़कर 1.874 मिलियन टन हो जाएगी। 2022 में स्टील की मांग 2.7% बढ़कर 1.925 मिलियन टन हो जाएगी। वर्तमान पूर्वानुमान मानता है कि कोविद-संक्रमण की दूसरी या तीसरी लहर के प्रभाव दूसरी तिमाही में स्थिर हो जाएंगे और टीकाकरण पर लगातार प्रगति होगी, जिससे एक बड़े स्टील-खपत वाले देश में सामान्य स्थिति में धीरे-धीरे वापसी होगी।

डब्ल्यूएसए ने यह भी कहा कि भारत को गंभीर लॉकडाउन की विस्तारित अवधि का खामियाजा भुगतना पड़ा, अधिकांश औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां ठप हो गईं और अगस्त 2020 से सरकारी परियोजनाओं को फिर से शुरू करने और मांग में वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ। भारत की स्टील की मांग 2020 में 13.7 प्रतिशत गिर गई, लेकिन फिर से 19.8 प्रतिशत बढ़ी और 2021 में 2019 के स्तर को पार करने की उम्मीद है। जहां विकासोन्मुखी सरकारी एजेंडा भारत की स्टील की मांग को बढ़ाएगा, वहीं निजी निवेश को ठीक होने में अधिक समय लगेगा।

कोविड-19 की महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और दुनिया भर के अरबों लोगों के स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। हालांकि कोविड-19 महामारी ने दिसंबर 2019 और 2019-20 की अंतिम तिमाही से कंपनी के प्रदर्शन को सीधे तौर पर प्रभावित करना शुरू कर दिया, लेकिन 2020-21 की पहली तिमाही में यह और गंभीर हो गया। कोविड -19 श्रृंखला को तोड़ने की घोषणा की गई लॉकडाउन ने पहली तिमाही में कंपनी के उत्पादन को प्रभावित किया है, जबकि सामाजिक अंतराल और अन्य कोविड प्रोटोकॉल ने दूसरी तिमाही के प्रदर्शन को प्रभावित किया है। प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाए जाने के बाद, परिचालन स्तरों में सुधार होना शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन और बिक्री में क्रमिक वृद्धि हुई, विशेष रूप से वर्ष की चौथी तिमाही में। फिर से, मार्च के बाद से कोविड के मामलों में वृद्धि के कारण, सामान्य रूप से 2021 में उत्पादन और प्रेषण और विशेष रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अप्रैल-मई, 2021 में नुकसान उठाना पड़ा। आपके निदेशकों ने कंपनी पर कोविड-19 के प्रकोप के प्रभाव की गहन समीक्षा की है और उत्पादन/अन्य नुकसान को कम करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए हैं।

कोविड -19 द्वारा बनाई गई स्थिति भविष्य के लिए अनिश्चितता को कायम कर रही है। हालांकि, कंपनी के सभी शेयरधारकों के हित में जैसे-जैसे स्थिति विकसित होगी, बोर्ड और प्रबंधन उनसे संबंधित हर संभव प्रयास करेंगे।

विशेषज्ञ रिपोर्टों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 में देश का कच्चे इस्पात का उत्पादन 112-114 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 8-9% की वृद्धि है। जबकि भारत ने लगभग 111 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया, कच्चे इस्पात का उत्पादन 2019 की तुलना में थोड़ा अधिक होने की उम्मीद है। स्टील की मांग को आर्थिक सुधार, सरकारी खर्च और बढ़ी हुई तरलता से समर्थन मिलेगा। केंद्रीय बजट 2021-2022 में, रु। 34.5% की वृद्धि। 5.54 लाख करोड़, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और निर्माण पर जोर। इसलिए, रक्षा सेवाओं, रेलवे, सड़कों, परिवहन और राजमार्गों जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए बढ़ती लागत से इस्पात की खपत को बढ़ावा मिलेगा, जिसके वित्त वर्ष 22 में 10-12% बढ़ने और पहली बार 100 मिलियन टन को पार करने की उम्मीद है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022 में स्टील की कीमतों में वृद्धि की उम्मीद है और विभिन्न देशों द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेजों के कारण स्टील की मांग अधिक रहेगी। वैश्विक निर्यात बाजार से चीन की अनुपस्थिति स्टील की कीमतों में वृद्धि का एक प्रमुख कारक है क्योंकि चीन से अधिक से अधिक स्टील का आयात किया जाता है। प्रोत्साहन पैकेज की पृष्ठभूमि के खिलाफ, चीन की निरंतर मांग और देश की 2021 में CO_2 के स्तर को कम करने के लिए उत्पादन स्तर को नीचे लाने की इच्छा स्टील की कीमतों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारक होगी। वैश्विक बाजार में मांग-आपूर्ति असंतुलन भी घरेलू खिलाड़ियों को निर्यात के अवसर प्रदान करना जारी रखेगा।

मॉयल ने मैंगनीज की भविष्य की मांग को पूरा करने और बाजार में नेतृत्व बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक प्रबंधन योजना-2030 (एसएमपी-2030) तैयार की है। SMP-2030 के अनुसार, कंपनी की योजना 2030 तक अपने उत्पादन को बढ़ाकर 3.00 मिलियन टन करने की है। इस दिशा में कंपनी अपनी मौजूदा खदानों के विकास और मशीनीकरण, नए शाफ्टों को डुबाने और नए पट्टों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि लक्षित उत्पादन हासिल किया जा सके।

इसके अलावा, न केवल इस्पात के घरेलू उत्पादन के लिए बल्कि मैंगनीज आधारित मिश्र धातुओं के निर्यात के लिए भी मैंगनीज की घरेलू मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नतीजतन, भारत लगातार मैंगनीज का शुद्ध आयातक बन गया है।

2020-21 के दौरान, मोयल ने 7517 मीटर की खोजपूर्ण कोर ड्रिलिंग की है। और अपने स्रोत आधार को 91.29 मिलियन मीट्रिक टन (01.04.2020 को 90.00 मिलियन मीट्रिक टन की तुलना में) तक बढ़ाने में सक्षम है। डंप के साथ, संसाधन 94.36 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जबकि 9.04.2020 को यह 93.06 मिलियन टन था। इसके अलावा, मॉयल अपने प्रमुख स्थान, मध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले धातु भंडार, केंद्रीय रूप से स्थित खदानों और मजबूत ग्राहक संबंधों के कारण भारत में स्टील की मांग में वृद्धि में योगदान करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है।

D. जोखिम और चिंता

मैंगनीज उद्योग इस्पात उद्योग से जुड़ा हुआ है जो प्रकृति में चक्रीय है और मैंगनीज की मांग को प्रभावित करता है। इस्पात बाजार की मांग में कोई मंदी और अंतरराष्ट्रीय बाजार से सस्ती आपूर्ति भारतीय इस्पात उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। मॉयल एक श्रम प्रधान संगठन है। हालांकि एक कंपनी में औद्योगिक संबंध उत्कृष्ट रहते हैं, श्रमिकों से जुड़े जोखिम कारक हमेशा इसके उत्पादन प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

ई. विभागवार/उत्पादवार बिक्री प्रदर्शन

वर्ष 2020-21 के दौरान मैंगनीज की शुद्ध बिक्री 13.42% बढ़कर पिछले वर्ष में 1038.07 करोड़ की तुलना में 1177.38 करोड़ रु. हुई। कंपनी ने वर्ष 2020-21 में पिछले वर्ष के 11.80 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 12.18 लाख मीट्रिक टन मैंगनीज की बिक्री की।

घरेलू बाजार में कीमत के साथ-साथ फेरो मैंगनीज की मांग 2020-21 में अपेक्षाकृत अच्छी थी। 2020-21 के दौरान उत्पादित फेरो मैंगनीज (स्लैग सहित) और इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड का कारोबार रु। 102.92 करोड़ रुपये की तुलना में। 2019-20 में 60.95 करोड़ 69% का सुधार दिखा। ईएमडी की बिक्री 2019-20 में 930 मीट्रिक टन से घटकर 2020-21 में 918 मीट्रिक टन हो गई है, लेकिन फेरो मैंगनीज की बिक्री 6,187 मीट्रिक टन से बढ़कर 13,367 मीट्रिक टन हो गई है।

F. उत्पादन

2020-21 के दौरान, मॉयल ने 11.44 लाख मीट्रिक टन मैंगनीज का उत्पादन किया, जबकि पिछले वर्ष 12.77 लाख मीट्रिक टन था। कोरोना वायरस के प्रसार और प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए विभिन्न प्रतिबंध कम उत्पादन का मुख्य कारण है, जिसे साल भर में दो महीने से अधिक समय तक सहन किया जाता है। पिछले वर्ष 925 टन के मुकाबले ईएमडी उत्पादन 1,070 टन था। फेरो मैंगनीज का उत्पादन पिछले वर्ष 10,421 मीट्रिक टन की तुलना में 8,851 मीट्रिक टन था। पवन टरबाइन जनरेटर ने पिछले वर्ष के 313.06 लाख KwH इकाइयों की तुलना में वर्ष के दौरान 256.14 लाख KwH उत्पन्न किया है।

G. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

मॉयल ने सभी आवश्यक आंतरिक नियंत्रण स्थापित कर लिए हैं और पाया है कि वे पर्याप्त हैं। कंपनी के बोर्ड ने उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भी लगाया है। कंपनी एसएपी, जिम्मेदारियों और अधिकारों के वितरण, एसओपी, आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक निरीक्षण, सतर्कता आदि के माध्यम से आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित कर रही है।

H. वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन पर चर्चा

कोविड -19 के प्रकोप ने वित्तीय वर्ष 2020-21 को बहुत चुनौतीपूर्ण बना दिया, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमतों और धातु की उपलब्धता प्रभावित हुई। पूरे वर्ष के दौरान, इन बाधाओं/प्रतिबंधों के बावजूद, कंपनी ने अपने पिछले वर्ष की आय से बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्ष के दौरान कंपनी का वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन नीचे दिया गया है।

- **वित्तीय प्रदर्शन**

रु. करोड़ों में

विवरण	2020-21	2019-20
राजस्व प्राप्त	1177.38	1038.07
अन्य आय	102.47	181.11
कुल आय	1279.85	1219.18
कुल लागत	890.57	782.53
EBIDTA	339.28	436.65
कर लाभ से पहले असाधारण प्राप्ति	290.11	340.49
कर से पहले और असाधारण माल से पहले परिचालन लाभ	187.64	159.38
असाधारण आइटम	50.00	0.00
वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	240.11	340.49
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	176.63	248.22
अवधि के लिए कुल सकल आय	187.05	253.56
लाभांश (प्रस्तावित लाभांश के साथ)	175.62	142.40
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	0.00	80.00
कुल लाभ अर्जित	139.90	83.39

- वकुल राजस्व रु. 1279.85 करोड़ रुपये जो पिछले साल 1219.18 करोड़ था। 1177.38 करोड़, पिछले वर्ष के कारोबार की तुलना में 13.42% की वृद्धि के साथ मॉयल ने 1038.07 करोड़ रु. का कारोबार हासिल किया है। कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और उत्पाद को दो महीने से अधिक समय से प्रभावित होने के बावजूद, अर्जित परिचालन लाभ रु. 187.64 करोड़, जबकि पिछले वर्ष 159.38 करोड़ रुपए था। , जो 17.73% का सुधार दर्शाता है। वर्ष के लिए पीबीटी (असाधारण सामान से पहले) पिछले वर्ष के 340.49 करोड़ रुपये के मुकाबले 290.11 करोड़ रुपये था, जबकि कर के बाद लाभ (पीएटी) में गिरावट आई है। 248.22 करोड़ से रु. चालू वर्ष में 176.63 करोड़, साल के लिए कंपनी का एबिटडा मार्जिन 28.82% है। 2020-21 के दौरान कम ब्याज दरों के परिणामस्वरूप 181.11 करोड़ रुपये की ब्याज आय हुई, जो पिछले साल की तुलना में 102.47 करोड़ रुपये कम है।

मुख्य आर्थिक अनुपात

अनुपात	2020-21	2019-20
देनदारों का कारोबार (दिन)	20	12
इन्वेंटरी टर्नओवर (दिन)	24	51
वर्तमान अनुपात (समय)	4.68	4.53
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (%)	15.94	15.35
शुद्ध लाभ मार्जिन (%)	15.00	23.91
बिक्री कारोबार के लिए EBITDA (%)	28.82	42.06
शुद्ध मूल्य पर वापसी (%)	6.33	8.49

बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी का प्रदर्शन कोविड-19 अनुपात से प्रभावित हुआ है

अभियान पर प्रदर्शन

2020-21 के दौरान बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों ने कंपनी के प्रदर्शन को बहुत प्रभावित किया। हालांकि, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, मौजूदा रिपोर्टिंग अवधि में टर्नओवर और मौजूदा मुनाफे ने पिछले साल के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन किया है। कोविड-19 संक्रामक रोग के कारण दो महीने से अधिक समय से उत्पादन प्रभावित होने के कारण खदानों/संयंत्रों में परिचालन बंद होने पर वर्ष की दूसरी से चौथी तिमाही सराहनीय रही, मैंगनीज में 5.14%, ईएमडी में 40.59% की वृद्धि हुई और फेरो मैंगनीज में 19.64%। वित्त वर्ष 2020-21 में 1177.38 करोड़ रुपये की तुलना में। पिछले वर्ष में 1038.07 करोड़। मोयाल ने कुल बिक्री की सूचना दी है। 2020-21 के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष के 12.77 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 11.44 लाख मीट्रिक टन मैंगनीज का उत्पादन किया। परिचालन लाभ भी 2019-20 में 159.38 करोड़ रुपये बढ़कर 2020-21 में 187.64 करोड़ रुपये या 17.73% हो गया।

I. मानव संसाधन में भौतिक विकास, औद्योगिक संबंध अग्रणी, कामकाजी लोगों की संख्या सहित

मॉयल कर्मचारी कंपनी के प्रति बहुत समर्पित और वफादार होते हैं। आम तौर पर कर्मचारी मोटी और पतली कंपनी में बने रहे हैं। प्रबंधन से, यह सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों के लिए एक आरामदायक स्तर सुनिश्चित कर रहा है, जिसमें आवश्यकतानुसार सभी स्तरों पर आवश्यक प्रशिक्षण भी शामिल है। जुलाई 2020 में, प्रबंधन और गैर-कार्यकारी संघ ने वेतन निपटान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 01.08.2017 से 31.07.2027 तक अगले 10 वर्षों के लिए प्रभावी है। इस्पात मंत्रालय में

सैलरी सेटलमेंट की मंजूरी पर विचार चल रहा है। नए वेतन सुधार से कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिलेगी।

यह ध्यान देने योग्य है कि औद्योगिक संबंध पूरे वर्ष सौहार्दपूर्ण रहे हैं। मुद्दों, यदि कोई हों, तो उसका समाधान उपयुक्त मंच पर द्विपक्षीय चर्चा के माध्यम से किया जाता है। इस संबंध में कर्मचारी संघों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए श्रमिकों का सहयोग और समर्थन सराहनीय है।

मॉयल का लक्ष्य 2030 तक अपने वर्तमान उत्पादन को बढ़ाकर 3.00 मिलियन टन करना है। कंपनी ने इस्पात उत्पादन बढ़ाने और मौजूदा खनन क्षेत्र की सीमाओं को पूरा करने की देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित सीमा से अधिक उत्पादन बढ़ाने की पहल की है। उन्होंने मौजूदा पट्टों और आस-पास के क्षेत्रों से परे और अन्य राज्यों तक पहुंच के लिए भी उद्यम किया है। कंपनी गुजरात, ओडिशा और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में खदानों को पट्टे पर देने की प्रक्रिया में है। अन्वेषण और खनन के लिए गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (जीएमडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मॉयल और सरकार के बीच त्रिपक्षीय सुलह समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। मध्यप्रदेश के चार जिलों जबलपुर, झाबुआ, बालाघाट, छिंदवाड़ा में अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य खान निगम लिमिटेड (एमपीएसएमसी)। हाल ही में, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में अन्वेषण कार्य के लिए क्रमशः मॉयल पक्ष के साथ 850 किमी 2 और 487 किमी 2 क्षेत्रों को आरक्षित किया है। इससे मोयाल आरक्षित क्षेत्र में खोज परियोजनाओं को अंजाम देने में सक्षम होंगे और अन्य दो जिलों, जबलपुर और झाबुआ के लिए आवेदनों की प्रक्रिया चल रही है।

कंपनी के उपरोक्त विकास के लिए भविष्य में विशिष्ट कौशल और ज्ञान वाले लोगों की भी आवश्यकता होगी। लोगों को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए, मॉयल अपनी मौजूदा जनशक्ति को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित कर रहा है और आवश्यकतानुसार नए प्रोत्साहन भी अपना रहा है।

31 मार्च 2021 को कर्मचारियों की कुल संख्या 5866 है। विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में हैं।

परिशिष्ट - V

व्यापार दायित्व रिपोर्ट

खंड ए: कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1. कंपनी कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN)	L99999MH1962GOI012398
2. कंपनी का नाम	मॉयल लिमिटेड
3. पंजीकृत पता	मॉयल भवन, 1 ए काटोल रोड, नागपुर -440013
4. वेबसाइट	www.moil.nic.in
5. ई-मेल आयडी	compliance@moil.nic.in
6. वित्तीय वर्ष रिपोर्ट	1अप्रैल 2020 ते 31 मार्च 2021

7. जिस क्षेत्र में कंपनी संचालित होती है (औद्योगिक कोड के अनुसार गतिविधियां) : कंपनी मैंगनीज धातु, फेरो मैंगनीज, इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) और पवन ऊर्जा का उत्पादन और बिक्री करती है।

विवरण	समूह	वर्ग	उपवर्ग
मैंगनीज धातु	072	0729	07293
फेरो मैंगनीज	241	2410	24104
इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डी-ऑक्साइड (ई.एम.डी.)	242	2420	24204
विद्युत विद्युत उत्पादन (पवन)	351	3510	35106

8. उन तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची बनाएं जिन्हें कंपनी बनाती/ आपूर्ति करती है (बैलेंस शीट के अनुसार):

मैंगनीज अयस्क, फेरो मैंगनीज और पवन ऊर्जा

9. कुल स्थानों की संख्या जहां कंपनी का व्यवसाय लागू किया गया है राष्ट्रीय स्थानों की संख्या: दो (2) - महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश।

10 कंपनी द्वारा विपणन सेवाएं : स्थानीय / राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय: मोयाल मैंगनीज अयस्क और फेरो मैंगनीज / इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज ऑक्साइड बेचकर राष्ट्रीय बाजार में कार्य करता है।

खंड बी : कंपनी का वित्तीय विवरण

(1)	देय पूंजी (INR)	237.33 करोड़
(2)	कुल कारोबार (INR)	1177.38 करोड़
(3)	चालू परिचालन से कर पश्चात लाभ (पीएटी)	176.63 करोड़
(4)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय	13.18 करोड़ (खर्च) 11.39 करोड़ (बजट) (पिछले तीन वर्षों के कर पूर्व लाभ के औसत प्रतिशत का 2%)

(5) उपरोक्त 4 में की गई गतिविधियों की सूची:

मॉयल ने उद्देश्यों, निर्दिष्ट क्षेत्रों, संगठनात्मक तंत्र और दिशानिर्देशों की पहचान करने के उद्देश्य से एक व्यापक सीएसआर नीति विकसित की है। कार्यान्वयन और निगरानी रणनीतियों के साथ सीएसआर गतिविधियां। नीति में बजट आवंटन, अनुमोदन प्रक्रियाओं और निधि उपयोग तंत्र का भी विवरण दिया गया है। व्यय के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास
- स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता,
- शिक्षा और कौशल विकास
- पीने का पानी,
- संस्कृति और खेल

खंड सी : अन्य विवरण

(1) क्या कंपनी की कोई सहायक/कंपनियां हैं?

नहीं

(२) सहायक कंपनियां/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर गतिविधियों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या बताएं।

लागू नहीं

(३) क्या कोई संस्था/संगठन कंपनी में व्यापार कर रहा है जो बीआर योजना में भाग ले रहा है? यदि हां, तो ऐसे संगठनों की भागीदारी के आंकड़े दिखाएं। (30% से कम, 30% - 60%, 60% से अधिक)

नहीं

अनुभाग डी : व्यावसायिक उत्तरदायित्व सूचना

(१) बीआर . के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण

(ए) बीआरच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार संचालक / संचालकांचा तपशील धोरण / धोरणे

1. डीआयएन नंबर 08734778
2. नाव श्री पीव्हीव्ही पटनायक
3. पदनाम निदेशक (पेशेवर)

(b) बीआर प्रमुखों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	विवरण
1		08734778
2		श्री पीव्हीव्ही पटनायक
3		निदेशक (वाणिज्य)
4		0712-2592272
5		patnaik@moil.nic.in

(२) सिद्धांत (एनवीजीएस के अनुसार) बीआर नीति:

व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरणीय और वित्तीय जिम्मेदारी पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजीएस) को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा व्यावसायिक जिम्मेदारियों के नौ क्षेत्रों में अपनाया गया है। वे संक्षेप में इस प्रकार हैं:

ते थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहेतः

पी 1	व्यवसायों को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से अपना आचरण करना चाहिए और उसी के अनुसार शासन करना चाहिए।
पी 2	व्यवसायों को ऐसे सामान और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और उनके अस्तित्व में योगदान दें।
पी 3	व्यवसायों को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।
पी 4	व्यवसायों को अपने हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और सभी हितधारकों, विशेष रूप से वंचित, कमजोर और उपेक्षित लोगों को जवाब देना चाहिए।
पी 5	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।
पी 6	व्यवसाय को गरिमा, सुरक्षा और पर्यावरण को बहाल करने का प्रयास करना चाहिए।
पी 7	व्यवसायों को सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए।
पी 8	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करना चाहिए।
पी 9	को व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए और अपने ग्राहकों को एक जिम्मेदार तरीके से मूल्य प्रदान करना चाहिए।

ए) अनुपालन विवरण (हां/नहीं में उत्तर दें)

		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
		हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो
क्र.सं.	प्रश्न									
1	क्या आपके पास इसके लिए कोई रणनीति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या संबंधित हितधारकों से परामर्श किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	किसी भी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों की नीति क्या यह संगत है? यदि हाँ, निर्दिष्ट करें	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4	क्या इस नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? यदि हाँ, पर प्रबंध / मालिक / सीईओ / उपयुक्त क्या निदेशक मंडल पर हस्ताक्षर किए गए हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करना कंपनी का एक बोर्ड/निदेशक/अधिकृत अधिकारी है क्या कोई नामित समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6	पॉलिसी को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक दिखाएं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7	सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाहरी नीतियां हितधारकों को औपचारिक रूप से सूचित करना आ गया है	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8	नीति / नीतियों को लागू करने के लिए क्या कंपनी के पास तार्किक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9	नीति/नीति संबंधी हितधारकों की शिकायतें क्या संबंधित कंपनी के पास शिकायत निवारण तंत्र है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	क्या इस नीति के कार्य का कंपनी द्वारा किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से ऑडिट/मूल्यांकन किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

*जरूरत पड़ने पर

इस संबंध में स्पष्टीकरण/सूचना/लिंक इस रिपोर्ट के परिशिष्ट में दिए गए हैं।

(ब) यदि किसी सिद्धांत के विरुद्ध क्रमांक 1 का उत्तर 'नहीं' है, तो स्पष्टीकरण दें:

(3) बीआर संबंधित प्रशासकीय मामले :

(ए) कंपनी के बीआर प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए निदेशक मंडल, निदेशकों की समिति या सीईओ कितनी बार इंगित करता है। 3 महीने में, 3-6 महीने में, सालाना, वार्षिक 1 साल से ज्यादा।

(बी) क्या कंपनी बीआर या स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होता है? यह बीआर स्टेटमेंट इसकी वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट देखने के लिए हाइपरलिंक http://moil.nic.in/userfiles/AR_MOIL_2020-21.PDF है।

विभाग ई: प्रदर्शन के अनुसार

सिद्धांत 1: नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही

1. क्या कंपनी केवल नीति, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीतियों को कवर करती है? हाँ नही

   क्या इसका विस्तार समूहों/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य तक है?

   हां, मॉयल और उनके सहयोगी सुशासन को बढ़ावा देने, खनिज संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार, व्यापार और नागरिक समाज के हितधारकों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मॉयल ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (TII) के साथ एक सत्यनिष्ठा समझौते (IP) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, मॉयल में सतर्कता विभाग निष्पक्ष, और पारदर्शी निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है और सक्रिय दृष्टिकोण के साथ निवारक सतर्कता को प्राथमिकता देता है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारक शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत संतोषजनक ढंग से हल किया गया?

सामान्य नियमित अनुरोधों के अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 में हितधारक से एक शिकायत प्राप्त हुई थी और वर्ष की शुरुआत में कोई शिकायत लंबित नहीं थी। शिकायत का सफलतापूर्वक समाधान कर दिया गया है। मॉयल ने नैतिक, नैतिक और कानूनी व्यवहार के उच्चतम संभव मानकों को प्राप्त करने और खुले और पारदर्शी संचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए एक व्हिसलब्लोअर नीति विकसित की है।

सिद्धांत 2: व्यवसायों को उनके जीवन चक्र में सुरक्षित और स्थिर रहने के लिए

(1) अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची बनाएं जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं, जोखिम और/या अवसर शामिल हैं।

मॉयल का मुख्य उत्पाद मैंगनीज है। मॉयल अपनी खनन प्रक्रिया में अन्य सभी उत्पादों जैसे फेरो मैंगनीज और ईएमडी के लिए पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ खनन विधियों का उपयोग करता है। वायु, जल, भूमि, शोर और जैव विविधता जैसे पर्यावरणीय मापदंडों की रक्षा के लिए खनन संचालन के सभी चरणों में उपयुक्त पर्यावरणीय उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। मॉयल अपने काम में लो कार्बन ग्रोथ का रास्ता अपनाना चाहते हैं। इस संबंध में किए गए कुछ उपाय हैं: लाभ के लिए पानी का पुन: उपयोग और पुन: उपयोग, मजबूत पैरापेट दीवारों, इसकी सभी खानों में वनीकरण, प्रक्रिया में उपचारित पानी के पुन: उपयोग के लिए इसकी खदानों में द्वितीयक अपशिष्ट प्रसंस्करण, समोच्च खुदाई जैसे बेहतर उपाय। मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए चट्टानों और जैविक पुनर्प्राप्ति गड्ढों और बांधों का निर्माण, प्रदूषण को रोकने के लिए अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, अपशिष्ट जल उपचार परियोजनाएं। ईएमडी संयंत्र में धुएं को कम करने के लिए एक एयर स्क्रबर स्थापित किया गया है और धूल प्रदूषण को कम करने के लिए फेरो मैंगनीज संयंत्र, बालाघाट में एक बैग फिल्टर भी प्रदान किया गया है।

पर्यावरण की रक्षा के अलावा, मॉयल अपने खनन पट्टों के साथ स्थानीय समुदाय का समर्थन करता है। इसमें सीएसआर विभाग द्वारा संचालित सीएसआर नीति शामिल है। सीएसआर टीम अपने खनन क्षेत्र के आसपास के स्थानीय समुदाय के साथ परामर्श करती है और मुख्य फोकस क्षेत्रों की पहचान करती है और संबंधित जिला प्रशासन के साथ उचित परामर्श से विभिन्न सीएसआर पहल करती है।

स्कूलों ने चारदीवारी, मोतियाबिंद सर्जरी, कृषि विकास, पशुधन विकास, बायोगैस, शौचालयों और स्ट्रीट लाइटों की स्थापना, चिकित्सा और कई अन्य चीजों का निर्माण करके समाज में योगदान दिया है।

(2) ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रति यूनिट (वैकल्पिक) ऊर्जा (पानी, कच्चा माल, आदि) के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

i. पिछले वर्ष की तुलना में पूर्ण मूल्य श्रृंखला में प्राप्त सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान कमी?

मॉयल बिजली, ईंधन, स्नेहक और पानी के इष्टतम उपयोग में विश्वास करते हैं। यह पानी और ऊर्जा के विशिष्ट उपयोगों के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है, यह लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा का ऑडिट करता है। एनर्जी ऑडिट ऊर्जा कुशल तकनीकी समाधानों और बचत के अवसरों की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने में मदद करते हैं। इसके संचालन में विशिष्ट ऊर्जा के उपयोग में ऊर्जा कुशल उपायों के कार्यान्वयन के साथ सुधार हुआ है। हालांकि विशिष्ट पानी की खपत कम है, मॉयल जल प्रबंधन पर निर्भर है और इसका उपयोग सभी परियोजना स्थलों पर माध्यमिक अपशिष्ट जल के प्रसंस्करण, पुन: उपयोग और उपचार में किया जाता है।

ii. ii. उपभोक्ताओं ने पिछले साल से खपत (ऊर्जा, पानी) कम कर दी है?

मॉयल के अंतिम उत्पाद की मात्रा ग्राहकों के लिए उपयोग के दौरान होने वाली कटौती पर नज़र रखने के लिए बड़ी और जटिल है। हालाँकि, यह जहाँ भी संभव हो पानी और ऊर्जा के उपयोग को संवेदनशील बनाता है।

(3) क्या कंपनी के पास स्थायी सोर्सिंग (परिवहन सहित) की प्रक्रिया है? यदि हाँ, तो आपके प्रतिशत का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से प्राप्त हुआ? साथ ही इसका विवरण लगभग 50 शब्दों में व्यक्त करें।

होय, मॉयल शाश्वत सोर्सिंग पद्धती वापरते. हे पर्यायी इंधन आणि कच्चा माल (एएफआर) वापरते जे नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करण्यास मदत करते आणि टिकाऊ पद्धती स्वीकारणाऱ्या विक्रेत्यांद्वारे खरेदीला प्रोत्साहन देते. वाहतुकीशी संबंधित असताना, बहुतेक मोठ्या प्रमाणात साहित्य रेल्वे आणि रस्त्याने योग्य आच्छादन आणि कमाल मर्यादेसह नेले जाते. एमओआयएलने सामग्री लोडिंग आणि अनलोडिंग दरम्यान धूळ उत्सर्जन नियंत्रित करण्यासाठी योग्य व्यवस्था केली आहे.

(4) क्या कंपनी ने अपने कार्यस्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से सामान और सेवाएं खरीदने के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और क्षमताओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

हां, मॉयल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की भागीदारी का समर्थन और प्रोत्साहन करता है। मॉयल MSME, DI नागपुर, दलित इंडस्ट्रीज चैंबर ऑफ कॉमर्स (DICCI) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विक्रेता विकास कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

मॉयल एमएसएमई द्वारा आयोजित विक्रेता विकास कार्यक्रम में भी भाग लेते हैं, जो एमओईएल की आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है।

(5) क्या कंपनी के पास उत्पादों और कचरे के पुनर्चक्रण की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो उत्पादों और अपशिष्ट पुनर्चक्रण का प्रतिशत कितना है? (अलग से <5%, 5-10%,> 10%)। साथ ही इसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।

हां, मॉयल खनन और खनिज प्रसंस्करण के सुरक्षित, वैज्ञानिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों का उपयोग करता है और लगभग 30% भूमिगत अपशिष्ट खानों में पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। 4R नीति (कमी, पुनर्भरण, पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग) परिचालन और पोस्ट-शटडाउन दोनों चरणों में संभावित हानिकारक पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों से बचने के उद्देश्य से अपनी अपशिष्ट प्रबंधन योजना को लागू करने का प्रयास करती है। मॉयल के खनन स्थलों से निरंतर अनुसंधान, विकास और उत्पाद सुधार उपायों के कार्यान्वयन और अपशिष्ट में कमी की पहल करने की उम्मीद है। खानों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न स्नेहक और तेलों में से, जले हुए / प्रयुक्त तेल और ग्रीस का निपटान एक अधिकृत एजेंसी द्वारा किया जाता है जिसे उनके द्वारा पुनर्नवीनीकरण किया जाता है।

सिद्धांत 3: व्यवसायों को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं (31.03.2021 तक):

श्रेणी	कार्यकारी अधिकारी	गैर-कार्यकारी	पीआर कार्यकर्ता	कुल
पुरुष	300	1897	2858	5055
महिला	26	97	688	811
कुल	**326**	**1994**	**3546**	**5866**

2. कृपया अस्थायी/अनुबंध/आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या का उल्लेख करें:

   संविदा कर्मचारी: 4781

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं:

   811 स्थायी महिला कर्मचारी हैं।

4. कृपया विकलांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें:

   20 विकलांग कर्मचारी हैं

5. क्या आपके पास एक कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?

   हां,

   - माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, मध्य प्रदेश के आदेश के अनुसार श्रम मंत्रालय के अधिकारियों अर्थात मुख्य श्रम आयुक्त (मध्य) नई दिल्ली और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), नागपुर द्वारा ट्रेड यूनियन और सदस्यता का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। तदनुसार, श्रम मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या एल 52025/21/2010-आईआर (इम्प-आई) दिनांक 15.11.2019 के माध्यम से एमओआईएल कामगार संगठन (आईएनटीयूसी) को दो साल की अवधि के लिए अनुशासन संहिता के तहत मान्यता प्राप्त बहुमत संघ के रूप में मान्यता प्रदान की।
   - यूनिट स्तर पर और कॉर्पोरेट स्तर पर श्रमिकों का अपना संगठन (मोयाल एक्जीक्यूटिव एसोसिएशन) होता है।

6. आपके कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?

   64.37%

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या बताएं।

क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष में दर्ज शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल श्रम / जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	1	शून्य
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. पिछले वर्ष नीचे उल्लिखित आपके कर्मचारियों को कितने प्रतिशत सुरक्षा और कौशल सुधार प्रशिक्षण दिया गया था?

कर्मचारी सुरक्षा प्रशिक्षण मॉयल में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। लक्ष्य उच्च उत्पादन/प्रेषण के साथ मानव संसाधन, सामग्री और मशीनों के इष्टतम उपयोग के साथ शून्य दुर्घटनाएं प्राप्त करना है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सुरक्षा एवं कौशल सुधार में प्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रतिशत:

क्र. सं.	विवरण	प्रतिशत	
		सुरक्षा प्रशिक्षण	कौशल सुधार प्रशिक्षण
1	स्थायी कर्मचारी	23.93%	6.94%
2	स्थायी महिला कर्मचारी	26.67%	10.48%
3	आकस्मिक/अस्थायी/संविदा कर्मचारी	31.73%	1.33%
4	दिव्यांग कर्मचारी	39.22%	NIL

सिद्धांत 4: व्यवसायों को सभी हितधारकों, विशेष रूप से वंचित, असुरक्षित और उपेक्षित लोगों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनका जवाब देना चाहिए।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों की मैपिंग की है? हाँ नही

हां, मॉयल ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों की मैपिंग की है। मुख्य श्रेणियां इस प्रकार हैं:

- सरकार और नियामक प्राधिकरण
- ग्राहक
- गइन्वेस्टर
- कर्मचारी
- स्थानीय समुदाय
- गैर सरकारी संगठन और अन्य हितधारक

मॉयल हितधारकों के साथ जुड़ा हुआ है और विभिन्न रूपों में अपने प्रमुख पर्यावरण, सामाजिक और सामुदायिक विकास की पहल करता है और भविष्य की गतिविधियों और घटनाओं की योजना बनाने में हितधारकों की प्रतिक्रिया पर विचार करता है।

2. उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, असुरक्षित और उपेक्षित शेयरधारकों की पहचान की है?

हां, मॉयल ने सीएसआर नीति के उद्देश्यों के हिस्से के रूप में किए गए आधारभूत सर्वेक्षण के माध्यम से सामुदायिक सामाजिक-जनसांख्यिकीय डेटा की मदद से वंचित, कमजोर और उपेक्षित हितधारकों की पहचान की है।

3. क्या कंपनी ने वंचित, असुरक्षित और उपेक्षित हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए कोई विशेष पहल की है? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।

हां, मॉयल द्वारा कार्यान्वित प्रमुख सीएसआर पहलों में से एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम है जिससे वंचित, कमजोर और उपेक्षित हितधारकों को लाभ हुआ है:

- कंपनी ने मॉयल फाउंडेशन को बढ़ावा दिया है; सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महाराष्ट्र प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान (MITTRA) ने सामूहिक विकास कार्यक्रम के लिए BAIF के सहयोगी संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) में प्रवेश किया है। यह परियोजना जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए ग्रामीण स्तर पर संसाधनों का विकास करना चाहती है। मॉयल माइंस के आसपास के क्षेत्र में नागपुर जिले के 21 गाँव, महाराष्ट्र के भंडारा जिले के 11 गाँव और मध्य प्रदेश के बालाघाट में 5 गाँव सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए चिन्हित किए गए हैं, गाँव की संपत्ति के विकास के लिए विस्तृत माइक्रो प्लान तैयार किया गया है।
- परियोजना का उद्देश्य कृषि-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से भाग लेने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना और स्वास्थ्य, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। परियोजना का फोकस सरकारी लाइन विभागों के साथ मजबूत संबंध विकसित करने पर है ताकि परियोजना के पूरा होने के बाद भी विकास प्रक्रिया स्थायी रूप से जारी रहे।
- कार्यक्रम के तहत, मॉयल ने कृषि विकास (मृदा स्वास्थ्य कार्ड, श्री प्रदर्शन, सब्जी की खेती के भूखंड, फसल विविधीकरण, वर्मीकम्पोस्टिंग, ड्रिप सिंचाई, किसान बैठक), जल संसाधन विकास (अच्छी तरह से गहराई, जल नवीकरण) जैसी विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दिया है। निकाय, चेक डैम डी-सिल्टिंग आदि),

पशुधन विकास (गर्भावस्था, गर्भावस्था निदान, पशुधन के लिए स्वास्थ्य शिविर, बांझपन के मामले, पशुधन विकास पर किसान प्रशिक्षण, टीकाकरण, डीवर्मिंग, आदि) जीवन की गुणवत्ता: सामुदायिक स्वास्थ्य (स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम) , स्वास्थ्य) अभियान, स्वच्छ रसोई, बायोगैस की स्थापना, शौचालय, आदि), स्वयं सहायता समूह, आदि महिला सशक्तिकरण, शिक्षा (डिजिटल / ई-लर्निंग, पुस्तकालय सामग्री, स्कूलों में जल शोधक प्रणाली, आदि)

सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए

1. क्या मानव अधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूहों/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं /ठेकेदारों / गैर सरकारी संगठनों / अन्य तक फैली हुई है?

   हां। मॉयल की कोई सहायक कंपनी नहीं है। सरकार खनिज संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को रोकने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार, व्यापार और नागरिक समाज में हितधारकों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मॉयल ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एक अखंडता समझौते (आईपी) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, मॉयल में सतर्कता विभाग निष्पक्ष, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है और सक्रिय दृष्टिकोण के साथ निवारक सतर्कता को प्राथमिकता देता है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारक शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत संतोषजनक ढंग से हल किया गया?

   वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के शून्य मामले हैं।

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण को बहाल करने के लिए सम्मान, रक्षा और प्रयास करना चाहिए।

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूहों / संयुक्त उद्यमों / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / गैर सरकारी संगठनों / अन्य तक फैली हुई है?

   मॉयल में पर्यावरण प्रबंधन इसकी कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति द्वारा शासित है। यह नीति केवल मॉयल तक फैली हुई है क्योंकि इसकी कोई सहायक कंपनी नहीं है और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियां काम नहीं कर रही हैं।

2. क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए नीतियां/पहल हैं? जैसे हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक प्रदान करें।

   हां, मॉयल अपने व्यवसाय, पर्यावरण और समुदाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझते हैं और पहचानते हैं। यह सतत विकास के लिए खनिजों के खनन और प्रसंस्करण में अधिक पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मॉयल पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने, निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने, पर्यावरण के प्रदर्शन में लगातार सुधार करने, पर्यावरण की रक्षा करने, अपने कर्मचारियों और समुदाय को पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के बारे में शिक्षित करने और नकारात्मकता को रोकने या कम करने के लिए सिद्ध प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

   मॉयल का मानना है कि आधुनिक व्यवसायों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन एक प्रमुख 'पर्यावरण की लागत' चिंता का विषय है। पर्यावरण के अनुकूल संगठन बनने के लिए मॉयल ने मध्य प्रदेश के देवास में कुल 20 मेगावाट का पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया है। मॉयल भवन, नागपुर में 48 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पैनल भी लगाया गया है। कंपनी 54.25 किलोवाट के सोलर ट्री लगाने की प्रक्रिया में भी है। कंपनी ने अपनी खदानों में 10.50 मेगावॉट के सोलर पावर प्रोजेक्ट भी लगाए हैं।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय खतरों की पहचान और मूल्यांकन करती है? हाँ नही

   हां, मॉयल ने संभावित पर्यावरणीय खतरों की पहचान करने और उनका आकलन करने के तरीकों को परिभाषित किया है। यह आसपास के पर्यावरण पर प्रभावों की पहचान करने के लिए संचालन/पहलों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करता है और तदनुसार शमन उपाय शुरू करता है। इसकी सभी खनन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए ईआईए आयोजित किया गया है और तदनुसार शमन उपायों को लागू किया गया है। लागू किए गए उपायों की प्रभावशीलता और सीपीसीबी कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण मानकों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

   सभी खनन/संयंत्र स्थल आईएसओ 45001: 2018 (ओएचएसएएस) / आईएसओ 9001: 2015 (क्यूएमएस), आईएसओ 14001: 2015 (ईएमएस), एसए 8000 और जीआरआई प्रमाणित हैं जो सभी गतिविधियों और संचालन के लिए पहलू-प्रभाव अध्ययन आयोजित करते हैं। लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधियों की पहचान करें। सिस्टम की पर्याप्तता और प्रभावशीलता को सत्यापित करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो उद्देश्यों, लक्ष्यों और प्रबंधन योजनाओं में परिवर्तन की पहचान करने के लिए तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों (प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा आयोजित आवधिक लेखा परीक्षा के अलावा) द्वारा प्रणाली का सालाना ऑडिट किया जाता है।

4. क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास प्रणाली से संबंधित कोई परियोजना है? वैसे

   यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में विवरण दें। साथ ही, यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है?

   हां, मॉयल के पास स्वच्छ विकास प्रणाली से संबंधित एक परियोजना है। यह 20 मेगावाट की पवन परियोजना है, जिसे 2006-2008 में स्थापित किया गया था। 15.2 मेगावाट की पवन परियोजना जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के साथ पंजीकृत है।

5. कंपनी ने कोई अन्य गतिविधियां की हैं - स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि। हाँ नही। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए एक हाइपरलिंक प्रदान करें।

   हां, मॉयल पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, मोयाल के अनुसंधान और विकास केंद्र में कुशल खनिज प्रसंस्करण से

संबंधित प्रौद्योगिकी विकास मिशन शुरू करने की क्षमता है। गतिविधियों के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया नीचे दिए गए हाइपरलिंक को देखें:
https://www.moil.nic.in/userfiles/ENERGY%20GENERATION%20THROUGH%20NON-CONVENTIONAL%20SOURCES.pdf

6. क्या कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/अपशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के भीतर है?

हां। मॉयल द्वारा उत्पन्न सभी उत्सर्जन और कचरे की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा निर्दिष्ट अनुमेय सीमा के भीतर हैं। साथ ही, आवश्यकतानुसार वैधानिक अधिकारियों को नियमित रूप से रिटर्न जमा किया जाता है।

7. वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा जारी किए गए कारणों/कानूनी नोटिसों की संख्या (अर्थात संतुष्ट नहीं)।

शून्य

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सुरक्षा एवं कौशल सुधार में प्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रतिशत:

अ. क्र.	विस्तृत	प्रतिशत	
		सुरक्षा प्रशिक्षण	कौशल सुधार प्रशिक्षण
1	स्थायी कर्मचारी	23.93%	6.94%
2	स्थायी महिला कर्मचारी	26.67%	10.48%
3	आकस्मिक/अस्थायी/संविदा कर्मचारी	31.73%	1.33%
4	दिव्यांग कर्मचारी	39.22%	शून्य

सिद्धांत 7: व्यवसाय सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल हैं, उन्हें जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चैंबर्स या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, तो केवल उन मुख्य व्यवसायों के नाम बताएं जिनसे आपका व्यवसाय संबंधित है

हां। मॉयल के पास कुछ पेशेवर और चैंबर्स/एसोसिएशन के सदस्य हैं जो निम्नानुसार पंजीकृत हैं:

- महासंघ भारतीय खनिज उद्योग संघ, नई दिल्ली
- सार्वजनिक उद्यमों पर स्थायी परिषद, नई दिल्ली
- अंतर्राष्ट्रीय मैंगनीज संस्थान, पेरिस

2. क्या आपने उपरोक्त संगठनों के माध्यम से जनहित की उन्नति या सुधार की वकालत की है? हाँ नही यदि हां, तो विस्तृत क्षेत्र निर्दिष्ट करें (ड्रॉप बॉक्स: शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार सिद्धांत, आदि)

हाँ, निम्नलिखित व्यापक क्षेत्र हैं:

- सतत खनन प्रथाएं
- ऊर्जा सरंक्षण
- सर्वसमावेशक विकास

सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करना चाहिए

1. क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 के अनुसार नीति के अनुसार कार्यक्रम / उपक्रम / परियोजना को निर्दिष्ट किया है? यदि हां, तो उसका विवरण।
हां, मॉयल की सीएसआर नीति में परिभाषित चिन्हित फोकस क्षेत्र में कई कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं। कुछ प्रमुख सीएसआर पहल नीचे सूचीबद्ध हैं:

साक्षरता और शिक्षा

- मॉयल का डीएवी स्कूल
- कंपनी की खदानों के पास पढ़ाने वाले विभिन्न स्कूलों का समर्थन करें
- अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के सहयोग से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों को नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोजित करने की क्षमता।

स्वास्थ्य देखभाल

- नि:शुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर
- मोतियाबिंद सर्जरी, कटे होंठ और तालू की सर्जरी
- रोगी वाहन

ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा

- सड़कों और पुलियों का निर्माण
- पेयजल उपलब्ध कराने के लिए
- किसान विकास योजना
- शौचालयों का निर्माण
- नागपुर, भंडारा और बालाघाट जिलों के 21 गांवों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम
- सामाजिक भवन का निर्माण

2. कार्यक्रम/परियोजनाएं इन-हाउस टीम/स्वयं की नींव/बाहरी गैर सरकारी संगठन/सरकारी संरचना/कोई अन्य संगठन?

   प्रस्तावित गतिविधियों के प्रकार के आधार पर, मोयाल टीम के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), राज्य / जिला प्राधिकरणों और ट्रस्टों के साथ साझेदारी में विभिन्न सीएसआर गतिविधियों को अंजाम देता है। साझेदारी द्वारा की गई सीएसआर पहलों का सीएसआर विभाग और सहयोगी संगठन द्वारा संयुक्त रूप से मूल्यांकन और निगरानी की जाती है।

3. क्या आपने अपनी पहल के किसी प्रभाव का मूल्यांकन किया है?

   हां

   सीएसआर और कंपनी अधिनियम, 2013 पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्य प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए प्रारंभिक मूल्य कम से कम 100 करोड़ रुपये होना चाहिए या शायद समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - आईएनआर में राशि और शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण?

   मॉयल ने वित्त वर्ष 2020-21 में विकास परियोजनाओं पर निम्नानुसार 13.18 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

   शिक्षा, ग्रामीण विकास परियोजनाएं, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल, सामुदायिक विकास आदि।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय ने इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया है? कृपया 50 शब्दों में समझाएं।

   साइट का दौरा समुदाय में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है और कृषि विकास की पहल विशिष्ट अन्य द्वारा गतिविधियों की नकल कर रही है जो पहल के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है।

   मॉयल में सीएसआर टीम लाभार्थियों से परियोजना फीडबैक लेती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसके प्रभाव या सुधार की कोई गुंजाइश है या नहीं। इसके अलावा, एमओआईएल सीएसआर टीम सहित इसकी प्रमुख सीएसआर पहलों द्वारा किए गए प्रभाव का तीसरा पक्ष मूल्यांकन, सामुदायिक विकास परियोजनाओं की प्रभावशीलता और पहल के प्रति समुदाय की प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। इसके अलावा, सरकार के उच्चतम स्तरों पर किसान विकास कार्यक्रम की सराहना की जाती है।

सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने ग्राहकों और ग्राहकों को जिम्मेदारी से महत्व देना चाहिए

1. वित्तीय वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित हैं

   वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में कोई ग्राहक शिकायत लंबित नहीं है

2. क्या कंपनी स्थानीय उत्पादों के लिए आवश्यक उत्पाद की जानकारी को ऊपर और ऊपर उत्पाद लेबल पर प्रदर्शित करती है? हां/नहीं/नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)

   लागू नहीं। चूंकि हमारा उत्पाद एक थोक वस्तु है, इसलिए उत्पाद सुविधाओं को कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर प्रदर्शित किया जाता है और मूल्य सूची / अनुबंध खरीदारों को भी सूचित किया जाता है।

3. क्या किसी हितधारक ने कंपनी के खिलाफ पिछले पांच वर्षों के दौरान और वित्तीय वर्ष के अंत में अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और / या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के संबंध में कोई मुकदमा दायर किया है? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।

   नहीं।

4. क्या आपकी कंपनी का रुझान ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि में है?

   हां, मोयाल हर साल विभिन्न स्थानों पर ग्राहक बैठकें आयोजित करके और नियमित रूप से ग्राहकों का दौरा करके ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण करता है।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट का अनुलग्नक

पी 1	कंपनी की मॉयल में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति, व्यापार आचार संहिता और नैतिकता और व्हिसल ब्लोअर नीति है। धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति मोटे तौर पर धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम के लिए एक प्रणाली प्रदान करने के लिए है, किसी भी धोखाधड़ी का पता चला है या संदिग्ध है और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों के निष्पक्ष व्यवहार की रिपोर्टिंग है। इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत कॉरपोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी ने व्यावसायिक और नैतिक मानकों के आधार पर व्यावसायिक आचरण और नैतिकता की संहिता तैयार की, जिसे कंपनी का मानना है कि उसके सभी कर्मचारियों को अपनाना चाहिए। इसके अलावा, सतर्कता तंत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में, मॉयल की व्हिसल ब्लोअर नीति को मॉयल के निदेशकों और कर्मचारियों को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या उल्लंघन के बारे में उनकी वास्तविक चिंताओं या शिकायतों का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाने की दृष्टि से तैयार किया गया है। कंपनी की आचार संहिता या आचार नीति। इसके अलावा, कंपनी ने 'संबंधित पार्टी लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने की नीति' (!आरपीटी नीति@) भी तैयार की है जो ऐसे पार्टियों के साथ लेनदेन करने से पहले पर्याप्त प्रक्रियाओं और प्रकटीकरण को निर्धारित करती है। अ.क्र. 6 - कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक नीतियों के लिंक नीचे दिए गए हैं

नाम	वेबलिंक
धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति	http://moil.nic.in/userfiles/Fraud%20Prevention%20Policy_MOIL-FinalB.pdf
व्हिसल ब्लोअर नीति	http://moil.nic.in/userfiles/Whistle_Blower_Policy_of_MOIL.pdf
व्यापार आचार संहिता और नीति	http://moil.nic.in/userfiles/coc.pdf
प्रासंगिक पार्टी लेनदेन और प्रासंगिक लेनदेन नीति का महत्व	http://moil.nic.in/userfiles/Related_Party_Transaction_Policy.pdf
नीति या स्टॉक एक्सचेंज के प्रकटीकरण का परीक्षण करने के लिए	http://moil.nic.in/userfiles/Determination%20of%20Materiality%20of%20Events%20or%20Information%20and%20Disclosure%20Thereof.pdf
लाभांश वितरण नीति	http://moil.nic.in/userfiles/Dividend_Policy_MOIL.pdf

पी 2	कंपनी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं का पालन करने का प्रयास करती है। विकास और स्थिरता के दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों का पालन करती है और असंतोषजनक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पहल करती है। क्रमांक 6 - कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल प्लानिंग पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट पर एक लिंक उपलब्ध है: http://moil.nic.in/userfiles/CSR_and_Sustainability_Policy_of_MOIL.pdf http://moil.nic.in/userfiles/Environment_Policy.pdf
पी 3	क्रमांक 3 - सामान्य कानूनों और विनियमों और राष्ट्रीय स्तर पर पालन की जाने वाली अच्छी नैतिक प्रथाओं के अनुरूप, कंपनी ने कर्मचारियों को लाभ और कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की रोकथाम जैसे क्षेत्रों सहित काम पर रखने की नीतियों को अपनाया है। जो देखभाल का वातावरण प्रदान करने का प्रयास करते हैं। पेशेवर आकांक्षाओं को पोषित करने और पूरा करने का अवसर। क्रमांक 6-- इन नीतियों को संगठन के कर्मचारियों द्वारा केवल भौतिक रूप से या ऑनलाइन देखा जा सकता है।
पी 4	सिद्धांत सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होने के पहलू को स्पष्ट करता है, विशेष रूप से वे जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं और कंपनी के पास इसके लिए कोई विशिष्ट नीति नहीं है। हालाँकि, कंपनी ने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं। इसके अलावा, कंपनी कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप के माध्यम से अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता नीति के अनुसरण में समावेशी विकास की दिशा में काम करती है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जिसमें बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं की देखभाल के लिए पहल शामिल हैं। अधिकारिता कार्यक्रम, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना आदि। क्रमांक 6 - कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता योजना नीति कंपनी की वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध है: http://moil.nic.in/userfiles/CSR_and_Sustainability_Policy_of_MOIL.pdf
पी 5	क्रमांक 3 - बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई व्यावसायिक आचार संहिता और आचार संहिता इस सिद्धांत की आवश्यकताओं को पूरा करती है। कार्यस्थल में उपयुक्त रोजगार प्रथाओं और विविधता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, उत्पीड़न और धमकी की रोकथाम, और सुरक्षा पर जोर देता है। क्रमांक 6- व्यवसाय आचार संहिता और आचार संहिता निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: http://moil.nic.in/userfiles/coc.pdf http://moil.nic.in/userfiles/safety_policy.pdf

पी 6	इस सिद्धांत के तहत उल्लिखित पहलू कंपनी व्यवसाय की प्रकृति से संबंधित नहीं हैं। कंपनी अपने परिसर और संचालन के संबंध में लागू पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन करती है। इसके अलावा, कंपनी पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए पहल में भाग लेती है।
पी 7	हालांकि इस सिद्धांत के लिए कोई विशिष्ट नीति नहीं बताई गई है, कंपनी कौशल विकास के क्षेत्र में पहल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के साथ काम कर रही है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो सकें, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण विकास परियोजनाएं और गैर-लाभकारी संस्थाओं को बढ़ावा मिल सके। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। कंपनी के सीएमडी और पूर्णकालिक निदेशक भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूहों में भाग लेते हैं।
पी 8	मोयल अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और सतत नीति के अनुरूप समावेशी विकास और समान विकास सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मोयल ने इस संबंध में विभिन्न पहलों को लागू किया है। इसमें महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, चयनित स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में बुनियादी ढांचे / सुविधाओं का निर्माण / उन्नयन, चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल सुविधाएं और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार के लिए किसान केंद्रित एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम शामिल हैं। क्रमांक 6 - कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और टिकाऊ योजना नीति कंपनी की वेबसाइट: http://moil.nic.in/userfiles/CSR_and_Sustainability_Policy_of_MOIL.pdf
पी 9	क्रमांक 3- कंपनी के पास बिजनेस कंडक्ट और एथिक्स एंड फीडबैक, शिकायत निवारण फॉर्म है। क्रमांक 6- उपरोक्त कोड/फॉर्म को निम्न लिंक पर देखा जा सकता है। http://moil.nic.in/userfiles/coc.pdf http://moil.nic.in/user-investors-feedbacks
	सभी नीतियां और प्रक्रियाएं कंपनी के अधीन हैं। कंपनी समय-समय पर ऑडिट और समीक्षा करती है।

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति सदस्य, मॉयल लिमिटेड

एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक के समेकित वित्तीय विवरण

अभिमत

हमने मॉयल लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2021 को बैलेंस शीट और लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और का विवरण शामिल है। उस वर्ष समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकदी प्रवाह, और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (इसके बाद "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित)

चल रहे कोविड-19 महामारी के साथ, हमने हेड ऑफिस में प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के आधार पर कुछ सीमाओं के साथ अपना ऑडिट किया है। सीमाओं के पार खानों/संयंत्रों में प्रतिबंधित आवाजाही और अन्य कठिनाइयों के साथ हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया ऑनलाइन मोड द्वारा हमें प्रदान किए गए दस्तावेजों तक सीमित थी।

हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त स्वतंत्र वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक सत्य जानकारी और धारा के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अधिनियम के 133।) नियम, 2015, संशोधित, ("इंड एएस") और अन्य लेखा सिद्धांत आमतौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं। इसमें 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी का संचालन, लाभ और सकल आय, इक्विटी में बदलाव और इसका नकदी प्रवाह सम्मिलित है।

अभिमत का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। कंपनी कानून और विनियमों के साथ-साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से संबंधित स्वतंत्रता की आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र है। उसके तहत और हम इन आवश्यकताओं और हमारे अन्य नैतिक दायित्वों को ICAI की आचार संहिता के अनुसार पूरा किया जाता है। हमारा मानना है कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विशेष महत्व:

1. हम स्वतंत्र वित्तीय विवरण के आईएनडी एएस में नोट संख्या 3.27 का उल्लेख करते हैं, जो अनिश्चितता और कोविड -19 महामारी की स्थिति से संबंधित आर्थिक प्रभाव के प्रबंधन मूल्यांकन को स्पष्ट करता है, जिसके लिए अगले पर प्रभाव का एक निश्चित मूल्यांकन अवधि की गई है। भविष्य के आर्थिक विकास और परिस्थितियाँ विकास पर अत्यधिक निर्भर हैं। इस मामले पर हमारे विचार नहीं बदले हैं।

2. हम लेखा नीति के नोट संख्या 1.2.13 और राजस्व प्राप्ति के लिए नोट संख्या 2.26 का संदर्भ लेते हैं। राजस्व में रॉयल्टी, जिला खनिज कोष (DMF) और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट योगदान (NMET) शामिल हैं। जिसे तीसरे पक्ष की ओर से अनुबंध के अनुसार प्रत्यक्ष आधार पर एकत्र किया जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया आईएनडी एएस 115 के अनुसार नहीं है, जो इंगित करता है कि राजस्व तीसरे पक्ष की ओर से सभी संग्रहों को छोड़कर शुद्ध आधार पर दिखाया गया है। कंपनी ने उद्योग के विशेषज्ञों की सलाह पर ऐसा किया है। हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है।

3. हम नोट संख्या 2.16 (बी) का उल्लेख करते हैं जिसमें रुपये की राशि शामिल है। हालांकि, हमारी राय में यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि देय राशि जेवीसी में निवेश का प्रतिनिधित्व करती है। उस पर हमारे विचार नहीं बदले हैं।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

ये मुख्य लेखापरीक्षा मुद्दे हैं, जो हमारे व्यावसायिक निर्णयों में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन मामलों को हमारे समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उनके बारे में आपकी राय बनाने के लिए संदर्भित किया गया था, और इन मामलों में हमने अपनी स्वतंत्र राय नहीं दी थी। हमने अपनी रिपोर्ट में रिपोर्ट किए जाने वाले मुख्य लेखापरीक्षा मुद्दों के रूप में निम्नलिखित की पहचान की है।

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक का उत्तर
1	**ग्राहकों के साथ समझौतों से राजस्व** (i) संदर्भ संख्या। 2.26 (अ) रेलवे रसीद/लॉरी रसीद/डिलीवरी चालान के आधार पर माल की डिलीवरी के बाद ही बिक्री की रसीद को बढ़ाया जाता है और राजस्व खातों की किताबों में इसकी पहचान की जाती है। 1) प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर गुणवत्ता में भिन्नता के लिए अनुपूरक बीजक जारी किए जाते हैं। बाद के वर्ष में एक कट-ऑफ तिथि तक प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट को प्रेषण के वर्ष में माना जाता है। तद्नुसार, अनुपूरक बीजक उसी वर्ष तैयार किए जाते हैं और उनका लेखा-जोखा किया जाता है। कट-ऑफ तिथि के बाद प्राप्त विश्लेषण रिपोर्टों के संबंध में, उन्हें बाद के वर्ष में उठाया जाता है। 2. रॉयल्टी, जिला खनिज कोष और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट बिक्री में योगदान करते हैं। 3. संचालन के दौरान गठित मैंगनीज धातुओं के ललित, हच, धूल और एचआईएमएस अस्वीकृति उत्पादों को उत्पाद के रूप में मान्यता दी जाती है और जब इसे बेचा जाता है और संबंधित बिक्री खान उत्पादों से राजस्व पर विचार किया जाता है।	**मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रिया:** मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं: हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में कंपनी की राजस्व पहचान की उपयुक्तता और प्रक्रिया के अनुमानित समायोजन के संदर्भ में इंडस्ट्रीज़ AS115 के प्रावधानों के उपयोग का मूल्यांकन करना शामिल है, हमने अनुमानों के आधार को स्थापित करने के लिए भी परीक्षण किया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या ऐसा है अनुमान लेखांकन नीति के अनुरूप हैं।
2.	**इन्वेंटरी मूल्यांकन:** नोट 1.2.3 देखें। (महत्वपूर्ण लेखा नीति) **निर्मित माल** (i) मैंगनीज धातुओं में भंडार के साथ फेरो मैंगनीज / सिलिको, इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड [ईएमडी], बंदरगाह मैंगनीज धातु, हच धूल में ठीक और एचआईएमएस अस्वीकृति। मूल्यह्रास के साथ खान की संपत्ति या शुद्ध प्राप्य, जो भी कम हो। (b) भंडारण प्रक्रिया: - प्रक्रिया में फेरो मैंगनीज / सिलिको मैंगनीज की मात्रा का कोई मूल्य नहीं दिया गया है। (c) स्लैग का स्टॉक: - स्लैग फेरो मैंगनीज के निर्माण के दौरान बनने वाली अशुद्धियों का पिघला हुआ पदार्थ है, जिसे स्क्रैप माना जाता है और तदनुसार, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।	**मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रिया:** हमारी टीम ने इसकी समीक्षा की है और मूल्यांकन रिपोर्ट और मूल्य सूची की एक प्रति प्राप्त की है, जिन पर इन्वेंट्री के अंतिम समापन मूल्य तक पहुंचने पर विचार किया गया था। स्टॉक मूल्यों और स्टॉक स्तर की रिकॉर्डिंग प्रणाली को सही पाया गया।
3.	**आयकर:** कई कर क्षेत्राधिकार जिसमें कंपनी संचालित होती है और व्याख्या कर कानूनों की अस्पष्टता के कारण, ज्ञात की जाने वाली राशि। कर न्याय के अधीन हैं और इस प्रकार एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला है। प्रबंधन के निर्णय में विभिन्न कर पदों के संबंध में विभिन्न कर अधिकारियों के नियमों पर विचार करना शामिल है। जहां अनिश्चितता है, प्रबंधन सबसे संभावित परिणाम के आधार पर कर प्रदान करता है। अनिश्चितता के संबंध में प्रबंधन का प्रकटीकरण नोट 3.2 में निहित है (ii) कंपनी ने आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के प्रावधानों के तहत कर कटौती की दर पर कर कटौती की दर का आकलन करने के लिए चुना है।	**मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया** हमने अपने कर विशेषज्ञों को वर्तमान और आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों की पहचान करने और मापने के लिए लगाया है। इनमें शामिल हैं: - कानून का पालन करने के लिए वर्तमान और आस्थगित कर गणना का विश्लेषण। - अन्य ऑडिट साक्ष्य की तुलना में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली के साथ समय के अंतर के प्रबंधन का अनुमान, नकदी प्रवाह से संबंधित करों का आकलन, क्षेत्र अनुमान, योजना, बैठक आदि। प्रावधान उपयुक्त और पर्याप्त हैं। आपने कंपनी / आईटी 115 बीएए अधिनियम, 1961 के कार्य मिनट के अनुसार कुल आय पर आयकर का आकलन करने के लिए किए गए प्रावधान के अनुसार कटौती का दावा नहीं किया है। 80 आईए के वित्तीय विवरणों में आयकर के प्रावधान की गणना करने और संबंधित अधिकारियों द्वारा सुझाए गए अवमूल्यन दरों का अनुपालन करने के लिए।

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक का उत्तर
4.	**स्थगित करें:** जैसा कि नोट 3.3 में बताया गया है, कंपनी अवकाश नकदीकरण के प्रावधान, पेंशन के प्रावधान, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के प्रावधान, संदिग्ध भुगतान के प्रावधान और बोनस के प्रावधान के संबंध में कुछ कटौतियों के संबंध में कर परिसंपत्तियों को स्थगित करने के लिए सहमत हुई है। बोनस का प्रावधान इस हद तक है कि हमें भविष्य में कर लाभ मिलने की संभावना है। भविष्य की कर योग्य आय का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन निर्णय आवश्यक है और तदनुसार यह एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा है। नोट संख्या 3.3 देखें	**मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रिया:** प्रबंधन अनिश्चित वर्तमान और आस्थगित कर स्थितियों के लिए की गई धारणाओं को मानता है कि उपयुक्त वर्तमान और आस्थगित कर प्रावधानों की पहचान की गई है और सबसे संभावित परिणाम के आधार पर। हमने आयकर और आस्थगित कर शेष के संबंध में खुलासे को सही पाया।
5.	**सूचना प्रणाली और नियंत्रण** कंपनी सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए SAP प्रणाली का उपयोग कर रही है। यह व्यवस्था हाल के दिनों में लागू की गई है। जैसे अभी भी कुछ हस्तक्षेप है।	**मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रिया:** हमारी टीम ने जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया का संचालन किया है और कंपनी में आईटी सिस्टम के उपयोग से उत्पन्न जोखिमों पर विचार किया है। व्यावसायिक प्रक्रिया सीखते समय और पूर्वाभ्यास के माध्यम से आईटी प्रणालियों और अनुप्रयोगों के उपयोग पर विचार किया गया है। हमने स्रोत डेटा की विश्वसनीयता और जनसंख्या की पूर्णता का आकलन किया है। नमूना परीक्षण के माध्यम से हमने आईटी प्रणाली से उत्पन्न मुख्य रिपोर्ट का परीक्षण किया और पाया कि आईटी नियंत्रण पर्याप्त हैं।
6.	**परिभाषित लाभ देयता और अन्य दीर्घकालिक लाभ** कंपनी लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ दायित्वों को पहचानती है, जिसमें टर्मिनल लीव दायित्वों और ग्रेच्युटी और परिभाषित लाभ दायित्वों (सब्सिडी वाले ग्रेच्युटी दायित्वों के खिलाफ योजना संपत्ति का एक नेटवर्क) और रोजगार के बाद के लाभ शामिल हैं। कर्मचारी की जिम्मेदारियों का निर्धारण नियम और शर्तों पर निर्भर करता है। मुख्य लेखापरीक्षा मामला विशेष रूप से निम्नलिखित मुख्य मान्यताओं से संबंधित है: छूट दरों, मुद्रास्फीति की उम्मीदों और जीवन प्रत्याशा का निर्धारण जटिल है और तीसरे पक्ष के समर्थन से महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। यह प्रबंधन वार्षिकी का अभ्यास है।	मूल्यांकन के परीक्षण में, हमने वित्तीय और जनसांख्यिकीय दोनों के उपयोग की जाने वाली मुख्य बीमांकिक मान्यताओं की समीक्षा करने के लिए बाहरी बीमांकिक विशेषज्ञों की रिपोर्टों की जांच की, और इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति पर विचार किया। इसके अलावा, हमने बाहरी पार्टी द्वारा स्वीकार की गई संवेदनशीलता का विश्लेषण किया है। परिभाषित लाभ दायित्वों का मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख मान्यताओं पर बीमांकिक। हम यह टिप्पणी करना चाहेंगे कि जवाबदेही के संदर्भ में लागू प्रक्रियाएं और धारणाएं स्वीकार्य हैं।
7.	**खदान बंद करने की अंतिम लागत का प्रावधान** भूमि की वसूली और संरचनाओं को नष्ट करने के लिए कंपनी के दायित्व में सतह और भूमिगत खानों पर खर्च शामिल है। गहन गणना और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी का अनुमान है कि यह खदान को बंद करने, साइट को बहाल करने और इसे बंद करने के लिए जिम्मेदार है। खदान को बंद करने की लागत स्वीकृत खान बंद करने की योजना के अनुसार प्रदान की जाती है। चूंकि खदान को बंद करने के प्रावधान में अनुमान और प्रबंधन निर्णय शामिल हैं, इसलिए इसे मुख्य लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में अनुमान के आधार की आवश्यकता का न्याय करने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणा की तर्कसंगतता की पहचान और समझ शामिल है क्योंकि यह हमें समझाया गया है कि वर्ष के दौरान प्रावधान तकनीकी मूल्यांकन और अयस्क के उत्पादन के अनुसार है।
8.	**सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों का प्रावधान** प्रकटीकरण संख्या जैसा कि में पता चला है। 2.24 का नोट 1, भारत सरकार (भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय) के आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, कंपनी को कर्मचारियों के चिकित्सा लाभ के लिए सेवानिवृत्ति के बाद एक कॉर्पस फंड बनाना आवश्यक है। चिकित्सा मूल्यांकन के लिए अलग से धनराशि निर्धारित करने के लिए बाजार की स्थितियों, छूट दरों, कर्मचारी जीवन प्रत्याशा और अन्य के आधार पर मान्यताओं की आवश्यकता होती है। बाजार की स्थितियों, छूट की दरों, कर्मचारी की लंबी उम्र और मूल्यांकन प्रावधान स्थापित करने के लिए आवश्यक अन्य मान्यताओं के आधार पर, चिकित्सा लाभों के लिए अलग से धनराशि निर्धारित करने पर विचार करें। इन मान्यताओं में से एक जटिल है और तीसरे पक्ष के अध्ययन की मदद से महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णयों की आवश्यकता होती है।	मूल्यांकन के परीक्षण में, हमने वित्तीय और जनसांख्यिकीय दोनों के उपयोग की जाने वाली मुख्य बीमांकिक मान्यताओं की समीक्षा करने के लिए बाहरी बीमांकिक विशेषज्ञों की रिपोर्टों की जांच की, और इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति पर विचार किया। इसके अलावा, हमने बाहरी पार्टी द्वारा स्वीकार की गई संवेदनशीलता का विश्लेषण किया है। परिभाषित लाभ दायित्वों का मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख मान्यताओं पर बीमांकिक। हम यह टिप्पणी करना चाहेंगे कि जवाबदेही के आश्वासन के संदर्भ में लागू प्रक्रियाएं और धारणाएं स्वीकार्य हैं।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी संकलित करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी शामिल है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट से जुड़ी बोर्ड की रिपोर्ट, व्यापार देयता रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्वतंत्र वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे विचारों में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इसके बारे में कोई आश्वासन या निष्कर्ष नहीं निकालते हैं।

हमारे वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, अन्य सूचनाओं को पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है और ऐसा करने में, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरण के साथ भौतिक रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा शारीरिक रूप से गलत प्रतीत होती है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की भौतिक गलत व्याख्या है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करनी चाहिए। हमारे पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रशासन द्वारा प्रभारित उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कुल व्यापक आय, परिवर्तनों का एक सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं। भारत में आम तौर पर स्वीकृत इंड-एएस और अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के इक्विटी और नकदी प्रवाह में। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त होते हैं। , चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी की एक चालू कंपनी के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल या तो इरादा नहीं रखता है, तब तक चलने वाली चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा, लागू होने और लेखांकन के चलते चिंता आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने के लिए, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

क्या हमारे उद्देश्य समग्र वित्तीय विवरण भौतिक त्रुटि से पूरी तरह मुक्त हैं? क्या वे त्रुटियां जोखिम या घाटे के कारण थीं, पर्याप्त पुष्टि सुनिश्चित करने और हमारे वोटों के साथ एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए थीं। पर्याप्त आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि यदि एसए के अनुसार ऑडिट किया जाता है तो भौतिक ऑडिट हमेशा प्रकाश में आएंगे। कदाचार गलती से या डिफ़ॉल्ट रूप से हो सकता है और इसे भौतिक माना जाता है। यदि उनसे उन लोगों के वित्तीय निर्णयों पर प्रभाव पड़ने की अपेक्षा की जाती है जो उनका स्वतंत्र रूप से या पिछले समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोग करते हैं।

हम एस. ऐ की तरह ऑडिट के हिस्से के रूप में पेशेवर हैं। पूरे ऑडिट में निर्णय लेने की प्रक्रिया को अपनाया और पेशेवर जिज्ञासा बनाए रखी। हमने निम्नलिखित भी किया। :

- समेकित वित्तीय विवरणों में भौतिक दोषों से उत्पन्न जोखिम, फिर दोषों का पता लगाना और उनका मूल्यांकन करना, चाहे वे गलत हों या कम, और उन जोखिमों को ध्यान में रखते हुए ऑडिट प्रक्रियाओं का मूल्यांकन और अनुपालन करना और एक संतोषजनक और पर्याप्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना हमारी राय का आधार। जोखिम से उत्पन्न होने वाले शारीरिक शोषण का जोखिम घाटे से उत्पन्न होने वाले शारीरिक शोषण के जोखिम से अधिक है क्योंकि जोखिम में मिलीभगत, डकैती, जानबूझकर टालना, धन की प्राप्ति या आंतरिक नियंत्रण की हानि शामिल है।
- स्थिति में उचित ऑडिट प्रक्रिया बनाने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ हासिल करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और यह इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है कि क्या ऐसा नियंत्रण प्रभावी है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू चिंता के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- खुलासे सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकवाद एक स्वतंत्र वित्तीय विवरण में गलत बयानों की विशालता है जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना पैदा करता है। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाते समय और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करते समय मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान की गई गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं जिन पर प्रशासन का आरोप है, अन्य बातों के अलावा, ऑडिट का नियोजित दायरा और समय, और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्ष, जिसमें हमारे ऑडिट के दौरान पहचाने गए आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं।

हम उन लोगों की स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हैं जो प्रशासन पर आरोप लगाते हैं और उन सभी मामलों और अन्य मामलों से संवाद करते हैं जिन्हें उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता माना जा सकता है, और जहां प्रासंगिक सुरक्षा उपाय लागू होते हैं,

प्रशासन के उन अभियुक्तों के साथ बातचीत से, हम उन मुद्दों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के लिए स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और हैं।

इसलिए मुख्य ऑडिट महत्वपूर्ण है। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित नहीं करते हैं या जब, अत्यंत दुर्लभ मामलों में, हम यह निर्णय लेते हैं कि ऐसा करने के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक हमारी रिपोर्ट में कोई मामला नहीं बताया जाना चाहिए।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
   a) हमने हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए।
   b) हमारी राय में, कंपनी द्वारा उन पुस्तकों की हमारी जांच से अब तक कानून द्वारा आवश्यक खातों की सही किताबें सामने आई हैं।
   (c) बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए कैश फ्लो का विवरण संबंधित खाते की पुस्तकों के अनुरूप है।
   (d) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में हैं। कंपनी नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ें।
   (e) कॉर्पोरेट प्रशासन मंत्रालय, भारत सरकार 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना 1. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 (2) कंपनी पर लागू नहीं होती है।
   (f) कंपनी के भीतर वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के संचालन का प्रभाव कंपनी के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और हमारे स्वतंत्र अनुबंध बी के संदर्भ में भारतीय संयुक्त उद्यम में इसके कार्यान्वयन पर आधारित है। हमारी रिपोर्ट आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और नियंत्रणों के संचालन पर प्रभाव पर एक अटूट दृष्टिकोण व्यक्त करती है।
   (g) अधिनियम की धारा 197 (16) के संशोधन के अनुसार, इसे अन्य मुद्दों के संदर्भ में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।

   कॉर्पोरेट प्रशासन मंत्रालय, भारत सरकार 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना 1) जीएसआर 463 (ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 (2) कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों पर लागू नहीं होती है।
   (h) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय के अनुसार और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिए गए स्पष्टीकरण में :
      i. कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर अपनी स्वतंत्र वित्तीय रिपोर्ट में 31 मार्च, 2021 तक लंबित मुकदमों के परिणाम का खुलासा किया है - एक स्वतंत्र वित्तीय विवरण के लिए नोट 3.9 देखें।
      ii. आय अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिसके लिए सामग्री अपेक्षित नुकसान के प्रावधान की आवश्यकता होती है।
      iii. कंपनी ने इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में फंड ट्रांसफर करने के लिए जरूरी फंड ट्रांसफर करने में देरी नहीं की।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार, यदि हम लेखापरीक्षा की सुझाई गई पद्धति, उस पर की गई कार्रवाई और खाते पर इसके प्रभाव और कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों का पालन करते हैं।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11), भारत सरकार (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम पैराग्राफ में निर्दिष्ट मामलों के लिए परिशिष्ट प्रदान करते हैं। आदेश के 3 और 4। सी "कथन, लागू सीमा तक।

मेसर्स **डेम्बले रमानी कंपनी के लिये**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या: 102259W)

सीए अशोक रमानी
भागीदार
(सदस्यता संख्या 030537)
UDIN -21030537AAAABO9878

हस्ताक्षर करने का स्थान:- नागपूर
रिपोर्ट की तिथि: - 04 जून 2021

परिशिष्ट 'A' लेखापरीक्षक की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2020-2021 मॉयल लिमिटेड के लिए

(हमारी रिपोर्ट की कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत और अनुच्छेद 1 (एफ) में उल्लिखित अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 तक मॉयल लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट किया है, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के ऑडिट के साथ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन लेखा परीक्षा दिशानिर्देशों में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ('आईसीएआई') जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को डिजाइन करना, लागू करना और बनाए रखना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करना, और कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित उनके व्यवसाय का सही और कुशल संचालन सुनिश्चित करना शामिल है। , और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत इसमें आवश्यकतानुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां

यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्ट पर कंपनी के वित्तीय नियंत्रण के बारे में राय व्यक्त करें। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ऑडिट ('दिशानिर्देश') और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग मानकों के अनुसार और कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझ के अनुसार हमारी ऑडिट वित्तीय रिपोर्ट का ऑडिट किया। 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू है।

और, दोनों भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोटों में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए दी गई नैतिक आवश्यकताओं और लेखा परीक्षा की योजना और योजना के अनुपालन की आवश्यकता होती है कि क्या वित्तीय रिपोर्ट पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक में प्रभावी ढंग से किए गए हैं मायने रखता है। हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टों को संसाधित करना और उनके संचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ हासिल करना, शारीरिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करना, और आंतरिक नियंत्रण संरचना का परीक्षण और मूल्यांकन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर परिचालन प्रभावशीलता शामिल है।

चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटियों के कारण स्वतंत्र उद्योगों के वित्तीय कदाचार की सामग्री का गलत मूल्यांकन शामिल है। हमारा मानना है कि हमें जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर वित्तीय रिपोर्ट पर हमारी ऑडिट राय का समर्थन करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टों की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए प्रदान की जाती है। वित्तीय रिपोर्ट पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं (1) शामिल हैं जो रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण प्रदान करते हैं, सटीक और निष्पक्ष रूप से कंपनी की संपत्ति के आचरण और प्रकृति को दर्शाते हैं। 2) लेन-देन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है और उचित आश्वासन प्रदान करता है कि कंपनी की प्राप्तियां और खर्च केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के तहत किए जाते हैं और 3) अनधिकृत के उचित संयम या समय पर आश्वासन अधिग्रहण, उपयोग या निपटान प्रदान किया गया, जो वित्तीय रिपोर्ट को प्रभावित कर सकता है।

वित्तीय रिपोर्टों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, साजिश या अनुचित प्रबंधन के नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना सहित, त्रुटियों या धोखे से सामग्री गलत बयानी हो सकती है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। भी,

भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी आकलन का अनुमान परिस्थितियों में परिवर्तन या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री के कारण वित्तीय रिपोर्ट पर अपर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अधीन हो सकता है। खराब हो सकता है।

अभिमत

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी वित्तीय मामलों पर प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, पर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग और 31 मार्च, 2019 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा में दिशानिर्देशों में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए जो कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित हैं। तथापि, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। साथ ही, कई विशेषताओं को शामिल करने के लिए ERP प्रणाली SAP को व्यापक रूप से सुधारने की आवश्यकता है, जैसे,

(1) एसएपी द्वारा निरीक्षण के प्राधिकरण के लिए वाउचर जारी करना

(२) प्राधिकरण की भूमिका और आवधिक समीक्षा

(3) ऑडिट लॉग

(4) वैधानिक, कानूनी और अन्य अनुपालन से जुड़े शासन और नियामक नियंत्रण।

डेम्बले रमानी एंड कंपनी के लिये
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या: 102259W)

सीए अशोक रमानी
भागीदार

हस्ताक्षर करने का स्थान : - नागपूर
रिपोर्ट की तिथि : - 4 जून 2021

M. No : 030537
UDIN -21030537AAAABO9878

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए मॉयल लिमिटेड के लिए परिशिष्ट 'B' में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

(जैसा कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देशों के विवरण पर हमारी रिपोर्ट की कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैराग्राफ 2 में उल्लेख किया गया है)

परिशिष्ट 'बी' को नोट 2 में दूसरे पैराग्राफ को शामिल करने के लिए संशोधित किया जा रहा है, जिसे **बोल्ड और इटैलिक** में हाइलाइट किया गया है। इस अनुच्छेद को हमारी मूल रिपोर्ट से हटा दिया गया था क्योंकि इसे शामिल करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि यह कंपनी पर लागू नहीं होता है।

इसी प्रकार अंक संख्या 3 में शब्द **(अनुदान/सब्सिडी आदि), सरकार,**

बोल्ड / इटैलिक में बहिष्कृत क्योंकि यह कंपनी पर लागू नहीं होता था और इसे शामिल करना आवश्यक नहीं समझा गया था।

जैसा कि कैग लेखा परीक्षक द्वारा देखा गया है और रिपोर्ट के प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए बिंदु संख्या 3 में उपरोक्त पैरा 2 से बिंदु संख्या 2 और शब्दों **(अनुदान / सब्सिडी आदि)** को शामिल करना, सरकार को शामिल किया गया है और इसमें शामिल नहीं है वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव।

अ. क्र.	दिशानिर्देश	उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि ऐसा है, तो लेखांकन प्रक्रिया के परिणामों को आईटी प्रणाली के बाहर खातों की अखंडता के साथ-साथ वित्तीय परिणामों, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।	हां, कंपनी मैन्युअल हस्तक्षेप सहित सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए ईआरपी-एसएपी प्रणाली का उपयोग कर रही है, जिसमें वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना शामिल है, जिसमें कई प्रावधान शामिल हैं जिनमें व्यापक शोधन की आवश्यकता होती है। • एसएपी द्वारा निरीक्षण को अधिकृत करने के लिए वाउचर बनाना, • प्राधिकरण की भूमिका और आवधिक समीक्षा • ऑडिट ट्रेल लॉग • विनियम शासन और नियामक नियंत्रण जिसमें वैधानिक और अन्य अनुपालन शामिल हैं।
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को किए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। **क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)**	नहीं
3.	क्या यह केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए निधि **(अनुदान/सब्सिडी आदि)** के लिए उपलब्ध है? क्या नियमों और शर्तों के अनुसार इसकी सही गणना/उपयोग किया गया है? विभागीय मामलों की सूची बनाएं।	नहीं। केंद्र/राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों से ऐसी कोई निधि (अनुदान और अनुदान आदि) प्राप्त नहीं हुई है या उपलब्ध नहीं है।

डेम्बले रमानी एंड कंपनी के लिये
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या: 102259W)

सीए अशोक रमानी
भागीदार
(सदस्यता संख्या 030537)
UDIN -21030537AAAABV1719

हस्ताक्षर करने का स्थान:- नागपूर
रिपोर्ट की तिथि:- 13 जुलाई 2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट परिशिष्ट 'क'

(हमारी रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 2013 (ऑडिट रिपोर्ट) आदेश, 2016 की धारा 143 (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है, जैसा कि कंपनियों की कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित है)

हमारे द्वारा मांगी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर और स्पष्टीकरण और लेखा परीक्षा के सामान्य तरीके से हमारे द्वारा जांची गई पुस्तकों और अभिलेखों के आधार पर, और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर, हम कहते हैं: -

(i) अ) कंपनी ने आम तौर पर पूर्ण विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड रखे हैं।

ब) जैसा कि हमें समझाया गया है, प्रबंधन ने समय-समय पर अपनी निर्दिष्ट संपत्तियों का सत्यापन किया है और इस तरह के भौतिक सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गई हैं। हमारी राय में, कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों की प्रकृति के संदर्भ में वर्षों से अचल संपत्तियों का सत्यापन उचित है।

c) प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान किए गए दस्तावेजों के आधार पर कंपनी के नाम पर अचल संपत्तियों में कंपनी के नाम पर अचल संपत्तियां भी शामिल हैं।

(ii) हमारी राय और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया उचित और पर्याप्त है। कंपनी उचित रिकॉर्ड रख रही है। सत्यापन के दौरान कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।

iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के 189 में रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई भी ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है।

iv) कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v) कंपनी ने जनता से जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन का मुद्दा नहीं उठता है।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत व्यय अभिलेखों का पर्यवेक्षण निर्धारित किया है और व्यय अभिलेखों का विवरण पहली नजर में अद्यतन किया है। तथापि, हमने यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वे पूर्ण हैं, व्यय अभिलेखों की विस्तार से जांच नहीं की है।

(vii) अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और लेखा पुस्तकों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी सामान्य रूप से जीएसटी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को उपयुक्त अधिकारियों को जमा करने के लिए नियमित रही है। बीमा, आयकर, सीमा शुल्क और अन्य वैधानिक भुगतान पूरे वर्ष लागू होते हैं। बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जीएसटी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, और अन्य भौतिक वैधानिक भुगतानों के संबंध में निर्विवाद राशि 31 मार्च, 2021 तक बकाया से अधिक अवधि के लिए थी। भुगतान की तारीख से 6 महीने। बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ब) प्रवेश कर और मूल्य वर्धित कर, व्यापार कर, उत्पाद शुल्क और आयकर सेवाएं जिन्हें कंपनी द्वारा क्रेडिट नहीं किया गया है, जिनका मूल्यांकन भुगतान से संबंधित विभिन्न विवादों के कारण क्रेडिट नहीं किया गया है।

अधिनियम का नाम	मांग की गई राशि (लाख में)	विरोध के तहत भुगतान की गई राशि (लाखों में)	उस अवधि से संबंधित राशि	जहां विवाद लंबित है
मध्य प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम1975	13.68	8.45	2008-09	उच्च न्यायालय, जबलपुर
	6.28	6.28	2012-13	वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड, भोपाल
	2.86	0.72	2013-14	वाणिज्यिक कर अपील, जबलपुर
	21.75	5.44	2014-15	
	10.72	2.68	2015-16	
मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2002	3.68	1.47	2011-12	वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड, भोपाल
	9.15	6.66	2012-13	
मध्य प्रदेश सीएसटी अधिनियम 1956	6.10	1.53	2013-14	वाणिज्यिक कर अपील, जबलपुर
महाराष्ट्र वैट अधिनियम 2002	13.68	0.00	2009-10	बिक्री कर अपील (महाराष्ट्र)
	0.40	0.00	2010-11	
	2.01	0.00	2011-12	
महाराष्ट्र सीएसटी अधिनियम 1956	3.24	1.08	2010-11	बिक्री कर अपील (महाराष्ट्र)
	0.71	0.47	2011-12	
व्यापार कर अधिनियम, 1975	2.27	1.13	2006-07	बिक्री कर अपील महाराष्ट्र राज्य

अधिनियम का नाम	मांग की गई राशि (लाख में)	विरोध के तहत भुगतान की गई राशि (लाखों में)	उस अवधि से संबंधित राशि	जहां विवाद लंबित है
व्यापार कर अधिनियम, 1975	7.70	1.93	2007-08	बिक्री कर अपील महाराष्ट्र राज्य
सेवा कर अधिनियम, 1994	228.91	17.73	अप्रैल,2012-जून, 2017	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय न्यायाधिकरण,मुंबई
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	14435.84	1082.69	मार्च, 2011-दिसंबर, 2015	उच्च न्यायालय, जबलपुर
आयकर अधिनियम, 1961	133.67	0	2018-19	सीआईटी-अपील

(viii) कंपनी का कोई वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर है धारकों से कोई ऋण या ऋण नहीं। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (viii) लागू नहीं होता।

(ix) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार हमने जांच की और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) और सावधि ऋण के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (ix) लागू नहीं होता है।

(x) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रथाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें कंपनी या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का कोई भी उदाहरण नहीं मिला, जो पूरे समय देखा या रिपोर्ट किया गया हो। वर्ष, या हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे मामलों की सूचना नहीं दी गई थी।

(xi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 5 के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान से छूट दी गई है।

(xii) फंडिंग नियम, 2014 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xiii) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रासंगिक पार्टियों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुसार हैं और वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार आवश्यक विवरण का खुलासा किया गया है।

(xiv) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई वरीयता आवंटन या शेयरों का निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है।

(xv) कंपनी ने निदेशक या उसके निदेशक से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 का प्रावधान लागू नहीं है।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

डेम्बले रमानी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या: 102259W)

सीए अशोक रमानी
भागीदार
M. No : 030537
UDIN -21030537AAAABO9878

हस्ताक्षर करने का स्थान :- नागपूर
रिपोर्ट की तिथि :- 4 जून 2021

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत मॉयल लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

अवलोकन	प्रबंधन उत्तर
कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर धारा के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। अधिनियम के 143(10)। यह उनके द्वारा दिनांक 04 जून 2021 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है। मैंने, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षक के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा रिकॉर्ड की चुनिंदा जांच तक सीमित है। मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं और संबंधित ऑडिट रिपोर्ट।	
1 **A. तुलनपत्रनुसार** **संपत्तियां** **संपत्ति जो वर्तमान में मौजूद नहीं है** **अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां (नोट 2.8) रु. 3957.15 लाख** **मॉयल जीएमडीसी का संयुक्त उद्यम अग्रिम रु. 670.03 लाख** एमईसीएल द्वारा खनिज अन्वेषण से संबंधित व्यय को मोयाल-जीएमडीसी संयुक्त उद्यम के तहत अग्रिम व्यय के रूप में 670.03 लाख रुपये के रूप में दिखाया गया है। इस संयुक्त उद्यम के अंतर्गत, 'संयुक्त उद्यमों में निवेश' शीर्षक के अंतर्गत, प्रासंगिक व्यय भारत सरकार की धारा 3। के अनुसार दिखाया जाना था। Ind AS31 के गैर-अनुपालन प्रावधान के परिणामस्वरूप MOIL GMDC संयुक्त उद्यम (अन्य गैर-वर्तमान संपत्ति) (नोट 2.8) और कम लिखित रुपये में अग्रिम संयुक्त उद्यम (गैर-वर्तमान) निवेश हुआ है। 670.03 लाख (नोट 2.5)।	मॉयल और जीएमडीसी के बीच एक संयुक्त उद्यम अभी तक नहीं बनाया गया है। मॉयल लिमिटेड (मोयाल) ने खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल) की देखरेख में खनिज अन्वेषण के लिए गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (जीएमडीसी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश किया है। संयुक्त उद्यम (जेवीसी) के तहत मोयल (51% शेयर) और जीएमडीसी (49% शेयर) खदान व्यवहार्यता जांच के बाद हैं। एमईसीएल ने चरण-1 में निर्दिष्ट क्षेत्र में 8260 मीटर और चरण-2 में 4903 मीटर में अनुसंधान किया है। प्रथम चरण की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, 7.65 मिलियन मीट्रिक टन संसाधन स्थापित किए जा चुके हैं और चरण-2 की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। मोयाल जीएमडीसी परियोजना के लिए अनुसंधान पर व्यय पर अग्रिम रूप से विचार किया गया है जिसे कवर किया जाना बाकी है। एमईसीएल रिपोर्ट के आधार पर मॉयल में एक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार की जा रही है। संयुक्त उद्यम (जेवीसी) बनाने का निर्णय परियोजना की व्यवहार्यता की जांच के बाद ही लिया जाना चाहिए, जो टीईएफआर को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। चूंकि तुलन पत्र की तिथि को जेवीसी का गठन नहीं हुआ है, उक्त राशि को अग्रिम के रूप में उचित रूप से प्रकट किया गया है। तथ्य यह है कि जेवीसी का गठन नहीं किया गया है, यह भी बयान के चेहरे पर स्पष्ट किया गया है कि जेवीसी का उल्लेख शामिल नहीं है। परिणामस्वरूप, गैर-वर्तमान अग्रिमों का कोई अतिकथन नहीं है और गैर-वर्तमान निवेशों को कम करके दिखाया गया है। इंड एएस 31: 'संयुक्त उद्यमों में ब्याज' संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यमों और संयुक्त उद्यम परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय पर ब्याज की रिपोर्टिंग पर लागू होता है। आपात स्थिति में, जब कंपनी की स्थापना नहीं की जा रही हो, तो "संयुक्त उद्यम में रुचि" का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए, उद्योग एएस 31 लेखांकन पर लागू नहीं होता है।

	अवलोकन	प्रबंधन उत्तर
2	**अन्य वित्तीय संपत्तियां (नोट संख्या 2.7)** **12 महीने से अधिक की परिपक्वता के साथ बैंक गारंटी (बीजी) के साथ बैंक जमा : रु. 2392.68 लाख** उपरोक्त में रुपये की सावधि जमा शामिल है। 1603. 'बैंक शेष (नकद और नकद समकक्षों के अलावा') के तहत लाइन आइटम 'सावधि जमा (बैंक गारंटी / एलसी के खिलाफ मार्जिन मनी के रूप में)' के बजाय 12 महीने या उससे कम की शेष परिपक्वता के साथ 80 लाख (नोट संख्या 2.13)। इसके परिणामस्वरूप 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि (नोट संख्या 2. 7) और सावधि जमा (बैंक गारंटी / एलसी के खिलाफ मार्जिन मनी के रूप में) (नोट संख्या 2.13) रुपये से अधिक बताई गई है। 1603.80 लाख।	बैंक गारंटी (बीजी) भारत के खान ब्यूरो, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को विभिन्न वैधानिक दायित्वों को पूरा करने और खानों के संचालन के लिए दी जाती है। इन बीजी में मार्जिन मनी (सुरक्षा) के समान सावधि जमा राशि होती है। आम तौर पर, बीजी लंबी अवधि के आधार पर जारी किए जाते हैं और इसलिए, गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत सावधि जमा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो कि 12 महीने से अधिक की अवधि के साथ बैंक बैलेंस के अंतर्गत होते हैं। मॉयल की ओर से बैंकरों द्वारा 31 मार्च, 2021 तक जारी बीजी के खिलाफ 23.93 करोड़। बकाया है। पूरी राशि को गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्ति के रूप में दर्शाया गया है। सरकारी ऑडिट में पाया गया कि उपरोक्त में से 16.04 करोड़ रुपये की बैंक जमा अगले बारह महीनों में परिपक्व हो रही है और इसे वर्तमान वित्तीय संपत्ति के रूप में दिखाया जा सकता है। बैंक शेष का वर्गीकरण (नकद और नकद समकक्षों को छोड़कर) और गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियां उन संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण हैं जिनकी बैलेंस शीट पर कर्ज है क्योंकि यह कंपनी की उधार लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। हालांकि, प्रबंधन के दृष्टिकोण से, चूंकि मोयाल एक ऋण-मुक्त कंपनी है, इसलिए इस तरह के मामूली वर्गीकरण परिवर्तन से शेयरधारकों को वित्तीय जानकारी नहीं बदली जाती है। इसके अलावा, शामिल राशि बैलेंस शीट के कुल आकार के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है कि बैलेंस शीट में प्रमुख प्रविष्टियां अन्य वित्तीय संपत्तियों के साथ रहें। की जाने वाली कार्रवाइयां: - भविष्य में अगले बारह महीनों में बीजी का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी।
3	**वर्तमान कर देयता (शुद्ध)** **परिभाषित दायित्व - इंडस्ट्रीज़ AS19 के अनुसार प्रकटीकरण: कर्मचारी लाभ (नोट 2.25)** **प्रबंधन ने उपरोक्त प्रकटीकरण के तहत निम्नलिखित का खुलासा नहीं किया है जैसा कि इंडस 19 के तहत आवश्यक है:** A. जोखिम का विवरण जिसके लिए योजना रुपये की ग्रेच्युटी की योजना संपत्ति के लिए इकाई को उजागर करती है। 21755.65 लाख और छुट्टी नकदीकरण रु। 31.03.2021 को 6716.55 लाख, जैसा कि लैंड एएस 19 के पैराग्राफ 139 (बी) के तहत अपेक्षित है। B IND 19 के पैराग्राफ 145 (b) के तहत जिम्मेदारियों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों और मान्यताओं को सीमित करता है इस प्रकार, IND 19 के तहत आवश्यक परिभाषित दायित्व का प्रकटीकरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।	सेवानिवृत्ति के बाद की ड्यूटी जैसे ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण को बीमा कंपनियों द्वारा वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। सरकारी ऑडिट में पाया गया कि फंडिंग के जोखिमों, कार्यप्रणाली की सीमाओं और देनदारियों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धारणाओं का खुलासा अपर्याप्त था। इस संबंध में निम्नलिखित प्रासंगिक हैं। (a) प्रावधान अनुच्छेद 139 (बी) योजना के लिए एक इकाई के लिए जोखिम के विवरण की आवश्यकता होती है; इस प्रकार, उदाहरण के लिए, जब एक परियोजना परिसंपत्ति को एक परिसंपत्ति में निवेश किया जाता है जहां यह बाजार जोखिम के अधीन होता है। मानक के पैराग्राफ 139 (बी) द्वारा इस प्रकार के जोखिम की धारणा कंपनी के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य बीमा कंपनियों को परिभाषित दायित्व सौंपने के लिए प्रासंगिक नहीं है। (b) मानक के पैराग्राफ 145 (बी) में संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों और धारणाओं का खुलासा तब किया जाना चाहिए जब पूर्ण प्रतिशत के संदर्भ में देयता के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए बीमांकिक मान्यताओं का उपयोग किया जाता है।

अवलोकन	प्रबंधन उत्तर
	यह ध्यान दिया जा सकता है कि संबंधित तालिका के अंत में प्रबंधन ने बीमांकिक मान्यताओं को स्पष्ट किया है, जिसमें मृत्यु दर तालिका, वार्षिक छूट दर, योजना संपत्ति पर वार्षिक अपेक्षित रिटर्न और वार्षिक वेतन में अनुमान शामिल हैं। इसमें मानकों के अनुच्छेद 145 (बी) और मान्यताओं की सीमाओं के क्षेत्र द्वारा परिकल्पित जिम्मेदारियों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां शामिल हैं। वैसे, इंडस्ट्रीज़ AS19 पैरा 139 (बी) और 145 (बी) दोनों के अनुपालन में है। यहाँ परिकल्पनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है प्रबंधन और बोर्ड के अनुसार, सीएजी की टिप्पणियां वर्गीकरण के लिए हैं, लेकिन कंपनी के परिणामों, खातों और वित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही वे बैलेंस शीट के आकार के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। भविष्य में जहां आवश्यक हो, अतिरिक्त प्रकटीकरण शामिल करने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जाएगी।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

एसडी/-
(डी. के. सेकर)
महालेखा परीक्षक (ऊर्जा),
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04-08-2021

निदेशक मंडल की ओर से

एसडी/-
एम. पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
स्थान: नागपुर
दिनांक: 24-08-2021

कैग की टिप्पणी सं. 3 के उत्तर में उल्लेखित धारणाएं

परिभाषित लाभ योजनाओं की विशेषताएं:

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना:- ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के भुगतान प्रावधान के अनुसार कर्मचारियों को ग्रेच्युटी लाभ हेतु धनराशि उपलब्ध कराना। ग्रेच्युटी की गणना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाती है और यह अधिकतम 20 लाख रुपये तक सीमित है।

परिभाषित लाभ अवकाश नकदीकरण योजना:- कंपनी अवकाश नियमों के अनुसार 300 दिनों के अधिकतम अवकाश शेष के साथ अंतिम आहरित वेतन की दर से उपार्जित अवकाश के टर्मिनल नकदीकरण लाभ के लिए कर्मचारी के खाते में धनराशि उपलब्ध कराना।

धारणाएं और सीमाएं:

परिभाषित लाभ योजना की लागत और अन्य रोजगार के बाद के लाभ और इस तरह के शुल्क का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। वास्तविक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य के वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और भविष्य में पेंशन वृद्धि शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलता और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक निश्चित लाभ देयता इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक धारणा की समीक्षा एक रिपोर्ट तिथि पर की जाती है।

मुख्य धारणाएँ छूट दर और वृद्धि की दर हैं। छूट की दर आम तौर पर देनदारियों से मेल खाने वाली अवधि के लिए लाभ भुगतान की मुद्रा के अनुरूप लेखांकन तिथि पर सरकारी बांड पर उपलब्ध बाजार उपज पर आधारित होती है। वेतन वृद्धि की दर वेतन वृद्धि के लिए कंपनी का दीर्घकालिक सर्वोत्तम अनुमान है और मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, व्यवसाय योजना, मानव संसाधन नीति और अन्य संबंधित कारकों के प्रासंगिक लेखांकन मानकों द्वारा दीर्घकालिक आधार पर प्रदान की जाती है।

जोखिम :

प्रबंधन ने ग्रेच्युटी के लिए फंड का प्रबंधन करने के लिए चार स्वीकृत फंड मैनेजर, भारतीय जीवन बीमा निगम, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को सौंपा है। रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रबंधन द्वारा फंड के प्रदर्शन, अनुमानों, छूट दरों और शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। फंड मैनेजर्स को IRDA द्वारा विनियमित किया जाता है और इसके निवेश मानदंड भारत सरकार द्वारा नीचे दिए गए राजपत्र अधिसूचना 2016 के अनुसार निर्दिष्ट किए गए हैं। फंड मैनेजर जोखिम कम करने की रणनीतियों का पालन करते हैं जिसमें क्रेडिट रेटिंग समीक्षा, एक्सपोजर एकाग्रता, सहनशीलता स्तर जोखिम, नियामक अनुपालन मानकों, मानक संचालन प्रक्रियाओं आदि शामिल हैं क्योंकि फंड मैनेजरों द्वारा निवेश किए गए अधिकांश फंड सरकारी प्रतिभूतियों में हैं और सरकार से सार्वभौमिक गारंटी है। भारत में जोखिम कम है।

क्र. सं.	निवेश का प्रकार	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम 4 (बी) के तहत निधियों का प्रतिशत
(i)	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	20% से कम नहीं
(ii)	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	20% से कम नहीं (उपर्युक्त (i) के साथ)
(iii)	स्वीकृत निवेशों में निवेश की गई शेष राशि, विनियम 9 में निर्दिष्ट जोखिम/विवेकाधीन मानदंड के अधीन, जैसा कि अनुसूची 1 में निर्दिष्ट है।	60% से अधिक नहीं

अलग तुलनपत्र

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	दिनांक 31 मार्च 2021	दिनांक 31 मार्च 2020
संपत्ति			
1 गैर-वर्तमान संपत्ति			
(अ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2.1	65629.37	58019.71
(ब) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	2.2	20089.78	24016.20
(क) अन्य अमूर्त संपत्ति	2.3	661.87	713.87
(ड) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	2.4	166.85	187.23
(इ) वित्तीय संपत्ति			
(i) निवेश	2.5	1.29	23.29
(ii) ऋण	2.6	128.47	106.58
(iii) अन्य	2.7	2392.68	2347.30
(एफ) विलंबित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	3.3	1734.37	1599.63
(जी) अन्य गैर-मौजूद संपत्ति	2.8	13957.15	11528.78
2 वर्तमान संपत्ति			
(अ) सूची	2.9	11008.16	17792.90
(बी) वित्तीय संपत्ति			
(i) निवेश	2.10	32452.13	702.17
(ii) व्यापार अधिग्रहण	2.11	22655.05	13403.86
(iii) नकद और नकद समकक्ष	2.12	500.83	20499.63
(iv) बैंक अन्य शेष	2.13	157554.14	159968.45
(v) ऋण	2.14	361.76	455.45
(c) वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)	2.15	0.00	4069.93
(d) अन्य वर्तमान संपत्ति	2.16	9738.18	14709.94
कुल संपत्ति		**339032.08**	330144.92
शेयर और देनदारियां			
इक्विटी			
(a) शेयर पूंजी	2.17	23732.79	23732.79
(b) अन्य शेयर	2.18	258257.32	252605.64
देयता			
1 गैर-वर्तमान देयता			
(a) प्रावधान	2.19	5552.77	5050.69
(b) अन्य गैर-चालू देनदारियां	2.20	1404.97	1571.95
2 वर्तमान दायित्व			
(a) वित्तीय दायित्व			
(i) व्यापार देय	2.21		
(a) एमएसएमई का कुल बकाया		470.59	545.10
(b) अन्य कुल बकाया		2428.27	3134.37
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	2.22	10704.83	14020.87
(b) अन्य चालू देनदारियां	2.23	31080.73	25089.69
(c) प्रावधान	2.24	4055.19	4393.82
(d) वर्तमान कर देयता (निवल)	2.25	1344.62	0.00
कुल शेयर और देनदारियां		**339032.08**	330144.92
महत्वपूर्ण खाता नीतियां और टिपण	1 to 3.28		

उपरोक्त तिथि तक हमें प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार,
डेम्बले रमानी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या: 102259w)

सीए अशोक रमानी
भागीदार
M. No : 030537
हस्ताक्षर करने का स्थान: -नागपूर
दिनांक : -04 जून 2021

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
DIN : 05339308

राकेश तुमाने
निदेशक (वित्त)
DIN : 06639859

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव
M.No. F5632

एकल वुत्तपत्र

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
I संचलन से आय	2.26	117737.77	103806.51
II अन्य आय	2.27	10247.57	18111.40
III कुल आय		**127985.34**	**121917.91**
IV लागत			
(a) सामग्री उपयोग की लागत	2.28	1357.21	1646.20
(b) तैयार माल, वर्तमान काम और व्यापार माल की सूची में परिवर्तन	2.29	6709.74	-6833.29
(c) कर्मचारी लाभ व्यय	2.30	44435.84	46260.69
(d) ठेकेदार के माध्यम से परिवहन, रेलिंग और अन्य कार्य किए गए		6854.60	9072.18
(e) स्टोर और अतिरिक्त माल की कीमत		8860.57	8240.57
(f) ऊर्जा और ईंधन		4546.48	4775.58
(g) बिक्री लागत	2.31	7903.57	6653.89
(h) अवक्षयण और परिशोधन मूल्य	2.1 & 2.3	9917.49	9616.15
(i) अन्य व्यय	2.32	8388.41	8436.79
कुल व्यय (IV)		**98973.91**	**87868.76**
V असाधारण सामान और कर-पूर्व लाभ/हानि (iii-iv)		**29011.43**	**34049.15**
VI असाधारण सामान		**5000.00**	**0.00**
VII लाभ / हानि (v-vi)		**24011.43**	**34049.15**
VIII कर व्यय			
(a) चालू कर		6483.10	9033.74
(b) आस्थगित कर	3.3	-134.74	193.39
		6348.36	**9227.13**
IX निरंतर संचलन से लाभ/हानि (v-vi)		**17663.07**	**24822.02**
X अन्य समावेशी आय			
(i) लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत न होने वाले कारक		1447.91	718.07
(ii) लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत वस्तुओं पर आयकर		-406.14	-184.39
		1041.77	**533.68**
XI अवधि के लिए कुल समावेशी आय (ix + x)		**18704.84**	**25355.70**
XII निरंतर प्रचलन से 10 रुपये प्रति 10 मूल्य की ईवीटी शेयर आय			
(1) कीमत (रु.)		7.44	9.80
(2) माइल्ड (रु.)		7.44	9.80
महत्वपूर्ण लेखांकन रणनीतियाँ और लेखांकन पर टिप्पणी: 1 से 3	1 to 3		

उपरोक्त तिथि तक प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार,
डेम्बले रमानी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या: 102259w)

सीए अशोक रमानी
भागीदार
M.No. : 030537
स्थान : -नागपूर
दिनांक : -04 जून 2021

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
DIN : 05339308

राकेश तुमाने
निदेशक (वित्त)
DIN : 06639859

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव
M.No. F5632

इक्विटी में बदलाव पर स्वतंत्र रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान

A. इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

समीक्षाधीन वर्ष की शुरुआत में शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी पूंजी का परिवर्तन			समीक्षाधीन वर्ष के अंत में शेष राशि
	बोनस शेयरों का वितरण	बायबैक शेयर	कुल	
23732.79	0.00	0.00	0.00	23732.79

B. अन्य इक्विटी

(₹ in lakhs)

	पूंजी आवंटन आवेदन राशि	समेकित वित्तीय प्रतिभूतियां इक्विटी	रिजर्व और अन्य				आय द्वारा अधिभार ऋण	अन्य उत्पन्नामुळे इक्विटी प्रतिभूती	प्रवाहाचा परिणाम-कारक भाग	पुनर्मू-ल्यांकन अधिभार	विदेशी मुद्रा के लिए अधिभार	अन्य समावेशी आय (निर्दिष्ट कर)	शेयर वारंट के लिए प्राप्त राशि	कुल
			प्रीमियम राखीव	इतर अधिभार	साम्य अधिभार	बाकी उत्पन्न								
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	-	-	2904.77	-	241362.34	7804.85	-	-	-	-	-	533.68	-	252605.64
लेखा नीति में परिवर्तन या पिछली अवधि में त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में बहाल शेष राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
वर्ष के लिए कुल सकल आय	-	-	-	-	-	17663.07	-	-	-	-	-	1041.77	-	18704.84
स्थानांतरण सामान्य आरक्षित						0.00								0.00
लाभांश और लाभांश कर	-	-	-	-	-	-13053.16	-	-	-	-	-	-	-	-13053.16
आरक्षित आय से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
कोई अन्य परिवर्तन-बोनस शेयर जारी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
रिटर्न शेयर और उनकी लागत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	-	-	2904.77	-	241362.34	12414.76	-	-	-	-	-	1575.45	-	258257.32
कुल ईवीटी (ए + बी)														**281990.11**

रिपोर्ट के अनुसार हमें उपरोक्त तिथि तक प्राप्त हुआ है
डेम्बेले रमानी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या: 102259w)

सीए अशोक रमानी
भागीदार
(M.No : 030537)
स्थान : -नागपूर
दिनांक : -04 जून 2021

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
DIN : 05339308

राकेश तुमाने
निदेशक (वित्त)
DIN : 06639859

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव
M.No. F5632

एकत्रित नकद प्रवाह विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष 31 मार्च 2021 तक		पिछले रिपोर्टिंग वर्ष 31 मार्च 2020 तक	
A प्रचलित प्रक्रिया से आयकर से पहले एक				
लाभ / हानि				
चल रहा काम		29011.43		34049.15
निलंबित कार्य		0.00		0.00
आस्थगित कार्य पर आयकर पूर्व लाभ		29011.43		34049.15
समायोजन				
(a) सावधि जमा पर ब्याज	-6599.16		-15463.74	
(b) निवेश पर लाभांश	-0.01		-0.04	
(c) म्युचुअल फंड निवेश पर लाभांश	-781.87		-729.62	
(d) क्षरण और शोधन	9917.49		9616.15	
(e) असाधारण आइटम	-5000.00		0.00	
(f) संयुक्त उद्यम का नुकसान (रिनमोइल और सेल और मोयल)	369.16			
(g) संयंत्र, संपत्ति और उपकरण से कटौती	137.84		156.11	
		-1956.55		-6421.14
कार्यशील पूंजी में बदलाव से पहले परिचालन लाभ		27054.88		27628.01
समायोजन के लिए -				
(a) इन्वेंटरी (वृद्धि) / कमी	6784.74		-7530.63	
(b) व्यापार प्राप्तियों में वृद्धि / कमी	-9251.19		-219.31	
(c) वर्तमान संपत्ति (वृद्धि) / कमी	9041.69		-2852.18	
(d) अनर्जक आस्तियां (वृद्धि)/कमी	-2428.38		-3805.88	
(e) ऋण और अग्रिम (वृद्धि) / कमी	71.80		26.31	
(f) अन्य कुल आय	1041.77		533.68	
(g) व्यापार और अन्य देनदारियां (वृद्धि) / कमी	3235.48		1230.21	
		8495.91		-12617.80
संचलन से नकदी प्रवाह		35550.79		15010.21
देय आयकर (कुल)		-6483.10		-9033.74
देय आयकर के पिछले वर्ष के लिए		0.00		-178.16
वर्तमान कार्यवाही से शुद्ध नकद		**29067.69**		**5798.31**
B निवेश के माध्यम से नकद				
(a) जमाराशियों पर ब्याज	6599.16		15463.74	
(b) निवेश पर लाभांश	0.01		0.04	
(c) म्युचुअल फंड की परिपक्वता पर लाभ	781.87		729.62	
(d) मूर्त और अमूर्त संपत्ति का अधिग्रहण के साथ-साथ पूंजीगत कार्य प्रगति पर है (बिक्री से शुद्ध आय)	-13666.18		-19986.90	
(e) तीन महीने से अधिक की जमाराशियों पर निवेश	-30500.00		61834.79	
(f) 12 महीने से अधिक जमाराशियों पर निवेश	33063.81		0.00	
(g) एलसी और बीजी में जमा (गैर-निधि आधारित सुविधाएं)	-190.50		-57.84	
(h) निवेश (सहायक/संयुक्त उद्यम)	22.00		-1.00	
(i) संयुक्त उद्यम का नुकसान (रिनमोइल और सेल और मोयल)	-369.16			
(j) लिक्विड म्यूचुअल फंड में वर्तमान निवेश	-31749.96		10749.76	
निवेश प्रक्रिया में कुल नकदी प्रवाह		**-36008.95**		**68732.21**

नकदी प्रवाह का स्वतंत्र विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष 31 मार्च 2021 तक		पिछले रिपोर्टिंग वर्ष 31 मार्च 2020 तक	
C वित्तीय कार्यों से नकदी प्रवाह				
(a) लाभांश (* कर योग्य लाभांश)	-13053.16		-17900.18	*
(b) वारंट का नकदीकरण लंबित लाभांश खाते	-4.38		-26.36	
(c) बायबैक शेयर	0.00		-30827.13	
(d) बायबैक शेयरों पर कर और व्यय	0.00		-7403.35	
वित्तीय प्रक्रियाओं में शुद्ध नकदी का उपयोग		**-13057.54**		**-56157.02**
D डी नकद और नकद समकक्ष शुद्ध वृद्धि / (-) कमी		**-19998.80**		**18373.50**
E ई नकद या नकद समकक्ष शुद्ध वृद्धि		**20499.63**		**2126.13**
आरंभिक नकद और नकद समतुल्य		500.83		20499.63
नकद और नकद समकक्ष शुद्ध वृद्धि / (-) कमी		**-19998.80**		**18373.50**

भारतीय लेखा मानक AS7 में दिए गए अनुसार अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकदी प्रवाह वितरण किया जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार हमें उपरोक्त तिथि तक प्राप्त हुआ है
डेम्बेले रमानी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या: 102259w)

सीए अशोक रमानी
भागीदार
M.No : 030537
स्थान: नागपूर
रिपोर्ट दिनांक:- 4 जून 2021

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
DIN : 05339308

नोट नं. 1

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली वित्तीय रूप से महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और टिप्पणियां

कॉर्पोरेट और सामान्य जानकारी

मॉयल लिमिटेड (बाद में 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) भारत में संचालित एक स्वदेशी कंपनी है। कंपनी अनुसूची 'ए' एक मिनीरत्न श्रेणी है। केंद्र एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। देश में मैंगनीज की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 1-ए, काटोल रोड, नागपुर-440 013 महाराष्ट्र में है। कंपनी की प्रतिभूतियों को क्रमशः मॉयल और अंडरस्क्रिप्ट कोड 533286 के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है।

1 महत्वपूर्ण लेखा रणनीति

1.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

(a) अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों (उद्योग एएस) के अनुसार ऐतिहासिक व्यय सम्मेलन के तहत प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किए जाते हैं (कुछ वित्तीय साधनों को छोड़कर, जिनकी गणना उचित कीमतों पर की जाती है), जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा प्रदान किया गया है। ') सेबी द्वारा जारी निर्देश और दिशानिर्देश)। उद्योग कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 की धारा 133 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 के नियम 3 के तहत निर्धारित हैं।

(b) माप का आधार

वित्तीय विवरण लागत के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जिसमें निम्नलिखित संपत्ति और देनदारियों को छोड़कर, जिनके मूल्य की गणना उचित मूल्य के अनुसार की जाती है: -

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जिनके द्वारा इसे उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है

  अन्य व्यापक आय से लाभ और हानि या उचित मूल्य।
- बिक्री के लिए संपत्ति, वहन राशि से कम कीमत पर और कम मूल्य पर।
- परिभाषित लाभ योजना और योजना संपत्ति।

(c) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (एच) में प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। जब तक अन्यथा न कहा गया हो, एच में प्रस्तुत सभी वित्तीय सूचनाओं को लाख के निकटतम दो दशमलव तक पूर्णांकित किया गया है।

(d) अनुमानों, अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग प्रबंधन को कंपनी की लेखा नीतियों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करते समय बजट और अनुमानित नीतियों की आवश्यकता होती है। जो आज तक की संपत्ति और देनदारियों के प्रमाणित प्रभाव और आकस्मिक देयता के प्रकटीकरण को प्रभावित करता है। जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरण, रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की मात्रा और वित्तीय विवरणों के नोट्स हो सकते हैं। वास्तव में वे अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और उसी अवधि में पहचाने गए अंतरों के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन रणनीतियों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यह लेखा नीति वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लगातार लागू की गई है।

1.2 महत्वपूर्ण लेखांकन रणनीतियों का सारांश

वित्तीय विवरण तैयार करते समय लागू महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश निम्नलिखित है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लगातार लागू किया गया है।

1.2.1 अचल संपत्तियों का मूल्यांकन

(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

मान्यता और मूल्यांकन

खरीदी गई संपत्ति, संयंत्रो और उपकरणों के बराबर नकद मूल्य की प्रारंभिक लागत में इसकी खरीद मूल्य, आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद कर, संपत्ति को काम करने की स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष लागत, स्थान और कमीशनिंग, जहां लागू हो, शामिल हैं।

परिसंपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों को संचित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो, की कम लागत पर रखा जाता है।

नोट नं. 1 (जारी...)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जो बैलेंस शीट की तारीख पर इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' घोषित किया जाता है। इस तरह की वस्तुओं को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयुक्त श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जब वे पूरी हो जाती हैं और इच्छित उपयोग के लिए तैयार हो जाती हैं।

(b) **अचल संपत्ति का आकलन**

मान्यता और मूल्यांकन

यदि मूल्य अमूर्त संपत्ति के मूल्य से कम है नुकसान का आकलन किया जाता है। अवास्तविक धन में निम्नलिखित शामिल हैं।

अवास्तविक अचल संपत्ति में निम्नलिखित शामिल हैं

(i) लीज एग्रीमेंट में निर्दिष्ट वर्ष तक लीजहोल्ड की लागत।

(ii) कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए एसएपी लाइसेंस प्राप्त करने की लागत

(iii) सॉफ्टवेयर की कीमत जिसका उपयोगी जीवन 3 वर्ष है।

अमूर्त संपत्ति जो बैलेंस शीट की तारीख पर इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें 'विकास के तहत अमूर्त संपत्ति' के रूप में प्रकट किया जाता है। ऐसी वस्तुओं को अमूर्त संपत्ति की उपयुक्त श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जब वे पूरी हो जाती हैं और इच्छित उपयोग के लिए तैयार हो जाती हैं।

(c) मूल्यह्रास और ऋण माफी

(i) विभिन्न परिसंपत्तियों के उपयोग की अवधि के आधार पर मूल्यह्रास की गणना विंड टर्बाइन जनरेटर पर सीधी लाइन गणना द्वारा की जाती है और (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में निर्धारित अन्य सभी परिसंपत्तियों पर रिटर्न डाउन वैल्यू की गणना करके। जब किसी संपत्ति का पहली बार महीने के दौरान किसी भी दिन उपयोग किया जाता है, तो पूरे महीने के भाव की गणना की जाती है।

(ii) पट्टे की अवधि के दौरान अलग की गई वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के साथ पट्टे पर दी गई भूमि की कीमत।

(iii) खनन अधिकारों को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और इससे संबंधित सभी लागतों की कटौती उनके सीधे अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर की जाती है।

(iv) सॉफ्टवेयर उनके उपयोगी जीवन के अनुसार बदलता है।

(d) संपत्ति के नुकसान का लेखन

निपटान की गई सभी संपत्तियों को उसी के लिए शून्य स्क्रैप मूल्य मानकर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। यदि और जब ऐसी निपटान की गई संपत्ति का आंशिक या पूर्ण रूप से निपटान किया जाता है, तो बिक्री के समय वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

(e) निर्माण अवधि के दौरान लागत

ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पहचाने जाने योग्य विशिष्ट परियोजनाओं पर निर्माण अवधि के दौरान किए गए सभी खर्च, इन परियोजनाओं के पूरा होने की तारीख और उनके पूरा होने की तारीख तक की लागत में शामिल हैं।

(f) निर्माण अवधि के दौरान ब्याज

किसी विशेष संपत्ति ऋण पर ब्याज निर्माण अवधि के दौरान शुरू से अंत तक पूंजीकृत किया जाता है। (ऋण पर अन्य वित्तीय व्यय सहित)

(g) संपत्ति को नुकसान

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि संपत्ति खराब हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि ऐसी वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम है, तो वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से काट ली जाती है। इस कटौती को हानि माना जाता है और इसे लाभ-हानि विवरण के रूप में जाना जाता है। यदि कोई संकेत है कि पहले से मूल्यांकन की गई विकलांगता हानि मौजूद नहीं है, तो वसूली योग्य राशि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और संपत्ति को वसूली योग्य राशि पर दर्शाया जाता है।

1.2.2 निवेश

शेयरों में लंबी अवधि के निवेश लागत पर किए जाते हैं। मूल्य को कम करना, यदि कोई अस्थायी प्रकृति का नहीं है, यदि कोई हो, प्रदान किया जाता है।

कोई निवेश सूचीबद्ध नहीं है और इस प्रकार संयुक्त उद्यम में निवेश के अलावा किसी अन्य निवेश का मूल्य कम नहीं होता है जिसके लिए नुकसान का पर्याप्त प्रावधान किया जाता है।

नोट नं. 1 (जारी...)

1.2.3 सूची

सूची का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है।

(अ) तैयार माल

(i) मैंगनीज के सभी ग्रेड (फाइन, हच डस्ट और एचआईएमएस रिजेक्ट को छोड़कर): - खदान की संपत्ति पर मूल्यह्रास या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के साथ, जो भी कम हो।

(ii) मैंगनीज मेटल फाइन्स, हच डस्ट और एचआईएमएस रिजेक्ट्स: जिनिंग/प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन आदि का आवंटन लागत प्रति टन के आधार पर किया जाता है, जो भी कम हो।

(iii) बंदरगाह में मैंगनीज धातु: - बंदरगाह पर उतरी कीमत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो। खर्च की गई लागत में माल ढुलाई, उतराई शुल्क, नमूना शुल्क आदि शामिल हैं।

भौतिक और बुक स्टॉक के बीच अंतर को तब तक समायोजित नहीं किया जाता है, जब तक कि खानों में स्टॉक की कुल स्थिति कई बुक स्टॉक की तुलना में अधिक न हो। जब भी खनिज को वास्तव में भेज दिया जाता है, अतिरिक्त या कमी का निर्धारण प्रत्येक स्टैक के लिए रेलिंग/शिपमेंट के बाद किया जाता है और उसी वर्ष कंपनी की पुस्तकों में गणना की जाती है।

(iv) इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) (जिसमें 31 मार्च को संसाधित उत्पाद के कंधे का आकलन तकनीकी अनुमान के अनुसार ईएमडी की पूर्ण इकाई के प्रतिशत के रूप में किया जाता है।)):

(v) (a) फेरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज जो 31 मार्च को केक के रूप में शामिल है। इसका मूल्यांकन तकनीकी रूप से किया जाता है। चालू वर्ष के उत्पादन परिव्यय के समान, जिसमें फेरो मैंगनीज संयंत्र का मूल्यह्रास (स्लैग के वसूली योग्य मूल्य को कम करके) या शुद्ध नकद मूल्य, जो भी कम हो, शामिल है।

(b) प्रसंस्कृत स्टॉक: - फेरोमैंगनीज / सिलिको मैंगनीज इंप्रोसेस की मात्रा का वजन, अवलोकन या मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है और इसलिए, कोई मूल्य निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(vi) स्लैग का स्टॉक:- स्लैग फेरो मैंग्नीज की उत्पादन प्रक्रिया में बनने वाली अशुद्धियों का पिघला हुआ गोला होता है। जिसे एसएपी समझा जा रहा है। और वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।

(B) वेयरहाउसिंग सामग्री सूची (सामग्री, स्पेयर पार्ट्स, लकड़ी, विस्फोटक, ईंधन और ग्रीस और कच्चे माल): - भारतीय लेखा मानक 2 के अनुसार लागत और शुद्ध वसूली योग्य पर मूल्यांकन किया गया।

(i) सभी स्टॉक सामग्री और स्पेयर पार्ट्स आदि का सत्यापन प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाता है। प्रत्येक कंधे और बुकिश शोल्डर के बीच के अंतर की जांच करके खाते की किताब में आवश्यक समायोजन किया जाता है।

(ii) फेरो मैंगनीज संयंत्र के संबंध में, संयंत्र में उपलब्ध मैंगनीज धातु को छोड़कर, मूल्य का निर्धारण कच्चे माल की स्टॉक लोडिंग औसत विधि द्वारा आधार मूल्य पर किया जाता है। संयंत्र के मैंगनीज भंडार का मूल्य चालू वर्ष की उत्पादन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और परिवहन लागत के साथ-साथ अन्य लागतों से जो भी कम हो, द्वारा निर्धारित किया जाता है। संयंत्रों में, धातु की प्रारंभिक और अंतिम धातुओं को "कच्चे माल" शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

(C) वर्ष के अंत में सूची को भौतिक रूप से सत्यापित किया जाता है।

(डी) मैंगनीज के उत्पादन और सूची के साथ-साथ बड़ी मात्रा में कच्चे माल और फेरो मैंगनीज का उत्पादन/तकनीकी विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर/मात्रा अनुपात पर निर्णय लिया जाता है और इसे ध्यान में रखा जाता है।

1.2.4 व्यापार प्राप्तियां

व्यापार प्राप्तियों में सुरक्षित और असुरक्षित व्यापार प्राप्य दोनों शामिल हैं जिन्हें अच्छी तरह से माना जाता है। साख पत्र/बैंक गारंटी द्वारा व्यापारी रसीदों को सुरक्षित और अच्छा माना जाता है। सुरक्षित और अच्छी व्यापार प्राप्तियों को व्यापार प्राप्तियों के शून्य दिनों की गणना से बाहर रखा गया है।

1.2.5 नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्ष नकद और मांग जमा के साथ-साथ अन्य अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम) जिन्हें आसानी से ज्ञात मात्रा में परिवर्तित किया जा सकता है और परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन किया जा सकता है।

नोट नं. 1 (जारी...)

1.2.6 वित्तीय लिखतों का उचित मूल्यांकन

कंपनी वित्तीय साधनों (जहां सक्रिय बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं हैं) और गैर-वित्तीय संपत्तियों के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों को लागू करती है। इसमें मूल्य उपकरणों के लिए बाजार सहभागियों के अनुरूप विकासशील भविष्यवाणियां और धारणाएं शामिल हैं। कंपनी की धारणाएं डेटा पर आधारित होती हैं जिन्हें जहां तक संभव हो देखा जा सकता है, अन्यथा उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकते हैं जो रिपोर्टिंग की तिथि पर हाथ की लंबाई के लेनदेन में पाए जाएंगे।

1.2.7 नकदी प्रवाह का विवरण

कैश फ्लो स्टेटमेंट Ind AS-7: 'कैश फ्लो स्टेटमेंट' में उल्लिखित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

1.2.8 लागत कम करें

विकास कार्यों की लागत का खुलासा

खनन की प्रारंभिक अवधि के दौरान खदान से अवशिष्ट सामग्री निकालने की लागत को एक परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। इस पर मूल्यह्रास की गणना प्रबंधन द्वारा निर्धारित जीवन स्तर के अनुसार की जाती है।

उत्पादन लागत का खुलासा

इसे खदान की उत्पादन अवधि के दौरान खदानों से निकाली जाने वाली अवशिष्ट सामग्री के लिए अतिरिक्त लागत की लागत के रूप में घटाया जाता है।

1.2.9 आयकर

आयकर में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल हैं। आय कर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में परिभाषित किया जाता है जब तक कि यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में पहचानी गई वस्तुओं से संबंधित है।

(a) वर्तमान आयकर

वर्तमान अवधि के लिए वर्तमान आयकर की गणना उस अवधि के लिए कर योग्य आय के आधार पर कर अधिकारियों द्वारा वसूल की जाने वाली या भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर की जाती है। वर्तमान कर राशि की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्ट की तिथि के अनुसार लागू किए गए हैं या उस अवधि के लिए लागू हैं। कंपनी वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देनदारियों को ऑफसेट करती है, जहां उसके पास एक मान्यता प्राप्त राशि निर्धारित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार है, और जहां वह एक ही समय में शुद्ध आधार पर निपटान या संपत्ति और देनदारियों का एहसास करना चाहता है।]

(ब) आस्थगित आयकर

आस्थगित आयकर की पहचान बैलेंस शीट दृष्टिकोण का उपयोग करके की जाती है। आस्थगित आयकर आस्तियों और देनदारियों को संपत्ति और देनदारियों के कर आधार और उनकी वित्तीय राशि में रखी गई राशि के बीच उत्पन्न होने वाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए जाना जाता है, सिवाय जब आस्थगित आयकर सद्भावना या संपत्ति या देनदारियों की प्रारंभिक पहचान से उत्पन्न होता है। लाभ या हानि को प्रभावित करते हैं। आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां इस हद तक जानी जाती हैं कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है, जिसकी तुलना में कटौती योग्य अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

आस्थगित कराधान सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए जाना जाता है। आस्थगित आयकर परिसंपत्ति द्वारा वहन की गई राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या उसके हिस्से का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ प्राप्त करना संभव नहीं है। आस्थगित आयकर आस्तियों और देनदारियों की गणना उस कर दर पर की जाती है जो उस अवधि के दौरान लागू होने की उम्मीद है जब संपत्ति का एहसास होता है या देयता का निपटारा होता है, जो कर की दर (और कर कानूनों) के आधार पर होता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर लागू होते हैं या सख्ती से लागू कर रहे हैं।

1.2.10 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब मान्यता दी जाती है जब सरकार उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करती है और इस बात की उचित गारंटी होती है कि अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी से संबंधित व्यय शामिल होते हैं जिसके लिए अनुदान की प्रतिपूर्ति की जानी है।

जहां अनुदान संपत्ति के मूल्य से संबंधित है, इसे आस्थगित आय के रूप में जाना जाता है और संपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन से कम है। अन्य अनुदानों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसके लिए अनुदान संबंधित है / जिसका उद्देश्य खर्चों को कवर करना है।

नोट नं. 1 (जारी...)

जहां कंपनी गैर-वित्तीय अनुदान प्राप्त करती है, वहां संपत्ति और अनुदान की उचित राशि दर्ज की जाती है और अपेक्षित उपयोगी जीवन और अंतर्निहित परिसंपत्ति लाभ के उपयोग पर आय विवरण में प्रकट की जाती है।

1.2.11 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना पूरे वर्ष में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करके की जाती है।

पतला ईपीएस की गणना मूल ईपीएस प्राप्त करने के लिए मानी जाने वाली इक्विटी की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है।

1.2.12 खनन और मूल्यांकन

खनन और मूल्यांकन लागत को अनुसंधान और विकास लागत के रूप में माना जाता है और लाभ-हानि विवरण पर लगाया जाता है।

1.2.13 परिचालन के माध्यम से राजस्व - बिक्री

बिक्री के बीज बनाए जाते हैं। और राजस्व लेखा पुस्तकों में रेलवे रसीद/लॉरी रसीद/डिलीवरी चालान के आधार पर माल भेजने के बाद ही स्वीकार किया जाता है।

(अ) मैंगनीज की बिक्री

(i) प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर गुणवत्ता अंतर के लिए अनुपूरक भुगतान प्रस्तुत किया जाता है। अगले वर्ष में देय तिथि तक प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट को प्रेषण वर्ष में माना जाता है और पूरक भुगतान तदनुसार प्रस्तुत किया जाता है और उसी वर्ष के लिए खाते में लिया जाता है। नियत तारीख तक प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट को प्रेषण के वर्ष में माना जाता है। और पूरक भुगतान तदनुसार प्रस्तुत किया जाता है। और उसी वर्ष के लिए गणना की जाती है। नियत तारीख के बाद प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट के मामले में, इसे अगले वर्ष लिया जाता है।

(ii) बिक्री में जीएसटी को छोड़कर रॉयल्टी, जिला खनिज कोष और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट से योगदान, जहां लागू हो, के संबंध में एक राशि शामिल है। मूल्य छूट के अनुपात में बिक्री कम हो जाती है। कंपनी अपने ग्राहकों के लिए प्रमुख के रूप में कार्य करती है और सभी प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार है, इसलिए राजस्व की गणना कुल आधार पर की जाती है।

(iii) संचलन के दौरान उत्पादित मैंगनीज धातुओं को फाइन, हच, धूल और HIMS उत्पादों को अस्वीकार कर दिया जाता है और जब उन्हें बेचा जाता है, तो उन्हें संबंधित बिक्री खदान उत्पाद से राजस्व के रूप में दर्ज किया जाता है।

(B) एमपी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को बिजली की बिक्री

राजस्व की गणना बिजली बिक्री के अनुबंध के अनुसार निर्धारित दर पर ग्रिड में जारी बिजली के आधार पर की जाती है।

1.2.14 अन्य आय

(A) विभिन्न उधारकर्ताओं से ब्याज आय के रूप में जाना जाता है -

(i) उधारकर्ता द्वारा बैंक के माध्यम से ऋण पत्र के आधार पर नकदी के संबंध में, जहां नकदी की गारंटी है, नकदी को उपार्जित माना जाएगा।

चालू वर्ष के अंत में, ऋण अवधि के लिए ब्याज भुगतान उस वर्ष के लिए स्वीकार किया जाता है जिससे वह संबंधित है।

(ii) जब तक वसूली साख पत्र या बैंक गारंटी द्वारा समर्थित नहीं है और सीधे कंपनी द्वारा बिल नहीं किया जाता है, जहां इसकी वसूली अनिश्चित है, प्रबंधन के अनुभव के आधार पर, इसे वास्तविक वसूली होने पर आय के रूप में जाना जाता है।

(B) जमा और अग्रिम पर ब्याज की पहचान संचित आय के आधार पर की जाती है।

(C) ज्ञापन रिकॉर्ड प्रतिस्थापन / खराब हो चुके भागों / स्क्रैप पूंजीगत सामान के संबंध में रखा जाता है। जब उनका निपटान किया जाता है, तो प्राप्त राशि को उस वर्ष के लिए विभिन्न प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है।

(D) म्यूचुअल फंड आय की प्रतिपूर्ति एनएवी के आधार पर निपटान की तारीख या बैलेंस शीट की तारीख पर लाभ और हानि विवरण के माध्यम से की जाती है।

1.2.15 कैप्टिव उपयोग

मैंगनीज ओर

नोट नं. 1 (जारी...)

यदि ईएमडी/फेरो मैंगनीज के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में मैंगनीज धातु, फाइन/एचआईएमएस रिजेक्ट का उत्पादन किया जाता है, तो इसका आकलन वर्तमान वर्ष की उत्पादन अवधि के अनुसार कंधे के आकलन की स्वीकृत विधि के अनुसार और आकलन की स्वीकृत पद्धति के अनुसार भी किया जाता है। कंधा। धातु की खपत का हिसाब औसत लागत के आधार पर लगाया जाता है। निर्यातित धातु की मूल्यवान धातु निष्कर्षण/परिचालन लागत कम हो जाती है और इसे 'विनिर्माण लागत' के रूप में कच्चे माल की खपत के रूप में माना जाता है।

बिजली

पवन ऊर्जा संयंत्र इकाई से उत्पन्न बिजली की लागत और खानों / संयंत्रों में उपयोग की जाने वाली बिजली की लागत संबंधित इकाइयों से ली जाती है।

1.2.16 बिक्री कर, आयकर, सेवा कर आदि।

(A) बिक्री कर, आयकर, जीएसटी, आदि के संबंध में, निर्धारण आदेश के अनुसार देय या प्राप्य राशि की गणना उस वर्ष में की जाती है जिसमें कंपनी द्वारा आदेश स्वीकार और स्वीकार किया जाता है, चाहे वह वर्ष कुछ भी हो जिसमें आदेश संबंधित है।

(B) क्रेडिट खरीद पर बिक्री कर / जीएसटी पर सेट ऑफ / इनपुट टैक्स का दावा किया जाता है। सेट ऑफ/इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम और वास्तविक सेट ऑफ/इनपुट टैक्स क्रेडिट के बीच अंतर की गणना उस वर्ष में की जाती है जिसमें कंपनी ने मूल्यांकन आदेश प्राप्त किया और स्वीकार किया।

1.2.17 कर्मचारी लाभ

(a) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

जिस वर्ष संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, उस वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में अनिर्धारित राशि पर अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को व्यय के रूप में जाना जाता है।

(b) रोजगार के बाद के लाभ

रोजगार के बाद के लाभों में भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं।

(i) परिभाषित लाभ योजना

ग्रैच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधाओं जैसे रोजगार के बाद के लाभों को उस वर्ष के लाभ-हानि विवरण में खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी ने सेवा की है। व्यय की पहचान देय राशि के वर्तमान मूल्य पर की जाती है, जिसे एक बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके या रोजगार के बाद निर्धारित किया जाता है।

चिकित्सा सुविधाओं (रोगियों में) जैसे लाभ बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किए जाते हैं और बीमा प्रीमियम की राशि उस वर्ष में लाभ और हानि के विवरण पर ली जाती है जिसमें इसे खर्च किया जाता है।

(ii) परिभाषित योगदान योजना

परिभाषित योगदान योजनाएं (भविष्य निधि, पेंशन) रोजगार के बाद की लाभ योजनाएं हैं, जिसके तहत कंपनी स्वतंत्र योगदान (निधि) में एक निश्चित योगदान देती है। परिभाषित योगदान योजनाओं में कंपनी के योगदान की पहचान उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में की जाती है जिससे वह संबंधित है।

कंपनी निर्दिष्ट योगदान योजना के तहत ट्रस्ट (आंशिक रूप से छूट) को सरकार द्वारा अनुमोदित एक निश्चित दर पर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में योगदान करती है। ट्रस्ट सदस्य के खाते पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर पर और उससे अधिक छूट के साथ ब्याज का भुगतान कर रहा है।

कंपनी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों (पेंशन योजना) के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत 10% की दर से भारतीय जीवन बीमा निगम में योगदान करती है।

1.2.18 वीआरएस खर्च

कंपनी पूरे साल के खर्चे की पूरी रकम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में चार्ज करती है।

1.2.19 कल्याण आयुक्त से अनुदान के लेखे

(a) श्रम केंद्र

कंपनी ने कुछ श्रमिक क्वार्टरों का निर्माण/निर्माण किया है, जिसके लिए कंपनी को कल्याण आयुक्त से सब्सिडी मिल रही है। जिस भूमि पर ऐसे क्वार्टर बने हैं, वह कल्याण आयुक्त को सौंप दी जाती है और संपत्ति (निर्मित क्वार्टर) कल्याण आयुक्त के पास होती है, इसलिए कंपनी द्वारा किए गए पूरे खर्च को चार्ज किया जाता है और प्राप्त सब्सिडी को भी वार्षिक राजस्व में जमा किया जाता है जिसमें व्यय/सब्सिडी प्राप्त होती है।

नोट नं. 1 (जारी...)

(b) कल्याण संपत्ति

कल्याणकारी योजनाओं के तहत, स्कूल बस, एम्बुलेंस, जलापूर्ति योजना आदि संपत्ति प्राप्त करने की पूरी लागत संबंधित संपत्ति खाते में डेबिट की जाती है जिसमें खर्च किया जाता है। प्राप्त अनुदान की राशि प्राप्ति के वर्ष में उसी संपत्ति शीर्ष में जमा की जाती है और फिर उस वर्ष से संपत्ति के इतने कम मूल्य पर मूल्यह्रास लगाया जाता है।

1.2.20 कंपनी का दावा

बीमा कंपनी/रेलवे के पास दायर दावों की राशि की गणना वर्ष के दौरान दावा की गई राशि के आधार पर उनकी वसूली के उचित आश्वासन के आधार पर की जाती है और दावों के निपटान में कोई विसंगति होने पर समायोजित किया जाता है।]

1.2.21 प्रीपेड खर्च

व्यय को केवल प्रीपेड माना जाता है, जहां प्रत्येक मामले में राशि ₹ 5.00 लाख से अधिक है।

1.2.22 संदिग्ध ऋणों का प्रावधान

दो साल से अधिक समय से बकाया विभिन्न कर्जदारों के मामलों की समीक्षा के आधार पर अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान किया गया है। प्रदान किया गया।

1.2.23 अनुसंधान और विकास लागत

अनुसंधान और विकास लागत लाभ और हानि विवरण पर खर्च की जाती है। हालांकि, अनुसंधान और विकास से संबंधित अचल संपत्तियों की लागत को अन्य अचल संपत्तियों के समान माना जाता है।

1.2.24 खानों को बंद करने की लागत

सभी खदानों के कुल उपलब्ध धातु भंडार के आधार पर, आर्थिक परिणाम तकनीकी रूप से प्रासंगिक अधिनियमों और विनियमों के अनुसार अंतिम खदान बंद करने की योजना है। सभी खानों के कुल उत्पादन पर विचार करने के बाद, इसे वर्षों में खातों में दिया जाता है।

1.2.25 गैर-वन उद्देश्यों के लिए अपतटीय भूमि के अपवर्तन का शुद्ध वर्तमान मूल्य

संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद दायित्व को मान्यता दी जाती है।

1.2.26 वित्तीय तैयारी और प्रस्तुति में सामग्री की सीमाएं

कंपनी ने पिछले वर्षों से संबंधित प्रत्येक मामले में आय/व्यय के लिए 5 करोड़ रुपये की आय सीमा मूल्य स्वीकार किया है।

तुलनपत्र पर टिप्पणी

नोट 2.5 संयंत्र, संपत्ति और सामग्री

(रु. लाख में)

क्र. सं.	संपत्ति विवरण	सकल वॉल्यूम				मूल्यह्रास वॉल्यूम				शुद्ध वॉल्यूम	
		01.04.2020 को	वर्ष भर में वृद्धि	वर्ष के दौरान घट/जोड	31.03.2021 रोजी	01.04.2020 को	वर्ष के लिये	वर्ष के दौरान घट/जोड	31.03.2021 तक	31.03.2021 को	31.03.2020 को
1	प्री होल्ड लैंड	2450.04	73.98	0.00	2524.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2524.02	2450.04
2	भवन	33727.55	8492.74	257.49	41962.80	10851.96	2264.38	214.83	12901.51	29061.29	22875.59
3	संयंत्र और संपत्ति	76090.17	8388.78	1492.13	82986.82	44050.84	7186.37	1399.24	49837.97	33148.85	32039.33
4	फर्नीचर और जुड़नार	570.09	200.74	9.55	761.28	418.95	59.01	9.07	468.89	292.39	151.14
5	वाहन	1307.09	118.42	16.62	1408.89	1069.90	72.12	15.79	1126.23	282.66	237.19
6	कार्यालय उपकरण	984.07	148.29	1.96	1130.40	717.65	93.63	1.04	810.24	320.16	266.42
	कुल	**115129.01**	**17422.95**	**1777.75**	**130774.21**	**57109.30**	**9675.51**	**1639.97**	**65144.84**	**65629.37**	**58019.71**

1 भवन में जमीन भी शामिल है। जहां जमीन के लिए अलग से राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

2 उपरोक्त वर्ष के लिए मूल्यह्रास में निम्नलिखित मूल्यह्रास भी शामिल है।

(रु. लाख में)

विवरण	2020-21 के लिए	2019-20 के लिए
(a) विनिर्माण संपत्ति	256.33	217.14
(b) ऊर्जा उत्पादन संपत्ति	577.97	562.85

3 तुलना की तिथि पर कोई हानि नहीं है।

(रु. लाख में)

अ. क्र.	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
1	निर्माण में पूंजी धन	20089.78	24016.20

नोट 2.3 अन्य अवास्तविक संपत्ति

(रु. लाख में)

क्र. सं.	संपत्ति विवरण	सकल वॉल्यूम				मूल्यह्रास वॉल्यूम				शुद्ध वॉल्यूम	
		01.04.2020 को	वर्ष भर में वृद्धि	वर्ष के दौरान घट/जोड	31.03.2021 को	01.04.2020 तक	वर्ष के लिये	वर्ष के दौरान घट/जोड	31.03.2021 तक	31.03.2021 को	31.03.2020 को
1	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1669.36	68.62	1.01	1736.97	1411.86	141.59	0.95	1552.50	184.48	257.50
2	खनन अधिकार	2290.34	121.41	0.00	2411.75	1833.97	100.39	0.00	1934.36	477.39	456.37
	कुल	**3959.70**	**190.03**	**1.01**	**4148.72**	**3245.83**	**241.98**	**0.95**	**3486.86**	**661.87**	**713.87**

नोट 2.4 विकास के तहत अमूर्त संपत्ति.

(रु. लाख में)

क्र. सं.	संपत्ति विवरण	सकल वॉल्यूम				मूल्यह्रास वॉल्यूम				शुद्ध वॉल्यूम	
		01.04.2020 को	वर्ष भर में वृद्धि	वर्ष के दौरान घट/जोड	31.03.2021 रोजी	01.04.2020 तक	वर्ष के लिये	वर्ष के दौरान घट/जोड	31.03.2021 तक	31.03.2021 को	31.03.2020 को
1	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर									0.40	42.51
2	खनन अधिकार									166.45	144.72
	कुल									**166.85**	**187.23**
	कुल मूल्य	**119088.71**	**17612.98**	**1778.76**	**134922.93**	**60355.13**	**9917.49**	**1640.92**	**68631.70**	**86547.87**	**82937.01**

वित्तीय संपत्ति

नोट 2.5 इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च 2020 तक	
संयुक्त उद्यम में निवेश (प्रारंभिक अंशदान) मूल व्यय:				
व्यापार और अनुचित मूल्य :				
(a) सेल और मॉयल फेरो अलॉयज प्रा. लिमिटेड में रु. 10 प्रत्येक के पूर्णत: प्रदत्त 0 (100000) इक्विटी शेयर	0.00		10.00	
(b) रिनमोइल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड में प्रति रु. 10 पूर्ण प्रदत्त 0 (120000) इक्विटी शेयर	0.00		12.00	
		0.00		**22.00**
व्यापार और अुद्धरित लागत पर :				
विभिन्न खदानों पर सहकारी भंडारों/समितियों के पूर्ण प्रदत्त शेयर:				
(a) सहकारी स्टोर (अपंजीकृत) में प्रति 5 रुपये 500 (500) इक्विटी शेयर	0.03		0.03	
(b) सहकारी सोसाईटीज में प्रति 25 रुपये के 1612 (1612) इक्विटी शेयर	0.40		0.40	
(c) सहकारी सोसाईटीज में प्रति 10 रुपये के . 8556 (8556) इक्विटी शेयर	0.86		0.86	
		1.29		**1.29**
कुल		**1.29**		**23.29**

नोट: 2.6 गैर चालू ऋण

रु. लाखात

विवरण	31.03.2021 तक		31 मार्च 2020 तक	
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम				
(a) सुरक्षित, अच्छी तरह से माना जाता है	127.79		105.37	
(b) असुरक्षित अच्छी तरह से माना जाता है	0.68		1.21	
(c) जिसमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	0.00		0.00	
(d) क्रेडिट बाधित	0.00		0.00	
कुल		**128.47**		106.58

नोट 2.7 अन्य वित्तीय आस्तियां

12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021तक	31 मार्च 2020 तक
(a) 12 महीने से अधिक की शेष परिपक्वता के साथ बैंक गारंटी के खिलाफ सावधि जमा		
कुल	**2392.68**	**2347.30**

वित्तीय संपत्ति

नोट 2.8 अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

रु. लाखात

विवरण	31 मार्च 2021तक	31 मार्च 2020 तक
(a) पूंजी अग्रिम	3755.91	4398.41
(b) अग्रिम में देय आयकर	7137.54	4189.47
(c) संबंधित पार्टी के लिए अग्रिम (संयुक्त उद्यम कंपनी)		
(i) सेल और मॉयल ल फेरो अलॉयज प्रा. लिमिटेड अग्रिम रूप से	0.00	400.00
(ii) रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड अग्रिम रूप से	0.00	33.21
(iii) मॉयल जीएमडीसी जेवीसी एडवांस (जेवीसी अभी शामिल नहीं है) #	670.03	116.86
(d) सावधि और अन्य जमा पर ब्याज लेकिन देय नहीं	37.81	34.03
(e) कर्मचारी ऋण पर ब्याज लेकिन देय नहीं	38.41	43.18
(f) रेलवे, बिजली बोर्ड और अन्य के पास जमा (असुरक्षित)	2214.51	2263.06
(g) प्रीपेड खर्च	102.94	50.56
	13957.15	**11528.78**

वर्तमान संपत्ति

नोट 2.9 मालसूची (प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन और प्रमाणित)*

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021तक		31 मार्च 2020 तक	
(a) कच्चा माल		120.24		167.27
(b) कार्य प्रगति पर		17.89		5.15
(c) तैयार माल		7794.73		14501.69
(d) स्टोर और पुर्जे	3075.30		3119.88	
(-) अप्रचलित स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान	0.00		1.09	
		3075.30		3118.79
कुल		**11008.16**		**17792.90**

* मालसूची का मूल्य या शुद्ध प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो, का मूल्यांकन नहीं किया जाता है
# संदर्भ नोट नं 3.8
** कच्चे माल की सूची में, 31.03.2021 को, फेरो मैंगनीज संयंत्र में पड़े 3728.24 मीट्रिक टन (4153.56 मीट्रिक टन) की लागत रु. 33.41 लाख रुपये (44.65 लाख रुपये) इसमें मैंगनीज भंडार शामिल हैं।

वित्तीय संपत्ति

नोट 2.10 निवेश

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
व्यापार और बाजार मूल्य पर पंजीकृत :		
म्युचुअल फंड में वर्तमान निवेश *		
कुल	**32452.13**	**702.17**

नोट 2.11 व्यापार अधिग्रहण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च 2020 तक	
(a) असुरक्षित को अच्छा माना जाता है #	16350.19		9910.88	
(b) संदिग्ध भुगतान	6304.86		3492.98	
(c) जिसमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	0.00		0.00	
(d) खराब क्रेडिट	15.59		73.81	
	22670.64		13477.67	
(-) संदिग्ध भुगतान का प्रावधान	15.59	22655.05	73.81	13403.86
कुल		**22655.05**		**13403.86**

वित्तीय संपत्ति

नोट 2.12 नकद और नकद समकक्ष

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
(a) हस्तस्थ रोख	0.86	1.47
(b) बैंक में जमा :		
सावधि जमा में (3 महीने या उससे कम की अवधि के साथ)	0.00	16070.00
चालू खाता	499.97	4428.16
कुल	**500.83**	**20499.63**

नोट 2.13 बैंक जमा (उपरोक्त के अतिरिक्त)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021तक	31 मार्च 2020 तक
(a) सावधि जमा में (जिसकी मूल अवधि 3 महिने से से अधिक और 12 महीने से कम)	30500.00	0.00
(b) सावधि जमा (प्रत्यक्ष अवधि 12 महीने)	126322.87	159386.68
(c) सावधि जमा (बैंक गारंटी के खिलाफ मार्जिन मनी, एलसी)	57.63	23.28
(d) सावधि जमा (बैंक गारंटी, एलसी प्रत्यक्ष अवधि 12 महीने)	455.13	344.36
(e) लाभांश खाते में नकद में वारंट लंबित	218.51	214.13
कुल	**157554.14**	**159968.45**

नोट 2.14 वर्तमान ऋण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021तक		31 मार्च 2020 तक	
(i) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम				
(a) सुरक्षित, अच्छी तरह से माना जाता है	105.70		109.18	
(b) असुरक्षित, अच्छी तरह से माना जाता है	140.51		211.89	
(c) जिसमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	0.00		0.00	
(d) अस्वीकृत क्रेडिट	0.00	246.21	0.00	321.07
(ii) दूसरों को ऋण और अग्रिम - असुरक्षित				
(a) स्टोर, पुर्जों की खरीद के लिए अग्रिम	87.32		122.73	
(-) संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	29.17		5.25	
		58.15		117.48
(b) ठेकेदारों और अन्य को अग्रिम	81.18		40.68	
(-) संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	23.78		23.78	
		57.40		16.90
(c) प्राप्त दावे	0.53		0.53	
(-) संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	0.53		0.53	
		0.00		0.00
कुल		**361.76**		**455.45**

नोट 2.15 वर्तमान कर आस्तियां (शुद्ध)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021तक	31 मार्च 2020 तक
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	0.00	4069.93

वित्तीय संपत्ति

नोट 2.16 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021तक		31 मार्च 2020 तक	
(a) सावधि जमा और अन्य जमा पर अर्जित ब्याज		2874.09		10367.09
(b) सुगंधित प्राप्य	4634.62		3613.74	
(-) संदिग्ध सुगंधित रसीदों का प्रावधान	20.94	4613.68	15.00	3598.74
(c) प्रीपेड खर्च		2180.41		744.11
(d) अल्पावधि निवेश के लिए अग्रिम		70.00		0.00
कुल		**9738.18**		**14709.94**

*वर्तमान निवेश की जानकारी

(रु. लाख में)

	31.03.2021			31.03.2020		
फंड का नाम	**यूनिटों की संख्या**	**एनएवी (रु.)**	**(लाख रु.)**	**यूनिटों की संख्या**	**एनएवी (रु.)**	**(लाख रु.)**
एसबीआई लिक्विड फंड रेगुलर ग्रोथ	507665.21	3203.0965	16261.01	12165.12	3093.6125	376.34
यूटीआई लिक्विड फंड रेगुलर ग्रोथ	480379.33	3370.4873	16191.12	10020.93	3251.443	325.82
			32452.13			**702.17**

एलसी/बीजी ट्रेड की वस्तुएं सुरक्षित और अच्छी मानी जाती हैं।

प्रावधान- भारतीय लेखा मानक 37 के रूप में भारतीय लेखा मानक के अनुसार प्रकटीकरण इस प्रकार है।

(रु. लाख में)

प्रावधान विवरण	01.04.2020 तक प्रारंभिक शेष	प्रावधान	प्रतिलेखित/ उपयुक्त प्रावधान	संवरण शेष
अशोध्य व संदिग्ध ऋण और अग्रिम	103.37	39.51	73.81	69.07
	(111.20)	-	(7.83)	(103.37)

इक्विटी

नोट 2.17 इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021तक		31 मार्च 2020 तक	
प्राधिकृत				
इक्विटी शेयर: संख्या	300000000		300000000	
मूल कीमत रु		10.00		10.00
कीमत		30000.00		30000.00
जारी, सदस्यता और पूरी तरह से भुगतान				
इक्विटी शेयर: संख्या	237327879		237327879	
मूल कीमत रु.		10.00		10.00
कीमत		23732.79		23732.79
विवरण का समाधान				
प्रारंभिक शेयरों की संख्या	237327879		257608888	
घटाए : वर्ष के दौरान बायबैक शेयर	0		20281009	
अंतिम शेयरों की संख्या	237327879		237327879	

शेयरों के संबंध में नियम/नियम:-

कंपनी के पास प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 10 के इक्विटी शेयरों के रूप में शेयरों का केवल एक वर्ग है, जिसमें प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए वोट देने का अधिकार है और शेयरधारिता के लिए समान लाभांश अनुपात है।

वित्तीय संपत्ति

नोट: 2.17 इक्विटी शेयर पूंजी

प्रत्येक शेयरधारक के 5% से अधिक शेयर धारण करने का विवरण :

(रु. लाख में)

शेयरधारकों के नाम	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार की ओर से)	127783925	53.84	127783925	53.84
मध्य प्रदेश के राज्यपाल (मध्य प्रदेश सरकार की ओर से)	12813840	5.40	12813840	5.40
महाराष्ट्र के राज्यपाल (महाराष्ट्र सरकार की ओर से)	12132134	5.11	12132134	5.11
भारतीय जीवन बीमा निगम	19291816	8.13	18324326	7.72

अन्य इक्विटी

नोट 2.18 आरक्षित और अतिरिक्त

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च 2020 तक	
सामान्य आरक्षित				
तुलनपत्र के अनुसार	241362.34		271592.82	
(-) पूंजी पुनर्गठन रिजर्व का स्थानांतरण	0.00		2028.10	
(-) बायबैक टैक्स और व्यय	0.00		7403.35	
(-) शेयर बायबैक	0.00		28799.03	
(+) अतिरिक्त लाभ और हानि खाते से स्थानांतरण	0.00		8000.00	
		241362.34		**241362.34**
पूंजी पुनर्गठन आरक्षित				
तुलनपत्र के अनुसार	2904.77		876.67	
(+) वर्ष के दौरान बायबैक के कारण भुगतान	0.00	2904.77	2028.10	2904.77
लाभ हानि खाता अधिशेष				
तुलनपत्र के अनुसार	8338.53		10040.96	
जोड़ें: लाभ हानि खाते से समावेशी आय	18704.84		25355.70	
विनियोग के लिए उपलब्ध मूल्य	**27043.37**		**35396.66**	
घटाएं : विनियोग-				
अंतरिम लाभांश @ 25% वित्त वर्ष 2020-21 (30% वित्तीय वर्ष 2019-20)	5933.32		7119.84	
अंतिम लाभांश @ (30% वित्तीय वर्ष 2019-20) (30% वित्तीय वर्ष 2019-20)	7119.84		7728.27	
अंतरिम लाभांश पर अधिभार और उपकर पर कर	0.00		1463.50	
अंतिम लाभांश पर अधिभार और उपकर पर कर	0.00		1588.57	
पिछले वर्ष का कर था	0.00		1157.95	
	0.00		8000.00	
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	**13053.16**		**27058.13**	
आगे ले जाया गया शेष		**13990.21**		**8338.53**
कुल		**258257.32**		**252605.64**

1 अंतरिम लाभांश को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा घोषणा की तिथि पर देयता के रूप में दर्ज किया जाता है। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतिम लाभांश एच 116,29.07 लाख @ 4.90 प्रति इक्विटी शेयर की सिफारिश की है। यह भुगतान के अधीन है वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारक की मंजूरी। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम लाभांश एच 71,19.84 लाख @ 3.00 प्रति इक्विटी शेयर और अंतिम लाभांश एच 71,19.84 @ 3.00 प्रति इक्विटी शेयर घोषित किया।

वित्तीय संपत्ति

गैर-चालू देयता

वित्तीय दायित्व

नोट 2.19. गैर-चालू प्रावधान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021तक	31 मार्च 2020 तक
(1) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ का प्रावधान	4251.99	3822.87
(2) इतर		
खदान बंद करने की अंतिम लागत का प्रावधान	1300.78	1227.82
कुल	**5552.77**	**5050.69**

नोट 2.20 अन्य गैर चालू दायित्व

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021तक	31 मार्च 2020 तक
(a) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और अन्य से	481.53	648.51
(b) दूसरों के लिए व्यय और दायित्व	923.44	923.44
कुल	**1404.97**	**1571.95**

वर्तमान में दायित्व

वित्तीय दायित्व

नोट 2.21 व्यापार देय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021तक		31 मार्च 2020 तक	
(a) एमएसएमई का कुल बकाया	470.59		545.10	
(b) अन्य का कुल बकाया	2428.27		3134.37	
कुल		**2898.86**		**3679.47**

नोट 2.22 अन्य वित्तीय देनदारियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021तक	31 मार्च 2020तक
(a) वारंट का भुगतान लंबित अवैतनिक लाभांश	218.51	214.13
(b) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और अन्य से सुरक्षा जमा	4740.45	5156.43
(c) पूंजीगत व्यय के लिए देयता	5745.87	8650.31
कुल	**10704.83**	**14020.87**

नोट 2.23 अन्य चालू देयताएं

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021तक	31 मार्च 2020 तक
(a) ग्राहक से जमा शेष	2136.44	3046.41
(b) खर्चों के लिए दायित्व * ##	27026.78	19535.60
(c) सरकार/सांविधिक शुल्क देय	1494.42	2042.42
(d) अन्य दायित्व	423.09	465.26
कुल	**31080.73**	**25089.69**

वित्तीय संपत्ति

नोट 2.24 प्रावधान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021तक		31 मार्च 2020 तक	
(1) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान :				
(a) अनुबद्ध छुट्टी हेतु प्रावधान				
तुलनपत्र के दिनांक को देयता	7059.80		6556.97	
(-) भारतीय जीवन बीमा निगम में निधि	6716.55		6686.62	
		343.25	**-129.65**	
(b) उपदान का प्रावधान **	-1590.34			225.82
(c) पेंशन निधि का प्रावधान		3711.94		3455.39
(2) अन्य				
संयुक्त उद्यम में हानि का प्रावधान		0.00		712.61
कुल		**4055.19**		**4393.82**
नोट 2.25 वर्तमान कर देयता (शुद्ध)		**1344.62**		**0.00**

*संदर्भ नोट सं. 3.15

** एलआईसी / अन्य बीमा देयताएं, समेकित व्यय के लिए अतिरिक्त निधि (नोट 2.16 (सी) अन्य वर्तमान देयताएं

पूंजीगत व्यय देयता में एमएसएमई को देय 425.27 लाख (385.05 लाख रुपये) शामिल हैं।

एमएसएमई को देय व्यय रु. 19.32 लाख (8.99 लाख रुपये)।

1) परिभाषित उत्तरदायित्व - Ind-AS19 के अनुसार प्रकटीकरण: कर्मचारी लाभ निम्नानुसार हैं:

1A) परिभाषित योगदान योजना:

(a) भविष्य निधि: कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि ट्रस्ट में एक निश्चित योगदान करती है, धन को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करती है।

(b) पेंशन फंड: कंपनी एलआईसी ऑफ इंडिया में निवेश के लिए मॉयल समूह सुपरनेशन कैश एक्विजिशन स्कीम (परिभाषित योगदान) [मॉयल जीएससीए (डीसी)] ट्रस्ट में एक निश्चित योगदान देती है।

1B) परिभाषित लाभ योजना:

(a) ग्रेच्युटी: ग्रुप ग्रेच्युटी नकद संचय योजना को कंपनी द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार मोयाल ग्रेच्युटी ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। वास्तविक मूल्यों के आधार पर ग्रेच्युटी देयता की पहचान की जाती है।

(b) सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ: सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति / पत्नी के लिए लाभ उपलब्ध हैं जिन्होंने इस लाभ का विकल्प चुना है। इसके लिए जिम्मेदारी वास्तविक मूल्यों के आधार पर तय की जाती है।

1सी) अवकाश लाभ:

संचित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश/बीमारी अवकाश अलग-अलग क्षेत्रों में देय होगा, जो अधिकतम स्वीकार्य सीमा के अधीन होगा। इसके लिए जिम्मेदारी वास्तविक मूल्यों के आधार पर तय की जाती है।

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी		छुट्टी का नकदीकरण	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
फंडिंग देनदारियों का मूल्यांकन एक स्वतंत्र बीमाकर्ता द्वारा प्रारंभिक और अंतिम कर सारांश के रूप में किया जाता है।				
वर्ष की शुरुआत में देनदारियों का वर्तमान मूल्य	**21027.06**	**20816.68**	**6556.97**	**6530.77**
वर्तमान सेवा परिव्यय	981.35	1089.57	448.60	429.00
ब्याज परिव्यय	1429.84	1594.55	445.88	500.26
वास्तविक (-) लाभ / हानि	-1996.16	-1479.44	780.15	-98.98
भुगतान की अनुमति	-1276.79	-994.30	-1171.80	-804.08
वर्ष के अंत में देनदारियों का वर्तमान मूल्य	**20165.30**	**21027.06**	**7059.80**	**6556.97**
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य को खोलना/बंद करना।				
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	**20801.24**	**18048.85**	**6686.62**	**5771.54**

वित्तीय संपत्ति

1 परिभाषित दायित्व - Ind-AS19 के अनुसार प्रकटीकण : कर्मचारी लाभ इस प्रकार है (जारी..)

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी		छुट्टी का नकदीकरण	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
योजनागत आस्तियों की प्रत्यक्ष वापसी	2139.71	980.84	359.02	370.78
निधि प्रबंधन व्यय	-18.84	-18.37	-1.17	-1.13
नियोक्ताओं के योगदानकर्ता	110.33	2784.22	0.03	759.27
भुगतान प्रति	-1276.79	-994.30	-327.95	-213.84
वर्ष के अंत में बंद हुआ	**21755.65**	**20801.24**	**6716.55**	**6686.62**
संपत्ति और वित्त पोषित देनदारियों के संबंधित मूल्यों की संतुष्टि				
	21755.65	20801.24	6716.55	6686.62
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का वर्तमान मूल्य	20165.30	21027.06	7059.80	6556.97
तुलनपत्र में सत्यापन / (-) पूर्व भुगतान लाभ	**-1590.35**	**225.82**	**343.25**	**-129.65**
लाभ हानि खाते में सहमत व्यय				
वर्तमान सेवा परिव्यय	981.35	1089.57	448.60	429.00
ब्याज परिव्यय	1429.84	1594.55	445.88	500.26
योजनागत आस्तियों की प्रत्याशित वापसी	-2139.71	-980.84	-359.02	-370.78
बीमित (-) लाभ / हानि	-1996.16	-1479.44	780.15	-98.98
निधि प्रबंधन व्यय	18.84	18.37	1.17	1.13
कुल व्यय विवरण लाभ और हानि पहचान	**-1705.84**	**242.21**	**1316.78**	**460.63**
वास्तविक धारणाएं				
मृत्यु दर तालिका	(2012-14) **अंतिम**	(2012-14) **अंतिम**	(2012-14) **अंतिम**	(2012-14) **अंतिम**
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.70%	6.80%	6.70%	6.80%
नियोजित आस्तियों का प्रत्याशित प्रतिलाभ (प्रति वर्ष)	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	5.00%	5.50%	5.00%	5.50%

(रु. लाख में)

विवरण	विवरण सेवानिवृत्ति अस्पताल लाभ (पीआरएमबी)	
	31.03.2021	31.03.2020
एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार, वित्त पोषित दायित्व के उद्घाटन और समापन संतुलन का समाधान		
वर्ष की शुरुआत में देयता का वर्तमान मूल्य	3822.87	3386.69
वर्तमान सेवा मूल्य	80.43	110.67
ब्याज मूल्य	259.96	230.29
बीमित (-) लाभ / हानि	363.08	353.24
देय लाभ	-274.35	-258.02
वर्ष के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**4251.99**	**3822.87**
योजनागत आस्तियों के यथोचित मूल्य के उद्घाटन/अंतिम शेष का समाधान:		
वर्ष की शुरुआत में नियोजित संपत्ति का उचित मूल्य	0.00	0.00
योजना संपत्ति पर वास्तविक लाभ	0.00	0.00
फंड प्रबंधन शुल्क	0.00	0.00
नियोक्ता योगदान	0.00	0.00
दिए गए लाभ (निधिकरण)	0.00	0.00
वर्ष के अंत में, बीमांकिक धारणा	**0.00**	**0.00**
मृत्यु तालिका	(2012-14) **अंतिम**	(2012-14) **अंतिम**
छूट दर (वार्षिक)	6.70%	6.80%
भविष्य के चिकित्सा खर्च में	1.00%	1.00%

भारत सरकार (भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय) के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कंपनी को कर्मचारियों के चिकित्सा लाभों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद कोष बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए कंपनी ने रुपये की राशि प्रदान की है। 4251.99/- लाख बाद में एक उपयुक्त योजना में निवेश किया जाना है।

वित्तीय संपत्ति

2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित खुलासे [MSME]

(रु. लाख में)

विवरण		31.03.2021तक	31.03.2020 तक
1	एमएसएमई के लिए अवैतनिक शेष	942.18	938.14
2	उपरोक्त धन पर ब्याज, गैर-बिलिंग शेष	शून्य	शून्य
3	एमएसएमई विकास अधिनियम के अधिनियम 16 के अनुसार [एमएसएमईडीए] वर्ष में भुगतान किए गए ब्याज के साथ	शून्य	शून्य
4	ब्याज और भुगतान में देरी के लिए देय (देय लेकिन निर्धारित दिन से परे) लेकिन एमएसएमईडीए के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	शून्य	शून्य
5	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज और अधिशेष	शून्य	शून्य
6	एमएसएमईडीए की धारा 23 के तहत कटौती योग्य खर्चों के लिए, अगले वर्ष में देय ब्याज शेष और देय वर्ष में देय (उपरोक्त ब्याज की राशि वास्तव में आज तक छोटे उद्यमियों को देय है)।	शून्य	शून्य

3. प्रावधान - आईएनडी 37 के अनुसार विवरण निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

प्रावधान का विवरण	31.03.2020 को	प्रावधान	लिखित/प्रयुक्त प्रावधान	31 मार्च 2021 तक
(a) अंतिम खदान बंद करने का खर्च	1,227.82	72.96	-	1,300.78
	(1,145.68)	(82.14)	-	(1,227.82)

खदान बंद करने की अंतिम लागत के प्रावधान के संबंध में, खदान के बंद होने पर नकदी प्रवाह के निकलने की उम्मीद है। (चिंता आधारित)

(रु. लाख में)

प्रावधान का विवरण	31.03.2020 को	प्रावधान	लिखित/प्रयुक्त प्रावधान	31 मार्च 2021 तक
(b) गैर-अधिकारियों एवं जनसंपर्क कर्मचारियों के बकाया वेतन की पुनरावृत्ति के लिए प्रावधान	14,822.86	8385.05	2222.35	20985.56
	(10,609.84)	(9,628.91)	(5,415.89)	(14,822.86)
(c) अशोध्य और संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	103.37	39.51	73.81	69.07
	(111.20)	0.00	(7.83)	(103.37)

लाभ और हानि रिपोर्ट का समेकित नोट

नोट 2.26 राजस्व और संचालन

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
उत्पादों की बिक्री				
(a) खान उत्पादन	106773.80		96947.69	
(b) निर्मित उत्पाद	10292.47		6094.58	
		117066.27		103042.27
अन्य कार्यसंचलन से आय				
ऊर्जा बिक्री		671.50		764.24
कुल		**117737.77**		**103806.51**

नोट 2.27 अन्य आय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
1 अन्य आय				
(a) ब्याज से आय				
(i) बैंकों में सावधि जमा	6599.16		15463.74	
(ii) अन्य	164.34		376.05	
		6763.50		15839.79
(b) लाभांश आय		0.01		0.04
(c) म्यूचुअल फंड के मोचन पर लाभ		781.87		729.62
(d) कर्मचारियों से वसूली		14.14		10.00
(e) स्क्रैप बिक्री		249.89		227.69
(f) बिक्री कर सेट-ऑफ / रिफंड		0.98		14.55
(h) विविध आय		1615.33		961.20
2 लिखित प्रावधान लौटाएं				
(a) अब प्रावधान के लिए आवश्यक नहीं है		0.00		328.51
(b) संदिग्ध निधि / देयता प्रावधान		109.24		0.00
(c) संयुक्त उद्यम में नुकसान के लिए प्रावधान		712.61		0.00
कुल		**10247.57**		**18111.40**

नोट 2.28 कच्चे माल की कीमत

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड संयंत्र				
(a) मैंगनीज	41.21		33.27	
(b) सल्फ्यूरिक एसिड	35.96		38.98	
(c) सोडियम कार्बोनेट	4.50		4.16	
(d) अन्य	8.33		3.26	
		90.00		79.67
फेरो मैंगनीज प्लांट				
(a) मैंगनीज	2030.62		2440.52	
(b) कोक	823.70		1004.58	
(c) कार्बन पेस्ट	49.67		58.73	
(d) अन्य	207.22		258.14	
		3111.21		3761.97
कुल		**3201.21**		**3841.64**
इंटर यूनिट ट्रांसफर				
(-) इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड और फेरो मैंगनीज संयंत्र को हस्तांतरित मैंगनीज धातु की कीमत		1844.00		2195.44
कुल		**1357.21**		**1646.20**

लाभ और हानि रिपोर्ट का समेकित टिपण

नोट 2.29 तैयार माल, स्टॉक-इन-ट्रेड और प्रक्रिया की खोज में परिवर्तन

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
(a) खनन उत्पाद				
शेष स्टॉक	6914.62		11513.07	
(-) प्रारंभिक स्टॉक	11513.07		6612.88	
		-4598.45		**4900.19**
(b) निर्मित उत्पाद				
शेष स्टॉक	880.68		2991.97	
(-) प्रारंभिक स्टॉक	2991.97		1058.87	
		-2111.29		**1933.10**
शुद्ध जोड़ / (-) मूल्यह्रास [ए - बी] कुल		**-6709.74**		**6833.29**

नोट 2.30 कर्मचारी लाभ खर्च

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
(a) वेतन, वेतन और बोनस	35408.30	36773.79
(b) भविष्य निधि और अन्य निधि योगदान	6504.20	6778.06
(c) कल्याण व्यय	2523.34	2708.84
कुल	**44435.84**	**46260.69**

नोट 2.31 बिक्री लागत:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
1 रॉयल्टी और उपकर	6610.77		6002.39	
2 बिक्री पर नकद छूट	524.33		375.66	
3 किराए की आंशिक प्रतिपूर्ति	667.81		159.61	
4 ई-नीलामी पर सेवा शुल्क	82.83		95.73	
5 नमूना शुल्क	17.83		20.50	
कुल		**7903.57**		**6653.89**

*जिला खनिज कोष एवं राष्ट्रीय खनिज उत्खनन न्यास के अंशदान से।

नोट 2.32 अन्य लागत

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
1 भवन की मरम्मत और रखरखाव	707.21		740.39	
2 संयंत्र, मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव	1559.51		1399.04	
3 अन्य मरम्मत और रखरखाव	1157.08		966.06	
		3423.80		**3105.49**
4 किराया		74.89		30.84
5 दरें और कर		502.32		519.44
6 बीमा		191.94		115.12
7 लेखापरीक्षक का मानदेय				
लेखापरीक्षा शुल्क	4.50		4.50	
टैक्स ऑडिट शुल्क	1.35		1.35	
अन्य सेवाएं	2.45	8.30	2.95	8.80
8 लागत लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक		1.60		1.50
9 आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क		16.00		16.34
10 निदेशक बैठक शुल्क		8.60		14.80
11 विज्ञापन		110.62		133.38

लाभ और हानि रिपोर्ट का समेकित टीपण

नोट 2.32 अन्य लागत (जारी...)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
12 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास के लिए व्यय		1318.12		1274.22
13 संकीर्ण व्यय		1414.94		2419.47
14 खदानों में अन्वेषण ड्रिलिंग	323.24		308.47	
15 ब्लास्टिंग / रॉक मैकेनिक्स / डिजाइन स्टडीज आदि	297.83		239.55	
		621.07		**548.02**
16 छोड़ी गई संपत्तियों का बट्टे खाते में समाविष्ट	136.79		156.12	
17 भंडार और पुर्जों की कमी पर नियंत्रण	27.90		11.11	
18 अशोध्य ऋणों के लिए	73.81		0.00	
19 संदिग्ध ऋण और अग्रिम प्रावधान	15.59		0.00	
20 संयुक्त उद्यम हानि (रिनमॉयल और सेल और मॉयल)	369.16		0.00	
21 खदान बंद करने की अंतिम लागत का प्रावधान	72.96		82.14	
		696.21		**249.37**
कुल		**8388.41**		**8436.79**

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए खातों पर नोट्स

नोट 3

3.1 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की एकमात्र वित्तीय रिपोर्ट को 4 जून 2021 तक जारी करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

3.2 (i) कंपनी से प्राप्त आयकर ब्याज और किराए से 495.25 लाख रुपये (910.36 लाख रुपये) काटे गए। कुछ मामलों में कोविड-19 के कारण कर कटौती प्रमाणपत्र का इंतजार है।

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए से लाभान्वित, अधिभार और उपकर सहित प्रभावी कर दर 25.168% है।

3.3 आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं - उद्योग 12 के अनुसार प्रकटीकरण: आयकर के अंतर्गत कर निम्नानुसार है:

रु. लाख में

क्र. सं.	विवरण	2020-21 / 31 मार्च 2021	2019-20 / 31मार्च 2020
1	**मूल्यह्रास से संबंधित विलंबित कर देयता**		
		-1599.63	-1793.02
2	**आस्थगित कर संपत्ति**		
	आयकर अधिनियम के तहत रियायतें	-134.74	193.39
	निव्वल आस्थगित कर देयता / (-) आस्तियां	-1734.37	-1599.63
	लाभ और हानि खाते के लिए आस्थगित कर: भुगतान में वृद्धि / (-) में कमी	134.74	-193.39

आयकर व्यय में लाभ और हानि के विवरण में चालू वर्ष के लिए वर्तमान और आस्थगित आयकर शामिल हैं। आस्थगित आयकर आस्तियां और देनदारियां आस्तियों और देनदारियों के कर सिद्धांतों और वित्तीय विवरणों में उनकी अग्रणीत राशियों में उत्पन्न होने वाले सभी अस्थायी अंतरों को मान्यता दी जाती है।

3.4 पार्टियों को व्यापार रसीद और भुगतान के संतुलन की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजे गए हैं। 31.03.2021 को कुल 22655.05 लाख रुपये के कारोबार में से, रु।14582.09 लाख की पुष्टि की गई है और शेष राशि की प्रतीक्षा है। 31.03.2021 को प्राप्त देय राशि रु. 28.98.86 लाख विक्रेताओं में से 608.05 लाख रुपये की पुष्टि हो चुकी है और शेष राशि का इंतजार है। कंपनी प्राप्त पुष्टि की जांच कर रही है और शेष राशि का मिलान करने की प्रक्रिया में है।

3.5 अन्य व्यय (नोट संख्या 2.32) में शामिल हैं -

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1	**यात्रा व्यय**		
	(a) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	2.89	11.41
	(b) निर्देशक	17.30	105.66
	(c) कंपनी सचिव	0.00	0.44
कुल		**20.19**	**117.51**
2	**लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक (सांविधिक लेखा परीक्षा)**		
	(a) लेखा परीक्षक के रूप में	4.50	4.50
	(b) कर मामलों के लिए	1.35	1.35
	(c) अन्य सेवाओं के लिए	2.45	2.95
कुल		**8.30**	**8.80**

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणी

नोट 3: (जारी...)

3.6 संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन - इंड-एएस 24/कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन का खुलासा निम्नानुसार है।

(1) संबंधित पक्षों और संबंधों की सूची

(a)	**मुख्य प्रबंध कर्मचारी**	**पद**
i	श्री. एम.पी. चौधरी	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और सीईओ
ii	श्री टी.के. पटनायक (31.07.2020 तक)	निदेशक (वाणिज्य)
iii	श्री दीपांकर शोम	निदेशक (उत्पादन और योजना)
iv	श्री राकेश तुमाने	निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी
v	श्रीमती उषा सिंग	निदेशक (मानव संसाधन)
vi	श्री पी. वी. वी. पटनायक	निदेशक (वाणिज्य)
vii	श्री एन. डी. पाण्डेय	कंपनी सचिव

(b) संयुक्त उद्यम कंपनियां

i सेल और मॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड

ii रिनमॉइल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड

(c) कर्मचारी ट्रस्ट संगठन

i मॉयल समूह सेवानिवृत्ति नकद संचय योजना (परिभाषित अंशदान) निधि (अधिवर्षिता निधि)

ii मॉयल ग्रुप ग्रेच्युटी सह जीवन बीमा योजना (ग्रेच्युटी ट्रस्ट)

(2) ऊपर (i) (ए) में उल्लिखित संबंधित पार्टियों के साथ पूरे वर्ष के दौरान लेनदेन:

IND24 के अनुसार मुख्य प्रबंधन द्वारा व्यक्तिगत मुआवजा।

(रु. लाख में)

विवरण		वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
1	(a) अल्पावधि कर्मचारी लाभ	368.84	415.24
	(b) रोजगार के बाद लाभ	18.77	15.47
	(c) अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.00	0.00
	(d) समाप्ति के बाद लाभ	11.37	47.55
	(e) भाग आधारित देय	0.00	0.00
कुल		**398.98**	**478.26**

2 वित्तीय विवरणों द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान प्रासंगिक पार्टी लेनदेन

(रु. लाख में)

विवरण		सुरक्षित		असुरक्षित	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
A	**कंपनी सचिव**				
	(a) हस्तांतरित राशि	3.15	0.65	3.00	3.00
	(b) बकाया के साथ सहमत राशि और	1.16	0.65	0.08	0.53
	(i) उनके नियम और शर्तें, क्या वे सुरक्षित हैं, और निपटान में दिए गए प्रतिफल की प्रकृति, 80 किश्तों में मूल चुकौती			80 किश्तो में मूलधन चुकौती	
	(ii) दी गई या प्राप्त गारंटी का विवरण बांड निश्चित रूप से प्राप्त हुआ था			जमानत बॉंड प्राप्त	
	(c) बकाया से संबंधित संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान और	0.00	0.00	0.00	0.00

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणी

नोट 3: (जारी...)

3.6 संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन - इंड-एएस 24/कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन का खुलासा निम्नानुसार है। (सुरू...)

2 वित्तीय विवरणों द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान संबंधित पार्टी के लेनदेन

(रु. लाख में)

विवरण	असुरक्षित		सुरक्षित	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
(d) संबंधित पक्षों द्वारा देय अशोध्य या संदिग्ध ऋणों के संबंध में अवधि के दौरान पुनर्निर्धारित व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
B संयुक्त उद्यम कंपनियों को अग्रिमओबी	**ओबी 01.04.2020**	**प्राप्त**	**प्रभारित हानि**	**सीबी 31.03.2021**
सेल एंड मॉयल फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	400.00	122.37	277.63	0.00
	ओबी 01.04.2020	**प्रावधान**	**प्रभारित हानि**	**सीबी 31.03.2021**
रिनमॉयॉल फेरो अलॉयज प्रा. लिमिटेड	33.21	36.32	69.53	0.00
C संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश	**ओबी 01.04.2020**	**प्रावधान**	**प्रभारित हानि**	**सीबी 31.03.2021**
सेल एंड मॉयल फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	10.00	0.00	10.00	0.00
	ओबी 01.04.2020	**प्रावधान**	**प्रभारित हानि**	**सीबी 31.03.2021**
रिनमॉयल फेरो अलॉयज प्रा. लिमिटेड	12.00	0.00	12.00	0.00

D रिनमॉइल फेरो अलॉयज प्रा. लिमिटेड को 09.03.2021 तक 13.34 लाख रुपये पूंजी के साथ खर्च किये गये हैं।

3.7 संयुक्त उद्यम - इंडस्ट्रीज़ एएस31 के अनुसार प्रकटीकरण: संयुक्त उद्यमों में ब्याज निम्नानुसार है।

(a) संयुक्त उद्यम कंपनियों के बारे में विवरण

(रु. लाख में)

संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	निवेश विवरण		स्वामित्व का प्रतिशत	पूंजी सदस्यता
	देश	तारीख		
सेल एंड मॉयल फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	31.07.2008	50%	0.00
रिनमॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड	भारत	29.07.2009	50%	0.00

"संयुक्त उद्यम कंपनियों ने वाणिज्यिक और परिचालन संचालन शुरू नहीं किया है। वर्ष के दौरान इस परियोजना में आगे कोई विकास नहीं हुआ है। वर्ष के दौरान, संबंधित कंपनियों के बोर्ड ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल और मॉयल फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (रिनमॉयल फेरो अलॉयज) के साथ प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त उद्यमों के नाम हटाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार को आवेदन प्रस्तुत किए।) आवेदन प्रक्रिया में हैं, क्योंकि सब्सटेंस ओवर फॉर्म वह सिद्धांत है जिस पर इंड-एएस के तहत खाते बनाए जाते हैं और तथ्य यह है कि संयुक्त उद्यम भागीदार जेवीसी के तहत परियोजनाओं को लेने में रुचि नहीं रखते हैं और इसलिए, बंद करने का निर्णय लिया। इसे देखते हुए, संयुक्त उद्यम कंपनियों का कोई संचालन नहीं होता है और केवल अलग वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। संयुक्त उद्यम कंपनियों का खाता सेल और मॉयल फेरो अलॉयज प्रा. लिमिटेड और रिनमॉयल फेरो अलॉयज प्रा. लिमिटेड को समेकित नहीं किया गया है क्योंकि कंपनियां बंद हो गई हैं तथा बंद होने की प्रक्रिया में हैं।

(b) वित्तीय विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	तक की स्थिति	
		31.03.2021 (अपरीक्षित)	31.03.2020 (लेखापरीक्षित)
संयुक्त उद्यम कंपनियों के खातों के अनुसार कंपनी की ब्याज की कुल राशि			
(i)	**सेल और मॉयल फेरो अलॉयज प्रा. लिमिटेड**		
	शेयर पूंजी	10.00	10.00
	आरक्षित और अधिशेष	-10.00	-707.89
	गैर चालू देनदारियां	0.00	400.00
	वर्तमान देयताएं	0.00	600.46
	अचल संपत्तियां (शुद्ध) और प्रगति पर पूंजीगत कार्य	0.00	0.00

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए खातों पर टिपण्णी

नोट 3: (जारी...)

3.6 संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन - इंड-एएस 24/कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन का खुलासा निम्नानुसार है। (सुरू...)

(b) वित्तीय विवरण (सुरू...)

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	तक की स्थिति	
		31.03.2021 (अपरीक्षित)	31.03.2020 (लेखापरीक्षित)
	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	0.00	200.00
	वर्तमान संपत्ति	0.00	102.57
	उत्पन्न	699.21	6.49
	लागत	1.32	0.97
	आकस्मिक देयताएं और पूंजी प्रतिबद्धता	0.00	0.00
	रिनमॉयइल फेरो अलॉयज प्रा. लिमिटेड		
	भाग पूंजी	12.00	12.00
	आरक्षित और अधिशेष	-12.00	-4.72
	वर्तमान देयताएं	0.00	77.57
	अचल संपत्ति (शुद्ध) और प्रगति पर पूंजीगत कार्य	0.00	80.79
	अमूर्त संपत्ति	0.00	2.29
	वर्तमान संपत्ति	0.00	1.77
	उत्पन्न	69.59	0.07
	लागत	76.88	0.80
	आकस्मिक देयताएं और पूंजी प्रतिबद्धता	0.00	0.00

3.8 मॉयल जीएमडीसी जेवीसी के लिए अग्रिम (जेवीसी को अभी शामिल किया जाना है): गुजरात राज्य में मैंगनीज खनन की संभावना का पता लगाने के लिए 01.10.2019 को मॉयल लिमिटेड और गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (जीएमडीसी) के बीच एक विस्तृत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपसी विस्तृत समझौता ज्ञापन के खंड (सी) के अनुसार, जांच की लागत शुरू में मॉयल और जीएमडीसी द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी और इसे जेवीसी में निवेश के रूप में माना जाएगा। एमईसीएल ने पहले चरण में भूभौतिकीय पूर्वेक्षण और कोर ड्रिलिंग के माध्यम से अनुसंधान पूरा किया है। मॉयल लिमिटेड अब भूमिगत खनन के लिए एमईसीएल के पहले चरण की रिपोर्ट के आधार पर एक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है। जैसा कि यह परियोजना व्यवहार्य लगती है, मॉयल और जीएमडीसी के बीच क्रमशः 51% और 49% हिस्सेदारी वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी, पहले से हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार शामिल होने की प्रक्रिया में है।

3.9 आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं:

(i) आकस्मिक देनदारियां

(a) ऋण के रूप में स्वीकार नहीं की गई कंपनी के खिलाफ दावे -

विवादास्पद वैधानिक मांगें (आयकर, प्रवेश कर, केंद्रीय बिक्री कर और मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और कर्मचारी व्यवसाय कर) रु. 40,400.73 लाख (रु. 147.71.26 लाख)।

(b) अन्य राशियां जिनके लिए कंपनी गलती से उत्तरदायी है

अन्य दावे - कानूनी मामले आदि। रु.1815.59 लाख (रु.1407.33 लाख)।

(ii) पूंजी प्रतिबद्धता

पूंजी खाते पर निष्पादित और गैर-निष्पादित अनुबंधों की अनुमानित राशि 507.58.29 लाख (561.99.94 लाख रुपये) रुपये है। अनुबंध के लिए अग्रिम राशि रु. 3755.91 लाख (4398.41 लाख रुपये)।

3.10 खनन कार्यालय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रु. 2905.44 लाख (2714.94 लाख रुपये) खनन योजना/पट्टा एवं अन्य कार्यों के लिए बैंक गारंटी जारी की जाती है। बैंक गारंटी सावधि जमा के बराबर राशि पर आधारित है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणी

नोट 3: (जारी...)

3.11 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करना आवश्यक है। सीएसआर नीति के ठीक बाद के तीन पिछले वित्तीय वर्षों के लिए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
a. एक वर्ष में खर्च की जाने वाली कुल राशि	1138.78	1219.72
b. बोर्ड द्वारा स्वीकृत राशि एक वर्ष में खर्च की जानी है	1250.00	1250.00
c. वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :		
(i) किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	0.00	0.00
(ii) अन्य उद्देश्यों के लिए (i) के अलावा	1318.12	1274.22
d. संबंधित पार्टी के लेनदेन का विवरण :		
मॉयल फाउंडेशन का योगदान	0.00	0.00

ब्रेकअप के तहत सीएसआर लागतों का विवरण इस प्रकार है

(रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1. शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना	904.58	836.98
2. ग्रामीण विकास परियोजना	249.93	106.25
3. निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	163.61	95.43
4. संस्कृति और खेल	0.00	1.96
5. पीएम केयर फंड में योगदान	0.00	233.60
कुल	**1318.12**	**1274.22**

3.12 राजस्व की गणना बिजली खरीद समझौते में सहमत टैरिफ के अनुसार बिक्री के लिए 15.2MW क्षमता के पवन टरबाइन जनरेटर द्वारा ग्रिड में पंप की गई ऊर्जा के आधार पर की जाती है।

3.13 बिजली 4.8MW पवन टरबाइन जनरेटर इकाइयों पर उत्पन्न होती है और इसका व्यापक रूप से खनन / संयंत्र में उपयोग किया जाता है।

3.14 सौर पैनलों से उत्पन्न बिजली का उपयोग प्रधान कार्यालय, मुनसर, तिरोड़ी, उकवा और बालाघाट में सीमित उपयोग के लिए किया जाता है।

3.15 दिनांक 01.08.2017 से प्रभावी गैर-कार्यकारी कर्मचारियों और श्रमिकों के संबंध में दीर्घकालिक वेतन समझौता चल रहा है। अंतिम अनुमान के अनुसार, अंतरिम राहत के समायोजन के बाद रु. 209,85.56 लाख (रु. 148,22.86 लाख) की राशि प्रदान की गई है। 31.03.2021 तक 12% भुगतान किया गया।

3.16 (i) कंपनी पीएम केयर फंड में 45,00.00 लाख रुपये और रुपये का योगदान करती है। 5,00.00 लाख और उन्हें असाधारण वस्तुओं के रूप में माना गया है।

3.17 बोबिली में भूमि : बोबिली में भूमि एक फेरो/सिलिको मैंगनीज परियोजना की स्थापना के लिए एपीआईआईसी से मॉयल द्वारा खरीदी गई थी। आरआईएनएल के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया था। मेकॉन द्वारा 2009 में तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार की गई थी। टीईएफआर में सुझाए गए अनुसार परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर पर्यावरण मंजूरी, मिट्टी परीक्षण आदि जैसी कुछ प्रारंभिक औपचारिकताएं पूरी की गईं और मुख्य खदान की खुदाई के लिए वैश्विक निविदाएं जारी की गईं। तकनीकी कारणों से निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और बिजली इकाइयों की दरें ए.पी. विद्युत बोर्ड द्वारा रु। 2.50/किलोवाट से रु. बढ़ाकर 5.00/किलोवाट कर दिया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 2013 में मेकॉन द्वारा एक संशोधित टीईएफआर तैयार किया गया था जो दर्शाता है कि बिजली की दरों में वृद्धि और फेरो / सिलिको मैंगनीज के बाजार मूल्य में कमी को देखते हुए परियोजना व्यवहार्य नहीं थी। बिजली की दरों में असामान्य वृद्धि के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हुई। प्रबंधन ने परियोजना को लागू करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए। हालांकि, परियोजना अमल में नहीं आई।

आरआईएनएल और मॉयल के बोर्ड ने संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने का फैसला किया है और तदनुसार कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) को बंद करने का आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रबंधन व्यवहार्यता के आधार पर गोदाम सुविधा खोलने जैसे वैकल्पिक उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग करने की संभावना देख रहा है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणी

नोट 3: (जारी...)

3.18 31.03.2021 को ईपीएस की गणना औसत चुकता शेयर पूंजी के आधार पर की जाती है और 31.03.2020 को, ईपीएस की गणना औसत चुकता शेयर पूंजी के आधार पर की जाती है। (16.01.2020 को शेयरों की खरीद-वापसी के कारण)।

प्रति शेयर आय इस प्रकार बताई गई है

(रु. लाख में)

विवरण		31.03.2021	31.03.2020
चालू परिचालन से शुद्ध लाभ/(हानि) (लाख में)	(A)	17663.07	24822.02
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर		237327879	257608888
इस साल वापस खरीदे गए शेयर		0	20281009
वर्ष के अंत में बकाया शेयर		237327879	237327879
शेयरों की भारित औसत संख्या	(B)	237327879	253397531
बेसिक ईपीएस	(A)/(B) (₹)	7.44	9.80
आसान ईपीएस	(A)/(B) (₹)	7.44	9.80

* कंपनी के पास कोई संभावित सौम्य इक्विटी नहीं है।

3.19 उचित मूल्य माप

श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021तक			31 मार्च 2021 तक		
	एफव्हीटीपीएल	एफव्हीओसीआय	परिशोधित लागत	एफव्हीटीपीएल	एफव्हीओसीआय	परिशोधित लागत
वित्तीय संपत्ति						
i निवेश			32452.13			702.17
ii व्यापार अधिग्रहण			22655.05			13403.86
iii नकद और नकद समकक्ष			500.83			20499.63
iv बैंक बैलेंस (iii) के अलावा			157554.14			159968.45
v ऋण			490.23			562.03
कुल	**0.00**	**0.00**	**213652.38**	**0.00**	**0.00**	**195136.14**
वित्तीय दायित्वों						
i व्यापार देय			2898.86			3679.47
ii अन्य वित्तीय देयताएं			10704.83			14020.87
कुल	**0.00**	**0.00**	**13603.69**	**0.00**	**0.00**	**17700.34**

उपरोक्त वित्तीय आस्तियों और देनदारियों की वहन राशि उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के बराबर मानी जाती है।

3.20 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन ढांचा

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। निदेशक मंडल ने कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों के विकास और निगरानी के लिए एक जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। जोखिम प्रबंधन समिति नियमित रूप से लेखा परीक्षा समिति के माध्यम से निदेशक मंडल को अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट करती है।

कंपनी का जोखिम प्रबंधन ढांचा कंपनी के सामने आने वाले जोखिमों की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, उचित जोखिम सीमा और नियंत्रण निर्धारित करने और निगरानी और सीमाओं का पालन करने के लिए स्थापित किया गया है। बाजार की स्थितियों और कंपनी की गतिविधियों में बदलाव को दर्शाने के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे और प्रणाली की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कंपनी, अपने प्रशिक्षण और प्रबंधन मानकों और प्रक्रियाओं के माध्यम से, एक अनुशासित और संरचित नियंत्रण वातावरण बनाए रखने का लक्ष्य रखती है जिसमें सभी कर्मचारी अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझते हैं।

ऑडिट कमेटी के माध्यम से निदेशक मंडल कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की निगरानी करता है और कंपनी के सामने आने वाले जोखिमों के संदर्भ में जोखिम प्रबंधन ढांचे की पर्याप्तता की समीक्षा करता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए खातों पर टिपण्णी

नोट 3: (जारी...)

3.20 वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी...)

जोखिम प्रबंधन ढांचा (जारी...)

(रु. लाख में)

	जोखिम	संभाव्य जोखिम	मापन	प्रबंधन
A	क्रेडिट	जोखिम नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य, ऋण	समेकित का विश्लेषण और क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट और बैंक गारंटी के पत्रों पर बिक्री	बैंक जमा/तरल म्युचुअल फंड, क्रेडिट सीमा, साख पत्र और बैंक गारंटी का विविधीकरण।
B	चलनिधि जोखिम	अन्य वित्तीय दायित्व	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान। ऋण आधारित-तरल नकद योजना	दिन-प्रतिदिन की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के लिए अलग-अलग परिपक्वता के साथ जमा/तरल म्युचुअल फंड की उपलब्धता।
C	बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम - मुद्रा जोखिम	जोखिम लागू नहीं होता	Nil	Nil

A ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जो प्रतिपक्ष वित्तीय साधन या उपभोक्ता समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा, जिससे वित्तीय नुकसान होगा। कंपनी अपने परिचालन संचलन (मुख्य रूप से प्राप्य व्यापार) और बैंकों के साथ जमा के माध्यम से ऋण जोखिम के संपर्क में है।

(a) व्यापार अधिग्रहण

कंपनी की बिक्री आम तौर पर अग्रिम भुगतान और क्रेडिट/बैंक गारंटी पत्रों पर आधारित होती है। इस्पात मंत्रालय के तहत, मेसर्स सेल एमईएल लिमिटेड (चंद्रपुर), सेल भिलाई स्टील प्लांट और सेलम स्टील, सीपीएसई को क्रेडिट की बिक्री के कारणों के लिए पुस्तकों में व्यापार रसीदें हैं।

सरलीकृत प्रणाली के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए ऋण हानि का विवरण निम्नलिखित तालिकाओं में दिया गया है।

31 मार्च 2021 के अंत तक

(रु. लाख में)

वर्ष के अंत में	< 6 महीने	6-12 महीने	>12 महीने	कुल
कुल वहन राशि	22655.05	0.00	15.59	22670.64
अपेक्षित हानि दर (%)	0%		100%	0.07%
अपेक्षित ऋण हानि (संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान)		0.00	15.59	15.59
व्यापार प्राप्य (शुद्ध कमजोरी)	**22655.05**	**0.00**	**0.00**	**22655.05**

31 मार्च 2020 तक

(रु. लाख में)

वर्ष के अंत में	< 6 महीने	6-12 महीने	>12 महीने	कुल
कुल वहन राशि	13243.77	144.50	89.40	13477.67
अपेक्षित हानि दर (%)	0%	0%	83%	0.55%
अपेक्षित ऋण हानि (संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान)			73.81	73.81
व्यापार प्राप्तियां (शुद्ध कमजोरी)	**13243.77**	**144.50**	**15.59**	**13403.86**

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए खातों पर टिपण्णी

नोट 3: (जारी...)

3.20 वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी...)

जोखिम प्रबंधन ढांचा (जारी...)

A ऋण जोखिम (जारी...)

(a) व्यापार अधिग्रहण (जारी...)

अपेक्षित ऋण हानि का समाधान (संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान) - व्यापार अधिग्रहण

(रु. लाख में)

31 मार्च 2019 को अपेक्षित ऋण हानि (संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान)	75.14
प्रावधानों में परिवर्तन	1.33
31 मार्च 2020 को अपेक्षित ऋण हानि (संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान)	73.81
प्रावधानों में परिवर्तन	58.22
31 मार्च 2021 को अपेक्षित ऋण हानि (संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	15.59

ऊपर बताए गए व्यापार प्राप्यता के लिए कमजोर प्रावधान डिफ़ॉल्ट के जोखिम और संभावित हानि दरों के बारे में धारणाओं पर आधारित हैं।

(b) वित्तीय साधन और नकद जमा

बैंकों के पास शेष राशि से ऋण जोखिम का प्रबंधन कंपनी के ट्रेजरी विभाग द्वारा डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है। सावधि जमा में अधिशेष निधि का निवेश केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ किया जाता है जिनकी न्यूनतम निवल संपत्ति रु. 500 करोड़ है और उपलब्ध नवीनतम वित्तीय जानकारी के अनुसार बैंक के निवल मूल्य के 5% से अधिक नहीं होगी। इसी तरह, किसी एक बैंक में सावधि जमा में निवेश अधिशेष निधि के 25% से अधिक नहीं होगा और प्रत्येक बैंक को बैंक की क्रेडिट रेटिंग के अनुसार सीमा निर्धारित की गई है। म्यूचुअल फंड में निवेश केवल सार्वजनिक क्षेत्र के एएमसी के तरल ऋण आधारित म्यूचुअल फंड में उपलब्ध अधिशेष निधि के 30% से अधिक नहीं होगा। कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियमित आधार पर ऑडिट समिति के माध्यम से सीमाओं की समीक्षा की जाती है। जोखिम की एकाग्रता को कम करने के लिए सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और इसलिए भुगतान करने में प्रतिपक्ष की संभावित विफलता के माध्यम से वित्तीय नुकसान को कम किया जाता है।

B. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी को अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति वितरित करके तय किए जाते हैं। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी की प्रतिष्ठा को अस्वीकार्य नुकसान या जोखिम को नुकसान पहुंचाए बिना, सामान्य और तनावपूर्ण दोनों स्थितियों के तहत, अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता होगी।

आमतौर पर कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके पास वित्तीय दायित्वों की पूर्ति सहित मौजूदा और अपेक्षित परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी है; इसमें चरम परिस्थितियों के संभावित प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है, जिसका उचित अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं।

वित्तीय दायित्वों की परिपक्वता:

नीचे दी गई तालिका समझौते के अनुसार बिना सब्सिडी वाले भुगतानों के आधार पर कंपनी की वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल को सारांशित करती है।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. लाख में)

विवरण	मांग पर	3 महीने से कम	3 से 6 महीने	6 महीने से 1 साल	1 से 2 साल	2 से 5 साल
व्यापार देय	0.00	2894.28	8.57	0.00		2902.85
अन्य वित्तीय देयताएं	4332.45	2916.66	764.75	2994.27		11008.13

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणी

नोट 3: (जारी...)

वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी...)

जोखिम प्रबंधन ढांचा (जारी...)

B. चलनिधि जोखिम (जारी...)

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

रु. लाखात

विवरण	मांग पर	3 महीने से कम	3 से 6 महीने	6 महीने से 1 साल	1 से 2 साल	2 से 5 साल
व्यापार देय	0.00	3677.84	1.62	0.00		3679.46
अन्य वित्तीय देयताएं	5150.27	2813.55	5210.57	846.47		14020.86

C. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव है, जैसे कि विदेशी मुद्रा दरें और ब्याज दरें जो किसी कंपनी की आय या वित्तीय साधनों की अपनी होल्डिंग के मूल्य को प्रभावित करती हैं। बाजार जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य स्वीकार्य नियमों के भीतर बाजार जोखिम स्थितियों का प्रबंधन और नियंत्रण करना है, जबकि रिटर्न का अनुकूलन करना है।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम:

चूंकि कंपनी के अधिकांश संचालन भारत में होते हैं और सभी भौतिक शेष इसकी कार्यात्मक मुद्रा में परिलक्षित होते हैं, कंपनी को मुद्रा में उतार-चढ़ाव के जोखिम के लिए किसी भी भौतिक जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है।

(ii) ब्याज दर जोखिम:

ब्याज दर जोखिम एक वित्तीय साधन के मूल्य में उतार-चढ़ाव या बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण भविष्य के नकदी प्रवाह का जोखिम है। चूंकि सावधि जमा पर ब्याज दर निश्चित है, इसलिए कंपनी को ब्याज दर का कोई जोखिम नहीं है।

इसके अलावा कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। इसलिए ब्याज दरों में कोई जोखिम नहीं है।

3.21 कंपनी वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देनदारियों का निर्वहन करती है, जहां उसके पास अनुमोदित राशि को भेजने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और जहां वह शुद्ध आधार पर या उसी समय संपत्ति और देनदारियों को प्राप्त करने का इरादा रखता है।

3.22 वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के रूप में इंडस्ट्रीज़ 1 के पैराग्राफ 117 के अनुसार, हमने महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों, लेखांकन नीति संख्या 1.1 (बी) में माप के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले और अन्य लेखांकन नीतियों का उपयोग किया है जो प्रासंगिक हैं। वित्तीय विवरणों की समझ के लिए।

3.23 प्रत्यक्ष लेखांकन लागू नहीं होता है।

3.24 पूंजी प्रबंधन

(a) जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि करना है। पूंजी के प्रबंधन में कंपनी का उद्देश्य निरंतर चिंता के रूप में जारी रखने की उनकी क्षमता की रक्षा करना है, ताकि वे शेयरधारकों के लिए रिटर्न और अन्य शेयरधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रख सकें।

बोर्ड की नीति निवेशक, उधारकर्ता और बाजार के विश्वास को बनाए रखने और व्यवसाय के भविष्य के विकास को बनाए रखने के लिए एक मजबूत पूंजी आधार बनाए रखना है। निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन पूंजी पर वापसी की देखरेख करते हैं, जिसे कंपनी कुल शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित कार्य संचालन के एक उपाय के रूप में परिभाषित करती है।

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से, पूंजी (इक्विटी) में इक्विटी शेयर पूंजी और इक्विटी धारकों को जारी अन्य इक्विटी शामिल है। 31 मार्च, 2021 तक कंपनी पर कोई बाहरी कर्ज नहीं है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणी

नोट 3: (जारी...)

3.24 पूंजी प्रबंधन (जारी...)

(b) लाभांश

(रु. लाख में)

विवरण	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भुगतान किया गया अंतिम लाभांश रु. 3.00. (31 मार्च 2019: 3.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर)		7119.84	7728.27
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश रु. 2.50 (31 मार्च, 2020: रु. 3.00) प्रति इक्विटी शेयर		5933.32	7119.84
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश रु. 4.90 प्रति इक्विटी शेयर		11629.07	

(c) उधार

रु. लाखात

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
निवल ऋण (अल्पावधि को छोड़कर)	0.00	0.00
कुल इक्विटी	281990.11	276338.43
इक्विटी अनुपात के लिए शुद्ध ऋण	0.00	0.00

3.25 व्यापार विभागों की जानकारी

कंपनी ने सेगमेंट रिपोर्टिंग, जैसे, खनन, उत्पादन और बिजली उत्पादन पर लेखा मानक इंडस्ट्रीज़ एएस-108 के अनुसार तीन व्यावसायिक खंडों की पहचान की है।

रु. लाखात

क्र. सं.	विवरण	खनन		विनिर्माण		बिजली उत्पादन		उन्मूलन		समेकित	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
1	**राजस्व**										
	(a) बाहरी बिक्री	106773.80	96947.70	10292.47	6094.57	671.50	764.24	0.00	0.00	117737.77	103806.51
	(b) अंतर-विभागीय बिक्री	1844.00	2195.44	0.00	0.00	972.16	1154.95	-2816.16	-3350.39	0.00	0.00
	(c) कुलर राजस्व	108617.80	99143.14	10292.47	6094.57	1643.66	1919.19	-2816.16	-3350.39	117737.77	103806.51
2	**परिणाम**										
	(a) विभागीय परिणाम	16885.61	14712.90	1085.28	64.94	792.97	1159.91	0.00	0.00	18763.86	15937.75
	(b) अन्य आय (वापस लिखें)	10191.11	18039.63	52.25	61.14	4.21	10.63	0.00	0.00	10247.57	18111.40
	(c) कुल अनुभाग परिणाम	27076.72	32752.53	1137.53	126.08	797.18	1170.54	0.00	0.00	29011.43	34049.15
	(d) घट: असाधारण आइटम									5000.00	0.00
	(e) कर पूर्व लाभ									24011.43	34049.15
	(f) आयकर प्रावधान									6483.10	9033.74
	(g) आस्थगित कर देयता / संपत्ति									-134.74	193.39
	(h) कर पश्चात लाभ									17663.07	24822.02
3	**अन्य जानकारी**										
	(a) विभाग में संपत्ति	113480.57	105475.97	4198.37	5860.50	8214.16	8778.76	213138.98	210082.48	339032.08	330197.71
	(b) विभाग दायित्व	34194.84	31991.56	1744.12	1581.56	1323.21	1321.30	19779.80	19888.30	57041.97	54782.72
	(c) कार्यशील पूंजी [(a)-(b)]	79285.73	73484.41	2454.25	4278.94	6890.95	7457.46	193359.18	190194.18	281990.11	275414.99
	(d) पूंजीगत व्यय	12792.67	15758.15	286.84	559.06	0.00	2828.50	586.67	841.19	13666.18	19986.90
	(e) समाप्त अवधि के लिए मूल्यह्रास	9083.18	8836.15	256.34	217.15	577.97	562.85	0.00	0.00	9917.49	9616.15

नोट: पवन टरबाइन जनरेटरों और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में उत्पन्न बिजली के संबंध में, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा दी गई क्रेडिट राशि से खपत की गई इकाइयों के बिजली शुल्क में वृद्धि की गई है. बिजली इकाइयों के खाते में क्रेडिट किया जाता है और इसे बिजली उत्पादन इकाई के अंतर-विभागीय राजस्व के रूप में जाना जाता है ताकि विभाग का राजस्व प्राप्त हो सके।

गैर-आवंटित पूंजीगत व्यय, कॉर्पोरेट संपत्ति और कॉर्पोरेट देनदारियां शामिल हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणी

नोट 3: (जारी...)

3.26 प्रमुख ग्राहक जानकारी: 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कुल कमाई एक ग्राहक की बिक्री है, जो खनन उत्पादों की कुल बिक्री का 16% है।

3.27 कोरोनावायरस (कोविड-19 का प्रकोप) आर्थिक रिपोर्ट पर प्रभाव: भारत में कोविड-19 महामारी की वर्तमान 'दूसरी लहर' काफी बढ़ गई है। महाराष्ट्र सरकार वर्तमान में लॉकडाउन से इनकार कर रही है, जिसमें बड़ी संख्या में कोविड-19 महामारी वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, कंपनी ने कोविड -19 महामारी के संभावित परिणामों पर विचार किया है, इसलिए नहीं कि प्राप्तकर्ताओं की वसूली बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित है और इसका वित्तीय परिणामों पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है। विवरण वैश्विक इस्पात मांग और बढ़ती कीमतों और सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों के आधार पर अनुमानों के आधार पर, कंपनी किसी भी वहन मूल्यों पर किसी भी भौतिक प्रभाव की उम्मीद नहीं करती है।

कंपनी की कोई बड़ी देनदारी नहीं है और सामान्य कारोबारी लेनदेन भी ऐसा ही है, इसलिए कोविड-19 महामारी से प्रभावित नहीं होगा। प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त सभी कारकों पर विचार करने से कंपनी पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोविड-19 महामारी का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है और भविष्य की वित्तीय स्थितियों में होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। लॉकडाउन की अवधि के लिए वेतन और मजदूरी का पूरा भुगतान किया जाता है। इस अवधि से संबंधित व्यय को लाभ और हानि विवरण में सामान्य व्यय में सबसे ऊपर रखा गया है। लॉकडाउन और इसके बाद कोविड -19 महामारी ने विभिन्न परियोजनाओं में देरी की है।

3.28 पिछले वर्ष के संगत आंकड़े कोष्ठकों में दिखाए गए हैं और उनकी तुलना करने के लिए जहां आवश्यक हो उन्हें पुनर्व्यवस्थित/पुन: समावेश किया गया है।

नोट 1 से 3.28 तक वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

मेसर्स डेम्बले रमानी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 102259W

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
DIN : 05339308

सीए अशोक रमानी
भागीदार
M.No. : 030537
स्थान : नागपूर
दिनांक : 4 जून 2021

राकेश तुमाने
निदेशक (वित्त)
DIN : 06639859

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव
M.No. F5632

अतिरिक्त सूचना उत्पादन, बिक्री, उद्घाटन और समापन स्टॉक जो वित्तीय रिपोर्ट का हिस्सा नहीं हैं

विवरण	31.03.2021 समाप्त वर्ष का विवरण मात्रा (एमटी)	रु. लाख में	31.03.2020 समाप्त वर्ष का विवरण मात्रा (एमटी)	रुपये लाख में
a) उत्पादन				
मैंगनीज	1143570	--	1277444	--
ई.एम.डी.	1070	--	925	--
फेरो मैंगनीज	8851	--	10421	--
फेरो मैंगनीज स्लैग	10780	--	14113	--
पवन ऊर्जा (किलोवाट)	25614204	--	31305864	--
b) बिक्री				
मैंगनीज	1217891	106773.80	1179799	96947.69
ई.एम.डी.	918	1111.08	930	1082.41
फेरो मैंगनीज	13367	8088.94	6187	3886.65
फेरो मैंगनीज स्लैग	12069	1092.45	13460	1125.52
एमपीईडीसीएल (किलोवाट) की शक्ति	19984972	671.50	22745120	764.24
संचालन से राजस्व (लाख रुपये में)		117737.77		**103806.51**
c) प्रारंभिक स्टॉक				
मँगनीज धातू	190827	11513.07	122882	6612.88
ई.एम.डी.	34	43.96	38	50.91
फेरो मँगनीज	5524	2726.05	1290	827.28
फेरो मँगनीज स्लॅग	2683	221.96	2030	180.67
d) क्लोज़िंग स्टॉक				
मैंगनीज धातु	90507	6914.62	190827	11513.07
ई.एम.डी.	186	235.88	34	43.96
फेरो मैंगनीज	1008	501.16	5524	2726.05
फेरो मैंगनीज स्लैग	1394	154.72	2683	221.96
टीप :				
इसके उत्पादन के लिए अयस्क के निर्गम के समायोजन के बाद मैंगनीज का बंद स्टॉक आया है - ई.एम.डी.				
फेरो मैंगनीज	5862		4471	
पवन चक्कियों से उत्पन्न बिजली का प्रतिबंधित उपयोग (KwH)	20137		25230	
	5629232		8560744	

मॉयल लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

CIN : L99999MH1962GOI012398
PAN : AAACM8952A

मॉयल भवन, 1-ए काटोल रोड, नागपूर - 440 013
ईमेल : compliance@moil.nic.in टेलिफैक्स : 07122591661
www.moil.nic.in

a K&A creation | www.kalolwala.co.in